



Government of Himachal Pradesh

Economic Survey

आर्थिक सर्वेक्षण

2015-16

**Economics & Statistics Department
Himachal Pradesh**




हिमाचल प्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2015–16

अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग



प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रलेख है जो सरकार की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2015-16 में हिमाचल प्रदेश अर्थ-व्यवस्था की स्थिति व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में तथा सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस सर्वेक्षण के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया है। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की प्रशंसा करता हूँ।

डा० श्रीकांत बाल्दी
अतिरिक्त मुख्य सचिव
(वित्त, योजना तथा अर्थ एवम् सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय सूची

	पृष्ठ
1. सामान्य समीक्षा ..	1
2. राज्य आय एवम् लोक वित्त ..	11
3. संस्थागत एवम् बैंक वित्त ..	16
4. आबकारी एवम् कराधान ..	35
5. भाव संचलन ..	38
6. खाद्य सुरक्षा एवम् नागरिक आपूर्ति ..	40
7. कृषि एवम् उद्यान ..	46
8. पशु तथा मत्स्य पालन ..	61
9. वन तथा पर्यावरण ..	70
10. जल स्रोत प्रबंधन ..	74
11. उद्योग एवम् खनन ..	77
12. श्रम और रोजगार ..	81
13. विद्युत ..	86
14. परिवहन एवम् संचार ..	108
15. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन ..	114
16. शिक्षा ..	119
17. स्वास्थ्य ..	135
18. समाज कल्याण कार्यक्रम ..	142
19. ग्रामीण विकास ..	155
20. आवास एवम् शहरी विकास ..	161
21. पंचायती राज ..	167
22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी ..	170

भाग-1

**वर्ष 2015-16 की प्रगति की
समीक्षा**

1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालीन अवधि के विकास में सीमित सकारात्मक वृद्धि के प्रमुख कारण इसकी युवा शक्ति, कम निर्भरता अनुपात तथा एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती भागीदारी है। लघु अवधि में भारतीय अर्थ-व्यवस्था विकास के दृष्टिकोण से इतनी अच्छी नहीं रही। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्यात में कमी आई है जबकि तेल भाव में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2015-16 के लिए 7.6 प्रतिशत सम्भावित है।

1.2 अर्थ-व्यवस्था में तेल की इन कीमतों में 75 प्रतिशत गिरावट के कारण इस वित्तीय वर्ष में भुगतान संतुलन की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है जिससे चालू खाता के घाटों में भी सुधार हुआ है। इस अवधि में मुद्रा-स्फीति की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में बहुत अधिक अच्छी नहीं रही। सरकार के विभिन्न प्रयासों व मुद्रा-स्फीति में गिरावट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि की ओर अग्रसर है।

1.3 दुनिया इन दिनों भारत को आर्थिक प्ररिपेक्ष में सबसे पसंदीदा गंतव्य के तौर पर देख रही है जिसके लिए देश को इस स्थिति को साकार करने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में ज्यादा तथा सुनिश्चित

लाभांश के कारण भारत में निवेश को आकर्षक स्थान मान रहे हैं।

1.4 नए आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार स्थिर भावों पर वर्ष 2014-15 में कुल सकल घरेलू उत्पाद ₹105.52 लाख करोड़ आंका गया है जबकि 2013-14 में यह ₹98.39 लाख करोड़ आंका गया था। प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2013-14 में ₹112.73 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में लगभग ₹124.88 लाख करोड़ आंका गया है जोकि 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में मूल भाव (आधार 2011-12) में सकल मूल्य संवर्धन में 6.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2014-15 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः, अन्य सेवाएं (11.4 प्रतिशत), खनन क्षेत्र में (10.8 प्रतिशत), व्यापार, मुरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट (10.7 प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन (9.8 प्रतिशत), बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगिता सेवाओं में (8.0 प्रतिशत) तथा वित्त सेवाएं (7.9 प्रतिशत), रही जबकि कृषि व वन व मत्स्य क्षेत्र में 0.2 प्रतिशत की कमी रही।

1.5 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 में ₹79,412 थी जो वर्ष 2014-15 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए यह ₹86,879 हो गई। स्थिर (2011-12) भावों पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वर्ष 2013-14 में ₹68,867 से बढ़कर

वर्ष 2014-15 में ₹72,889 हो गई जो कि 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।


1.6 वित्तीय वर्ष 2015-16 में (अग्रिम अनुमानों पर आधारित) विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.7 मुद्रा-स्फीति दर थोक भाव सूचकांक से आंकी जाती है। प्रचलित वित्त वर्ष (2015-16) में मुद्रा-स्फीति पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है जब यह 7.3 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2015 में मुद्रा-स्फीति की दर (-) 0.7 प्रतिशत रही जो दिसम्बर, 2014 में 6.4 प्रतिशत के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि दिसम्बर, 2015, में 6.3 प्रतिशत रही जबकि यह दिसम्बर, 2014 में 5.9 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.8 हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था कृषि और बागवानी पर निर्भर है। इन क्षेत्रों के उत्पादन पर उतार चढ़ाव के कारण अर्थ-व्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति के कारण हिमाचल प्रदेश, देश में न कि एक पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छे माडल के रूप में उभरा है अपितु विकास के विभिन्न क्षेत्रों में एक अग्रणी राज्य के रूप में जाना जा रहा है। प्रतिस्पर्धी माहौल और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभ्यता विरासत, व्यापार उदारीकरण एवं अन्य उपायों से न केवल प्रतिस्पर्धी माहौल में वृद्धि हुई अपितु राज्य की अर्थ-व्यवस्था में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है जिस कारण प्रदेश एक स्वस्थ अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर है। चालू

वित्त वर्ष में राज्य की विकास दर 7.7 प्रतिशत रहने की संभावना है।



1.9 वर्ष 2013-14 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर ₹92,589 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹101,108 करोड़ आंका गया है। यह 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। स्थिर भावों में वर्ष 2013-14 में (2011-2012) पर ₹82,866 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹89,050 करोड़ हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष भी 7.1 प्रतिशत थी। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण यातायात एवं व्यापार क्षेत्र में 14.6 प्रतिशत, व्यक्तिगत सेवाओं में 13.9 प्रतिशत, गोण क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत, वित्त एवं स्थावर सम्पदा में 11.4 प्रतिशत रहना है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013-14 में 15.85 लाख मी.टन से बढ़कर 2014-15 में 16.74 लाख मी.टन रहा और 2015-16 में यह उत्पादन 16.19 लाख मी.टन होने की संभावना है। फल उत्पादन में भी 13.2 प्रतिशत की कमी हुई। जो कि वर्ष 2013-14 में 8.66 लाख मी.टन से घटकर 2014-15 में 7.52 लाख मी.टन तथा 2015-16 में (दिसम्बर, 2015 तक) 8.19 लाख मी.टन हुआ।

1.10 वर्ष 2013-14 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय ₹1,10,209 से बढ़कर वर्ष 2014-15 अनुमानों के अनुसार

₹1,19,720 हो गई जो कि 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

सारणी-1.1 मुख्य सूचक

सूचक	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)				
प्रचलित भावों पर	92,589	101,108	12.5	9.2
स्थिर भावों पर	82,866	89,050	7.1	7.5
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	15.85	16.74	2.9	5.6
फलोत्पादन (लाख टन)	8.66	7.52	55.8	(-) 13.2
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)*	23,003	24,109	11.5	4.8
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1,951	2,097	7.5	7.4
थोक भाव सूचकांक	177.6	181.2	6.0	2.1
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	213	225	10.4	5.6

*प्रचलित भावों पर

1.11 वर्ष 2015 में दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनजर व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2015-16 में लगभग 7.7 प्रतिशत होने की संभावना है।

1.12 प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों पर ही निर्भर है 1990 के दशक में विशेष उतार चढ़ाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ-व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रुझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950-51 में 57.9 प्रतिशत था तथा घटकर 1967-68 में 55.5 प्रतिशत, 1990-91 में

26.5 प्रतिशत और 2014-15 में मात्र 10.4 प्रतिशत ही रह गया।

1.13 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950-51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967-68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990-91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2014-15 में 24.8 तथा 43.0 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950-51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 21.8 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.14 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ-व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ-व्यवस्था का विकास अधिकतर कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य

योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बन्धताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.15 . राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु उपजाऊ भूमि, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू-स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.16 वर्ष 2014-15 में (दिसम्बर, 2015 तक) 8.19 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसकी तुलना में अब तक 3,244 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। दिसम्बर, 2015 तक 8.48 लाख, विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में 15.76 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2013-14 में 14.66 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2015-16 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 14.80 लाख टन होने का अनुमान है।

1.17 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रमुख

भूमिका निभा रही है। ऊर्जा संसाधन के रूप में जल विद्युत एक व्यवहारिक, प्रदूषण रहित तथा पर्यावरण मित्र है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को भी प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं की आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.18 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है की भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की संरचना की जा रही है जिसमें नागरिक सुविधाएं, सड़क मार्ग, दूर संचार, विमानपत्तन, यातायात सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं मीडिया के पर्यटन क्षेत्र में गहन प्रचार के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट है:-

सारणी 1.2
आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31

1.19 हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने, मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन की दिशा में ठोस पग उठाने में अग्रिम भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग हेतु तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व ऊर्चाइयों तक पहुंचाएगी।

1.20 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमस्वान के माध्यम से जी.टू.जी., जी.टू.सी., जी.टू.बी. ई-प्रक्योरमेंट, ई-समाधान इत्यादि, तंत्र प्रणालियां प्रदेश में शुरू की हैं।

1.21 मुद्रा-स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 6.3 प्रतिशत बढ़ा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी 6.3 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि प्रदेश सरकार का मूल्य वृद्धि पर पूर्ण नियन्त्रण एवं सही व्यवस्था है।

1.22 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ₹22,800.00 करोड़ रखा गया है जबकि वर्ष 2016-17 की योजना के लिए ₹5,200 करोड़ प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2015-16 से 8.3 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार व्यौरा निम्न है:-

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (₹करोड़)	प्रतिशत भाग	प्राथ-मिकता
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2,906.79	12.75	III
2	ग्रामीण विकास	1,276.73	5.60	VI
3	विशेष क्षेत्र	155.75	0.68	X
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,972.37	8.65	V
5	विद्युत	2,805.59	12.31	IV
6	उद्योग एवं खनिज	224.42	0.98	IX
7	यातायात एवं संचार	4,709.88	20.66	II
8	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	104.92	0.46	XI
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	596.59	2.62	VII
10	सामाजिक सेवाएं	7,674.22	33.66	I
11	सामान्य सेवाएं	372.74	1.63	VIII
कुल		22,800.00	100.00	

1.23 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक संचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख-रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश जोकि देश में पहला प्रदेश है जिसने ई-समाधान के द्वारा जन शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

1.24 सरकार की प्राथमिकता हमेशा से ही सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की रही है। लोक सेवा प्रदान करने में दक्षता व गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु एकताबद्ध प्रयास किये गये हैं।

सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न हैं:-

- समाजिक सुरक्षा पेंशन ₹550 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिमाह की गई है।
- पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयु की पात्रता 16 से 35 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।
- 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को बिना किसी आय सीमा के (को छोड़कर पेंशन भोगी) को ₹1,100 मासिक पेंशन दी जा रही है।
- राज्य को कृषि कर्मन्य पुरस्कार 2014-15 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए नामांकित किया गया है।
- विभिन्न बैंकों द्वारा 6.37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल एवं गेहू का उत्पादन बढ़ाने के लिए कमशः 3 व 9 जिलों को चुना गया।
- राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे उन्हें मूल्य वृद्धि से जुझना न पड़े।
- राजीव गांधी अन्न योजना के अंतर्गत 37 लाख उपभोक्ताओं को प्रतिमाह तीन किलो गेहू व दो किलो चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- कृषि क्षेत्र में तेज व अधिक समावेशी विकास के लिए डॉ. वाई.एस. परमार

किसान स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई।

- चाय उत्थान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के चाय उत्पादकों को कृषि लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 92,423 किसान आवर्णित किए गए तथा ₹34.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई।
- सेब तथा आम के लिए चलाई जा रही मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत आड़ू, पलम और किन्नु जैसे फलों को कुछ और खण्डों के माध्यम द्वारा इस योजना में शामिल किया गया।
- भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए ₹70.04 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।
- किसान काल सेंटर योजना के तहत कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800-180-1551 पर निःशुल्क कॉल की सुविधा दी जाती है।
- वर्ष 2014-15 में 2,097 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- प्रदेश में उपलब्ध 27,436 मैगावाट संभावित बिजली लक्ष्य में से 10,264 मैगावाट विद्युत का दोहन किया गया है जो कि कुल क्षमता का 37.41 प्रतिशत है।

- घरेलू उपभोक्तों को 10 एल.ई.डी. बल्ब बाजार भाव से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए गए।
- मुम्बई, बंगलूरु, अहमदाबाद व नई दिल्ली में निवेशक सम्मेलन आयोजित किये गए।
- वर्ष 2014-15 में प्रदेश राज्य आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 24.81 प्रतिशत रहा है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक पैकेज को मार्च, 2017 तक बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 147.78 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 3,76,265 परिवार लाभान्वित हुए।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए 2,128 घर स्वीकृत किए गए
- राजीव आवास योजनाओं के अंतर्गत 503 घरों का निर्माण किया जाना है।
- स्वच्छ भारत मिशन, के माध्यम से, राज्य के सभी 12 जिलों में लागू किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में जाना जा रहा है।
- मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली 10-75 वर्ष की आयु समूह की सभी महिलाओं को उनकी मौत या विकलांगता होने पर इस परियोजना के तहत लाया गया है। इस वर्ष के दौरान 118 परिवारों की सहायता की गई।
- शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है।
- राज्य में विश्व विद्यालय स्तर तक सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए पिछड़े हुए ब्लॉकों में छात्रावास शुरू किए गए।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अधीन 16,834 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 10,000 डिजीटल नोट बुक्स प्रदान की गई हैं।
- समाज के वंचित वर्ग के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति/ बजीफा प्रदान कर रही है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 95 स्वास्थ्य संस्थान चिन्हित किये गए जिनमें कि 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं दी जा रही है।

- सफाई कर्मचारियों, कूड़ा बीनने वालों, ऑटो रिक्शा तथा टैक्सी चालकों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाया गया।
- बेटी है अनमोल नामक योजना के तहत 16,111 कन्याएं लाभान्वित हुईं।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कम लिगांनुपात वाले ऊना जिले में प्रारम्भ की गई।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2015 तक 1,516 लाभार्थी लाभान्वित हुए।
- अन्तरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अन्तर्गत महिलाओं को नगद ₹6,000 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अभी तक 5,832 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
- बलात्कार प्रभावित महिला को ₹75,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। अब तक इस वित्तीय वर्ष में 30 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
- प्रदेश के 13 नए नगरों को नियोजित क्षेत्र अधिसूचित किया गया।
- धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश का दूसरा नगर निगम बनाया गया।
- महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
- निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ₹90 करोड़ व्यय किए गए।
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 1,761 सरकारी कार्यालयों को हिम स्वान से जोड़ा है।
- सरकार ने सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और भण्डार नियंत्रक की खरीद प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई.जी.पी. (ई-सरकारी खरीद) व्यवस्था को लागू किया है।
- वर्तमान में राज्य सरकार के 11 विभागों की 36 जी.टू.सी. सेवाओं को राज्य पोर्टल www.eserviceshp.gov.in के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही है।
- आधार योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक निवासियों का नामांकन किया गया जिसमें से 67.77 लाख आधार कार्ड बनाए गए।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति की पात्रता हेतु ₹35,000 की वार्षिक आय की एक समान सीमा निर्धारित की गई।
- प्रदेश में 2 अतिरिक्त महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए।
- प्रदेश में “सेवा अधिनियम” के अन्तर्गत 15 विभागों में 86 सेवाओं को कुशल और समय पर समाधान के लिए लागू किया गया है।

- राज्य में जन सुविधा हेतु सार्वजनिक सेवा वितरित हेल्पलाइन स्थापित की गई है।
- सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी देने के लिए निशुल्क दूरभाष सेवा सुविधा प्रदान की गई है।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में ₹1,19,720 हो गई है जोकि वर्ष 2013-14 से 8.6 प्रतिशत अधिक है। 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,30,067 होने का अनुमान है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

Item	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	(वा.)	(वा.)	(सं.)	(ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	15598	15711	18907	23531.5
2. कर राजस्व	6908	7612	9063	10181.5
3. कर रहित राजस्व	1377	1785	1399	1501.7
4. सहाय अनुदान	7313	6314	8445	11841.3
5. राजस्व व्यय	16174	17352	20445	23481.8
क. ब्याज भुगतान	2370	2481	2750	2951.0
6. राजस्व घाटा (1-5)	(-) 576	(-) 1641	(-) 1538	41.7
7. पूंजी प्राप्तियां	4434	4619	11451	4801.4
क. उधार वसूलियां	21	17	26	11.7
ख. अन्य प्राप्तियां	1042	551	1775	901.0
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	3371	4051	9650	3881.7
8. पूंजी व्यय	4540	4091	10265	4851.1
9. कुल व्यय	20714	21443	30710	28331.9
क. योजना व्यय	4386	4714	6199	6821.1
ख. गैर योजना व्यय	16328	16729	24511	21511.7
सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत				
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	18.95	16.97	18.70	21.310
2. कर राजस्व	8.39	8.22	8.96	9.212
3. कर रहित राजस्व	1.67	1.93	1.38	1.316
4. सहाय अनुदान	8.89	6.82	8.35	10.712
5. राजस्व व्यय	19.65	18.74	20.22	21.215
क. ब्याज भुगतान	2.88	2.68	2.72	2.617
6. राजस्व घाटा (1-5)	(-) 0.70	(-) 1.77	(-) 1.52	0.014
7. पूंजी प्राप्तियां	5.39	4.99	11.33	4.315
क. उधार वसूलियां	0.03	0.02	0.03	0.012
ख. अन्य प्राप्तियां	1.27	0.60	1.76	0.811
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	4.10	4.38	9.54	3.512
8. पूंजी व्यय	5.52	4.42	10.15	4.319
9. कुल व्यय	25.17	23.16	30.37	25.614
क. योजना व्यय	5.33	5.09	6.13	6.117
ख. गैर योजना व्यय	19.84	18.07	24.24	19.417

टिप्पणी: 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15(दुत) वर्ष 2015-16 (अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।

2. राज्य आय एवम् लोक वित्त

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड है। द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014-15 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹89,050 करोड़ आंका गया, जबकि वर्ष 2013-14 में यह ₹82,866 करोड़ था। वर्ष 2014-15 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधार:2011-12) पर 7.5 प्रतिशत रही।

2.2 राज्य के द्रुत अनुमानों के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 के ₹92,589 करोड़ की तुलना में ₹1,01,108 करोड़ आंका गया है, जो कि 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को जाता है। वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013-14 के 15.85 लाख मी.टन से बढ़कर 16.74 लाख मी.टन हो गया है। जबकि, वर्ष 2014-15 में सेब उत्पादन वर्ष 2013-14 के 7.39 लाख मी.टन से घटकर 6.25 लाख मी.टन रह गया।

2.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार-चढ़ाव प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल राज्य की

आय का लगभग 10.4 प्रतिशत योगदान केवल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ-व्यवस्था वृद्धि की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2015-16 में वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत दर रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्षों में प्रदेश की आर्थिक विकास दर सारणी 2.1 में दर्शाई गई है:-

सारणी 2.1

वर्ष	(प्रतिशत)
	हिमाचल प्रदेश
1	2
2012-2013	6.4
2013-14(संशोधित)	7.1
2014-15 (द्रुत)	7.5

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों वर्ष 2014-15 (नई श्रंखला आधार वर्ष 2011-12) के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹1,19,720 है जोकि वर्ष 2013-14 के ₹1,10,209 की तुलना में 8.6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर वर्ष 2013-14 में प्रति व्यक्ति आय ₹98,425 आंकी गई, जो कि वर्ष 2014-15 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हुए ₹1,04,838 हो गई है।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2014-15 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 15.91 प्रतिशत रहा। गौण क्षेत्रों का 41.08 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 12.62 प्रतिशत, वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 15.08 प्रतिशत तथा सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 15.31 प्रतिशत रहा।

2.8 प्रदेश अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित हैं का प्रतिशत योगदान वर्ष 2000-01 में 21.1 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2014-15 में 10.4 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार-चढ़ाव अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 2000-01 में 25.1 प्रतिशत से घट कर 2014-15 में 15.9 प्रतिशत रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है जिसमें वर्ष 1990-91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990-91 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 41.1 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रुझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990-91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 8.6 प्रतिशत हो गया, अन्य

सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2014-15 में 43.0 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्ष 2014-15 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.5 प्रतिशत रही।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2014-15 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. कृषि एवं पशुपालन	9,858	-4.0
2. वन	4,054	3.6
3. मत्स्य	73	11.6
4. खनन तथा उत्खनन	232	3.1
कुल प्राथमिक क्षेत्र	14,217	-1.7

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2014-15 में 1.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण फल उत्पादन में गिरावट है।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2014-15 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. विनिर्माण	21,502	4.5
2. निर्माण	7,064	4.7
3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	7,471	12.4
कुल गौण क्षेत्र	36,037	6.1

2.12 गौण क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष 2014-15 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इन क्षेत्रों में पिछले वर्षों की उपलब्धियों की अपेक्षा इस वर्ष विद्युत गैस व जल आपूर्ति क्षेत्र में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	2014-15 (₹ करोड़ में)	% कमी / वृद्धि
1	2	3
1. परिवहन, संचार व व्यापार	10,195	14.6
2. वित्त एवं स्थावर सम्पदाएँ	12,287	11.4
3. सामुदायिक एवं वैक्तगत सेवाएं	12,456	13.9
कुल सेवा क्षेत्र	34,938	13.2

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्ष 2014-15 में इस क्षेत्र की विकास दर 14.6 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र के परिवहन के अन्य साधनों से सम्बन्धित विकास दर 21.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2014-15 में 11.4 प्रतिशत रही।

सामुदायिक एवं निजी सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2014-15 में 13.9 प्रतिशत रही।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थानीय निकायों का योगदान:

2.16 राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थानीय निकायों का योगदान वर्ष 2014-15 में 0.32 प्रतिशत रहा। निम्न सारणी में वर्षवार स्थानीय निकायों का प्रतिशत योगदान दर्शाया गया है।

स्थानीय निकायों का प्रतिशत योगदान

वर्ष	प्रतिशत योगदान
2012-13	0.27
2013-14 (अनन्तिम)	0.33
2014-15 (दुत)	0.32

सम्भावनाएं— 2015-16

2.17 दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015-16 में विकास दर 7.7 प्रतिशत आने की संभावना है। प्रदेश में गत दो वर्षों से विकास की दर 7.0 प्रतिशत से अधिक रही है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग ₹1,10,511 करोड़ होने की सम्भावना है।

2.18 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में ₹1,30,067 अनुमानित है जोकि वर्ष 2014-15 में ₹1,19,720 की तुलना में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

2.19 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है:-

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966-67 से 1968-69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978-79 से 1979-80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990-91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991-92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012	(+) 8.0	(+) 8.0
बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017		
(i) 2012-13	(+) 6.4	(+) 5.6
(ii) 2013-14	(+) 7.1	(+) 6.6
(iii) 2014-15	(+) 7.5	(+) 7.2
(iv) 2015-16	(+) 7.7	(+) 7.6

लोक वित्त

2.20 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹23,535 करोड़ है जोकि वर्ष 2014-15 (संशोधित) में ₹18,907 करोड़ थी। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2014-15

(संशोधित अनुमान) से 2015-16 में 24.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.21 राज्य करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में ₹6,341 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 (संशोधित) में ₹5,698 करोड़ व वर्ष 2013-14 (वा0) में ₹5,121 करोड़ आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2015-16

(बजट अनुमान) में वर्ष 2014-15 (संशोधित अनुमान) की अपेक्षा 11.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.22 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें विशेषकर ब्याज प्राप्ति, उर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में ₹1,507 करोड़ आंका गया है, जोकि वर्ष 2015-16 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.40 प्रतिशत है।

2.23 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में ₹3,844 करोड़ आंका गया है।

2.24 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय ₹3,937 करोड़ आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 38.65 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 व वर्ष 2013-14 में यह क्रमशः 38.29 व 41.26 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015-16 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹1,138 करोड़ आंकी गई है।

2.25 वर्ष 2013-14 व 2014-15 में राजस्व घाटा, कुल सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता क्रमशः (-) 1.77 व (-) 1.52 प्रतिशत थी।

3. संस्थागत एवम् बैंक वित्त

3.1 हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिले शामिल हैं। प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक को 6 जिलों में, यूको बैंक को 4 जिलों में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 2 जिलों का कार्य आवंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक है। सितम्बर, 2015 तक राज्य में कुल 1,955 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और ये शाखा विस्तार लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर, 2014 से सितम्बर, 2015 तक 96 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। वर्तमान में 1,564 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 302 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 89 शिमला में स्थित हैं, जिसे आर.बी.आई. द्वारा राज्य में केवल शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।

3.2 जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 3,511 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। राज्य में पंजाब नेशनल बैंक की सबसे ज्यादा 299, एस.बी.आई. और इसके सहयोगियों की 351 और यूको बैंक की 168 शाखाएं हैं। सहकारी बैंक का 475 शाखाओं का नेटवर्क है और निजी क्षेत्र के बैंक शाखाओं का नेटवर्क 109 है। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ शहरी सहकारी बैंक भी कार्य कर रहे हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 390 बैंक शाखाएं जबकि जिला लाहौल-स्पिति में सबसे कम 22 शाखाएं कार्यरत हैं।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित, एक तीन स्तरीय

अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के 6 जिलों में 194 शाखाएं और 24 विस्तार पटलों (जिनमें से अधिकतर प्रदेश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में हैं) के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं तथा अन्य बैंकों के ग्राहक भी सहकारी बैंक के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में बैंक ने अपने 51 ए.टी.एम. स्थापित किए हैं। बैंक विस्तार को लेकर शाखाएं खोलने हेतु 28 आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमति के लिए लम्बित है। बैंक सीधे तौर पर आर.टी.जी.एस. व एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से कहीं भी पैसों का हस्तांतरण कर सकता है। बैंक ने वित्तीय समावेश हेतु सार्थक पग उठाये हैं और दो ग्रामों में, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से बी.सी. मॉडल अपनाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूरे प्रदेश में पेंशन देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। बैंक रूपे (RuPay) के.सी.सी. कार्ड एवं डैबिट कार्ड जारी कर रहा है तथा अपने बहुमूल्य ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, एस.एम.एस. अलर्ट एवं एफ.डी.आर. के लिये ऑटो नवीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है।

3.4 राज्य में आर.बी.आई., नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पी.एन.बी., एस. बी.आई., यूको, एस.बी.ओ.पी., तथा कैनरा बैंकों के नियंत्रित कार्यालय राज्य में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 1,616 ए.टी.एम. स्थापित करने के कारण बैंक सेवाओं में वृद्धि हुई है।

3.5 राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के पहिये को बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा है। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। सितम्बर, 2015

तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 4 राष्ट्रीय मानकों को अर्जित किया। वर्तमान में कुल अग्रिमों में प्राथमिक क्षेत्रों के अग्रिम 71.82 प्रतिशत, कृषि अग्रिम 21.11 प्रतिशत, कमजोर वर्गों के अग्रिम तथा महिलाओं के अग्रिम क्रमशः 6.21 प्रतिशत, तथा 14.90 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं तथा क्रेडिट जमा अनुपात 58.90 प्रतिशत हैं। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 3.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.1
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2014	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2015	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिकता के क्षेत्र में उधार	73.37	71.82	40
2.	कृषि ऋण	20.78	21.11	18
3.	एम.एस.ई. ऋण (पी.एस.सी.)	45.03	41.47	
4.	अन्य प्राथमिक क्षेत्र (पी.एस.सी.)	26.26	29.12	
5.	कमजोर वर्ग ऋण	19.44	14.90	10
6.	पिछले वर्ष के कुल ऋण के डी. अर.आई. ऋण	0.09	0.10	1
7.	महिला ऋण	8.29	6.21	5
8.	जमा एवं अग्रिम अनुपात	57.07	58.90	60
9.	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ऋण (पी.एस.सी.)	28.89	9.75	
10.	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)	4.30	5.24	

वित्तीय समावेश:

3.6 भारत में समाज के आर्थिक रूप से अपवर्जित भाग को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने का प्रयास राज्य में नया नहीं है। वित्तीय समावेश कम आय वर्ग तथा वहन करने योग्य विशाल भाग के लिए सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं के वितरण को दर्शाता है। इस उद्देश्य के लिए देश भर में 28 अगस्त, 2014 को वित्तीय समावेश

व्यापक अभियान के अन्तर्गत "प्रधान मन्त्री जन-धन योजना" का शुभारंभ अपवर्जित समाज के लिए किया गया है। तथा इस अभियान ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। वित्तीय समावेश के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, दोनों छोटे और सीमांत किसानों तथा मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान देते हुए व सशक्त करते हुए सस्ती वित्तीय

सेवाओं को देश के सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान स्थिति:

**(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना
(पी.एम.जे.डी.वाई.)**

3.7 प्रधानमंत्री जन-धन योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में बैंकों द्वारा राज्य में प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बचत जमा खाते के साथ समस्त परिवारों को सम्मिलित किया गया है। बैंको द्वारा कुल 9,98,915 नए बुनियादी बचत जमा खाते इस योजना की शुरुआत 28.8.2014 से लेकर सितम्बर, 2015 तक खोले गए हैं। प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अर्न्तगत खोले गए कुल खातों में से 8,80,581 बुनियादी बचत जमा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1,18,334 शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 7.30 लाख ग्राहकों को रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख) प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अर्न्तगत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल:

3.8 प्रधान मंत्री जन-धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अर्न्तगत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है। यह सामाजिक सुरक्षा योजनाएं राज्य में 9 मई, 2015 को शुरू की गई हैं तथा वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:-

1. सूक्ष्म बीमा योजनाएं:

**i) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
(पी.एम.एस.बी.वाई.)**

3.9 इस योजना के अर्न्तगत 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को प्रति वर्ष ₹12.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीकरणीय पर आकस्मिक मृत्यु सह विकलांगता के लिए ₹2.00 लाख (आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए ₹1.00 लाख) प्रदान कर रहा है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अर्न्तगत योजना के शुभारम्भ से (8.05.2015 से 30.09.2015) अभी तक 7,38,649 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

ii) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.)

3.10 इस योजना के अर्न्तगत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बैंक प्रति वर्ष ₹330.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीकरणीय पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹2.00 लाख प्रदान कर रहा है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के शुभारम्भ से (8.5.2015 से 30.9.2015) अभी तक ₹2,71,822 ग्राहकों को नामांकित किया है।

2. सूक्ष्म पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

3.11 अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इस योजना के अर्न्तगत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम पेंशन ₹1,000, 2,000,

3,000, 4,000 तथा 5,000 प्रति माह उपलब्ध करवाई जाती है, यदि 18 वर्ष से 40 वर्ष के दौरान अंशदान विकल्प के आधार पर चुना हो। इस प्रकार इस योजना के अर्न्तगत ग्राहक द्वारा 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि में अंशदान किया हो तो निर्धारित न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जायेगी। यदि यह योजना बैंक खाताधारकों द्वारा निर्धारित आयु वर्ग में शुरू की गई हो तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल अंशदान का 50 प्रतिशत का योगदान या ₹1,000 प्रति वर्ष जो 5 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए दिया जाता है अगर इस योजना को 31 दिसम्बर, 2015 से पहले चुना हो और खाताधारक किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य न हो और न ही आयकर दाता हो।

3.12 अटल पेंशन योजना में राज्य सरकार ने भी योगदान देने की घोषणा की है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के कामगार को अगले तीन वर्षों के लिए ₹1,000 प्रति वर्ष का सह-योगदान अटल पेंशन योजना के अर्न्तगत दिया जाएगा जिन खाताधारकों ने 1.06.2015 से 31.03.2016 की अवधि में इस योजना को लिया हो। अटल पेंशन योजना के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 1 लाख श्रमिकों/ग्राहकों को समाविष्ट करने के लिए ₹10.00 करोड़ के बजट का आवंटन किया है। राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों, मिड डे मील कार्यकर्ताओं, कृषि एवं बागवानी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु ध्यान दे रही है। अटल पेंशन योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 3,340 ग्राहकों को नामांकित किया है। इस योजना के अधीन बैंक वित्तीय साक्षरता और

जागरूकता अभियान का आयोजन करके लक्षित समूहों के नामांकन को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

(3) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई)

3.13 प्रधान मन्त्री मुद्रा योजना हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में 8.4.2015 से चल रही है। वह सुक्ष्म उद्यम जो मुख्य रूप से विनिर्माण व्यापार और गैर-कृषि उद्यमों से मिल कर बनते हैं तथा उनकी आवश्यकता ₹10.00 लाख से कम है को आय सृजन के लिए दिए जाने वाले ऋण को मुद्रा ऋण कहा जाता है। प्रधान मन्त्री मुद्रा योजना में इस श्रेणी के अर्न्तगत आने वाले सभी अग्रिम जो 8.04.2015 को या इसके बाद इस योजना के अधीन आए हो, को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.14 इस योजना के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश में बैंकों को ₹1,236.50 करोड़, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लक्ष्य के रूप में आवंटित किया है। योजना के शुरू होने से ले कर, अक्टूबर, 2015 तक लक्ष्य की तुलना में ₹427.41 करोड़ के मुद्रा ऋण वितरित किए हैं तथा इस प्रकार 36 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

3.15 राज्य में बैंकों द्वारा सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए परिचालन केन्द्र तथा वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश में 84 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 135 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 9

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 171 परिचालन केन्द्र बैंक शाखाओं के समीप कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कौशल प्रशिक्षुओं को समाविष्ट करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया गया है।

आर.बी.आई. रोडमैप 2013-16

हिमाचल प्रदेश में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार।

3.16 सितम्बर, 2015 तक आर.बी.आई. रोडमैप के अर्न्तगत ईट और मोर्टार शाखा तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंक मित्र कहा जाता है) कुल 14,953 बैंक रहित गांवों में समाविष्ट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार मार्च, 2016 तक सभी गांवों के समाविष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैंकों की व्यापारिक मात्रा:

3.17 सितम्बर, 2014 से सितम्बर, 2015 तक ₹69,621.00 करोड़ से ₹80,529.97 करोड़ की वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का 72 प्रतिशत, आर.आर.बी. का 4 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 18 प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 6 प्रतिशत, की हिस्सेदारी के साथ दर्ज की गई। कुल अग्रिमों में सितम्बर, 2014 से सितम्बर, 2015 तक ₹27,128.82 करोड़ से ₹31,159.78 करोड़ में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है।

3.18 राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 15.44 प्रतिशत की वृद्धि से बैंकों का कारोबार ₹1,11,689.75 करोड़ को पार कर गया है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी से 70.18 प्रतिशत, से बाजार व्यापार पर कब्जा किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारणी 3.2 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 3.2
हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क. सं.	मद	30.9.2014	30.9.2015	सितम्बर, 2015 से परिवर्तन एवं वृद्धि प्रतिशत	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	जमा राशि (पी.पी.डी.)				
	ग्रामीण	43036.06	49758.22	6722.16	15.62
	शहरी/अर्ध शहरी	26584.90	30771.75	4186.85	15.75
	कुल	69620.96	80529.97	10909.01	15.67
2.	अग्रिम (ओ/एस)				
	ग्रामीण	17186.86	16702.50	(-) 484.36	(-) 2.82
	शहरी/अर्ध शहरी	9941.96	14457.28	4515.32	45.42
	कुल	27128.82	31159.78	4030.96	14.86
3.	कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम)	96749.78	111689.75	14939.97	15.44
4.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड/प्रतिभतियों में निवेश	3389.11	5546.96	2157.85	63.67
5.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	57.07%	58.90%	1.83	3.19
6.	प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	19632.09	22378.75	2746.66	13.99
	(i) कृषि	5637.17	6579.61	942.44	16.72
	(ii) एम.एस.ई.	8839.35	9281.68	442.33	5.00
	(iii) ओ.पी.एस.	5155.57	6517.46	1361.89	26.42
7.	गरीबों को अग्रिम	5274.68	4643.94	(-) 630.74	(-) 11.96
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	24.10	44.31	20.21	83.86
9.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	7496.73	8781.03	1284.3	17.13
10.	शाखाओं की संख्या	1859	1955	96	5.16
11.	महिलाओं के लिए अग्रिम	2248.51	1937.14	(-) 311.37	(-) 13.85
12.	अल्प-संख्यकों को ऋण	1166.84	1172.72	5.88	0.50
13.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	6444.63	2183.33	(-) 4261.3	(-) 66.12

वार्षिक जमा योजना 2015-16 के अन्तर्गत प्रदर्शन:

3.19 वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंको ने नाबार्ड की सहायता से, क्षमता के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वार्षिक जमा योजना तैयार कर नए ऋण अदा किए गए हैं। वार्षिक जमा योजना

2015-16 के अधीन पिछली योजना के वित्तीय परिव्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ₹15,311.72 करोड़ परिव्यय तय किया गया। सितम्बर, 2015 तक बैंको ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत ₹7,470.17 करोड़ के ताजा क्रेडिट वितरित किए तथा 49 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता हासिल की। क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि 30.9.2015 तक सारणी 3.3 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.3
सितम्बर-2015 तक स्थिति पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

क. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2015-16	लक्ष्य सितम्बर, 2015	उपलब्धि सितम्बर, 2015		लक्ष्य की प्रतिशत व उपलब्धि
				नई ईकाइयां	राशि	
1.	कृषि	5716.29	2858.15	182306	2917.31	102.07
2.	एम.एस.ई.	4309.15	2154.58	47953	2355.96	109.35
3.	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3197.35	1598.67	23727	851.63	53.27
4.	कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 3)	13222.79	6611.40	253986	6124.90	92.64
5.	गैर प्राथमिक क्षेत्र	2088.93	1044.47	29084	1345.27	1128.80
कुल योग(4+5):		15311.72	7655.87	283070	7470.17	97.57

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यन्वयन:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार जनन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

3.20 इस योजना के अर्न्तगत राज्य में के.वी.आई.सी./के.बी.आई.बी. तथा डी.आई.सी. द्वारा प्रायोजित 364 परियोजनाएं, 956 इकाइयों की वार्षिक लक्ष्य की तुलना में सितम्बर, 2015 तक बैंको द्वारा मंजूर की गई।

(ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (एन.यू.एल.एम.)

3.21 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वर्ग के लिए स्व-रोजगार वेंचर्स, कौशल विकास, और आवास के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत ऋण दिए गए। इस योजना में शहरी गरीबों को सम्मिलित किया गया। बैंको को चालू वर्ष में एस.ई.पी. (SEP) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत ₹10.00 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य से 2,400 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)

3.22 चालू वर्ष में सितम्बर, 2015 तक 642 स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत ₹11.04 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

(घ) डेयरी उद्यमी विकास योजना (डी.ई.डी.एस.)

3.23 नाबार्ड ने केन्द्रीय प्रायोजित सरकारी योजनाओं जिनको भारत सरकार पूंजी अनुदान में देती है, के अर्न्तगत डेयरी उद्यमी विकास योजना को शुरू किया है। सितम्बर, 2015 को समाप्त छमाही में इस योजना के अर्न्तगत 336 नए उद्यमियों को बैंकों द्वारा ₹294.58 लाख वितरित किए गए।

3.24 बैंक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) के माध्यम से परेशानी मुक्त तरीके से उनको उत्पादन हेतु ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर अभिनव ऋण वितरण के माध्यम से किसानों को अल्पविधि ऋण प्रदान किए जा

रहे हैं। अब तक बैंकों ने जरूरतमंद किसानों को 6.37 लाख (के.सी.सी.) किसान क्रेडिट कार्ड का जारी किए हैं।

3.25 राज्य के 10 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें यूको बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है। ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने में यह संस्थागत व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बैंकों द्वारा अब तक कुल 24,956 ग्रामीण युवाओं को स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अमनाने हेतु प्रशिक्षित किया है।

नाबार्ड

3.26 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ऋण वितरण व्यवस्था में सुदृढीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार को केंद्रीय प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाएं जैसे डेरी उद्यमिता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.), जैविक खेती, कृषि विपणन बुनियादी ढांचे (ए.एम.आई.), सौर योजनाएं, राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत जैविक खेती के लिए आदानों पर अनुदान राष्ट्रीय पशुधन मिशन, वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश तथा

एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण आधार संरचना

3.27 भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995-96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर हो, के लिए इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों तक भी कर दिया गया है।

3.28 ग्रामीण आधार संरचना विकास (आर.आई.डी.एफ.) निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, 1995-96 में इसकी शुरुआत से ही, यह राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। इस हेतु केन्द्रीय बजट में वार्षिक आवंटन हर वर्ष जारी रखा गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य के अधीन आने वाले निगमों को चालू परियोजनाओं को पूरा करने व कुछ चिन्हित नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ऋण दिया जाता है। प्रारम्भ में आर. आई.डी.एफ. निधि का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है परन्तु समय के साथ-साथ इस निधि के

उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 34 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों में विभक्त कर दिया है।

3.29 इस निधि के अर्न्तगत वर्ष 1995-96 में आर.आई.डी.एफ.-I में ₹15.00 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर.आई.डी.एफ.-XXI में (वर्ष 2015-16) में ₹ 590.00 करोड़ हो गया है। आर.आई.डी.एफ. ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही के वर्षों में पॉली हाउस व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि नवीन परियोजनाओं के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की है जो व्यवसायिक आधार, पर कृषि व्यवसाय और खेती के विकास के लिए नवीन दिशा है।

3.30 आर.आई.डी.एफ. निधि के अर्न्तगत राज्य को 31 दिसम्बर, 2015 तक 5,238 परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹5,467.97 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिन में से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें तथा पुल के लिए 51 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 31 प्रतिशत, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए 17 प्रतिशत तथा शेष अन्य परियोजनाओं के लिए जिन में शिक्षा, पशु पालन आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकृति दी है। चालू वित्त वर्ष के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2015 तक आर.आई.डी.एफ.-XXI के अर्न्तगत ₹ 584.19 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा राज्य सरकार को ₹ 343.60 करोड़ वितरित किए

गए तथा अब तक कुल मिलाकर ₹3,897.74 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3.31 स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 34.83 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, 7,780 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 19,997 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 1,18,129 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

3.32 इसके अतिरिक्त 27,180 हेक्टेयर भूमि का बचाव, बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं से होगा, 6,219 हेक्टेयर भूमि जलागम विकास योजनाओं से लाभान्वित होगी। कृषि खेती हेतु 231 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के साथ पॉली हाउस के अर्न्तगत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों के लिए 2,921 कमरे, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 64 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 25 सूचना तकनीक केन्द्र तथा 397 पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम गर्भाकरण केन्द्रों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

नई व्यापार पहल

क) नाबार्ड भण्डारण योजना 2015-16 (एन.डब्ल्यू.एस.)

3.33 नाबार्ड ने सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे ऋण प्रदान करने हेतु साइलों/भण्डारण, शीत भण्डारण तथा अन्य वातानुकूलित चैन संरचना निर्माण के लिए ₹5,000.00 करोड़ से यह योजना शुरू की है। पहले से ही स्थापित परियोजनाओं के आधुनिकीकरण एवम् वैज्ञानिक रूप से अधिक सक्षम करने हेतु भी यह योजना

उपलब्ध है। इस योजना के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड को ₹855.00 लाख ऋण की तीन परियोजनाओं जिनमें सी.ए. भण्डार को आधुनिकीकरण करने के लिए जिला शिमला में औडी तथा रोहडू एवं कुल्लू जिला में पतलीकूहल में लागू करने की स्वीकृति दी गई। सब कृषकों के लिए 3,480 मी.टन कुल क्षमता का आधुनिक एवम् वैज्ञानिक, तकनीकी से वायु नियन्त्रण करके भण्डारण सेवाएं देकर परियोजना पूरी की हैं।

ख) नाबार्ड अधोसंरचना विकास सहायता (नीडा)

3.34 वर्ष 2011-12 से नाबार्ड ने राज्य सरकार के संस्थाओं/निगमों के लिए ऋण की एक अलग व्यवस्था की है यह व्यवस्था बजट के माध्यम से तथा इसके बिना भी हो सकती है परन्तु इन संस्थानों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य होना। ऋण की यह व्यवस्था आर.आई.डी. एफ. ऋण की व्यवस्था से बाहर है। इस निधि के आने से गैर परम्परागत क्षेत्रों में ग्रामीण अधोसंरचना तैयार करने हेतु संभावनाएं खुली हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के दायरे को बढ़ाने के लिए नीडा के तहत पी.पी.पी. मोड से भी वित्तपोषण किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जिनसे बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलता है और आर.आई.डी. एफ. और रूरबन मिशन के तहत भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गतिविधियां भी पी.पी.पी. के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

ग) खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) 2015-16

3.35 नाबार्ड ने वर्ष 2014-15 में ₹2,000 करोड़ का खाद्य प्रसंस्करण निधि स्थापित किया है जिसके तहत क्लस्टर आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से नामित फूड पार्क की स्थापना और नामित फूड पार्कों में खाद्य/कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की बर्बादी को कम किया जा सके। फिमिका 'मेगा' फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, सिंधा, ऊना में ₹ 32.94 करोड़ की वित्तीय सहायता से इस कोष के अधीन स्थापित किया जा रहा है।

पुनर्वित्त सहायता

3.36 ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण, एवं बागवानी, भेड़/बकरी/सुअर पालन, पैकिंग और घर एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रेडिंग इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा बैंकों को ₹420.44 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2014-15 के दौरान और ₹561.10 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2015-16 के दौरान 31 दिसम्बर, 2015 तक दी गई। इस के अतिरिक्त नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए 2014-15 में एक नया फंड "दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड" शुरु

किया है इस योजना के अधीन वर्ष 2014-15 में ₹116.70 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 में (31 दिसम्बर, 2015) तक ₹232.30 करोड़ वितरित किए गए हैं। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए वर्ष 2015-16 में ₹720.00 करोड़ की ऋण सीमा एस.टी. (एस.ए.ओ.) के अंतर्गत स्वीकृत की थी। 31 दिसम्बर, 2015 तक इन बैंकों द्वारा ₹720.00 करोड़ का पुर्नवित्त नाबार्ड से लिया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान ₹500.00 करोड़ की ऋण सीमा मंजूर की गई है और इसके अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2015 तक कुल ₹396.23 करोड़ का संवितरण किया जा चुका है।

सूक्ष्म ऋण

3.37 स्वयं सहायता समूह (एस. एच.जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च, 2015 तक 52,448 क्रेडिट लिंकड स्वयं सहायता समूहों के लगभग 6.5 लाख ग्रामीण परिवारों का कुल 13.12 लाख ग्रामीण परिवारों में से ₹319.26 करोड़ का ऋण बकाया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों को दो जिलों जिनमें मण्डी जिले में 1,500 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह तथा सिरमौर जिले में 1,455 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ₹ 29.55 करोड़, क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य के लिए अनुदान समर्थन दिया गया। 30.09.2015 तक कुल 2,628

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बचत तथा 1,541 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक के साथ जोड़ा गया।

3.38 केन्द्रीय बजट 2014-15 में संयुक्त कृषि समूहों के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए वित्तपोषण के प्रयासों से संयुक्त देयता समूह साधन से भूमिहीन किसानों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए घोषणा की गई है। 31 मार्च, 2015 तक राज्य में बैंकों द्वारा ₹223.32 लाख का ऋण लगभग 2,062 संयुक्त देयता समूहों को प्रदान किया गया है। नाबार्ड द्वारा 47 "स्वयं सहायता प्रचार संस्थाओं/ संयुक्त देयता प्रचार संस्थाओं की सांझेदारी से स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम तथा "संयुक्त देयता समूह" योजना का प्रचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए जिन्होंने बैंको से एक बार से अधिक ऋण सुविधा का लाभ उठाया है, को लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करवा रहा है। वर्ष 2015-16 (31.12.2015) तक 36 माइक्रो उदयमियता विकास कार्यक्रम (एम.ई.डी.पी.) व्यक्तिगत रूप से या समूह के माध्यम से आजिविका गतिविधि शुरू करने के लिए 998 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की मंजूरी दी गई है।

कृषि क्षेत्र में की गई पहल

3.39 31 दिसम्बर, 2015 तक राज्य में 3,025 कृषक संघ बनाए गए हैं जिनके अन्तर्गत 5,863 गांवों में 36,949 कृषकों को लाभ पहुंचाया गया है। जिला सिरमौर तथा बिलासपुर जिले में कृषक

संघों का गठन किया गया है, जो कृषकों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं।

क) जलागम विकास निगम

3.40 नाबार्ड के जलागम विकास निधि के अन्तर्गत पूर्ण अनुदान के आधार पर 7 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है (एक परियोजना सी.एस.आर. के माध्यम से कार्यान्वित की गई है) सोलन जिले में धुन्दन जलागम परियोजना ₹64.10 लाख की सहायता राशि के साथ पूरा किया जा चुका है। ₹158.03 लाख की अनुदान राशि से सोलन जिले में सरयान्ज सरमा जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹122.19 लाख की अनुदान राशि से सोलन जिले में दसेरन जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹85.67 लाख की अनुदान राशि से जिला ऊना में सिद्धलेंचर जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹108.94 लाख की अनुदान राशि से जिला ऊना में जुबैहर जलागम परियोजना (अंतरिम चरण), ₹105.88 लाख की अनुदान राशि से जिला ऊना में अम्बेदा धिराज जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), नाबार्ड की साहयता से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विभिन्न वाटरशेड परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पटवा खड्ड वाटरशेड का विकास परियोजना ₹12.65 लाख के अनुदान से क्षमता निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। अब तक उपरोक्त परियोजनाओं के तहत ₹657.47 लाख की राशि स्वीकृत की गई है और ₹383.47 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹100.00 लाख की राशि जारी की गई थी। सभी परियोजनाएं में 118 गांवों में लगभग 7,687 हैक्टेयर भूमि और 4,908 परिवारों को सम्मिलित किया गया है। इन

परियोजनाओं से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि इन से प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ चरागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे राज्य के अन्दर पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचेगा।

ख) जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकास:

3.41 नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने जनजातीय विकास निधि के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, पहली परियोजना के तहत जनजातीय विकास कार्यक्रम में ऊना जिले के अम्ब खण्ड के 4 गांवों में - आलोह, सुहीन, बसुनी, और धरगुजरन को शामिल किया गया है और इसके लिए ₹92.81 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई है। बिलासपुर के झण्डुता ब्लॉक के बरोटी, स्नेहरा, बेहरी तथा टिहरी गांवों में जनजातीय परिवारों के लिए परंपरागत आजीविका के लिए द्वितीय परियोजना शुरु की गई है और इसके लिए ₹104.54 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई है, एकीकृत जनजातीय विकास के लिए तीसरी परियोजना एच.ए.आर.पी. शिमला को किन्नौर जिले के निचार ब्लॉक के रूपी, छोटा कम्बा और नाप्था पंचायतों में स्वीकृत की गई है और इस हेतु ₹317.76 लाख का अनुदान और ₹40.50 लाख की ऋण सहायता मंजूर की गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य चयनित गांवों में वादी और डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है। इनके अन्तर्गत 680 एकड़ भूमि

और 1,090 जनजातीय परिवारों को सम्मिलित किया गया है, आम, किन्नु, नींबू, सेब, अखरोट, नाशपाती और जंगली खुबानी के पौधे लगाए गए हैं और इनके लिए नाबार्ड ने ₹ 515.00 लाख का अनुदान और ₹40.50 लाख का ऋण दिया है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत वादी और डेयरी के माध्यम से जनजातीय को अपनी आय का स्तर बढ़ाने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

ग) कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के माध्यम से सहायता: (एफ.एस.पी. एफ.)

3.42 इस योजना के अन्तर्गत अब तक 20 परियोजनाओं और 12 सैमिनारों/कार्यशालाओं/मेलों के लिए ₹113.01 लाख की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई। 31 दिसम्बर 2015 तक संचित रूप से ₹112.15 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई और इन परियोजनाओं के तहत राज्य के सोलन, ऊना, बिलासपुर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मण्डी जिलों में धान गहनता प्रणाली, गेहूं गहनता प्रणाली, दुग्ध प्रसंस्करण, स्वदेशी शहद मधुमक्खी पालन (एपिस सेरनी) के सत्यापन और प्रोत्साहन, विदेशी सब्जियों की खेती, समशीतोष्ण फलों के एकीकृत बाग प्रबन्धन, चारे की उन्नत खेती, सतत कृषि प्रणालियों को अपनाकर मुख्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, पशु चारे के रूप में अजोला को प्रोत्साहित करना, कृत्रिम गर्भाधान और वैज्ञानिक पशु प्रबन्धन द्वारा पशु विकास, गमला फूल पौधों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देना, उन्नत सब्जी नर्सरी आदि सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं और सैमिनारों/कार्यशालाओं/मेलों से लगभग 28,000 किसान लाभान्वित हुए हैं।

घ) किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन (एफ.पी.ओ.)

3.43 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में 2,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन के लिए ₹200 करोड़ का बजट आवंटित किया है। नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, किन्नौर, सिरमौर, चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, लाहौल एवं स्पिति कुल्लू जिलों में 58 किसान उत्पादक संगठन के गठन/प्रोत्साहन के लिए 19 गैर सरकारी संगठनों को ₹18.49 लाख का अनुदान मंजूर किया है वे किसान उत्पादक संगठन सामूहिक आधार पर सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगे।

ड.) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर अंबेला कार्यक्रम (यू.पी.एन.आर. एम.)

3.44 नाबार्ड के एफ.डब्ल्यू. और जी.टी.जैड. की सहायता से भारत-जर्मन सहयोग के अन्तर्गत पिछले 16 वर्षों से वाटरशैड और वादी परियोजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का पुनर्गठन करने के लिए भारत और जर्मनी-भारत सरकार ने यू.पी.एन.आर.एम. शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत नाबार्ड और जर्मन विकास सहयोग को दौरे रणनीतिक साझेदार के रूप में चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक आजीविका सृजन, कृषि आय में वृद्धि, कृषि मूल्य श्रृंखला के सशक्तीकरण, संसाधनों के संरक्षण द्वारा परीबी को कम करना है। समाज के सभी वर्गों के लिए पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास करने के लिए यू.पी.एन.आर.एम. के अन्तर्गत इस

प्रकार की परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार में सामंजस्य स्थापित करती हैं। यू.पी.एन. आर.एम. परियोजनाओं के अर्न्तगत नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हि0प्र0 द्वारा राज्य में वर्ष 2015-16 तक (31.12.2015) ₹ 50.55 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.45 नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। यह राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को पुर्नवित्त सहायता भी प्रदान करता है। नाबार्ड ग्रामीण दस्तकारों और अन्य छोटे उद्यमियों के लाभ के लिए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना(एस.सी.सी.) के लिए पुर्नवित्त भी प्रदान करता है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एस.सी.सी.) योजना के तहत कार्यशील पूंजी या खण्ड पूंजी या दोनों के लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण दिया जाता है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुर्नवित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी, जैसी संस्थाएं ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती है ताकि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे आय-सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें। कौशल विकास के अर्न्तगत समूह या व्यक्तिगत रूप से रोजगार या आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मौजूदा कौशल का विकास करना/

उन्नत करना या विविधिकृत करना शामिल है। दिसम्बर, 2015 तक राज्य में 233 कौशल विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं जिनके लिए ₹120.18 लाख की अनुदान सहायता दी जाएगी और इससे लगभग 4,832 लोग लाभान्वित होंगे।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.46

क) वर्ष 2014-15 में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधार स्तरीय ऋण प्रवाह ₹10,964.98 करोड़ तक पहुंच गया जोकि वर्ष 2013-14 से 17 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड की पी.एल.पी के आधार पर विभिन्न बैंकों के लिए ₹13,222.79 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 सितम्बर, 2015 तक ₹6,124.90 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

ख) नाबार्ड राज्य के सभी जिलों के लिए हर वर्ष संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता है जिसमें आधार स्तरीय सम्भाव्यताओं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक ऋण एवं गैर-ऋण लिंकेजों का वास्तविक आकलन किया जाता है। विभिन्न हितधारकों अर्थात् राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बैंकों, एन.जी.ओ., किसानों और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर पी.एल.पी. तैयार की जाती है। हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2016-17 हेतु मुख्य क्षेत्रवार पी.एल.पी. अनुमान ₹16,124.61 करोड़ आंकलित किया गया है।

वित्तीय समावेश

3.47 वित्तीय समावेश की मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सस्ती कीमत पर समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग को उचित वित्तीय उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया है। देश में वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने दो कोष अर्थात् वित्तीय समावेशन कोष (एफ.आई.एफ.) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष (एफ.आई.टी.एफ.) का गठन किया है दोनों कोषों को मिलाकर वित्तीय समावेशन कोष (एफ.आई.एफ.) का गठन किया गया है। वित्तीय समावेशन अभियान को बड़े पैमाने पर संचालित करने के लिए एफ.आई.एफ. और एफ.आई.टी.एफ. के अर्न्तगत नाबार्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में संचालित की गई है।

3.48 एफ.आई.एफ.का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों तथा पिछड़े क्षेत्रों बैंक रहित क्षेत्रों में अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए "विकास और प्रचार गतिविधियों" के लिए सहायता प्रदान करना है। नाबार्ड विकास और प्रचार-प्रसार गतिविधियों पर होने वाले व्यय के लिए एफ.आई.एफ. का प्रबन्धन कर रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान (31 दिसंबर, 2015) तक की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं।

- अपेक्षाकृत दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए जिला/ खण्ड स्तर पर 13 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफ.एल.सी.) की स्थापना के लिए राज्य के सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. को ₹ 65.60 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई।
 - बिग एफ.एम., आकाशवाणी और दूरदर्शन पर जिंगल/ टी.वी. स्क्रीनिंग के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अभियान का प्रचार-प्रसार किया गया।
 - अन्तराष्ट्रीय "लवी मेले" रामपुर, शिमला और अन्तराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में जादू शो/ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रधानमन्त्री जन धन योजना/ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
 - राज्य के सभी जिलों में जादू शो/ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित किया गया।
 - राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में वित्तीय साक्षरता के सम्बन्ध में विज्ञापन दिए गए।
 - कैलेंडर, डायरी, गाइड और पोस्टर आदि साक्षरता सामग्री के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का संदेश प्रचारित करने के लिए एस.एल.बी.सी., आर.आर.बी. और सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान की गई।
 - इस कोष के तहत राज्य में 98,600 रुपये केसीसी जारी करने के लिए
- राज्य में वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लाहौल-स्पीति सहित राज्य के सभी जिलों में 782 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए हैं।

आर.आर.बी. और सहकारी बैंकों को तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गई। रूपे किसान कार्ड से के.सी.सी. खाता धारक कहीं भी कभी भी बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे।

- परिचालन लागत अर्थात् ₹15 की दर से अंतर—परिवर्तन शुल्क कर प्रतिपूर्ति और रूपे के.सी.सी. कार्ड की प्रति लेन—देन ₹2.50 की स्वीचिंग फीस के लिए एक परियोजना सहकारी बैंक को स्वीकृत की गई है।
- बेसिक सेवा खाते धारकों को 2,97,394 रूपे कार्ड जारी करने के लिए एच.पी.जी.बी. मंडी को ₹57.41 लाख स्वीकृत किए गए।
- एच.पी.जी.बी. मंडी को 100 माइको एटीएम की खरीद के लिए ₹28.80 लाख की राशि स्वीकृत की गई है जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार संवादादाताओं के साथ शामिल किया जाएगा।

31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, एफ.आई.एफ. के तहत विभिन्न पहलों के लिए राज्य के सभी हितधारकों के लिए ₹353.09 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

नई व्यावसायिक पहलें

उत्पादक संगठनों को वित्तीय सहायता (पी.ओ.डी.एफ.)

3.49 उत्पादक संगठनों को सहयोग देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास कोष (पी.ओ.डी.एफ.) की

स्थापना की है इस कोष की स्थापना का उद्देश्य उत्पादकों को समय पर ऋण (ऋण और सीमित अनुदान का मिश्रण) उपलब्ध करवाने, उत्पादकों का क्षमता निर्माण करने और उत्पादक संगठनों का सशक्तिकरण कर उत्पादकों (किसानों, कारीगरों, हथकर्घा बुनकर आदि) की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा स्थापित पंजीकृत उत्पादक संगठनों अर्थात् उत्पादक कंपनी "(जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA की धारा 581 के तहत परिभाषित है)" उत्पादक सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत किसान महासंघों, परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों, अन्य पंजीकृत महासंघों पैक्स, आदि को सहयोग और सहायता देना है।

पैक्स को बहुउद्देशीय गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता

3.50 पैक्स को अपने सदस्यों को और अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु और अपने लिए आय उत्पन्न करने लिए पैक्स को बहु-उद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पहल की गई है ताकि पैक्स अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं प्रदान करने और अतिरिक्त व्यापार करने और अपनी गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम हो सकें। वर्ष 2015-16 में 31.12.2015 तक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हि0प्र0 द्वारा ₹87.40 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

संघों को वित्तीय सहायता

3.51 कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों में विपणन महासंघों/सहकारी संस्थानों को सशक्त

बनाने के लिए विपणन महासंघों/सहकारी संस्थाओं के लिए अलग क्रेडिट लाइन अर्थात् संघ को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, विपणन महासंघों/सहकारी संस्थाएं, जिनके सदस्य/शेयरधारकों (पैक्स) या अन्य उत्पादक संगठन हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। वित्तीय सहायता लघु अवधि के कर्ज के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) योजना के तहत फसल की खरीद के लिए और किसानों को बीज की आपूर्ति, उर्वरक, कीटनाशक, पौध संरक्षण आदि के लिए उपलब्ध होगी और लंबी अवधि के कर्ज के रूप में छंटाई और श्रेणीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन आदि सहित फसल एकत्र प्रबन्धन के लिए उपलब्ध होगी। इन संघों/सहकारी संस्थाओं को कृषि सलाहकार सेवाएं और ई-कृषि विपणन के माध्यम से बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए भी सहयोग दिया जाना चाहिए।

सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता

3.52 नाबार्ड पारम्परिक रूप से जिला सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और सम्बन्धित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) की कार्यशील पूंजी और खेत परिसम्पत्ति रखरखाव जरूरतों को पूरा करने हेतु अल्पकालिक बहु-उद्देशीय ऋण सीधे ही सी.सी.बी. को उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने एक अल्पकालिक

बहु-उद्देशीय ऋण उत्पाद डिजाइन किया है।

निवेश ऋण

3.53 विभिन्न कृषि उत्पादनों के उत्पादन, फसल एकत्र करने के उत्पादन और विपणन अधिशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में विपणन सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने कृषि विपणन बुनियादी, ग्रेडिंग और मानकीकरण विकास/सशक्तीकरण योजना (ए.एम.आई.जी.एस.) और ग्रामीण गोदामों के पुनः निर्माण के लिए ग्रामीण भण्डारण योजना नामक पूंजी अनुदान योजना तैयार की है। 1 अप्रैल 2014 से इन दोनों योजनाओं को मिलाकर कृषि विपणन बुनियादी योजना बनाई गई है। जो "एकीकृत कृषि विपणन योजना" के तहत एक उप योजना है। 2014-15 के दौरान एक इकाई की स्थापना की गई, जिसके लिए ₹6.16 लाख का अनुदान जारी किया गया है।

3.54 बेहतर मवेशी और दूध प्रबन्धन द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण लोगों के लिए स्तन रोजगार के अवसर प्रदान करने, उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और दूध उत्पादन में भी वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार की डी.ई.डी.एस. योजना को शुरू किया गया था। 2014-15 के दौरान 157 लाभार्थियों को ₹125.79 लाख का अनुदान जारी किया गया है। तथा 2015-16 के दौरान 31.12.2015 तक इसके अर्न्तगत 171 लाभार्थियों को ₹141.59 लाख का अनुदान जारी किया गया है।

3.55 इस के अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रायोजित चार अन्य योजनाएं अर्थात् "एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार, केन्द्र योजना" राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत वाणिज्यिक जैविक आदान उत्पादन इकाइयों के लिए "राष्ट्रीय पशुधन मिशन" और सिंचाई हेतु सौर फोटोवोल्टिक (एस.पी.वी.) जल उठाने की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए योजना भी राज्य में संचालित की जा रही है जिनके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

नैबकॉन्स (Nabcons)

3.56 नाबार्ड परामर्श कार्य (Nabcons) कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुदान योजना है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु-विषयी परियोजनाएं, बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के नैबकॉन्स नाबार्ड की विशेष योग्यता पर निर्भर है। नाबार्ड परामर्श कार्य जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वे हैं—व्यवहारता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त-पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, समवर्ती और प्रभाव मूल्यांकन, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, दृष्टि प्रलेखन, विकास प्रशासन और सुधार, संस्थागत विकास और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का प्रतिवर्तन, ग्रामीण शाखा का मूल्यांकन, बैंक पर्यवेक्षण नीति और कार्य अनुसंधान अध्ययन, ग्रामीण विकास विषयों पर संगोष्ठी, सूक्ष्म वित्त से सम्बन्धित प्रशिक्षण, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण,

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना।

3.57 नैबकॉन्स द्वारा वर्ष 2015-16 में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2013-14" अध्ययन पूरा किया गया है। 2015-16 में नैबकॉन्स हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का मूल्यांकन अध्ययन भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त नैबकॉन्स ने हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी) के लिए "हिमाचल प्रदेश ए.पी.एम.सी. हेतु मन्डी प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारूप विकास कार्यान्वयन और रखरखाव" "हिमाचल प्रदेश में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए हिमाचल प्रदेश में सी.ए. स्टोर/कोल्ड स्टोर की स्थापना के लिए व्यवहायता अध्ययन," आदिवासी विकास विभाग के लिए "हिमाचल प्रदेश में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2011-12 & 2012-13(बीएडीपी) परियोजनाओं का तृतीय पक्ष निरीक्षण" का काम पूरा किया गया इसके अतिरिक्त नैबकॉन्स ने हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के लिए ऋण मामलों का मूल्यांकन भी किया है।

संस्थागत विकास

3.58 सहकारी विकास कोष, सोफ्टकोब (SOFTCOB) के अधीन नाबार्ड द्वारा कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता तथा उन कर्मचारियों का सामर्थ्य एवं कौशल जो सहकारी ऋण व्यवस्था (सी.सी.एस.) के अर्न्तगत उपलब्ध है, उनके

प्रशिक्षण क्षमता की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत संस्थाओं के प्रशिक्षण व्यय के रूप में पूंजीगत खर्च योजना के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है।

3.59 सी.टी.आई. के बेहतर प्रदर्शन तथा सोफ्टकोब (SOFTCOB) के साथ सम्मिलित करने के लिए नाबार्ड ने सी.पी.ई.सी. की मदद से सहभागी अभ्यास शुरू किया तथा सी.टी.आई. को चयनित किया गया है। सहकारी बैंकों और पैक्स (PACS) में कोर बैंकिंग सामाधान, कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय लाभप्रदता पहलुओं और जोखिम प्रबंधन में प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए सी.टी.आई. द्वारा वित्तीय क्षेत्र में योग्यता आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य में नाबार्ड द्वारा वर्ष 2013-14 में ₹36.49 लाख तथा वर्ष 2014-15 में ₹27.59 की वित्तीय सहायता कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहल

3.60 राष्ट्रीय क्रियान्वयन इकाई (एन.आई.ई.) अनुकूल कोष (ए.एफ.) हरित

जलवायु कोष (जी.सी.एफ.) को संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के अर्न्तगत पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन नाबार्ड द्वारा नामित किया गया है।

3.61 पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विभाग द्वारा सिरमौर जिले में जलवायु परिवर्तन की आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा हिमाचल प्रदेश की सूखा प्रवृत्त जिले में कृषि निर्भर समुदायों की निरंतर आजिविका पर एक परियोजना की तैयारी एवं विकास की मंजूरी नाबार्ड के प्रयासों द्वारा क्रियान्वित की गई है। जलवायु परिवर्तन के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा एक परियोजना को शुरू करने के लिए ₹20 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नाबार्ड क्रियान्वित इकाईयों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश देश के पहले तीन राज्यों में से एक है जिसने जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय अनुकूलन एन.ए.एफ.सी.सी. के अर्न्तगत परियोजना हासिल की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।

4. आबकारी एवम् कराधान

4.1 आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल ₹5,179.78 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रहण में से वैट संग्रह ₹3,660.57 करोड़ रुपये था जोकि कुल राजस्व का 70.67 प्रतिशत बनता है। शीर्ष-0039 राज्य आबकारी नियम के तहत निर्धारित लक्ष्य ₹1,014.81 करोड़ के स्थान पर ₹1,044.14 करोड़ का संग्रहण किया गया, जोकि कुल संग्रहित राजस्व का 20.16 प्रतिशत है, शेष 9.17 प्रतिशत हि0प्र0 पी0जी0टी0 अधिनियम, हि0प्र0 विलासिता अधिनियम, हि0 प्र0 सी0जी0सी0आर0 अधिनियम, हि0प्र0 मनोरंजन कर अधिनियम और हि0प्र0 टोल टैक्स अधिनियम से किया गया है।

4.2 विभाग द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान करने एवं उनके अर्न्तगत लक्ष्य प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है।

- दिनांक 01-04-2015 से वैट, सी. एस.टी. एवं प्रवेश कर में दी जाने वाली त्रैमासिक/मासिक विवरणियां एक ही फार्म वैट -XV में विलय कर दी गई है। इस से न केवल व्यापारी के समय की बचत होगी अपितु व्यापारी द्वारा दिए गए आंकड़ों की भी जांच होगी।
- दिनांक 01-05-2015 से गैर अनुसूचित विमानों को बेचे जाने वाले ATF (रक्षा को छोड़कर) पर कर की दर को 27 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।

- जो व्यापारी होटल, ढाबा, बेकरी या ऐसा प्रतिष्ठान चलाते हैं, जिसमें चाय के साथ अन्य खाने का सामान भी तैयार किया जाता है, उनकी कर योग्य बिक्री सीमा 18 मई, 2015 से ₹5.00 लाख से बढ़ाकर ₹8.00 लाख कर दी गई है।
- दिनांक 18.05.2015 से जो वाहन या माल मालिक राज्य में प्रवेश करता है तथा जिसने विभाग की वेबसाइट के माध्यम से माल का इलैक्ट्रॉनिक विवरण घोषित किया हो उसे पड़ताल नाके पर रुकना अनिवार्य नहीं है। यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि प्रदेश से बाहर जा रहे माल वाहन जिन्होंने वेबसाइट पर इलैक्ट्रॉनिक विवरण दे दिया है को पड़ताल नाके पर रुकने की अनिवार्यता से पहले ही छूट दे रखी है।
- सामान्य व्यापारी जो अन्तरराज्यीय खरीद करते हों (दवाई विक्रेता एवं ऐसे रैस्टोरेंट चला रहे व्यापारी जिन्हें शराब की परचून बिक्री का लाईसेंस नियम-1986 के अंतर्गत प्रदान किया गया हो को छोड़कर) के लिए भी एक मुश्त योजना उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत कुल बिक्री सीमा ₹25.00 लाख है और 1 प्रतिशत की दर से कर योग्य बिक्री सीमा एक मुश्त त्रैमासिक कर दी गई है।
- Deemed Assessment की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है ताकि जिन व्यापारियों की विवरणियां पूर्ण व सही हैं उनको लाभान्वित किया जा सके।

- दिनांक 25.07.2015 से LED Bulbs एवं ट्रक व बसों के बाहरी ढांचे का निर्माण करने पर मूल्यवर्धित कर को 13.75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है ।
- दिनांक 25.07.2015 से दक्ष ऊर्जा वाले चूल्हे जोकि TERA या नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, को मूल्यवर्धित कर से मुक्त किया गया है ।
- हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित नियम, 2005 व केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1970 के अन्तर्गत व्यापारियों को लाभ देने के लिए दिनांक 01-10-2015 से e-payment को अनिवार्य किया गया है ताकि जमा किए कर का लेखा अच्छे से रखा जा सके ।
- विभाग द्वारा 6.06.2015 से व्यापारियों को साइबर ट्रेजरी से जुड़े 40 से ज्यादा बैंकों के माध्यम से ई-पेमेंट करने की सुविधा प्रदान की गई है ।
- दिनांक 14.12.2015 से जो व्यापारी सालाना विवरणी को digital signature सहित देते हैं, को इसकी hard copy नरिस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है ।
- 4.01.2016 से वह वस्तुएं जिन पर अन्यथा कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक है, (मोटर स्पिंट, पेट्रोल (ATF सहित) एवं डीजल को छोड़कर) जब केन्द्रीय पुलिस बलों की कैन्टीन को बेचे जाएंगे तो 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होंगे उसी तरह जब केन्द्रीय पुलिस बलों की कैन्टीन द्वारा यह वस्तुएं अपने कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेची जायेगी तो भी 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य होगी ।
- दिनांक 1.10.2015 से उन नई औद्योगिक इकाईयों जिन्होंने व्यापारिक उत्पादन शुरू किया है को industrial inputs पर प्रवेश कर 2 प्रतिशत की दर से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है ।
- दिनांक 01-04-2015 से शीर्ष 0045- विलासकर अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन कर का भुगतान करने तथा विवरणी दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसक उद्देश्य कर प्रशासन का सरलीकरण एवं पारदर्शी बनाना है ।
- व्यापारियों/ उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सहायक आबकारी एवं करीधान आयुक्त/आबकारी एवं करीधान अधिकारी को उद्योगपतियों तथा व्यापारियों से अतिरिक्त मालकर व सड़क द्वारा हि0प्र0 पी0जी0टी0 अधिनियम/ कतिपय माल के वहन पर कर एकत्रित करने की शक्तियां प्रदान की गई है ।
- सरकार ने बोटलबंद पीने के पानी पर सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर कर ₹7.50 प्रति 10 लीटर से घटाकर ₹ 2 प्रति 10 लीटर कर दी गई है ताकि इस उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके ।
- सरकार द्वारा 01.04.2014 के बाद शुरू/पंजीकृत हुए ग्रामीण क्षेत्र के होटलों को 10 वर्ष के लिए विलास कर की अदायगी में छूट प्रदान की गई है ।

- राज्य में मनोरंजन के परम्परागत माध्यमों जैसे सर्कस व जादू का खेल इत्यादि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2015 से 10 वर्षों के लिए मनोरंजन शुल्क से मुक्त किया गया है ।
- वर्ष 2015-16 के लिए ₹1,124.10 करोड़ राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे इस वित्त वर्ष के अंत तक सफलतापूर्वक प्राप्त किये जाने की अपेक्षा है। प्रदेश ने अपना

आबकारी अधिनियम-2011 लागू किया है जिसमें 18.08.2012 से शराब की तस्करी के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहन को जब्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता वाली मदिरा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में बिकने वाली देसी व अंग्रेजी शराब की बोटलों पर होलो ग्राम लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

सारणी 4.1 शीर्षबार राजस्व बढ़ौतरी

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	राज्य आबकारी	बिक्री कर	पी0जी0टी0	ओ0टी0डी0	योग
2000-2001	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-2002	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-2003	237.42	383.33	31.45	75.10	763.30
2003-2004	280.21	436.75	33.96	85.24	836.16
2004-2005	299.90	542.37	38.32	97.83	978.52
2005-2006	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-2007	341.86	914.45	50.21	118.64	1425.16
2007-2008	389.57	1092.16	55.12	137.13	1673.98
2008-2009	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-2010	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-2011	562.95	2103.39	93.26	283.35	3042.95
2011-2012	707.36	2476.78	94.36	294.96	3575.46
2012-2013	809.86	2728.22	101.39	331.88	3971.35
2013-2014	952.67	3141.09	104.86	326.28	4524.90
2014-2015	1044.14	3660.57	110.05	365.02	5179.78
2015-2016	790.21	2982.29	87.08	276.47	4136.05
दिसम्बर, 2015 तक					

5. भाव संचलन

भाव स्थिति

5.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता सूची में से एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा-स्फीति के उतार-चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर

थोक भाव सूचकांक दिसम्बर माह के वर्ष 2014 को 178.7 से घटकर दिसम्बर, 2015 माह में 177.4(अ) हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर $-(0.7)$ प्रतिशत दर्शाता है। औसत मासिक थोक मूल्य सूचकांक व वर्ष 2015-16 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है:-

सारणी 5.1
अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार (2004-05=100)

मास	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	मुद्रा- स्फीति दर
अप्रैल	125.0	138.6	152.1	163.5	171.3	180.8	176.4	-2.4
मई	125.9	139.1	152.4	163.9	171.4	182.0	178.0	-2.2
जून	126.8	139.8	153.1	164.7	173.2	183.0	179.1	-2.1
जुलाई	128.2	141.0	154.2	165.8	175.5	185.0	177.6	-4.0
अगस्त	129.6	141.1	154.9	167.3	179.0	185.9	176.5	-5.0
सितम्बर	130.3	142.0	156.2	168.8	180.7	185.0	176.5	-4.6
अक्टूबर	131.0	142.9	157.0	168.5	180.7	183.7	176.9	-3.7
नवम्बर	132.9	143.8	157.4	168.8	181.5	181.2	177.6(P)	-2.0
दिसम्बर	133.4	146.0	157.3	168.8	179.6	178.7	177.4(P)	-0.7
जनवरी	135.2	148.0	158.7	170.3	179.0	177.3
फरवरी	135.2	148.1	159.3	170.9	179.5	175.6
मार्च	136.3	149.5	161.0	170.1	180.3	176.1
औसत	130.8	143.3	156.1	167.6	177.6	181.2

अ = अस्थाई

5.2 हिमाचल प्रदेश में कीमतों की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में कीमतों पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख-रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,856 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.

के माध्यम द्वारा एफ.आई.वी.आई.एम.एस. खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। दिसम्बर, 2015 में हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 6.32 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्धि केवल 6.25 प्रतिशत आंकी गई। इसके साथ-साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए

प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर निगरानी करनी जारी रखी गई ताकि भावों में अनुचित बढ़ोतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

सारणी 5.2

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100)

माह	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	158	167	185	201	219	227	3.7
मई	158	169	185	205	219	229	4.6
जून	158	169	186	208	221	230	4.1
जुलाई	163	174	192	213	227	233	2.6
अगस्त	164	174	195	214	229	234	2.2
सितम्बर	165	176	195	215	228	236	3.5
अक्टूबर	165	179	195	217	227	239	5.3
नवम्बर	165	179	196	218	225	241	7.1
दिसम्बर	166	177	196	213	224	238	6.25
जनवरी	168	178	198	214	225		..
फरवरी	166	178	199	215	225		..
मार्च	165	180	199	217	226		..
औसत	163	175	193	213	225		..

सारणी 5.3

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए (आधार 2001=100)

माह	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	170	186	205	226	242	256	5.8
मई	172	187	206	228	244	258	5.7
जून	174	189	208	231	246	261	6.1
जुलाई	178	193	212	235	252	263	4.4
अगस्त	178	194	214	237	253	264	4.4
सितम्बर	179	197	215	238	253	266	5.1
अक्टूबर	181	198	217	241	253	269	6.3
नवम्बर	182	199	218	243	253	270	6.7
दिसम्बर	185	197	219	239	253	269	6.32
जनवरी	188	198	221	237	254		..
फरवरी	185	199	223	238	253		..
मार्च	185	201	224	239	254		..
औसत	180	195	215	236	251		..

6. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6.1 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,856 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित करना है। खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

- 1) एन0एफ0एस0ए0 (पात्र गृहस्थियां)
 - i) अन्त्योदय अन्न योजना
 - ii) प्राथमिकी गृहस्थियां
- 2) नॉन-एन0एफ0एस0ए0 (ए.पी.एल.)

6.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में 18,27,900 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अन्तर्गत 77,33,519 राशन कार्ड धारकों को 4,856 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमें सहकारी सभाएं के अंतर्गत 3,210, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 90, पंचायतों द्वारा 37, व्यक्तिगत 1,513 तथा महिला मण्डल द्वारा 6 उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही हैं।

6.3 वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गई है:-

सारणी 6.1

क्र० सं०	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर, 2015 तक
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,35,699
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	66,293
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	18,111
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	16,259
5	गेहूं (ए.ए.वाई./एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	84,578
6	चावल (ए.ए.वाई./एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	60,927
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	51
8	चावल दोपहर का भोजन	मी. टन	11,617
9	लेवी चीनी/चीनी एन0एफ0एस0ए0 /ए0पी0एल0	मी. टन	38,902
10	दाल चना	मी. टन	12,394
11	उड़द(साबूत)	मी. टन	1,607
12	काबुली चना	मी. टन	11,019
13	काले मंसूर	मी. टन	4,100
14	आयोडीन नमक	मी. टन	10,080
15	रिफाइन्ड तेल	कि.लीटर	19,135
16	सरसों का तेल	कि.लीटर	6,684

6.4 वर्तमान में लक्षित
सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा हि0प्र0
राज्य अनुदानित वस्तुओं के वितरण

का ब्यौरा निम्न प्रकार से किया जा रहा
है:-

सारणी 6.2

क्र०सं०	प्रति राशन कार्ड	वितरण (मात्रा)
1	एक से दो सदस्य तक	एक किलोग्राम दाल राजमाह, एक किलोग्राम आयोडीन नमक व केवल एक लीटर खाद्य तेल।
2	तीन से चार सदस्य तक	एक किलोग्राम दाल राजमाह, एक किलोग्राम दाल चना, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, दो लीटर खाद्य तेल।
3	पांच से अधिक सदस्यों को	एक किलोग्राम दाल राजमाह, एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम काला मसूर, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, दो लीटर खाद्य तेल,
		राजमाह ₹30.00 प्रति किलोग्राम दाल चना ₹35.00 प्रति किलोग्राम, काले मसूर ₹45.00 प्रति किलोग्राम, आयोडीन नमक ₹4.00 प्रति किलोग्राम तथा खाद्य तेल (रिफाईंड तेल) ₹55.00 प्रति लीटर.
4	नान-एन0एफ0एस0ए0 i) ए0पी0एल0	15 किलोग्राम आटा ₹8.50 प्रति किलोग्राम की दर से, 6 किलोग्राम चावल ₹10.00 प्रति किलोग्राम की दर से। नोट: प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को 20 किलोग्राम आटा, 15 किलोग्राम चावल प्रति राशन कार्ड मासिक उपलब्ध करवाया जाएगा।
	ii) बी0पी0एल0	बी0पी0एल0 परिवारों को पहले की तरह 35 किलोग्राम प्रति परिवार राशन उपलब्ध करवाने हेतु बी0पी0एल0 दरों पर (गन्धम ₹5.25 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल ₹6.85 प्रति किलोग्राम की दर से) अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए जा रहे हैं। जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गेहूँ और चावल वितरित की जाएगी जिसका विवरण इस प्रकार से है:- एक सदस्यीय परिवार के लिए 17 किलोग्राम गन्धम व 13 किलोग्राम चावल, दो सदस्यीय परिवार को 14 तथा 11 किलोग्राम, तीन सदस्यीय परिवार के लिए 11 व 9 किलोग्राम, चार सदस्यीय परिवार के लिए 8 व 7 किलोग्राम, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 5 व 5 किलोग्राम तथा छः सदस्यीय परिवार के लिए 2 व 3 किलोग्राम कमशः होगी।
5	iii) अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को एन0एफ0एस0ए0 i) ए0ए0वाई0 कार्ड धारकों को ii) प्राथमिकी गृहस्थियां	10 किलोग्राम चावल मुफ्त में कुल 35 किलोग्राम प्रति परिवार जिसमें 20 किलोग्राम गेहूँ ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल 15 किलोग्राम ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से कुल 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जिसमें 3 किलोग्राम गेहूँ ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम चावल ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से
6	चीनी	ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह ₹19.50 प्रति किलोग्राम की दर से नान-ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह ₹13.50 प्रति किलोग्राम की दर से

सारणी 6.3

जन-जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का दिसम्बर, 2015 तक भण्डारण

क्र०सं०	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	4,774
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	3,355
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	417
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	166
5	गेहूं ए.ए.वाई./एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	2,394
6	चावल ए.ए.वाई./एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	2,054
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	1
8	चीनी	मी. टन	1,393
9	मिट्टी का तेल	कि.ली.	266
10	एल.पी.जी. 14.2 कि.ग्रा.	संख्या	1,26,437
11	आयोडीन नमक	मी. टन	500
12	दाल चना	मी. टन	236
13	काला मसूर	मी. टन	149
14	काबुली चना	मी. टन	309
15	खाद्य तेल	कि.ली.	598

अन्य कार्य/उपलब्धियां

पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादन

6.5 इस समय प्रदेश में 28 मिट्टी के तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 329 पैट्रोल पम्प तथा 137 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

हि.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

6.6 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित वस्तुओं के प्रापण एवं वितरण की केन्द्रीय प्रापण अभिकरण के रूप में सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक निगम ने विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹900.28 करोड़ का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में मूल्य ₹867.90 करोड़ थी।

6.7 वर्तमान में निगम दूसरी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/ मिट्टी तेल और जीवन रक्षक दवाईयों को उचित मूल्यों पर 117 थोक बिक्री केन्द्रों, 89 उचित मूल्यों की दुकानों/अपना स्टोर, 54 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 36 दवाईयों की दुकानों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों सहित प्रदेश के कोने-कोने में वितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त निगम ने उन वस्तुओं का जो कि नियंत्रण में नहीं आती जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, साबुन, चाय पत्ती, कापी, सीमेंट, सी.जी.आई. शीट्स, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम की विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पैट्रोलियम पदार्थों इत्यादि का थोक गोदामों व परचून दुकानों के माध्यम से प्रापण एवं वितरण कर रहा है। जिससे निश्चित रूप से प्रदेश में महंगाई स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹340.30 करोड़ का

प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि में मूल्य ₹295.64 करोड़ की थी।

6.8 निगम दोपहर के भोजन स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आवंटित चावलों की मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 11,617 मी० टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 12,557 मी.टन थे का वितरण किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें, खाद्य तेल और नमक) की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक ₹277.62 करोड़ की विभिन्न वस्तुओं का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में ₹293.16 करोड़ थी। इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2015-16 में ₹210.00 करोड़ राज्य अनुदान के रूप में बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान निगम का कारोबार ₹1,419.60 करोड़ रहने की संभावना है।

नए बिक्री केन्द्र शुरू / अनुमोदित

6.9 निगम द्वारा वर्ष 2015-16 में एक एल.पी.जी. एजेंसी जिला कुल्लू में जनहित में खोली गई है।

अपना स्टोर/मॉल खोलने की योजना :

6.10 निगम द्वारा हि०प्र० पथ परिवहन निगम के चयनित बस अड्डों में एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को सभी जरूरत की वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रथम चरण में

नगरोटा बगवां व पालमपुर में अपना स्टोर/मॉल खोला है। इसी तर्ज पर मण्डी, शिमला बस अड्डों में भी अपना स्टोर/मॉल खोलने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उपरोक्त वर्णित विक्रय केन्द्रों के अलावा कांगड़ा बस अड्डे में भी ऐसा अपना स्टोर/मॉल शीघ्र खोला जाएगा। इसके साथ ही सरकारी चिकित्सालयों में और दवाई की दुकानें खोलने का भी प्रस्ताव है।

सरकारी आपूर्ति

6.11 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को दवाईयां, सरकारी विभागों/ बोर्डों/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं को सीमेंट और जी.आई./डी.आई./ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को स्कूल की वर्दियों की आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 में सरकारी आपूर्ति (अन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगी:-

1	सीमेंट की आपूर्ति सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों को	₹ 101.92 करोड़
2	दवाईयों की आपूर्ति स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा विभाग को	₹ 1.08 करोड़
3	जी.आई./डी.आई./ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को	₹ 65.00 करोड़
4	स्कूल वर्दी शिक्षा विभाग को	₹ 36.49 करोड़
जोड़		₹204.49 करोड़

मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

6.12 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर तक निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग किए जाने वाले 22,00,489 बैग सीमेंट जिसकी राशि ₹56.21 करोड़ बनती

है का सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

राज्य में जन-जातीय एवं अगमय क्षेत्रों के लिए खाद्य व्यवस्था

6.13 निगम आवश्यक वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद मिट्टी तेल व एल.पी. जी. सहित जन-जातीय एवं अगमय क्षेत्रों में जहां निजी पार्टियां इस व्यवसाय को चलाने में घाटे के दृष्टिगत आगे नहीं आती है, जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निगम ने सरकार की जनजाति कार्य योजना के अनुसार जनजातीय व हिमाच्छादित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं व पेट्रोलियम उत्पादों की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

लाभांश व मुख्यमंत्री राहत कोष:

6.14 निगम ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹2.06 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया तथा ₹35.51 लाख हिमाचल सरकार को लाभांश के रूप में दिया है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ₹14.00 लाख की राशि नगरोंटा बगवां में सामुदायिक भवन व व्यायामशाला और खेलकूद की विभिन्न गतिविधियों की सामग्री कय हेतु वर्ष 2015-16 में उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त ₹5.00 लाख राज्य बलिदान स्मारक धर्मशाला के रख-रखाव के लिए तथा जिला कुल्लू के गांव कोटला में अग्नि पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी ₹5.00 लाख उपलब्ध करवाए हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान

मुख्यमंत्री राहत कोष में भी ₹31.00 लाख का अंशदान दिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन:

6.15 हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस योजना के कार्यान्वयन में आवंटित खाद्यानों की समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रापण / भण्डारण व आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त, अपने 117 थोक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से चयनित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों में वितरण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 60,925 मी.टन चावल व 84,577 मी.टन गन्धम चयनित लाभार्थियों को कमशः ₹3.00 व ₹2.00 प्रति किलो प्रति माह की दर से वितरित करना सुनिश्चित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अलग से राज्य वेयर हाउस कारपोरेशन न होने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर 22,910 मी. टन अपनी व 36,558 मी. टन. किराये पर ली गई भण्डारण क्षमता का प्रबन्धन कर रहा हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण हेतु 300 मी.टन से 1,000 मी.टन के नए गोदाम के निर्माण के प्रस्तावों पर कार्यवाही भी कर रहा है जिसके अन्तर्गत उपयुक्त सरकारी भूमि का चयन कर विभाग/ निगम के नाम पर स्थानान्तरण का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने के अन्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु

₹4.00 करोड़ की राशि (माननीय मुख्यमंत्री बजट भाषण में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए) उपलब्ध करवाई है।

सेल यार्ड:

6.16 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में निगम द्वारा भारतीय इस्पात

प्राधिकरण से सरिया व सम्बन्धित अन्य उत्पाद इत्यादि को शिमला में भट्टाकुफर से सभी विभागों, निगमों तथा बोर्डों को उपलब्ध करवाने में पहल करने पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सेल यार्ड का दायित्व भी निगम को सौंपा है इसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक निगम द्वारा 1,538 मी.टन सरिये की आपूर्ति की है।

7. कृषि एवम् उद्यान

कृषि

7.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 62 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होता है। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्रोत है।

7.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 10.4 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.61 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोतें 1.00 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार भू-जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.95 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 11.71 प्रतिशत अर्ध-मध्यम/मध्यम व 0.34 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1

भू-जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार(है०)
1.0 से कम	सीमान्त	6.70 (69.78%)	2.73 (28.63%)	0.41
1.0-2.0	लघु	1.75 (18.17%)	2.44 (25.55%)	1.39
2.0-4.0	अर्ध-मध्यम	0.85 (8.84%)	2.31 (24.14%)	2.72
4.0-10.0	मध्यम	0.28 (2.87%)	1.57 (16.39%)	5.61
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.34%)	0.51 (5.29%)	17.00
जोड़		9.61	9.55	1.00

7.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें हैं। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णिय, उप पर्वतीय निचले पहाड़ी क्षेत्र।
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र।
- नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र।
- शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरुस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु बीज आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

7.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत कीटाणु प्रबन्ध से उन्नत करना एवं जल संरक्षण कर बेकार जमीन का विकास करके बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों में होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा

होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

मौनसून 2015

7.5 कृषि कार्यकलापों का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 के मौनसून के मौसम (जून-सितम्बर) में ऊना में अधिक, हमीरपुर, कांगड़ा कुल्लू, मण्डी, शिमला में सामान्य, बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर सिरमौर और सोलन में कम, तथा लाहौल-स्पिति में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में (-) 27 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी 7.2 मौनसून वर्षा के आंकड़े (जून-सितम्बर 2015)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	704	877	(-) 173	(-) 20
चम्बा	725	1406	(-) 682	(-) 48
हमीरपुर	931	1079	(-) 148	(-) 14
कांगड़ा	1434	1582	(-) 148	(-) 9
किन्नौर	122	264	(-) 142	(-) 54
कुल्लू	483	520	(-) 37	(-) 7
लाहौल-स्पिति	146	458	(-) 312	(-) 68
मण्डी	906	1093	(-) 188	(-) 17
शिमला	616	634	(-) 18	(-) 3
सिरमौर	774	1325	(-) 551	(-) 42
सोलन	759	1000	(-) 241	(-) 24
ऊना	1132	863	270	31
औसत	813	844	(-) 231	(-) 27

सारणी 7.3 मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े अक्टूबर-दिसम्बर, 2015

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	45	70	(-) 25	(-) 35
चम्बा	108	127	(-) 19	(-) 15
हमीरपुर	52	86	(-) 34	(-) 40
कांगड़ा	64	105	(-) 41	(-) 39
किन्नौर	31	102	(-) 71	(-) 69
कुल्लू	77	98	(-) 21	(-) 22
लाहौल-स्पिति	44	143	(-) 99	(-) 69
मण्डी	79	81	(-) 2	(-) 3
शिमला	48	75	(-) 27	(-) 37
सिरमौर	16	87	(-) 71	(-) 81
सोलन	65	89	(-) 24	(-) 27
ऊना	41	72	(-) 31	(-) 43
औसत	56	103	(-) 465	(-) 46

टिप्पणी:

सामान्य (-)19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक 20 प्रतिशत से अधिक
न्यून (-)20 प्रतिशत से (-)59 प्रति शत
अपर्याप्त (-)60 प्रतिशत से (-)99 प्रतिशत

फसल उत्पादन 2014-15

7.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2014-15 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 10.4 प्रतिशत योगदान रहा। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007-12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत नए क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन

व जानकारी पर विशेष महत्व दिया गया है। वर्ष 2014-15 कृषि के लिए सामान्य अच्छा वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013-14 के 15.85 लाख मी० टन की तुलना में वर्ष 2014-15 में 16.74 लाख मी० टन रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2013-14 के 2.05 लाख मी० टन आलू उत्पादन की तुलना में वर्ष 2014-15 में आलू उत्पादन 1.81 लाख मी. टन हुआ। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2013-14 के 14.65 लाख मी० टन की तुलना में वर्ष 2014-15 में 15.76 लाख मी. टन हुआ।

2015-16 के अनुमान

7.7 वर्ष 2015-16 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 16.19 लाख मी० टन होने की आशा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। खरीफ सीजन में बुआई अप्रैल अन्त में शुरू होती है और जून मध्य तक जाती है। मक्की और धान खरीफ सीजन की मुख्य फसलें हैं। रागी, छोटे अनाज तथा दालें कम मात्रा में होती हैं। खरीफ सीजन के दौरान 400.00 हजार हैक्टेयर क्षेत्र बोया गया था। लगभग 20 प्रतिशत

क्षेत्र अप्रैल-मई तथा 70 प्रतिशत जून-जुलाई के महीने में बोया गया जो कि खरीफ सीजन का शीर्ष समय होता है। राज्य के अधिकांश हिस्से में सामान्य वर्षा होने के कारण बीजाई समय पर की जा सकी और कुल मिलाकर फसल की स्थिति सामान्य थी। जुलाई तथा अगस्त 2015 में भारी वर्षा ने कुछ फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस सीजन के दौरान वर्षा की प्रतिशतता न्यूनतम रहने के कारण सूखे जैसी स्थिति प्रदेश में प्रचलित रहेगी तथा निकट भविष्य में वर्षा नहीं होती है तो उत्पादन व क्षेत्रों के लक्ष्यों को पूरा करना सम्भव नहीं होगा। सब्जियां वर्षा तथा सींचित क्षेत्र दोनों में उगाई जाती हैं। रबी सीजन 2015 में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण उत्पादन लक्ष्य भी प्रभावित हुआ है। वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत कुल खाद्यान्न सम्भावित उत्पादन अनुमान 16.19 लाख मी. टन है जोकि वर्ष 2014-15 की अस्थाई उत्पादन अनुमान 16.74 लाख मी.टन था। आलू का उत्पादन 2.00 लाख मी.टन सम्भावित है तथा सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 15.76 लाख मी० टन की तुलना में वर्ष 2015-16 में 14.80 लाख मी.टन सम्भावित है। वर्ष 2016-17 में लक्ष्य सारणी 7.4 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.4
खाद्यान्न उत्पादन('000 मी.टन में)

फसले	2013-14	2014-15 (अस्थाई)	2015-16 (अनु० उत्पादन)	2016-17 (लक्ष्य)
I. खाद्यान्न				
चावल	128.49	119.17	132.00	131.00
मक्की	678.25	752.66	730.00	750.00
रागी	1.97	3.11	3.00	3.50
छोटा अनाज	3.60	4.26	4.00	6.00
गेहूँ	685.45	720.86	690.00	650.00
जौ	35.18	31.63	35.00	38.00
चना	0.40	0.53	2.50	3.50
दालें	51.80	41.43	22.50	18.00
कुल खाद्यान्न	1585.13	1673.65	1619.00	1600.00
II वाणिज्यिक फसलें				
आलू	205.28	181.38	200.00	195.00
सब्जियां	1465.96	1576.45	1480.00	1500.00
अदरक (शुष्क)	1.84	1.84	3.00	5.00

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

7.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कृषि के अन्तर्गत भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रुझान की वजह से खाद्यान्न उत्पादन/फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे-धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997-98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2014-15 में 832.60 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जो कि सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.5

खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2010-11	795.18	1493.87	1.88
2011-12	788.06	1544.49	1.96
2012-13	786.43	1541.33	1.96
2013-14	774.72	1585.13	2.05
2014-15	832.60	1673.65	2.01
अनुमानित उत्पादन			

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम (एच.वाई. वी.पी.)

7.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया। अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की,

धान, गेहूँ के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लाया गया क्षेत्र तथा 2015-16 के लिए लक्षित क्षेत्र सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6

अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

(‘000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूँ
2010-11	278.65	75.20	327.00
2011-12	279.05	75.08	330.35
2012-13	279.60	76.90	336.56
2013-14	285.05	76.50	341.35
2014-15	288.00	74.00	352.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 21 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनसे पंजीकृत किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 13 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

7.10 फसलों की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़े क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण, 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते हैं। अक्टूबर, 1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.7 संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र (‘000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
2012-17 (12वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य)	425.000	600.000
2012-13	92.000	161.189
2013-14	120.514	210.900
2014-15	108.000	190.110
2015-16 (संभावित)	100.000	175.000

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

7.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। लाहौर-स्पति जिला के अतिरिक्त जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि चार चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों द्वारा सशक्त की जा रही हैं। वर्ष 2010-11 में दो मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई। वर्ष 2014-15 में 1,03,685 मिट्टी के नमूने का विश्लेषण किया गया। वर्ष 2015-16 में लगभग 69,635 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण परियोजना को सरकार ने फलेंग-शीप कार्यक्रम के तौर पर अपनाया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पात्र किसानों को

मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे जिससे किसानों को अपने खेतों की मिट्टी में पोषकता तथा उर्वरकता की स्थिति और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। भू-उर्वरकता नक्शे चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जी.पी.एस. तकनीक बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मिट्टी जांच को भी हि0प्र0 सार्वजनिक सेवाएं गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित की है।

जैविक खेती

7.12 सभी संबंधित लोगों के लिए जैविक खेती स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, मेले/ गोष्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्ध तरीके के साथ उन्नत हो रही है। 12वीं योजना के अन्त तक यह भी फैसला किया गया है कि हर घर में बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान को ₹5,000 की राशि (50 प्रतिशत अनुदान पर) 10x6x1.5फीट का बरमी गड्डा तैयार करने व दो किलोग्राम बरमी-कलचर बीज के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2014-15 तक 4,14,230 बरमी कलचर ईकाईयां स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त जैविक खेती अपनाने पर अनुमोदित जैविक आदानों पर ₹10,000 प्रति हैक्टेयर (50 प्रतिशत) तथा प्रमाणीकरण हेतु ₹10,000 प्रति हैक्टेयर 3 वर्षों के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

7.13 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयंत्रों ने राज्य के निचले तथा

मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च, 2015 तक राज्य में 44,573 बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग 90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2015-16 में 150 बायोगैस संयंत्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर, 2015 तक 89 बायोगैस संयंत्र लगाए गए। यह कार्यक्रम संतुष्टि के पड़ाव पर है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

7.14 उर्वरक ही एक ऐसा आदान है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985-86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 52,649 टन हो गया। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर ₹1,000 प्रति मी.टन. तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा या ₹2,500 प्रति क्विंटल जो भी कम हो, उपदान स्वरूप उपदान योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में लगभग 48,500 मी0टन उर्वरक पोषक तत्वों की दृष्टि के रूप में वितरित किया जाएगा।

कृषि ऋण

7.15 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्रोत ही ऋण के मुख्य साधन हैं। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पत्ति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के

अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृत्ति के मध्य नजर, जो कि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान हैं, उनको आदान की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर उन फसलों में जो कि बीमा योजना के अंतर्गत आती है, बढ़ाने की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मिटिंग में फसल विशेष ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

7.16 यह योजना पिछले बारह से तेरह वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,955 बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही हैं। आज तक 6.37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए।

फसल बीमा योजना

7.17 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौ तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं

सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन-सैट के आधार पर दी जाएगी। यह योजना विस्तृत जोखिम बीमा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट व बीमारी इत्यादि को कवर करती है। वर्ष 2007-08 से रबी फसलों पर अनुदान (10 से 50 प्रतिशत) लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बढ़ा दिया है। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि बीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किशतों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर शामिल किया गया है तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत ₹693.03 करोड़ से 3,48,294 किसानों को बीमाकृत किया गया। वर्ष 2014-15 रबी फसल के लिए ₹18.31 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टमाटर की फसल जिला सोलन तथा बिलासपुर के सदर विकास खण्ड में जारी की है। आलु को रबी (2013-14) जिला कांगड़ा में अग्रगामी आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी. आई.एस.) के अन्तर्गत लाया गया है और वर्ष 2014-15 खरीफ सीजन से अदरक व मटर को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। यह योजना कृषि बीमा कम्पनी (AIC) और निजी बीमा कम्पनी यानि ICICI लोम्बार्ड और HDFC इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उक्त कम्पनियों द्वारा वर्ष 2015 खरीफ फसल के दौरान 12,284 किसानों

को ₹20.52 करोड़ के बीमा राशि से योजना के अधीन लाया गया तथा ₹2.21 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बीज प्रमाणीकरण

7.18 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्त्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए "हिमाचल राज्यबीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी" उत्पादकों को पंजीकृत कर रही है।

कृषि विपणन

7.19 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसूचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर भी मार्केट यार्डों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 10 मार्केट कमेटियां कार्य कर रही हैं 53 मण्डियों को कार्यात्मक बनाया गया है। तथा 9 मार्केट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। किसानों के हित के लिए मार्केट फीस

भी 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई।

चाय विकास

7.20 चाय उत्पादन के अन्तर्गत 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 15 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। अनुसूचित जाति के चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से बाजार में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने के लिए प्रदर्शन एवं नतीजों पर बल दिया जा रहा है।

कृषि का मशीनीकरण

7.21 इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि औजार/ मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाड़ी स्थिति के अनुकूल छोटे ईंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है। किसान कृषि संबंधी कोई भी जानकारी दूरभाष संख्या 1800-180-1551 पर सम्पर्क कर मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य दिवसों के दौरान उपलब्ध रहती है। यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है।

बीज ग्राम कार्यक्रम (100 प्रतिशत सी.एस.एस.)

7.22 प्रमुख फसलों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा समय पर पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध न होना है। इस बाधा

से मुक्त होने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए नवीन कार्यक्रम जिसे "बीज ग्राम कार्यक्रम" के रूप में जाना जाता है, शुरु कर दिया गया है। इस कार्यक्रम से बेहतर प्रजातियों के बीज उत्पादन, कम समय व स्थानीय स्तर पर कम लागत पर उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम के तहत बेहतर बीज उत्पादन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और 50 से 150 उपयुक्त इच्छुक किसानों को एक ही फराल हेतु सुसम्बद्ध क्षेत्र में पहचान की जाएगी। पहचान किए गए किसानों को 50 प्रतिशत लागत पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज प्रत्येक किसान को आधा हैक्टेयर हेतु दिये जाएंगे। चयनित किसानों को बीज उत्पादन और बीज तकनीकों का प्रशिक्षण बीज ग्राम में ही दिया जाएगा।

भू एवं जल संरक्षण

7.23 भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर हमारी भूमि में कटाव इत्यादि आ जाता है। जिस के कारण हमारी भूमि का स्तर गिर जाता है। इस के अलावा भूमि पर जैविक दबाव है। विशेष रूप से कृषि भूमि पर इस प्रक्रिया को रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

यह योजनाएं हैं:-

- i) भू संरक्षण कार्य
- ii) जल संरक्षण और विकास
कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए

टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण हेतु योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से भू संरक्षण एवम् जल संरक्षण तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

डा0 वाई0 एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना

7.24 कृषि विभाग ने कृषि क्षेत्र में अधिक व जल्दी विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए डा. वाई.एस.परमार किसान स्वरोजगार योजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य जरूरत के हिसाब से संसाधनों की रचना एवं विभिन्न लक्ष्य जैसे अधिक पैदावार, गुणवत्ता, विपरीत मौसम के लिए वचाव व कुशल आदानों का प्रयोग शामिल है। इसके साथ-साथ स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ऐसे पौली हाऊस विकसित करना जिसमें सुक्ष्म सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हो। इस परियोजना के तहत किसानों को 85 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा किसानों के समूह को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जल स्रोतों (कम/मध्यम लिफ्ट, पम्पिंग मशीनरी) के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वर्ष 2014-15 के दौरान इस घटक के लिए ₹12.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

सारणी 7.8
परियोजना घटक
(वर्ष 2014-15 से 2017-18)

क. सं.	घटक	संख्या	कवर क्षेत्र
1.	पाली गृह क्षेत्री संरचना	4700	835350 वर्ग मीटर
2.	सूक्ष्म सिंचाई (स्पिकलर / ड्रिप सिस्टम) पॉली गृह की क्षमतानुसार	2150	820050 वर्ग मीटर
3.	निम्न ऊठाऊ, मध्यम ऊठाऊ, एवं पम्प सयन्त्र/1एचपी क्षमतानुसार प्रत्येक पॉली गृह के साथ	870	
4.	निर्माण कुल लागत	₹10178.10 लाख	
5.	किसान संवेदीकरण, आकस्मिक और लागत में वृद्धि	₹940.45 लाख	
6.	कुल परियोजना लागत	₹11118.55 लाख	

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

7.25 कृषि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि संबंधी क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:-

1. राज्य को प्रोत्साहन देना ताकि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश हो।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. कृषि संबंधी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृषि जलवायु

4. प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्रोत में सुविधा सुनिश्चित करना। राज्यों द्वारा कृषि योजनाओं में स्थानीय जरूरतें/ फसलें/ प्राथमिकताएं भली-भांति प्रकार से व्यक्त हों, यह सुनिश्चित करना।
5. सरकारी हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में अंतर को दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना।
6. किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य।
7. उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न घटकों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य व ग्रामीण विकास भी शामिल है के लिए धन आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ होने के बाद भारत सरकार से ए0सी0ए0 के अधीन प्राप्त हो रही है। वर्ष 2015-16 में कृषि विभाग को ₹55.00 करोड़ आवंटित किए जिसमें से कि सामान्य योजना ₹36.19 करोड़, एस0सी0एस0पी0, ₹13.86 करोड़ व टी0ए0एस0पी0 ₹4.95 करोड़ का प्रावधान है।

कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET)

7.26 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (NMAET) के अन्तर्गत तकनीक की प्रसार प्रणाली किसान आधारित बनाने के लिए शुरू की गई है। NMAET को चार उप-मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप-मिशन (SAME)
2. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन(SMSP)
3. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन(SMAM)
4. पौध संरक्षण एवं पादप संगरोध (SMPP)

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के 90:10 आधार पर व्यय किया जाएगा व ₹88.00 लाख परिव्यय का अनुमान है। वर्ष 2015-16 के लिए ₹263.00 लाख NMAET के तहत प्रस्तावित है।

स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA)

7.27 सतत कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता, मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कृषि विकास को निरन्तर बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थान पर विशिष्ट उपायों के माध्यम से दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। राज्य में खाद्यान के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बारिश पर निर्भर कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एन.एम.एस.ए. का गठन किया गया है।

इस मिशन के तहत मुख्य मददे है।

1. बारिश पर निर्भर कृषि का विकास करना ।
2. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन।
3. जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।
4. मिट्टी के गुणवत्ता में सुधार।
5. संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना।

इस योजना के तहत वर्ष 2015-16 के लिए ₹151.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

7.28 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2012 में रबी सीजन के दौरान प्रदेश में शुरू की गई है। इसके दो मुख्य घटक एन.एफ.एस.एम.चावल और एन.एफ.एस.एम. गेहूं है। केन्द्रीय सरकार की 100 प्रतिशत सहायता से एन.एस.एफ.एम. चावल राज्य के तीन जिलों में तथा एन.एस.एफ.एम. गेहूं 9 जिलों में कार्य कर रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना तथा मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता, रचनात्मकता तथा रोजगार के अवसर लक्षित जिलों में अर्जित करना है।

उद्यान

7.29 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाऊ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा ऊष्ण कटिबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हॉप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है।

7.30 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता

जा रहा है। वर्ष 1950-51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1,200 टन हुआ। यह बढ़ कर वर्ष 2014-15 में 2,24,352 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 7.52 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक कुल फल उत्पादन 8.19 लाख टन आंका गया है। 2015-16 में 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर, 2015 तक 3,244.06 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 8.48 लाख पौधे वितरित किए गए।

7.31 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है। वर्ष 1950-51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि 1960-61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2014-15 में 1,09,553 हैक्टेयर हो गया।

7.32 सेब के अतिरिक्त समशीतोष्ण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960-61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2014-15 में 27,900 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960-61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2014-15 में 10,621 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं पोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960-61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2014-15 में क्रमशः 23,704 हैक्टेयर तथा 52,574 हैक्टेयर हो गया।

7.33 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास की गति में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ-व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब को फल उद्योग में प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि इकलोजिकल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

7.34 फल-उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख-रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, नई तकनीकों की जानकारी एवं अच्छी प्रवृत्तियों का बढ़ावा देकर विभिन्न फसलों जैसे अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम, लीची, स्ट्रावेरी तथा जैतून को विकसित किया जा रहा है।

7.35 मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में सेब, आम तथा निम्बू प्रजाति के फलों के प्रापण मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह प्रापण मूल्य पिछली वर्ष की भांति ही रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत बागवानों से ₹23.42 करोड़ मूल्य का 36,033 मी.टन

“सी” श्रेणी सेब का प्रापण किया गया। आम मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत फल प्रापण शून्य रहा तथा नीम्बू प्रजाति फलों हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना की कार्यन्वयन अवधि 13.02.2016 तक है।

7.36 प्रदेश के गर्म क्षेत्रों में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बाजार में बेहतर कीमतें मिल रही हैं। मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन, अनार तथा स्ट्राबेरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर, 2015 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 7.9 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.9
फल उत्पादन

मद	(‘000 टन)			
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (31.12.2015)
सेब	412.39	738.72	625.20	754.95
अन्य समशीतोष्ण फल	55.02	66.13	43.61	29.57
सूखे मेवे	2.81	3.48	2.41	1.84
नींबू प्रजाति	24.32	22.27	22.17	7.33
अन्य उपोष्णिय फल	61.16	35.74	58.55	25.32
कुल	555.70	866.34	751.94	819.01

7.37 फल उत्पादकों को उत्तम गुणवत्ता की पैकिंग उपलब्ध करवाने एवं सेब के विभिन्न ग्रेडों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 4.04.2015 जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि स्टैंडर्ड (पूरा बक्सा) एवं स्टैंडर्ड (हॉफ बक्सा)

बक्से हेतु अधिकतम भार कमशः 24 कि.ग्र. व 12 कि.ग्रा. मान्य होगा।

7.38 प्रदेश में बागवानी उद्योग में विविधता लाने हेतु 31.12.2015 तक 393 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अन्तर्गत लाया गया है। पुष्प खेती को बढ़ावा देने हेतु दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं, आर्दश पुष्प केन्द्रों महोगबाग, (चायल जिला सोलन) तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई है। फूलों के उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रदेश के चार किसान को—ओपरेटिव सोसाइटी जिला शिमला, कांगड़ा, लाहौल—स्पिति तथा चम्बा में कार्य कर रही है। प्रदेश में खुम्ब उत्पाद एवं मौन पालन जैसे सहायक उद्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक चम्बाघाट, बजौरा तथा पालमपुर स्थित विभागीय खुम्ब विकास परियोजनाओं में 241.41 मी० टन पास्चूराईजड खाद तैयार कर खुम्ब उत्पादकों को बांटी गई। प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2015 तक कुल 4,672.00 मी० टन खुम्ब उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 में 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश में 804.19 मी० टन शहद का उत्पादन हुआ।

7.39 हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी सीजन वर्ष 2009-10 में 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु लागू किया गया। इस योजना को लोकप्रियता को दृष्टिगत अगले वर्षों में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया। वर्ष 2015-16 में 36 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए, 41 विकास

खण्डों में आम फसल के लिए, 15 विकास खण्डों में किन्नु फसल के लिए, 13 विकास खण्डों में पलम फसल के लिए तथा 5 विकास खण्डों में आड़ू फसल के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत लाया गया। इसके अतिरिक्त सेब की फसल को ओलावृष्टि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु 17 विकास खण्डों को Add-on cover के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2014-15 में 97,246 बागवानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सेब फसल के लिए सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा 61,69,865 पेड़ों को बीमित किया गया जिसके लिए 25 प्रतिशत प्रीमियम भाग लगभग ₹9.22 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किये गए। इस योजना के अन्तर्गत 92,423 बागवान ₹34.50 करोड़ से लाभान्वित होने की संभावना है।

7.40 प्रदेश में बागवानी के समेकित विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं "MISSION FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF HORTICULTURE", (MIDH) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत बागवानी फल फसलों के उत्पादन, आधारभूत अधोसंरचना के सुदृढीकरण तथा सिंचाई सुविधाओं में विकास हेतु अनेक विकासात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 में इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु ₹70.04 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹25.75 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली गई है। इन योजनाओं के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2015 तक 17,545 किसान लाभान्वित किये गए हैं वर्ष 2015-16 में इन योजनाओं में फूलों

तथा सब्जियों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु उपदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 1,89,000वर्ग मी. क्षेत्र ग्रीन हाऊस के अंतर्गत लाया जाना लक्षित है। वर्ष 2015-16 में बागवानी फल फसलों में विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों पर उपलब्ध 50 प्रतिशत उपदान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 1,13,570 वर्ग मीटर क्षेत्र को ओलारोधक जालियों के अन्तर्गत लाया जाना लक्षित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सेब के लिए जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है जिसमें पुराने बगीचों को जीर्णोद्धार करके नई, उन्नत तथा लगातार फसल देनेवाली स्पर प्रजातियों के रोपण पर विशेष बल दिया जा रहा है। सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 180 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त बगीचों में सिंचाई प्रबन्धन व्यवस्था सुदृढ करने हेतु जल भण्डारण टैंकों, बोरवेल की स्थापना प्रदेश में की जा रही है।

हि.प्र. विपणन निगम (एच.पी.एम.सी.)

7.41 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन, अतिरिक्त उत्पादन जो बाजार तक नहीं पहुंच सका, उनसे विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

7.42 वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक एच.पी.एम.सी. ने ₹4,750.24 लाख के उत्पाद, ₹9,000.00 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अपने संयंत्रों से तैयार करके घरेलू बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना (MIS 2005) के अंतर्गत एच.पी.एम.सी. ने 20,134.56 मी.टन (प्रत्येक 40 कि.ग्रा. के 5,03,364 बैग) सेबों की खरीद की इसके अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. संयंत्रों में 3,535.22 मी.टन सी ग्रेड सेब प्रोसेस किया जिसमें से 298.00 मी०टन का सेब कन्सैन्ट्रेट जूस तैयार किया गया। निगम इस वर्ष आमों की खरीद नहीं कर पाई क्योंकि बागवानों को इस वर्ष खुले बाजार में अधिक दाम मिले। निगम ने 15 जनवरी, 2016 तक 21.00 मी.टन नींबू प्रजाति के फलों की खरीद की जिसका प्रसंस्करण निगम के संयंत्रों में जारी है। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को प्रतिष्ठित खरीददारों को जिसमें रेलवे उत्तरी कमान मुख्यालय, उधमपुर, विभिन्न धार्मिक संस्थानों, निजी संस्थानों, मै० पार्ले खुले बाजार और एच.पी.एम.सी. जूसबार के लिए भेज रही है। एच.पी.एम.सी. के द्वारा 254.72 मी.टन का जूस ₹395.70 लाख में तथा अन्य उत्पाद ₹1,225.65 लाख में उपरोक्त संस्थानों को बेचा गया। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को आई.टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रही है। एच.पी.एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 31 दिसम्बर, 2015 तक ₹477.08 लाख के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 31 दिसम्बर, 2015 तक ₹492.37 लाख का सामान प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं। निगम को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, परवाणु तथा प्रदेश सेब उत्पादक क्षेत्र में

स्थित 5 सी.ए. भण्डार गृहों से ₹531.26 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। निगम एपेडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से ₹3,949.95 लाख तकनीकी उन्नतिकरण हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत कराने में सफल हुआ। यह सहायता अनुदान निम्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त हुआ है :-

- i) ग्रेडिंग व पैकिंग गृह जरोल टिक्कर, (कोटगढ़), गुम्मा (कोटखाई), ओडी (कुमारसैन), पतलीकुहल (कुल्लू), तथा रिंकांगपियो (किन्नौर) के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹797.30 लाख।
- ii) वातानुकूलित सी.ए. स्टोर, गुम्मा (कोटखाई) व जरोल टिक्कर (कोटगढ़) के लिए ₹1,009.00 लाख।
- iii) नादौन (हमीरपुर) पैक हाउस व कोल्ड रुम प्रोजेक्ट के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹353.42 लाख।
- iv) घुमारवी जिला बिलासपुर में फलों की पैकिंग व ग्रेडिंग के लिए व फलों व सब्जियों तथा जड़ी बुटियों की वातानुकूलित स्टोरेज के लिए पैकिंग व ग्रेडिंग हाउस व कोल्ड रुम के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹435.08 लाख।
- v) एच पीएम सी फल विधायन संयंत्र, परवाणु में स्थित जुसों की टैट्रा पैकिंग के लिए टी.बी.ए.-9 टी.वी.ए.-19 में परिवर्तित करने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹355.15 लाख।
- vi) सरकार ने एच.पी.एम.सी. के फल विधायन संयंत्र परवाणु का उन्नतिकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिए ₹1,000.00 लाख की सहायता स्वीकृत की है जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

8. पशु तथा मत्स्य पालन

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

8.1 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पत्ति साधन जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे जो कि सांझी सम्पत्ति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पत्ति साधनों के लिए चारा व फसल अवशेष खाद के रूप प्रदान करते हैं जो कि सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं।

8.2 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक हैं। वर्ष 2014-15 में 11.72 लाख टन दूध, 1,662 टन ऊन, 108.433 मिलियन अंडे, 3,998 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2015-16 में 12.10 लाख टन दूध, 1,412 टन ऊन, 100.00 मिलियन अंडे तथा 4,040 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 8.1

उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
2014-15	11.72	468
2015-16 (अनुमानित)	12.10	483

8.3 ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत ध्यान दिया जा रहा है।

- पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण।
- गोजातीय विकास।
- भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास।
- कुक्कट विकास।
- पशु आहार व चारा विकास।
- पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा।
- पशु गणना।

8.4 वर्ष 31.12.2015 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु-चिकित्सालय, 7 पोलीक्लीनिक, 49 उप-मण्डलीय-पशु-चिकित्सालय, 284 पशु-चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,768 पशु औषधालय हैं इसके इलावा 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 1,251 पशु औषधालय खोले गए हैं।

8.5 राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें प्रदान की जा रही हैं। एक नर भेड़ केन्द्र नगवाई मण्डी जिला में कार्यरत है। वर्ष 2014-15 में इन प्रक्षेत्रों में 1,715 भेड़ें पाली गईं और 317 नर भेड़ें भेड़ पालकों में वितरित किए गए। प्रदेश

में शुद्ध नस्ल के मेंढों, सोवियत मैरिनों तथा अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्ध नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत है। वर्ष 2015-16 के दौरान 1,412 टन ऊन के उत्पादन होने की सम्भावना है। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

8.6 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते हैं, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गऊओं को कॉसब्रीड गऊओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। कासबीड गऊओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गऊएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती हैं, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में कास ब्रीडिंग (सकरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली कास ब्रीडिंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रॉ से गायों तथा भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2014-15 में 11.28 लाख गायों के व 2.96 लाख भैंसों के वीर्य

तृणों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2015-16 के लिए 11.50 लाख गायों और 3.00 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के होने की संभावना है। 2014-15 में 0.31 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन (एल.एन.2) गैस उत्पादित की गई और 2015-16 में 0.80 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2014-15 में 2,399 संस्थाओं के माध्यम से 7.47 लाख गायें व 2.29 लाख भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया तथा वर्ष 2015-16 के दौरान 7.64 लाख गायों व 2.30 लाख भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता अधिक होती है।

8.7 बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 3.40 लाख चूजों का वितरण होने की संभावना है तथा 1,050 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत 3,036 परिवारों के लिए 1.80 लाख चूजे नवम्बर, 2015 तक बांटे गए। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 315 ईकाईयां स्थापित की गईं। जिला लाहौल-स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2014-15 में इस प्रक्षेत्र में 53 घोड़े-घोड़ियों को रखा गया है। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2014-15 में 53 याक पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 15.00 लाख चारा जड़ों व 0.65 लाख चारा पौधों के वितरण की संभावना है।

दूध उद्यम विकास योजना (दूध गंगा योजना)

8.8 दुध गंगा योजना
25 सितम्बर, 2009 से नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक निम्न प्रकार से हैं:-

- छोटे डेयरी यूनिट स्थापित करना (एक यूनिट में 2 से 10 दुधारु पशु) 10 पशुओं को खरीदने के लिए ₹6.00 लाख का बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध निकालने वाली मशीनों की खरीद व दूध ठण्डा करने की यूनिटों के लिए ₹20.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- देसी दूध उत्पादों के निर्माण के लिए व डेयरी प्रोसेसिंग उपकरणों के खरीद के लिए ₹13.20 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- डेयरी उत्पादों के परिवहन व कोलचेन के लिए ₹26.50 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध व दूध पदार्थों के कोल्ड स्टोरेज प्रावधान मुहैया करवाने के लिए ₹33.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध विपणन केन्द्रों हेतु 1.00 लाख रुपये बैंक ऋण का प्रावधान है।

सहायता का पैटर्न:-

- i) कुल प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत सामान्य श्रेणी व 33.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों को बैंक सम्भावित अनुदान का प्रावधान है।

- ii) ₹1.00 लाख से अधिक ऋण राशि पर परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करवानी होगी।

राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन एवं दुग्ध विकास योजना

8.9 राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन एवं दुग्ध विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार (शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) द्वारा कुल ₹23.87 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं तथा वर्ष 2014-15 में 5.71 करोड़ में जारी किए जा चुके हैं। परियोजना का उद्देश्य पशुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है:-

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना।
2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
3. दूर-दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
5. ई.टी.टी.लैब को सुदृढ़ बनाना।
6. स्थानीय नस्लों का विकास व संरक्षण।

आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

8.10 हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार यह योजनाएं चला रही हैं। आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत दो तीन सप्ताह के चूजे कलर्ड स्टेन किस्म के जो कि चाबरो किस्म के हैं राज्य के किसानों को दिए

जाते हैं। एक यूनिट में 50 से 100 चूजे होते हैं। केन्द्रीय संचालित योजना "राज्य के कुक्कट पालन सहायता" के अंतर्गत यह चूजे नाहन और सुन्दरनगर हैचरी में पैदा किए जाते हैं।

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

8.11 पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्काड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है जिसमें 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है। जिन रोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, एच0एस0बी0क्यू0 एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रानीकाइट, मारक्स और रैबीज रोग इस परियोजना में सम्मिलित है।

भेड़पालक बीमा योजना

8.12 यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2007-08 में शुरु की गई। इस स्कीम में प्रीमियम ₹330 प्रति वर्ष 100:150:80 आधार पर जीवन बीमा निगम, भारत सरकार व गडरिया वहन करेगा।

भेड़पालकों को मिलने वाले लाभ

- प्राकृतिक तौर पर मृत्यु ₹ 60,000
- दुर्घटना से मृत्यु ₹1,50,000
- दुर्घटना से पूर्णतया: अपंगता ₹1,50,000

- दो आंखें या दो हाथ-पांव की अपंगता ₹1,50,000
- एक आंख या एक हाथ-पांव की अपंगता ₹75,000

इसके अलावा इस योजना में शामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुश्त लाभ, जिसे एड ऑन बेनिफिट कहा जाता है, मिलता है। इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए ₹1,200 वार्षिक वजीफा मिलता है।

दूध पर आधारित उद्योग

8.13 हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध संघ में 865 दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 38,970 है जिसमें 196 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डेरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध संघ इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध संघ 21 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 81,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 8 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 85,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है। और एक 16 मी0 टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भौर, जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया है। इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 63,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। "दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 25,000 लीटर दूध की

आपूर्ति कर रहा है जिसमें प्रतिष्ठित डेरीयों को थोक मात्रा में तथा सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और योल भी शामिल हैं।" दुग्ध को ठण्डे करने वाले केन्द्रों से दुग्ध को इक्ट्ठा करके इसे प्लांट में भेजा जाता है जहां से इसे प्रसंस्कृत करके पैकेट व खुला बिकने के लिए बाजार में भेजा जाता है।

8.14 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु-चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 01-04-2015 से दुग्ध के मूल्य में ₹1.00 प्रति लीटर की वृद्धि करके 38,970 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है जोकि हि0प्र0 दुग्ध संघ से जुड़े हैं।

विकासात्मक प्रयत्न

8.15 अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने हेतु, राजस्व को बढ़ाने हेतु तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, दुग्ध संघ ने नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं:-

- 5,000 लीटर की क्षमता वाले तीन नए दुग्ध अभिशीतन केन्द्र रिकांग-पिओ, जिला किन्नौर, नालागढ़, जिला सोलन व जंगलबैरी, जिला हमीरपुर में लगाए गए हैं।
- जिला हमीरपुर की भौरंज तहसील के भौर में दो नए संयंत्र "यूरिया मौलैसिस व मीनिरल मिंक्सर" प्लॉट लगाए जा रहे हैं।

- हिमाचल दुग्ध प्रसंघ द्वारा जिला बिलासपुर में कम्परेस्ड फोडर संयंत्र स्थापित किया गया है।
- तीन पशु आहार गोदाम जिला बिलासपुर, ऊना एवं नादौन जिला हमीरपुर में स्थापित किये जा चुके हैं।
- ग्रामीण डेरी समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लोगों का रोजगार प्रदान किया गया है।

नया नवीकरण

8.16 कल्याण विभाग के आई.सी. डी.एस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न्यूट्रीमिक्स का उत्पादन शुरू किया है। न्यूट्रीमिक्स उत्पाद संयंत्र चक्कर (मण्डी) में इस विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वर्ष 2015-16 में 42,529.75 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स व 2,118.77 क्विंटल स्कीमड मिल्क पाउडर की आपूर्ति (आई.सी.डी.एस.) और सबला खण्ड को कल्याण विभाग के माध्यम से की जा चुकी है। वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भेजी है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवत्ता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में आई.डी.डी.पी.-III के अंतर्गत 300 पशुओं को ₹15,000 प्रति पशु खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ने मिठाईयां बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक शुरू किया है तथा इस वर्ष दिवाली के त्यौहार पर लगभग 300 क्विंटल मिठाईयां और वर्ष 2015-16 में लोहड़ी त्यौहार पर 30 क्विंटल गचक का कारोबार किया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में रक्तदान करने वालों को हल्का पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवा रहा है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां सारणी संख्या 8.2 में दर्शाई गई हैं।

सारणी 8.2

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क्र. सं.	विवरण	2014-15	30.11.15 तक
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	845	865
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	38,740	38970
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली०)	199.39	157.00
4	बेचा गया दूध(लाख ली०)	68.92	61.21
5	घी की बिक्री (मी० टन)	158.54	96.07
6	पनीर की बिक्री(मी० टन)	70.10	91.57
7	मक्खन की बिक्री(मी० टन)	22.65	18.00
8	दही की बिक्री(मी० टन)	150.77	105.00
9	पशु आहार बिक्री(क्विंटलों में)	28,649.48	20752.00

8.17 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवाए है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 97 बड़े दुग्ध

शीतक ग्रामीण स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदर्शिता लाने के लिए फैंडरेशन ने 174 स्व:चालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं।

ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ सीमित

8.18 ऊन संघ का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा देना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है। ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर कर्तन की मशीन, ऊन की धुलाई (स्कावरिंग) और ऊन के विक्रय के लिए प्रयासरत है। भेड़ कर्तन, आयातित स्वंचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है। वर्ष 2015-16 में 31.12.2015 तक 41,064.40 किलोग्राम भेड़ ऊन की खरीद की गई है जिसका मूल्य ₹23.79 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ऊन संघ, उन उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित पारिश्रमिक मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन स्थानीय ऊनी बाजार में किया जा सके।

वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तावित कार्य सारणी संख्या 8.3 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 8.3

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	अनुमानित व्यय— (₹लाख में)
1	भेड़ ऊन खरीद	94,000	49.68
2	अंगोरा ऊन खरीद	100	0.60
3	भेड़कर्तन संख्या	95,000	—
4	भेड़ ऊन स्कावरिंग, कार्बोनाईजिंग	40,000	—

मत्स्य एवं जलचर पालन

8.19 हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरेक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वकाक्षी "इन्डो-नार्वेयन ट्राउट फार्मिंग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 6,284 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाशयों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश के विभिन्न जलाशयों से 6,636.88 मी0टन मछली

उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹5,822.67 लाख है। इस वर्ष मूल्य ₹6.25 लाख की सहायता से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में निजी क्षेत्र में 10 नए ट्राउट यूनिट स्थापित करवाये जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाशय को वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक राज्य में फार्मों से 13.17 टन ट्राउट मछली उत्पादन से ₹95.50 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन को सारणी संख्या 8.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.4

ट्रेवल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (₹लाख में)
2011-12	17.98	83.01
2012-13	19.18	98.48
2013-14	13.81	115.41
2014-15	17.07	114.66
2015-16	13.77	95.50
(दिसम्बर, 2015 तक)		

8.20 मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण तालाबों और सरकारी व निजी जलाशयों की मांग को पूरा करने के लिए कार्प तथा ट्राउट बीज फार्मों की स्थापना की है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन वर्ष 2014-15 में ₹245.98 लाख था तथा 2015-16 में ₹148.38 लाख फार्म बीज का उत्पादन दिसम्बर, 2015 तक हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रदेश में मत्स्य पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" ₹63.00 लाख की योजना स्वीकृत हुई है

जसका विवरण सारणी संख्या 8.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.5

क. सं.	योजना का नाम	परिव्यय राशि
1.	बैकयार्ड फिश फार्मिंग यूनिटों का निर्माण	₹ 43.20 लाख
2.	मछली पकड़ने के उपकरणों का वितरण तथा मत्स्य बीज संग्रहण	₹ 5.15 लाख
3.	अनुसूचित जाति बहुल गांव में सामुदायिक तालाब निर्माण	₹ 8.40 लाख
4.	हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में ट्राऊट ईकाइयों का निर्माण	₹ 6.25 लाख
कुल		₹63.00 लाख

8.21 विभाग द्वारा जलाशय मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष " बैकयार्ड फिश फार्मिंग" (किचन फिश पौड) नामक नई योजना 120 किचन फिश पौड निर्मित करवाएं जा रहे हैं। राज्य में राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड हैदराबाद की 90 प्रतिशत सहायता से "मोबाईल फिश मार्केट" नामक नई योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के लोगों के घर द्वार पर ताजा मछली पहुंचाना है। मछुआरों को अब जीवन सुरक्षा निधि के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत मृत्यु / स्थाई अपंगता की दशम में संतप्त परिवार को ₹2.00 लाख तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹1.00 लाख तथा चिकित्सा उपचार हेतु ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। अर्जित काल के दौरान

मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु अंशदायी बचत योजना चलाई जा रही है जिसमें मछुआरों द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा जलाशय माहीगीरों को दो मासिक बराबर किस्तों में वितरित किया जाता है। जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे सारणी संख्या 8.6 में दर्शाया गया है:-

सारणी 8.6

क. सं.	योजना का नाम	अधिकतम अनुदान राशि
1	मछुआ सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना (केन्द्र व राज्य में 50:50 के आधार पर) चिकित्सा उपचार हेतु	₹2.00 लाख (मृत्यु उपरांत स्थाई अपंगता) ₹1.00 लाख (आंशिक अपंगता पर) ₹10,000
2	वर्जित काल के दौरान सहायता	₹1,800 (दो किस्तों में प्रत्येक मछुआरे को)

8.22 मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 460 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जलाशय मत्स्यकीय, हिमाचल मत्स्यकीय का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। "पिंजुरों में मछली पालन योजना" के अन्तर्गत ₹334.00 लाख की राशि केन्द्रीय अन्तर्देशीय अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकता को स्थानान्तरित कर दी गई है। ताकि ऐसी तकनीक विकसित करवाई जाए जिससे जलाशयों से मछली उत्पादन बढ़ सके। हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित

करके जलाशय के दोहन हेतु प्रेरित किया है। वैज्ञानिक प्रबन्धन के परिणामस्वरूप मछुआरों को पकड़ी गई मछलियों का लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो रहा है।

8.23 विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा वर्ष 2016-17 का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण सारणी संख्या 8.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.7

क्र० सं०	विवरण	दिसम्बर, 2015 तक की उपलब्धियां	वर्ष 2015-16 का लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य 2016-17
1	मत्स्य उत्पादन (टन) (सभी साधनों से)	6636.88	11286.00	11,600.00
2	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	148.38	495.00	500.00
3	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र (टन)	13.78	17.00	20.00
4	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र (टन)	273.80	383.00	440.00
5	रोजगार सृजन (संख्या)	-	570.00	590.00
6	विभागीय राजस्व (लाखों में)	381.53	400.00	410.00

9. वन तथा पर्यावरण

वन

9.1 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.52 प्रतिशत अर्थात् 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्देश्य वनों के उचित उपयोग के साथ-साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है। इन्हीं नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से है :-

वन रोपण

9.2 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं में वनाच्छादन में सुधार, विभागीय पौधारोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चारागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज, सांझी वन योजना, टी.एफ.सी., भू एवं जल संरक्षण एवं वाह्य सहायता पोषित परियोजनाएं इत्यादि शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 6,028 हे० क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें ₹16.84 करोड़ व्यय होने सम्भावित है तथा दिसम्बर, 2015 तक 5,450 हे० क्षेत्र में पौधारोपण कर लिया है। वर्ष 2015-16 के दौरान ₹13.00 करोड़ की लागत से 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वन्य प्राणी तथा प्रकृति संरक्षण

9.3 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इस

योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी शरणस्थलों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में सुधार एवं सुरक्षा प्रदान करना है जिससे विभिन्न लुप्त होने वाले पशु-पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹484.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2015 तक ₹340.22 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है तथा शेष धनराशि 31 मार्च, 2016 तक व्यय कर दी जाएगी।

वन प्रबन्धन योजना संचार तंत्र

9.4 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्वंसक तत्व है, अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹405.61 लाख का प्रावधान है जिसमें 31 दिसम्बर, 2015 तक ₹125.75 लाख व्यय कर लिये गए हैं तथा शेष राशि 31 मार्च, 2016 तक व्यय कर दी जाएगी।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना

9.5 यह परियोजना जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से ऊना जिले में चलाई

जा रही है। आरम्भ में यह योजना वर्ष (2006-07 से 2013-14) 8 वर्षों के लिए बनाई गई थी तथा परियोजना खर्च ₹160.00 करोड़ रखा गया था। अब सूक्ष्म-योजना के स्तर पर क्रियान्वित करने पर तथा वर्ष 2011 में योजना की मध्यावधि समीक्षा एवं मूल्यांकन (MTRE), सिफारिशों के अनुसार व संसाधन उपरान्त यह योजना (2006-07 से 2015-16) 10 वर्षों के लिए ₹215.00 करोड़ की राशि के साथ चलाई जाएगी। स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना ऊना जिले की 96 पंचायतों में चलाई जा रही है। इस परियोजना का वहन 85:15 के आधार पर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹8.05 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹5.17 करोड़ व्यय किए गए हैं तथा शेष राशि मार्च, 2016 तक व्यय कर ली जाएगी।

विश्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजना:

9.6 मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना प्रदेश में 01.10.2005 से शुरू की गई। यह योजना 6 वर्षों के लिए थी जिस की कुल लागत ₹365.00 करोड़ निर्धारित की गई थी। परियोजना की लागत विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 अनुपात से वहन की जा रही हैं तथा परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। अब ₹231.25 करोड़ की लागत से मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना अतिरिक्त वित्तीय सहायता 2015-16 तक स्वीकृत की गई है। यह परियोजना प्रदेश की 710 पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही

है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में आई कमी को पूरा करना तथा योजना-क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी करना है। वर्ष 2015-16 के लिए ₹100.00 करोड़ का बजट अनुमोदित है और दिसम्बर, 2015 तक ₹60.12 करोड़ व्यय कर दिए गए हैं। शेष राशि मार्च, 2016 तक व्यय कर ली जाएगी। वन विभाग तथा प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब इस परियोजना की अवधि मार्च, 2017 तक बढ़ा दी गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान इस परियोजना में लगभग ₹70.00 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको-सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट

9.7 जर्मन सरकार के के.एफ. डब्ल्यू. बैंक की सहायता से ₹286.00 करोड़ की लागत से प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में आगामी 7 वर्षों की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको-सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। इस परियोजना के कार्यान्वयन पर ₹240.00 करोड़ जर्मन सरकार द्वारा तथा शेष राशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस परियोजना का वित्तीय करार 29.12.2015 को किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष में ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016-17 में ₹40.00 करोड़ व्यय किए जाने प्रस्तावित है। जर्मन सरकार के एक अन्य बैंक जी.आई.जेड. के तकनीकी सहयोग के द्वारा 3 वर्षों के लिए लगभग ₹25.00 करोड़ की लागत से प्रदेश में एकीकृत ईको सिस्टम सर्विसिज अपनाने हेतु भी एक परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्ष 2015-16 के अंतर्गत विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख नीतिगत कार्ययोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:-

हि0प्र0 राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ

9.8 हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, का कार्य कर रहा है। जलवायु माडलिंग सुविधा का आरंभ ज्ञान प्रकोष्ठ में किया गया है तथा जलवायु से संबंधित अध्ययन और जलवायु परिवर्तन ज्ञान आधारित वेब पोर्टल भी विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, (भारत सरकार) के साथ सक्रिय समन्वय के तहत जलवायु परिवर्तन पर सहयोग और एकजुट कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त समन्वय प्रक्रिया/तंत्र स्थापित करने हेतु जलवायु परिवर्तन पर आंकड़े का कोष तैयार करेगा और ज्ञान के अंतराल को भरेगा। यह प्रकोष्ठ/ज्ञान केन्द्र एक जीवांत एवं गतिशील ज्ञान प्रणाली का निर्माण करेगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य संग्रहण, मिलान और जलवायु परिवर्तन का ज्ञान प्रसार होगा। पर्यावरण विभाग एक सुसंगत डेटाबेस को विकसित करने का प्रयास कर रहा है जो कि भूगर्भीय, जल विज्ञान, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक आयामों पर आधारित है और पारिस्थितिकी

तंत्र के संरक्षण पर पारंपरिक ज्ञान प्रणाली तथा जलवायु परिवर्तन पर नीतिगत हस्तक्षेप के लिए निगरानी और विश्लेषण के माध्यम से ज्ञान का एक मजबूत आधार बनेगा।

विकास नीति ऋण (डी.पी.एल.)/ भारत सरकार से अनुदान

9.9 डी.पी.एल.-1 और 2 को जारी रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरित एवं सतत विकास में बदलाव के लिए द्विपक्षीय वित्तपोषण के अन्तर्गत भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक में डी.पी.एल.-3 का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें राज्य के हिस्से के रूप में 100 मिलियन यू.एस. डालर की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

साईस लर्निंग एवं क्रियेटिविटी केंद्र की स्थापना

9.10 राज्य में साईस लर्निंग एवं क्रियेटिविटी केंद्र की स्थापना का उद्देश्य विज्ञान का रहस्यनावृत तथा इसके उपयोग के बारे में आम लोगों तथा किसानों को जागरूक करना है।

जैव प्रौद्योगिकी नीति का क्रियान्वन

9.11 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में जैव प्रौद्योगिकी नीति को अपनाया गया है ताकि राज्य के इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। विभाग जैविक भोजन, जैविक ऊर्जा, फसलों के बेहतरी, पशुधन एवं जैविक खेती के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए धन उपलब्ध करवा रहा है। नीतिगत पहलुओं के अंतर्गत विभाग ने 2016-17 के लिए जैव प्रौद्योगिकी एवं सहयोगात्मक

अनुसंधानों को राज्य के किसानों सहित अंत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। जैव प्रौद्योगिकी को प्रमुख साधन बनाने हेतु राज्य में जैव प्रौद्योगिकी में सबसे अच्छे अनुसंधान वैज्ञानिकों और विद्वानों के विकास हेतु पुरस्कृत किया जा रहा है। राज्य की जैव प्रौद्योगिकी रिपोर्ट का सभी हितधारियों में आबंटन किया जा रहा है जो कि राज्य में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के बारे में शोधकर्ताओं तथा छात्रों को नई जानकारी उपलब्ध करवाएगा।

पर्यावरण मंजूरी

9.12 सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को सरल कर दिया है और आवेदन सम्बंधी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज एवं सुलभ हुई है।

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूल कोष के तहत एक कार्यक्रम

9.13 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि

क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुकूल करने हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एन.ए.एफ.सी.सी.) के तहत ₹20.00 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। यह कार्यक्रम पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नाबार्ड के माध्यम से जो राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी भी है, इस वर्ष से कार्यान्वित किया जाना है। कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

- जिला सिरमौर के लिए जलवायु मानचित्रण और जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक।
- जिला सिरमौर के 30,000 ग्रामीणों को सूखे के प्रति अनुकूलन एवं जलवायु स्मार्ट पैकेज हेतु प्रशिक्षण।
- कम से कम 26 प्रतिशत जल की उपलब्धता को मृदा जल संरक्षण एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- जिला सिरमौर में 20,000 किसानों को वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में सम्मिलित करना एवं 15,000 किसानों को मौसम बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना।

10. जल स्रोत प्रबन्धन

पेयजल

10.1 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त गांवों को मार्च, 1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल आपूर्ति योजना के नवीनतम वैधीकरण सर्वेक्षण के अनुसार मार्च, 2008 तक सभी 45,367 बस्तियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। 1.04.2009 में राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति निर्देशों के लागू होने से सभी बस्तियों के मानचित्रण के उपरांत राज्य में कुल 53,205 बस्तियां चिन्हित हुईं, जिसमें से 19,473 बस्तियां (7,632 बस्तियां जहां शून्य प्रतिशत से अधिक तथा सौ प्रतिशत से कम जनसंख्या वाली तथा 11,841 बस्तियां शून्य जनसंख्या वाली) चिन्हित हुईं जहां पर पेयजल सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मापदण्ड बस्तियों की जगह जनसंख्या पर आधारित हैं ताकि प्रत्येक घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने राज्यों को डाटा में सुधार कर आंकलन करने के निर्देश दिये थे। वर्ष 2015 के डाटा आंकलन के अनुसार 1.04.2015 को इन बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:-

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें शत-प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0 and <100 सम्मिलित किया गया
53,604	32,154 (59.98%)	21,450 (40.02%)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 2,074 बस्तियों जिनमें 1,037 बस्तियों को राज्य भाग के अन्तर्गत तथा 1,037 बस्तियों को केंद्रीय क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः ₹173.20 करोड़ एवं ₹125.00 करोड़ रखा गया है। दिसम्बर, 2015 तक कुल ₹159.14 करोड़ जिसमें ₹47.44 करोड़ केंद्रीय भाग के अन्तर्गत तथा ₹111.70 करोड़ राज्य क्षेत्र के रूप में परिव्यय करके 1,332 बस्तियां जिसमें से 1,199 बस्तियां केंद्रीय क्षेत्र एवं 233 राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

हैण्डपम्प कार्यक्रम

10.2 सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2015 तक प्रदेश में कुल 32,219 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 में नवम्बर, 2015 तक प्रदेश में कुल 881 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

शहरी पेयजल कार्यक्रम

10.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 50 शहरों की पेयजल योजनाओं का रख-रखाव सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इनमें से 38 शहरों की पेयजल योजनाओं का कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लिया गया है। धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर, सरकाघाट, नगरोटा बगवां, कुल्लू,

मण्डी, रामपुर तथा मनाली की पेयजल योजनाओं का समर्धन UIDSSMT कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। नाहन व बंजार शहरों की पेयजल योजनाओं का समर्धन कार्य राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में कुल ₹17.00 करोड़ योजनाओं के समर्धन के कार्य के लिए रखे गये हैं, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक कुल ₹8.80 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं।

सिंचाई

10.4 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति उन क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां वर्षा बहुत कम या अनियमित होती है। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलों तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके पूर्ण उपयोग पर विशेष ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता में हैं।

10.5 हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा

सकता है। अब तक 2.64 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

10.6 राज्य में कांगड़ा जिले में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है तथा 15,287 हैक्टेयर में से 6,386 हैक्टेयर भूमि को CAD के अन्तर्गत लाया जा चुका है। मध्यम सिंचाई योजनाएं चंगर क्षेत्र बिलासपुर 2,350 हैक्टेयर, सिधांता कांगड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना 3,150 हैक्टेयर तथा बल्ह घाटी लैफ्ट बैंक परियोजना 2,780 हैक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है व सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में फीनासिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, 4,025 हैक्टेयर, नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना, 2,980 हैक्टेयर का कार्य प्रगति पर है।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

10.7 वर्ष 2015-16 में ₹4,500.00 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा इन सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है, क्योंकि ये योजनाएं प्रारम्भिक चरण में हैं तथा दिसम्बर, 2015 तक ₹362.68 लाख व्यय किये गये हैं।

लघु सिंचाई

10.8 वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 3,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान

करने के लिए ₹15,245.00 लाख का बजट प्रावधान किया है। दिसम्बर, 2015 तक 2,300.95 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को ₹3,378.36 लाख व्यय करके सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

कमांड विकास कार्यक्रम

10.9 वर्ष 2015-16 के दौरान ₹5,000.00 लाख जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है और 964.50 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, इसके अतिरिक्त मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 23 लघु सिंचाई, 39 शैल्फ की लघु सिंचाई योजनाओं में भी सी.ए.डी. के कार्य भी प्रगति पर है और

दिसम्बर, 2015 तक ₹163.34 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

बाढ़ नियन्त्रण

10.10 वर्ष 2015-16 में 2500 हैक्टेयर भूमि में बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए ₹19,005.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिससे दिसम्बर, 2015 तक ₹1,431.72 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा इस अवधि में 936.97 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है, स्वां नदी तटीयकरण-चरण-4, तथा छोंच खड्ड के तटीयकरण का कार्य प्रगति पर है।

11. उद्योग एवम् खनन

उद्योग

11.1 हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए हाल ही में बहुत सी पहलें की हैं।

औद्योगिकरण की स्थिति

11.2 प्रदेश में 31.12.2015 तक 40,712 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं इसमें 138 बड़े और 380 मध्यम स्तर के उद्योग शामिल हैं।

औद्योगिक क्षेत्र/ सम्पदा का विकास

11.3 वर्ष 2015-16 में औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए ₹34.30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से 31.12.2015 तक ₹19.87 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक सम्पदा के विभिन्न विकासात्मक निर्माण कार्यों पर व्यय किया जा चुका है। शेष बचे ₹14.43 करोड़ को भी 31.03.2016 से पहले व्यय कर लिया जाएगा।

एम0आई0आई0यू0एस0 के अधीन स्टेट आफ आर्ट इण्डस्ट्रियल एरिया

11.4 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने (संशोधित

औद्योगिक अधोसंरचना विकास स्कीम) के अंतर्गत 2 स्टेट आफ आर्ट इण्डस्ट्रियल एरिया पण्डोगा जिला ऊना व कन्दरोरी जिला कांगडा में स्थापित करने की अन्तिम स्वीकृत दी गई है। इन परियोजनाओं का निधिकरण निम्न सारणी 11.1 में दर्शाया गया है:-

सारणी 11.1

वित्तीय स्रोत	राशि (करोड़ों में)	
	स्टेट आफ आर्ट इण्डस्ट्रियल एरिया पण्डोगा, जिला ऊना	स्टेट आफ आर्ट इण्डस्ट्रियल एरिया कन्दरोरी जिला कांगडा
केन्द्रीय अनुदान	22.62	24.07
स्टेट इम्पलिमेंटिंग एजेंसी ऋण	23.97	17.00
	41.46	54.70
योग	88.05	95.77

परियोजना अनुदान का व्यय अधोसंरचना विकास के लिए इन औद्योगिक क्षेत्रों के भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत (सड़कें, तूफान पानी निकासी नली, स्ट्रीट लाईट व 132 KVG पावर सब स्टेशन की स्थापना), तकनीकी अधोसंरचना के अंतर्गत (सामूहिक सुविधा केन्द्र इत्यादि), सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत (कामगार महिला आवास, बस ठहराव, वर्षा शालिका व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) तथा विविध/ प्रशासनिक अनुदान के लिए प्रयोग किया जाएगा।

तीसरे स्टेट आर्ट आफ एरिया के विकास के लिए सरकारी/वन की 515.00 बीघा भूमि दबोटा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में चिन्हित कर ली गई है। इसका प्रारूप वन विभाग को भेज दिया गया है और इस विषय पर FCA-1980 के अर्न्तगत कार्य चल रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.)

11.5 इस योजना के अंतर्गत 382 मामलों का लक्ष्य निर्धारित था परन्तु 902 मामले/ आवेदन विभिन्न बैंको को प्रायोजित किए गए, जिसमें से 475 मामलों में ₹620.64 लाख की अनुदान राशि की स्वीकृति की जा चुकी है। 155 मामलों में प्रार्थियों को ₹210.19 लाख की अनुदान राशि वितरित कर दी गई है तथा इन उद्यमों में 506 व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है।

एसाईड योजना

(राज्यों के निर्यात उद्योगों की अधोसंरचना एवं सहबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु सहायता)

11.6

1) राज्य घटक

वर्ष 2015-16 के लिए एसाईड योजना के अर्न्तगत राज्य घटक में कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने एसाईड योजना को बन्द कर दिया है वर्तमान में जारी कार्यों को योजना के दिशा निर्देश अनुसार पूर्ण कर लिया जाएगा।

2) केन्द्रीय घटक

वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय घटक के अधीन कुल ₹71.45 करोड़ की परियोजना लागत से वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पांच

परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। जिसमें से भारत सरकार से मिलने वाली कुल ₹57.96 करोड़ की एसाईड अनुदान में से ₹35.49 करोड़ की राशि राज्य के लिए जारी की जा चुकी है। पांच परियोजनाओं में दो परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- i) लिंक रोड अजौली (पंजाब बार्डर) से सन्तोखगढ़, टाहलीवाला इण्डस्ट्रियल एरिया से लालूवाल जिला ऊना आर0डी0 0/0 से 14/150 के सुधार एवं मजबूती का कार्य।
- ii) निर्यात इकाईयों के लिए कम्पोजिट फार्मा लेब का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

शेष तीन परियोजनाओं पर काम जारी है जो कि निम्नलिखित हैं :-

- i) बददी बरोटीवाला में निर्यात इकाईयों के लिए कन्टेनर पार्किंग सुविधा की स्थापना।
- ii) औद्योगिक क्षेत्र, काला अम्ब, जिला सिरमौर में विद्युत अधोसंरचना का विकास।
- iii) बददी बरोटीवाला में स्थित निर्यात इकाईयों के लिए भण्डारण व्यवस्था।

जिनके लिए स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि का व्यय किया जा चुका है व दूसरी किस्त अभी जारी की जानी शेष है ताकि शेष बचे 3 परियोजनाओं को भी पूरा किया जा सके।

रेशम उद्योग

11.7 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिससे लगभग 9,200 ग्रामीण परिवारों को रेशम

कोकून उत्पाद से लाभकारी रोजगार प्राप्त हो रहा है और उनके आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। 13 रेशम के धागे की रीलिंग यूनिट निजी क्षेत्र जिनमें जिला कांगडा, बिलासपुर में 5-5 तथा हमीरपुर, मंडी एवं उना में 1-1 यूनिट सरकार की सहायता से स्थापित की गई है 31 दिसम्बर, 2015 तक 224.65 मी.टन रेशम के कोकून का उत्पादन किया गया है जिन में से 28.94 मी.टन कच्चे रेशम में परिवर्तित कर राज्य को बिक्री से ₹723.50 लाख की आय प्राप्त हुई है। रेशम कोकून का पूर्वानुमानित उत्पादन 224.65 मी.टन तथा परिवर्तित कच्चा रेशम 28.94 मी.टन रहेगा।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

11.8 हि०प्र० राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम को इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु जन-जातीय उप योजना के अन्तर्गत ₹85.00 लाख तथा अनुसूचित जाति घटक योजना के अन्तर्गत ₹1.00 करोड दिए गये हैं।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

11.9 वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अन्तर्गत 2,740 बुनकरों को लाया गया है।

जिला स्तरीय आयोजन

11.10 हथकरघा उत्पादों के विपणन हेतु वर्तमान वित्त वर्ष में हिम बुनकर कुल्लू के पक्ष में जिला स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित करवाने हेतु 16 प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए हैं।

खनन

11.11 खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का मुख्य तत्व है। उत्तम किस्म का चूना-पत्थर जो कि पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग के लिये आवश्यक पदार्थ है यहां प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश में छः सीमेंट प्लांट, जिनमें मै० ए०सी०सी० की बिलासपुर जिला के बरमाणा में (दो इकाईयां), मै० अम्बूजा सीमेंट लि० की सोलन जिला के कशलोग में (दो इकाईयां), मै० जे०पी० इण्डस्ट्रीज की बागा भलग, जिला सोलन में (एक इकाई) तथा मै० सी०सी०आई० की सिरमौर जिला के राजबन में (एक इकाई) कार्यरत है, जबकि सुन्दरनगर जिला मण्डी में (मै० हरीश सीमेंट्स (ग्रासिम सीमेंट), गुम्मा रुहाना, जिला शिमला में (मै० द इण्डिया सीमेंट लि०) अलसींड़ी, जिला मण्डी में (मै० लफाजे इण्डिया लि०) के पक्ष में तीन बड़े सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु खनन पट्टे प्रदान कर दिये हैं।

11.12 इसके अतिरिक्त सरकार ने संभावित लाईसेंस भी कम्पनियों को जारी किए हैं, ताकि अन्य गौण खनिजों के साथ जमा खनिजों की गुण एवं मात्रा का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किया जा सके। यह लाईसेंस मै० एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी (धारा बडू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी), मै० डालमिया सीमेंट कम्पनी (करयाली-कोटी-साल-बाग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला), मै० अम्बूजा सीमेंट लिमिटेड (गयाणा-चलयान-बसयाना-बरसाणू-मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन), मै० रिलायंस सीमन्टेशन क० (संगरोठी-थांगर-कुरा खेरा-पॉली खेरा-कंडल-डंडेरा, तहसील चौपाल, जिला शिमला), मै० एशियन सीमेंट कम्पनी(रौड़ी-लाम्बा-सनून इत्यादि,

तहसील अर्की, जिला सोलन) को दिए गए।

अन्य खनिज जिनका प्रदेश में वाणिज्यिक दोहन किया जा सकता है जैसे शेल, बेराईट्स, रॉक सॉल्ट, सिलिका सैंड, भवन सामग्री जैसे कि पत्थर, रेत व बजरी और ईमारती पत्थर इत्यादि भी प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उद्योग विभाग की भौमिकीय शाखा द्वारा खनिजों के विकास एवं दोहन के लिये मापदण्ड बनाने के अतिरिक्त प्रदेश में बनाई जा रहे भवनों और पुलों का भौमिकीय अध्ययन एवं भू-पर्यावरण सम्बन्धित अध्ययन इत्यादि का कार्य कर रहा है।

11.13 वर्ष 2014-15 के दौरान खनन से प्रदेश को ₹161.52 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था तथा वर्ष 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक) ₹87.58 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित ₹130.00 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

i) **नए खनन के पट्टे प्रदान करना:** विभाग ने वर्ष 2014-15 में वित्तीय वर्ष में मुख्य खनिज के 3 खनन पट्टे प्रदान/नवीकरण किये

गये तथा वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) के दौरान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) संशोधित अधिनियम, 2015 की धारा 8 ए (5) एवं 8 ए (6) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप 30 खनन पट्टा मामलों में खनन पट्टा की अवधि, स्वीकृति तिथि से आगामी 50 वर्षों के लिए बढ़ाई गई जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में, 7 खनन पट्टे गौण खनिजों के प्रदान किये गये थे जबकि 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) 30 खनन पट्टे, गौण खनिजों के प्रदान किये गये हैं।

ii) **भू-तकनीकी अन्वेषण:** विभाग द्वारा 2014-15, में प्रदेश में बनाए जा रहे पुलों, सड़कों, बड़े-बड़े भवनों, भू-स्खलन क्षेत्रों इत्यादि की नींव सम्बन्धी भौमिकीय अध्ययन किये और 28 भू-तकनीकी अन्वेषण रिपोर्ट्स सम्बन्धित एजेंसियों को आगामी कार्यवाही के लिए भेजी गई हैं। जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक) 18 भू-तकनीकी अन्वेषण रिपोर्ट्स सम्बन्धित एजेंसियों को भेजी गई है।

12. श्रम और रोजगार

रोजगार

12.1 2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 30.05 प्रतिशत मुख्य कामगार, 21.80 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 48.15 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 57.93 प्रतिशत काश्तकार, 4.92 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.65 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 35.50 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 55 उप-रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में जो पूरे प्रदेश के आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्य कर रहे हैं। सभी 67 रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटराईज किया जा चुका है तथा 64 रोजगार कार्यालय ऑन लाईन है बाकि 03 रोजगार कार्यालयों को शीघ्र ही ऑन लाईन किया जा रहा है।

न्यूनतम मजदूरी

12.2 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कामगारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने दिनांक 01.05.2015 से अकुशल कामगारों का वेतन ₹170 से ₹180 प्रतिदिन अथवा ₹5,100 से ₹5,400 प्रतिमाह कर वर्तमान में 11 अनुसूचित व्यवसायों में निर्धारित किये हैं।

राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 8 नये अनुसूचित व्यवसाय सम्मिलित किये हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं:—(1) हाईड्रो विद्युत परियोजनाएं (2) फार्मास्यूटिकल उद्योग (3) अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक (4) घरेलू कामगार (5) सफाई कर्मचारी नियोजन (6) सुरक्षा सेवाएं (7) मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं (8) टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार, इस प्रकार से इन अनुसूचित व्यवसायों में कार्यरत अधिकतर कामगारों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है और न्यूनतम वेतन के लाभ व अन्य सुविधाएं दी गयी है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

12.3 वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में 31.12.2014 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,75,490 निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,51,686 और सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,239 व निजी क्षेत्र में कुल 1,715 नियोक्ता हैं।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

12.4 श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित है जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के

संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कई शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन संबंधी कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। दिनांक 1.04.2015 से 31.12.2015 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 110 कैम्प आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

12.5 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2015-16 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित कामगार उपलब्ध होते हैं। केन्द्रीय रोजगार कक्ष निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की अकुशल कामगारों की मांग हेतु कैम्पस साक्षात्कार करवाता है। दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से 164 कैम्पस साक्षात्कार करवाये गये, जिसमें से 2,334 आवेदकों की नियुक्तियां की गई है। केन्द्रीय रोजगार कक्ष राज्य भर में रोजगार मेलों का आयोजन भी करता है। दिनांक 1.04.2015 से 31.12.2015 तक विभाग 04 रोजगार मेलों का आयोजन कर चुका है, जिसमें 2,674 नियुक्तियां की गई है।

विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु)

12.6 सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षा, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए खोले गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आई.टी.आई, सिलाई तथा कटाई केन्द्र में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वाइंट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला, 30वां, 73वां, 101वां, 130वां, 173वां है। (पहला व 101वां दृष्टिहीनों के लिए, 30वां तथा 130वां गुंगे-बहरों के लिए, 73वां तथा 173 लोकोमोटर अपंगता वालों के लिए है) वर्ष 2015-16 के दौरान 1.04.2015 से 31.12.2015 तक सक्रिय पंजिका में 1,157 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 17,318 हो गई है तथा 34 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है।

श्रमिक कल्याण उपाय

12.7 बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम-1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिला सतर्कता समितियों तथा उप-मण्डल सतर्कता समितियों का गठन बन्धुआ मजदूर प्रणाली के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग के हेतु किया गया है। बन्धुआ मजदूर प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर आधारित राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल-स्पिति है। श्रम न्यायलयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायधीश नियुक्त किये गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

12.8 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बददी जिला सोलन, मेहतपुर, गगरेट, बाथरी जिला ऊना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथार्ड जिला बिलासपुर, मण्डी, रती, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोधी व शिमला नगर-निगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। लगभग 6,291 संस्थानों में 2,28,380 बीमा कामगार/कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2015 तक पंजीकृत किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि

अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31.12.2015 तक 9,289 संस्थानों में कार्यरत 10,90,957(अनुमानित) कामगारों को लाया गया।

औद्योगिक सम्बन्ध

12.9 प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या को औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण पर्याप्त महत्व दिया गया है। प्रदेश में समझौता तन्त्र विभाग के अधीन कार्यरत हैं तथा औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति बनाने, समन्वय और उत्पादनता बनाये रखने में महत्वपूर्ण एजेंसी साबित हुई है। समझौता अधिकारी के कार्य संयुक्त श्रमायुक्त, उप-श्रमायुक्त, तथा श्रम अधिकारियों, व श्रम निरीक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार सौंपे गये हैं। यदि निम्न स्तर पर समझौता करवाने में यह प्रक्रिया असफल हो जाती है तो निदेशालय स्तर उच्च अधिकारियों द्वारा उस प्रकार के विवादों/मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है।

भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियम) अधिनियम-1996 व उपकर अधिनियम-1996

12.10 इस अधिनियम के अंतर्गत जिसमें कल्याणकारी योजनायें जैसे कि मातृत्व/पैतृत्व लाभ, सेवानिवृत्ति पेंशन, अपंगता पेंशन, दाह संस्कार सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, बच्चों या अपने सदस्यों की शादी हेतु वित्तीय सहायता, महिला कामगार को साईकिल, वाशिंग मशीन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ईण्डक्शन चुल्हा या सोलर कुकर और सोलर लैम्प सभी लाभार्थियों को प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। औजार खरीदनें और भवन निर्माण/खरीद

हेतु ऋण का प्रावधान किया है। ऐसे संस्थान जहां पर 300 से अधिक भवन एवं सन्निर्माण कामगार कार्यरत हों, वहां पर बोर्ड ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण/किराये पर ले सकता है। बोर्ड इस उद्देश्य से दुलैहड़ जिला ऊना तथा जिला सोलन के घनस्रोत (नालागढ) में कामगार ट्रांजिट हॉस्टलों का निर्माण कर रहा है जबकि जिला शिमला, मण्डी, चम्बा और किन्नौर में कामगार ट्रांजिट हॉस्टलों हेतु उपयुक्त भूमि की चयन प्रक्रिया जारी है। बोर्ड भवन एवं सन्निर्माण कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत भी लाया गया है, ऐसे कामगार जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। दिनांक 31.12.2015 तक 1,678 संस्थान, 88,534 लाभार्थी पंजीकृत किये गये हैं तथा 65,738 लाभार्थियों को ₹20.25 करोड़ की राशि बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बांटी गयी है और लगभग ₹283.71 करोड़ की धनराशि हि0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास जमा हुई है।

कौशल विकास भत्ता योजना:

12.11 यह योजना हि0प्र0 सरकार को एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹100.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना का उद्देश्य हि0प्र0 के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के

माध्यम से रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने हेतु सहायता करना है। योजना के अन्तर्गत उन पात्र युवाओं, जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं को कौशल विकास भत्ता ₹1,000 प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹1,500 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।

इस वित्तीय वर्ष में, दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत 60,869 लाभार्थियों (26,748 लाभार्थी पिछले वित्तीय वर्ष से चल रहे हैं तथा 34,121 नए लाभार्थी) को ₹26.27 करोड़ की राशि वितरित कर दी गई है। योजना के प्रारम्भ होने से लेकर दिनांक 31.12.2015 तक कुल ₹68.93 करोड़ कौशल विकास भत्ता 1,07,887 अभ्यर्थियों में वितरित किया गया है।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

12.12 1.04.2015 से 31.12.2015 में कुल 1,46,741 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 262 को सरकारी क्षेत्र व 2,607 को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। विभिन्न नियुक्तियों द्वारा इस अवधि में अधिसूचित खाली स्थानों की संख्या 2,542 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 31.12.2015 तक सक्रिय पंजिका में कुल संख्या 8,08,767 थी।

जिलावार रोजगार केन्द्रों का 1.04.2015 से 31.12.2015 का कार्य निम्न सारणी संख्या 12.1 में दर्शाया गया है:-

सारणी 12.1

जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	नियोजन		सजीव पंजिका
			सरकारी	निजी	
बिलासपुर	10548	1	6	131	53241
चम्बा	9509	2	7	697	55758
हमीरपुर	11129	6	34	516	64761
कांगड़ा	34835	366	128	526	177135
किन्नौर	1398	3	0	0	9036
कुल्लु	6526	339	4	13	44490
लाहौल स्पिति	817	0	19	0	4103
मण्डी	25258	14	30	317	158038
शिमला	15249	767	11	40	76812
सिरमौर	9216	314	0	26	55992
सोलन	10382	366	1	236	51826
ऊना	11874	364	22	105	57575
हिमाचल प्रदेश	1,46,741	2,542	262	2,607	8,08,767

नोट: सेवा नियोजन आंकड़ों में वे नियोजन आंकड़े सम्मिलित नहीं है जोकि अन्य विभागों बोर्डों, निगमों एवं हि०प्र० लोक सेवा आयोग व एच० पी० एस० एस० एस० बी० द्वारा सीधे एवं प्रतियोगिता आधार पर नियोजित किये जाते है।

13. विद्युत

13.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण घटक है। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ-साथ विद्युत राजस्व उत्पादन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन-सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

13.2 जल विद्युत क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत के विकास के आर्थिक विस्तार के साथ-साथ पर्यावरण एवं सामाजिक पक्ष पर भी बल देता है। यह भी उसी तर्ज पर है जैसा हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में सम्मिलित हरित व सतत

विकास की दिशा में जलवायु परिवर्तनशील पगों को बढ़ावा देती है जो कि प्रदेश की आर्थिक विकास के मुख्य घटक हैं। वस्तुतः यह जल विद्युत के 27,436 मैगावाट क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन, बढ़ावा व विकास करने की दिशा में अनुकूल नीतियों का निर्धारण करना है। इसकी कुल क्षमता में से 24,000 मैगावाट का ही दोहन, 5 नदी घाटियों जैसे सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब व यमुना में सम्भव है। राज्य जल विद्युत के विकास को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से गति प्रदान हो रही है। जल विद्युत विकास को आवश्यक रूप से चलते बहाव पर चाहे नदियों का संगम हो या जल प्रपात पर ही बल देता चाहिए।

सारणी 13.1

विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत दोहन

क्षेत्र	क्षमता(मैगावाट)
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	487.55
केन्द्रीय/संयुक्त	7457.73
हिमऊर्जा (राज्य)	2.37
हिमऊर्जा (निजी)	260.25
निजी 5 मैगावाट से अधिक	1897.40
हिमाचल प्रदेश भाग	159.17
कुल	10264.47

13.3 सरकार ने मौजूदा क्षमता व नई क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए मै. एल.आई.आई.पी.एल. कनसल्टैन्ट से पांचो नदी घाटियों को अनुकूलन अध्ययन करवाया है ताकि शेष बची हुई क्षमता का पता लगाया जा सके। इन अध्ययनों से पता चला है कि प्रदेश में चिन्हित क्षमता 27,436 मैगावाट है, जिसमें से कि सतलुज घाटी में सबसे अधिक 13,332 मैगावाट उसके बाद व्यास घाटी में 5,995 मैगावाट, रावी घाटी में 3,237 मैगावाट, चिनाव घाटी में 4,032 मैगावाट, और यमुना घाटी में 840 मैगावाट की क्षमता है अभी तक सभी क्षेत्रों को मिलाकर 10,264 मैगावाट क्षमता का ही दोहन किया गया है।

**भौतिक व वित्तीय उपलब्धियां 1.04.2015 से 31.12.2015
और पुर्वानुमानित लक्ष्य 31.3.2016 तक (वित्त वर्ष 2015-16)
सारणी 13.2**

क्र० सं०	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियां 31.12.2015 तक	पुर्वानुमानित 31.03.2016
1	क्षमता में बढ़ोतरी	1050 मैगावाट	830 मैगावाट	76 मैगावाट
2	मुफ्त हिस्से का विद्युत विक्रय	300 करोड़	1009 करोड़	30 करोड़
3	तकनीकी एवं आर्थिक मंजूरी	40 न०	23 न०	10 न०
4	परियोजना का निरीक्षण	20 न०	09 न०	—

5 मैगावाट से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं :

13.4 अभी तक 5 मैगावाट की क्षमता से 7,666 मैगावाट की 91 परियोजनाएं निजी क्षेत्रों में आंबटित की गई है जिसमें से कि 1,897 मैगावाट क्षमता की कुल 18 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं जबकि 720 मैगावाट क्षमता की 23 परियोजनाएं निर्माण /कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है और 5,049 मैगावाट क्षमता की कुल 50 परियोजनाएं शोधन/जांच के स्तर पर हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड -

13.5 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और विभागीय योजनाएं

(i) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (10वीं व 11वीं योजना):** ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए ₹34,405.62 लाख (₹30,965.06 लाख भारत सरकार सहायता + ₹3,440.56 लाख ऋण) की आर.जी.जी.वी.वाई. योजना स्वीकृत की थी जिसमें से ₹26,118.70 लाख मै० आर.ई.सी.

(नोडल एजेंसी) द्वारा अनुदान के रूप में तथा ₹2,919.14 लाख ऋण के रूप में मार्च, 2016 तक दिए गए। दिसम्बर, 2015 तक दायित्व सहित कुल ₹32,854.63 लाख खर्च हुए हैं। जिला चम्बा के पांगी ब्लॉक की 33 के.बी.एच.टी. लाईन को छोड़ कर योजना के सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

109 विद्युत रहित गांवों (2011 की जनगणना के अनुसार) में से 9 गांवों का आर.जी.जी.वी.वाई. योजना शुरू होने से पहले ही विद्युतीकरण कर दिया था। 10 गांव तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए सम्भव नहीं है और 90 विद्युत रहित गांवों का आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कर दिया गया है।

i) आर.जी.जी.वी.वाई.(वी.पी.एल.)

लक्ष्य / उपलब्धियां:

आर.जी.जी.वाई स्कीम में 12,483 वी.पी.एल. घरों को मै० आर.ई.सी. द्वारा मुफ्त में कनेक्शन देने स्वीकृत किए थे। मार्च, 2015 तक स्कीम के अन्तर्गत 15,293 वी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

आर.जी.जी.वाई के प्रगति कार्य दिसम्बर, 2015 तक निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 13.3

क0 स0	जिला	ग्रामीण उप-भोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करवाई गई (वी.पी.एल. के सहित)	वी.पी. एल. परिवारों को बिजली उपलब्ध करवाई गई।	स्वीकृत राशि (₹लाख में)	उपलब्ध करवाई गई राशि (₹ लाख में)			31.3.15 तक खर्चा	कलोजर स्टेटस
					ग्रंट	लोन	उपलब्ध करवाई गई राशि		
1.	चम्बा	2865	1174	6634	5369	597	5966	5942	बन्द नहीं हुई
2.	सोलन	5668	1524	4619	3483	389	3871	4397	बन्द हो गई
3.	ऊना	8628	1451	2306	1735	194	1928	2165	बन्द हो गई
4.	सिरमौर	4302	1236	4939	3741	418	4159	4599	बन्द हो गई
5.	बिलासपुर	1385	322	417	347	39	386	430	बन्द हो गई
6.	हमीरपुर	1406	530	597	449	50	499	613	बन्द हो गई
7.	कांगडा	11208	3362	2655	1959	222	2181	2896	बन्द हो गई
8.	मण्डी	7342	2398	3366	2526	283	2809	3158	बन्द हो गई
9.	शिमला	4914	2266	5194	3862	432	4294	5057	बन्द हो गई
10.	कुल्लू	2905	874	777	593	66	659	890	बन्द हो गई
11.	लाहौल- स्पिति	753	118	1324	1017	113	1131	1215	बन्द हो गई
12.	किन्नौर	850	38	1578	1039	115	1154	1493	बन्द हो गई
कुल		52226	15293	34406	2611	2919	29038	32855	

(ii) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना(DDUGJY):-

ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने 3.12.2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) की शुरुआत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण करने के लिए की है:-

- क) परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए विवेकपूर्ण तरीके से सुविधाजनक बनाने के कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग करेगी।
- ख) फीडरों को अलग करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि

उपभोक्ताओं और गैर कृषि उपभोक्ताओं को निरन्तर बिजली आपूर्ति करने के लिए है।

- ग) परियोजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उप-संचार और वितरण (ST&D) के बुनियादी ढाँचे को मीटरिंग, वितरण ट्रांसफार्मर तथा उपभोक्ताओं सहित मजबूत और सम्वर्धन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्ता बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है।

- घ) वर्तमान आर.जी.जी.वी.वाई. प्रोग्राम को 12वीं और 13वीं योजना में जारी रखने के लिए जोकि CCEA द्वारा भी अनुमोदित किया गया है यह परियोजना अलग से एक

ग्रामीण विद्युतीकरण घटकों के रूप में सम्मिलित हो जाएगी जिसके लिए CCEA ने इस स्कीम की लागत ₹39,275 करोड़ स्वीकृत की है जिसमें वित्तीय सहायता ₹35,447 करोड़ है। इस लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम योजना की नई स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कीम के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹43,033 करोड़ की लागत, जिसमें ₹33,453 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा है।

तदनुसार उपरोक्त उद्देश्यों के लिए परियोजना हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों जिसमें 35 विद्युतरहित गांव तथा 14,088 ग्रामीण घर, 3,288 बी.पी.एल. घरों के विद्युतीकरण के लिए एच.पी.एस.ई.बी.लि. द्वारा तैयार की है। योजना भारत सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति के अनुमोदन के अनुसार विभागीय आधार पर कार्यान्वयन की जा रही है। निगरानी समिति द्वारा ₹159.12 करोड़ की योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

(iii) पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0)

पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर.-ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत योजनाएं दो भागों में कार्यान्वित की जाएंगी।

भाग—अ

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को 15

प्रतिशत तक परियोजना क्षेत्रों में कम करने के लिए पुनर्गठित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम चालू किया है। यह कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित है, भाग (क) में तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे की जांच करने के लिये विभिन्न परियोजनाएं जैसे: आधारभूत आंकड़े स्थापित करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां जैसे: मीटर आंकड़े एकत्रण, मीटर अध्ययन, बिल बनाना, संग्रहण, जी.आई.एस., एम.आई.एस. ऊर्जा ऑडिट, नए कनेक्शन, कनेक्शन काटना, ग्राहक देख-रेख सेवाएं, वेब आधारित सेवाएं इत्यादि। भाग (ख) में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

ऊर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 14 पात्र कस्बों की विस्तृत परियोजना विवरण के आधार पर अगस्त, 2010 में ₹ 96.40 करोड़ की राशि मंजूर की है। आर. ए.पी.डी.आर.पी. भाग (क) के अन्तर्गत परियोजना के लिए कुल लागत ₹128.46 करोड़ है। शेष राशि का प्रबन्ध स्वयं निधि द्वारा करना है। भारत सरकार ने पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.) को इस कार्यक्रम के लिये नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

आर.-ए.पी.डी.आर.पी. (क) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बे अर्थात् शिमला, सोलन, नाहन, पाँटा, बददी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, ऊना और योल निधिकरण के लिए योग्य पाये गये और इसकी सहायता से मीटर आंकड़े एकत्रण प्रणाली, ऊर्जा ऑडिट, आइडेंटिटी एवं एसेस मैनेजमेंट प्रणाली, बिज़नेस इंटीलिजेंस एवं डाटा वेयर हाऊसिंग युक्त मैनेजमेंट

सूचना प्रणाली, इन्टरप्राइज मैनेजमेंट प्रणाली एवं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रणाली जो कि हार्डवेयर का भाग है।

सलाहकार/कार्यान्वयन संस्था का चयन

मै0 टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टैंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को मै0 वयाम टेकनोलोजी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से आई. टी. सलाहकार के रूप में 31 जुलाई, 2009 ₹39,70,800 की लागत से चयन किया गया। आई.टी. सलाहकार का उद्देश्य संभावना विवरण बनाने, बोली दस्तावेज/बोली प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन पर नजर रखने में एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड की सहायता करना है।

मै0 एच.सी.एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएडा को आई. टी. कार्यान्वयन शाखा के रूप में 30.08.2010 को कुल लागत ₹99.14 करोड़ के साथ आवंटन किया गया था जिसे बाद में ₹ 99.13 करोड़ पर संशोधित किया है।

नवीनतम स्थिति एवं समापन सारणी:

- डाटा सेंटर, शिमला में चालू किया जा चुका है।
- डिजास्टर रिकवरी सेंटर, पाँवटा साहिब में चालू हो गया है।
- हि.प्र. रा.वि.प.लि. ने जुलाई, 2014 में 14 कस्बों को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष लाइव घोषित कर दिया है।
- डाटा सेंटर का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (UAT) पूर्ण कर लिया है।
- TPIEA आई. टी. ने डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर, उपमंडल

कार्यालयों तथा 14 कस्बों के दूसरे कार्यालयों का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया है और इनकी अन्तिम रिपोर्ट आपेक्षित है जिसकी शीघ्र ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

कार्यक्रम से अपेक्षित लाभ:

आर-ए.पी.डी.आर.पी. भाग (क) योजना का मुख्य उद्देश्य घाटे को नियंत्रित करना है तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निरन्तर सही आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, ऊर्जा ऑडिट के क्षेत्र में एक विश्वसनीय एवं स्वचालित पद्धति को स्थापित करना है।

भाग-ख

हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बों बदी, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, पाँवटा साहिब, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर, ऊना और योल की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा होने के कारण यह कस्बे आर-ए.पी.डी.आर.पी. (भाग-ख) के अधीन रखे गए हैं। इन कस्बों के लिए योजना में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, और 11के0वी0 तथा 22 के0वी0 स्तर के उपकेन्द्रों, ट्रांसफारमरों /ट्रांसफारमर केन्द्रों, 11 के0वी0 और एल0टी0 लाईनों का पुनःसंचालन, लोड का विभाजन, फीडर विभाजन, लोड संतुलन, एच.वी.डी.एस. (11के.वी.), एरियल बन्ड कन्डकटोरिंग विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मीटरों की टैंपरप्रूफ मीटरों के साथ प्रतिस्थापना, कपैस्ट्र बैंक की स्थापना, चलते-फिरते सर्विस केन्द्र और 33 के.वी. या 66 के.वी. प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रावधान है।

शुरू में आर-ए.पी.डी.आर.पी. (भाग-ख) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश

के सभी 14 कस्बों के लिए ₹322.18 करोड़ (भारत सरकार से ₹289.97 करोड़) मै0 पॉवर फाईनैस कार्पोरेशन / ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए थे। 66/11 के.वी. उप केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता न होने के कारण और सम्बन्धित 66 के.वी. लाईनों के मार्गाधिकार की समस्या के चलते बददी तथा शिमला कस्बों की योजनाओं को संशोधित किया गया। शिमला और बददी कस्बों की संशोधित आर-ए.पी.डी.आर.पी. (भाग-ख) की डी.पी.आर. के लिए मै0 पॉवर फाईनैस कार्पोरेशन ने कमशः ₹120.34

करोड़ और ₹84.10 करोड़ की राशि दिनांक 08.02.2012 को स्वीकृत कर दी थी और योजना के लिए स्वीकृत प्रारम्भिक राशि ₹322.18 करोड़ (ऋण की राशि ₹289.97 करोड़) को ₹338.97 करोड़ (ऋण की राशि ₹305.07 करोड़) पर संशोधित किया गया।

शुरू में मै0 पी.एफ.सी. द्वारा इन 14 कस्बों के लिए ₹101.68 करोड़ की पहली किस्त अग्रिम राशि के रूप में जारी की है।

कस्बावार आर-ए.पी.डी.आर.पी. भाग (ब) की योजनाओं की स्वीकृति स्थिति निम्न प्रकार से है:

सारणी 13.4

क्र० सं०	कस्बे का नाम/ परियोजना क्षेत्र	लोन (₹करोड़ में)	काउंटर पार्ट लोन(₹करोड़ में)	परियोजना की कुल लागत ₹करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य
1	बददी	75.69	8.41	84.10	दिसम्बर, 2016
2	बिलासपुर	1.87	0.21	2.08	दिसम्बर, 2016
3	चम्बा	2.64	0.29	2.93	कार्य पूर्ण
4	धर्मशाला	9.28	1.03	10.31	दिसम्बर, 2016
5	हमीरपुर	5.81	0.65	6.46	लगभग कार्य पूर्ण
6	कुल्लू	6.66	0.74	7.40	कार्य पूर्ण
7	मण्डी	17.32	1.92	19.24	दिसम्बर, 2016
8	नाहन	5.46	0.61	6.07	कार्य पूर्ण
9	पॉवटा सहिब	32.97	3.66	36.63	दिसम्बर, 2016
10	शिमला	108.30	12.04	120.34	दिसम्बर, 2016
11	सोलन	20.32	2.26	22.58	दिसम्बर, 2016
12	सुन्दरनगर	5.90	0.65	6.55	दिसम्बर, 2016
13	ऊना	6.58	0.73	7.31	कार्य पूर्ण
14	योल	6.27	0.70	6.97	दिसम्बर, 2016
	कुल	305.07	33.90	338.97	

इस योजना में उन शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है जहां पर सकल तकनीकी

एवं वाणिज्यिक हानि (AT & C loss) को 15 प्रतिशत से नीचे लाया जाता है। इस उद्देश्य हेतु अधिकतम राशि आर.-ए.पी.डी.

आर.पी. (भाग-ख) परियोजना के 2 प्रतिशत के बराबर आबंटित किया गया है। 14 कस्बों के लिए ₹9.76 करोड़ की प्रोत्साहन योजना भी आर.-ए.पी.डी.आर.पी. (भाग-ख) के अंतर्गत मै0 पी.एफ.सी.लि. द्वारा संचालन समिति की 24वीं बैठक में स्वीकृत की गई है।

समकक्ष वित्तपोषण के लिए (कुल परियोजना का 10 प्रतिशत) ₹33.90 करोड़ की प्रस्तावित राशि बोर्ड निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई थी तदनुसार इसे मै0 पी.एफ.सी.लि. द्वारा दिनांक 22.06.2012 को स्वीकृत किया गया। दिनांक 19.12.2013 को मै0 पी.एफ.सी. लि. व हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के बीच विद्युत भवन शिमला में समकक्ष वित्तपोषण के लिए इकशर ज्ञापन और गिरवीनामा हस्ताक्षरित किये गये।

सिविल कार्य और अन्य घटक के वित्तपोषण के लिए जो कि आर.ए.पी.डी.आर.पी. (भाग-ख) के कार्यान्वयन के जरूरी है की प्रस्तावित प्रारंभिक राशि ₹65.53 करोड़ (ऋण सहायता ₹59 करोड़) जो कि बाद में 49.29 करोड़ की ऋण सहायता के लिए गिरवी के लिए परिसंपत्ति की अनुपलब्धता के कारण संशोधित की गई और हाल ही में दिनांक 22.9.2015 को मै0 पी.एफ.सी. द्वारा स्वीकृत की गई है। 28.9.2015 को आर.ए.पी.डी.आर.पी. (भाग-ख) के तहत सिविल कार्यों व अन्य घटकों के लिए मै0 पी.एफ.सी.लि. और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के बीच में ऋण दस्तावेज हस्ताक्षरित किये गये हैं और 30.9.2015 को ₹18.40 करोड़ की धनराशि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई है। पांच कस्बों

का कार्य जैसे कि चम्बा, नाहन, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर (कुछ मामूली कार्यों को छोड़कर) लगभग पूरा हो गया है। अब तक भारत सरकार के ऋण और समकक्ष ऋण घटकों के रूप में मै0 पी.एफ.सी. लि. द्वारा ₹122.96 करोड़ (भारत सरकार के ऋण के रूप में) व ₹27.67 करोड़ समकक्ष ऋण के रूप में जारी किये गये हैं। अभी तक मै0 पी.एफ.सी. लि. द्वारा भारत सरकार के ऋण और समकक्ष ऋण घटकों के रूप में कुल ₹150.63 करोड़ जारी किये हैं। दिनांक 30.11.2015 तक 14 कस्बों में कुल ₹199.00 करोड़ खर्च किये गये हैं।

9 कस्बों बददी, बिलासपुर, धर्मशाला, मण्डी, पांवटा साहिब, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर और योल में कार्य प्रगति पर हैं तथा दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण होने सम्भावित हैं।

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आई. पी.डी.एस.):—

शहरी घरों के विद्युतीकरण के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3.12.2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना शुरू की गई। आई.पी.डी.एस. परियोजना के तहत निम्नलिखित उद्देश्य हैं:—

- क) ये परियोजनाएं सरकारी भवनों पर सौर पैनलों, व मीटरिंग के प्रावधानों सहित शहरी क्षेत्रों में सब ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगी।
- ख) ये परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, फीडरों/ वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग भी करेगी।
- ग) यह परियोजना, आर.ए.पी.डी.आर.पी. के प्रावधानों को, जिन्हे 12 वीं और 13वीं

योजना के लिए आर.ए.पी.डी.आर.पी. के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 21.6.2013 को सी.सी.ई.ए. की मंजूरी के अनुसार, पूरा करने व आर.ए.पी.डी.आर.पी. को आई.पी.डी.एस. के साथ आगे ले जाते हुए, वितरण क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और वितरण प्रणाली को मजबूत करेगी।

हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के 12 वृत्तों (54 शहरी कस्बों 2011 की जनगणना के अनुसार) को एकीकृत बिजली विकास योजना के तहत रखा गया है। केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति से अनुमोदन के लिए 12 वृत्तों की ₹115.43 करोड़ की

डी. पी.आर. मै0 पी.एफ.सी. को प्रस्तुत की गई है। केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति ने ₹110.60 करोड़ और ₹0.55 करोड़ (परियोजना लागत का 0.05 प्रतिशत) हिमाचल प्रदेश के 12 सर्कलो की डी. पी. आर. व परियोजनाप्रबंधक एजेंसी के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। परियोजना प्रबंधक एजेंसी के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड ने मै0 वैपकोस लिमिटेड को 9.09.2015 को आई0 पी0 डी0 एस0 परियोजना का कार्य अर्वाइड किया है। दिसम्बर, 2015 में त्रिपक्षीय समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड और मै0 पी0एफ0सी0 लि0 के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

सर्कल बार सिद्धान्तिक अनुमोदित लागत सारणी-ख में नीचे दी गये है:-

सारणी 13.5

क्र० सं०	वृत्त का नाम	कस्बों की संख्या	कवर किये गये कस्बों का नाम	मूल्य निरूपित लागत(₹करोड़ में)
1	बिलासपुर	5	बिलासपुर, सुन्दरनगर, धुमारवीं और तलाई, श्री नैना देवी	8.83
2	डलहौजी	5	चंबा, डलहौजी, चुवाड़ी खास, नुरपुर और बकलोह	3.63
3	हमीरपुर	5	हमीरपुर, भोटा, नादौन, टिहरा सुजानपुर और ज्वालामुखी	3.96
4	कांगडा	6	कांगडा, धर्मशाला, योल, देहरा गोपीपुर, पालमपुर और नगरोटा बगवां	14.27
5	कुल्लू	4	कुल्लू, मनाली, बन्जार और भुन्तर	14.09
6	मण्डी	4	मण्डी, जोगिन्द्रनगर, रिवालसर और सरकाघाट	4.89
7	नाहन	3	नाहन, पांवटा-साहिब और राजगढ़	3.00
8	रामपुर	2	रामपुर और नारकंडा	10.81
9	रोहडू	4	रोहडू, चौपाल जुब्बल और कोटखाई	13.21
10	शिमला	3	शिमला, ठियोग और सुन्नी	7.56
11	सोलन	8	सोलन, बददी, अर्की, स्पादू, परमाणू, कसौली, डगसाई और नालागढ़	14.22
12	ऊना	5	ऊना, मैहतपुर, गगरेट, संतोखगढ़ और	12.13
कुल		54		110.60

13.6 आई.टी.पहल:

i) जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित परिसम्पति मानचित्रण, उपभोक्ता इंडेक्सिंग एवं एच. पी. एस.ई.बी.एल. की सम्पति के मूल्यांकन सहित एच.पी.एस.ई.बी. एल. के स्थाई परिसंपति लेखा को तैयार करना, जी.आई.एस. पैकेज कहा जाता है।

● एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड में पूरे बोर्ड का जी. आई. एस./जी.पी. एस. आधारित उपभोक्ता अनुक्रमण सहित सम्पति मानचित्रण और एच. पी.एस.ई.बी.एल. के पूर्ण सम्पति का मूल्यांकन, करने का निर्णय लिया था, जिसको बोर्ड के नवीनतम बैलेंस शीट के साथ उचित मिलान के बाद उत्पादन, संचालन और वितरण खण्डों के लिए इनके वर्तमान मूल्य के आधार पर स्थाई सम्पति पंजिका को तैयार किया जाएगा।

● परियोजना के भाग- I को पहले ही दिसम्बर, 2011 के अन्त में पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना के भाग-II के अन्तर्गत तीनों फर्मों ने फील्ड सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया है। फर्मों द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट एच.पी.एस.ई.बी. एल. बोर्ड के सम्बंधित कार्यालयों में स्वीकृति के लिए भेज दी है।

(ii) कम्प्यूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज)

नवीनतम स्थिति:-

कम्प्यूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी. आर.पी.) के तहत विद्युत मन्त्रालय (एम.ओ. पी.) द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत परिचालन उपमण्डलों की गतिविधियाँ जैसे कि पूर्व बिलिंग कियाएं, बिलिंग कियाएं, डाक बिलिंग कियाएं, कानूनी एवं सतर्कता गतिविधियाँ उपमण्डल स्तर पर स्टोर प्रबन्धन, ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन, विद्युत नैटवर्क प्रबन्धन और ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा और प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) को कम्प्यूटरीकृत करना है। मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएडा को कुल लागत ₹3,057.88 लाख का आवंटन किया गया है। परियोजना 27 मण्डलों के 128 उपमण्डलों और 12 वृत्तों जिनमें 12 लाख से अधिक उपभोक्ता है, में लागू किया गया है।

(iii) 61 विद्युत उपमंडलों में एस.ए. पी. आधारित कम्प्यूटरीकृत बिलिंग:-

विभिन्न विद्युत उप-मण्डलों में कम्प्यूटरइज बिलिंग के कार्यान्वयन के दौरान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड प्रबन्धन द्वारा बिलिंग के लिए मानक मंच में जाने का निर्णय लिया है। ई. आर.पी. परियोजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा SAP के विभिन्न मॉड्यूलज़ का कार्यान्वयन किए जा रहे हैं। अतः विभिन्न प्लेटफार्मों की हैंडलिंग से बचने के लिए बचे हुए 61 विद्युत उप-मण्डलों में कम्प्यूटरइज बिलिंग को SAP प्लेटफार्म के आधार पर स्वीकृत की है। SAP बिलिंग को 61 नए विद्युत

उप-मण्डलों में कार्यान्वयन के लिए यह कार्य मै0 टी. सी. एस. लि. को जुलाई, 2015 में ₹16.47 करोड़ में आबाई किया गया है।

आबाई के अनुसार यह कार्य 15 महीने में करना होगा और कम्पनी ने प्रणाली की आवश्यकता, आंकड़े जुटाने का अध्ययन करने इत्यादि को अन्तिम रूप देने के लिए अपनी टीम को तैनात किया है। इसमें 350 उपभोक्ताओं जिनका कनेक्टड लोड 100 किलोवॉट से ऊपर है का ए.एम. आर. (स्वाचालित मीटर रीडिंग) के लिए प्रावधान है।

(iv) उद्यम संसाधन योजना (ई.आर. पी.) का हि. प्र. रा. वि. प. लि. में कार्यान्वयन:-

ई.आर.पी. परियोजना के तहत हि.प्र.रा. वि.प.लि. के निम्नलिखित कार्यों को पूरी तरह से स्वचालित किया जाएगा:-

- क) वित्तीय प्रबन्धन और लेखा।
- ख) मानव संसाधन प्रबन्धन पेरोल सहित
- ग) परियोजना प्रबन्धन
- घ) सामग्री प्रबन्धन
- ङ) रख-रखाव प्रबन्धन
- च) उपलब्धता के आधार पर टैरिफ एम.आई.एस. उद्देश्य के लिए वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए डैश बोर्ड भी उपलब्ध होगा। परियोजना की कुल लागत लगभग ₹24.00 करोड़ है। इस कार्य को मै0 टी.सी.एस. को अबाई किया गया है। अभी तक हि0प्र0रा0 वि.प.लि. के निम्नलिखित कार्यालयों में ई.आर.पी. के अन्तर्गत SAP को चालू किया गया है।

- मुख्यालय विद्युत भवन, शिमला
- परिचालन वृत्त शिमला (विद्युत मण्डल-I,II व शहरी विद्युत

मण्डल) सोलन, नाहन, रोहडू तथा रामपुर।

- परियोजना हि.प्र. रा.वि.प.लि. की सभी इकाइयों में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन की जा रही है तथा दक्षिण क्षेत्र में यह कार्य पूर्ण कर लिया है और ट्रांसमिशन विंग को मार्च, 2016 SAP, ई.आर.पी. प्रणाली से चालू कर दिया जायेगा।

(v) हिमाचल प्रदेश के काला अम्ब में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजना का कार्यान्वयन :-

स्मार्ट ग्रिड परियोजना उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढांचा प्रणाली AMI पीक लोड प्रबन्धन प्रणाली (PLM) और आऊटेज प्रबन्धन प्रणाली(ओ.एम.एस.) स्थापित करेगा। परियोजना के अन्तर्गत आपूर्ति के साथ साथ सम्पूर्ण AMI की स्थापना, परीक्षण और चालू करना, ओएमएस और पीएलएम जिसमें स्मार्ट मीटर भी शामिल, वितरण ट्रांसफार्मर निगरानी ईकाई डी.टी.एम.यू., रिमोट टर्मिनल इकाइयों,एम.डी.ए.एस., एम. डी.एम., पी.एल.एम., ओ.एम.एस., एस.सी.ए. डी.ए. प्रणाली, संचार प्रणाली, नियन्त्रण केन्द्र के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, रिले की प्रतिस्थापना आदि सहित नियन्त्रण केन्द्र की स्थापना। सी.आई.एस. मैपिंग और आई.वी.आर. प्रणाली जो पहले से ही ओ. एम.एस. और ए.एम.आई प्रणाली ई.आर.पी. (SAP) जोकि कार्यान्वयन के अधीन है के साथ एकीकरण किया जाएगा। स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन से पीक फाल्ट में कमी, आऊटेज में कमी, उपभोक्ता के प्रति वचनबद्धता और सन्तुष्टि में सुधार से प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार होगा और उन्नत मीटरिंग ईम्प्लिमेंटेशन अधोसंरचना (AMI), मांग पक्ष प्रबन्धन (DSM) और

जी.आई.एस. अधारित आउटेज प्रबन्धन पद्धति के कार्यान्वित से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड के समग्र वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, काला अम्ब में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजना के कार्यान्वयन कर रहा है। विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विद्युत मन्त्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार मै0 पी.जी.सी.आई.एल. को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड का इस परियोजना के लिए Advisor cum consultancy services provider नियुक्त किया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य M/s Alstom T&D India Pvt. Ltd. और M/s Genus Power Infrastructure Ltd. को फरवरी, 2015 में ₹24.99 करोड़ में आवार्ड कर दिया गया है तथा आवार्ड के अनुसार यह कार्य 18 महीने में पूर्ण करना होगा।

वर्तमान स्थिति:-

- कम्पनी द्वारा पांवटा साहिब में कार्यालय खोल दिया गया है।
- परियोजना को पूर्ण करने के कार्यक्रम को स्वीकृत एवं अन्तिम रूप दे दिया गया है।
- कंट्रोल रूम की लेआउट को अन्तिम रूप दे दिया गया है।
- 258 स्मार्ट मीटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और मीटर डाटा, बिलिंग डाटा, टैपर अलर्ट और अलार्म इत्यादि देना शुरू कर दिया है। स्मार्ट

मीटर के सभी लक्षणों की रिमोट से आप्रेंट किया जा सकता है।

- श्री फेज़ आप्रेंटिड मीटरज, CT/PT आप्रेंटिड मीटर, CT आप्रेंटिड मीटर योग्य CT के साथ और फीडर मीटर का निरीक्षण दिनांक 4.11.2015 से 6.11.2015 में कर दिया गया है। इन 1,104 मीटर की आपूर्ति कर दी गई है तथा जल्दी ही स्थापित कर दिए जाएंगे।
- DMTU, FPI, ऑटो रिक्लोजर विस्तृत इन्जनीयरिंग और कार्यस्थल सर्वे प्रगति पर है। कन्ट्रोल सेंटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर DRS की आपूर्ति अन्तिम चरण में है।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड में नई आई0टी0 पहल:-

अ)आर:-ए.पी.डी.आर.पी.अगला चरण
ऊर्जा मंत्रालय आर.-ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम का एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत अगले चरण हेतु विस्तार पर विचार कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र कस्बों हेतु आवश्यक मूल्यांकन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है तथा भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि के अनुसार कार्यान्वित किये जाएंगे।

13.7 विभाग की भविष्य योजनाएं

- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व

संवर्धन, संचार व वितरण हानियों को कम करना।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड के अधीन

• उहल चरण –III हाईड्रो विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

परियोजना के नेरी खड्ड इनटेक, राणा खड्ड इनटेक, सर्ज शाफ्ट तथा भण्डारण जलाशय के निर्माण कार्य पूरे कर लिये गए हैं। पैनस्टाक तथा पावर हाऊस के कार्य सिविल कार्यों सहित (कुछ छुट-पुट कार्यों को छोड़ कर) भी पूर्ण कर लिए गए हैं।

परियोजना के कार्य बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हैं जो कि अपर्याप्त संचार व्यवस्था, कमजोर भू-संरचना, प्रवेश द्वार से मुख्य सुरंग का निर्माण रेतीले पत्थरों, मिट्टी युक्त पत्थरों व कंकरीले पत्थरों के साथ भारी मात्रा में पानी के प्रवाह से मिश्रित हैं। ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी गति व ठीक ढंग से कार्य न करने के कारण मुख्य सुरंग की संविदा को दो बार निरस्त करना पड़ा, तदोपरान्त शेष कार्य ठेकेदार को दिनांक 15.10.2010 को अवारड किया गया। मुख्य सुरंग की खुदाई

का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है तथा कंकरीट लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है। इस पैकेज का सम्पूर्ण कार्य जुलाई, 2016 तक पूरा होना प्रस्तावित है। ईलैक्ट्रो-मैकेनिकल के सामान की सप्लाय का कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा 97 प्रतिशत ईरैक्शन का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत दिसम्बर, 2012 के मुल्यों पर आधारित ₹1,281.52 करोड़ आंकी गई है। चुलाह से बस्सी 132KV Single Circuit (15.288KM) चुलाह से हमीरपुर Double Circuit (34.307 KM) ट्रांसमिशन लाईन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अक्टूबर, 2015 तक परियोजना के विभिन्न कार्यों पर ₹1,190.63 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। परियोजना के अक्टूबर, 2016 तक चालू होने की सम्भावना है।

• नई परियोजनाएं:

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को साई कोठी-1 (15 मै0वा0), साई कोठी-2 (16.5 मै0वा0), देवी कोठी (16 मै0वा0), हेल (18 मै0वा0) और रायसन (18 मै0वा0) कार्यन्वयन हेतु आंबटित की गई हैं जिनकी निर्माण पूर्व गतिविधियों के कार्य प्रगति पर हैं।

हि. प्र. पा. का. लि. के अधीन परियोजनाएं :

सारणी 13.6

13.8

हि. प्र. पा.का.लि. के अधीन परियोजनाएं:-

क्र०स०	परियोजना का नाम	क्षमता (मै०वा०)
क) निष्पादित परियोजनाएं (राज्य भाग)		
1.	साबड़ा कुड़डू जल विद्युत परियोजना	111
2.	कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण-I)	65
3.	कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण-II & III)	130
4.	सैज जल विद्युत परियोजना	100
5.	शाँग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
	योग(क)	856
ख) अन्वेषित परियोजनाएं (राज्य भाग)		
1.	चिढ़गांव मझगांव जल विद्युत परियोजना	60
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण-I)	48
3.	जिस्पा जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्त्व की)	300
4.	सुरगानी-सुन्दला जल विद्युत परियोजना	48
5.	नकथान जल विद्युत परियोजना	460
6.	थाना पलोन जल विद्युत परियोजना	191
7.	त्रिवैणी महादेव जल विद्युत परियोजना	78
8.	रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्त्व की)	40
9.	दियोथल चान्जू जल विद्युत परियोजना	30
10.	चान्जू -III जल विद्युत परियोजना	48
11.	धमवारी सून्डा जल विद्युत परियोजना	70
	योग(ख)	1,373
ग) प्रारम्भिक सम्भाव्य चरण परियोजनाएं		
1.	छोटी सायचू जल विद्युत परियोजना	26
2.	सायचू साच खास जल विद्युत परियोजना	117
3.	लुजाई जल विद्युत परियोजना	45
4.	सायचू जल विद्युत परियोजना	58
5.	खाब जल विद्युत परियोजना	636
	योग(ग)	882
कुल योग (क+ख+ग)		3,111

हि० प्र० पा० का० लि० के द्वारा निर्माणाधीन/ निष्पादनाधीन परियोजनाएं:

1. साबड़ा कुड़डू जल विद्युत परियोजना (111 मै०वा०)

- साबड़ा कुड़डू जल विद्युत परियोजना (111 मै०वा०) रोहडू के समीप शिमला जिला में पब्वर नदी पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना के एच.आर.टी.

पैकेज को छोड़ कर वित्त पोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया गया है। एच.आर.टी. पैकेज का वित्त पोषण पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना से 385.78 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होगी।

- इस परियोजना के एच.आर.टी. में भूगर्भीय परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं जिसका तकनीकी समाधान मिल गया है। एच.आर.टी. पैकेज के पुनः टैंडर की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है और यह कार्य मै0 एच.सी.सी.लि. 25.11.2014 को सौंप दिया गया है। इस परियोजना को दिसम्बर, 2017 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना कशांग और कैरांग नालों (जोकि सतलुज नदी की उपनदियां) है पर निम्न चार अवस्थाओं में बनाया जा रहा है:-

- **चरण-I(65 मै0वा0):** प्रथम चरण में कशांग नाले का पानी मोड़कर कुल 830 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके सतलुज नदी के दाहिने किनारे पुवारी गांव में भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 245.80 लाख मिलियन यूनिट ₹2.85 प्रति यूनिट दर पर उत्पादन किया जाएगा।

- **चरण-II एवं III (130 मै0वा0):** प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केरांग धारा का पथांतरण कर भूमिगत जल परिचालक तंत्र द्वारा प्रथम चरण की उपरी धारा में सम्मिलित कर प्रथम चरण की उपलब्ध 820 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 790.93 लाख मिलियन यूनिट 1.81 प्रति यूनिट का उत्पादन किया जाएगा।

- **चरण-IV(48 मै0वा0):** यह योजना मूलतः स्वतंत्र योजना है जिसमें केरांग धारा की संभावित उर्जा को द्वितीय चरण के पथांतरण जगह की उपरी धारा से प्राप्त किया जाएगा। इस योजना में लगभग 300 मी0 ऊंचाई का उपयोग कर केरांग धारा के दाहिने किनारे भूमिगत विद्युतगृह बनाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना की प्रथम इकाई को मार्च, 2016 और दूसरी इकाई को मई, 2016 में चालू कर दिया जाएगा।

3. सैज जल विद्युत परियोजना (100 मै0वा0)

सैज जल विद्युत परियोजना का विकास कुल्लू जिला में सैज नदी पर किया जा रहा है, जोकि ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना में बांध के पानी को मोड़कर जो सैज नदी पर निहारनी गांव के समीप है का कुल 409.60 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके सैज नदी के दाहिने किनारे पर सूढ गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में

प्रति वर्ष 322.23 लाख यूनिट ₹3.74 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी. विधि द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना की प्रथम इकाई जून, 2016 और दूसरी इकाई जुलाई, 2016 में चालू कर दिया जाएगा।

4. शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना (450 मै0वा0)

शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर जिला किन्नौर में पोवारी गांव के पास स्थित है और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रली गांव के समीप भूमिगत विद्युतगृह में कुल 129 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 1,579 लाख यूनिट ₹3.98 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी. विधि द्वारा निर्मित की जा रही है। इस परियोजना का सिविल और जल-यांत्रिक पैकेज अगस्त, 2017 और ई.एण्ड.एम पैकेज को जनवरी, 2020 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

ई.पी.सी. प्रणाली पर सिविल और एच0एम0 निर्माण हेतु कार्य पटेल इंजीनियरिंग को प्रदान किया गया है। एच.आर.टी. के एडिट इंजीनियरिंग द्वारा पहला विस्फोट दिनांक 27.12.2013 को कर दिया था। ई0 एंड एम0 कार्यों के लिए एल.ओ.ए. एंड्रिज हाईड्रो प्राइवेट लि. को दिनांक 4.03.2015 को प्रदान किया गया है। सभी स्तरों पर परियोजना का काम पूरे जोरों पर है।

5. रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना (40 मै0वा0):

रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना जो ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर ऊंची चट्टान से पानी गिराकर छोर पर विद्युत गृह बनाया जाएगा। इसके जलाशय में 49,800 हैक्टर मीटर पानी का संग्रह सुनिश्चित किया जाएगा तथा जिसमें से 23 क्युमिक्स मीटर पानी दिल्ली को स्थिर आपूर्ति के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रति वर्ष 199.99 मिलियन यूनिट ₹2.38 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिए करेगा। परियोजना की संशोधित लागत मार्च, 2015 के मूल्य स्तर पर ₹5,242.89 करोड़ अनुमानित की है। परीक्षा हेतु केन्द्रीय जल आयोग की दिनांक 01.05.2015 को प्रस्तुत की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ई. एण्ड एम. कार्यों (मार्च, 2015 के मूल्य स्तर पर) की लागत ₹108.71 करोड़ तथा ट्रांसमिशन कार्यों की लागत ₹11.74 करोड़ को मंजूरी दे दी है। पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दिनांक 23.10.2009 को प्रदान की गई है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलिय प्राधिकरण / नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में चुनौती दी गई है। परियोजना के वन क्लीयरेंस अनुमोदन के उन्नत चरण है। पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा धारा-2 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धांतिक मंजूरी रेणुकाजी बांध

परियोजना के निर्माण हेतु 909.00 हेक्टेयर वन भूमि (मूलतः 901.10 हेक्टेयर प्रस्तावित) का पथांतरण मै0 हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पक्ष में प्रदान कर दी।

6. थाना पलोन परियोजना (191 मै0वा0)

थाना पलोन जल विद्युत परियोजना की परिकल्पना हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में ब्यास नदी पर 107 मीटर ऊंचे रोलर जमा कंकरीट गुरुत्वाकर्षण बांध के रूप में की गई है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 668.07 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है। ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन के संचालन हेतु संशोधित टी. ओ.आर. पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की स्वीकृति दिनांक 05.06.2014 को प्राप्त हुई है। ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून द्वारा किया जा रहा है। नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 हिमाचल प्रदेश सरकार ने परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि के पथांतरण का प्रस्ताव ऑनलाइन रूप में दिनांक 07.12.2015 को स्वीकार कर लिया गया है। इंडो जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत के.एफ.डब्ल्यू, जर्मनी ने थाना पलोन जल विद्युत परियोजना के वित्तोषण के लिए सहमत हो गया है और 200 मिलियन यूरो का ऋण और ₹15.00 लाख यूरो का अनुदान की वित्तीय सहायता हेतु के.एफ.डब्ल्यू के साथ करार अग्रिम चरण में है। टेन्को आर्थिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया विभिन्न सरकारी संस्थाओं से उन्नत चरण है।

7. सुरगानी सुन्दला जल विद्युत परियोजना (48 मै0वा0)

इस परियोजना की परिकल्पना बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना का टेल पानी के उपयोग द्वारा की गई है ताकि 48 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सके। इस परियोजना की बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना के साथ मिलकर संचालित करने की योजना बनाई गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEAC) द्वारा टी ओ आर कर मंजूरी दिनांक 13.10.2011 को दी गई है। ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. का अध्ययन (ICFRE) देहरादून द्वारा किया जा रहा है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक वन (केन्द्रीय) भारत सरकार द्वारा 32.91 हेक्टेयर वन भूमि के पथांतरण के लिए पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी दिनांक 15.07.2013 को प्रदान की गई है। टैक्नो आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी.) ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 20.10.2012 को प्रदान की है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 209.60 मिलियन यूनिट उर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है। ए.डी.बी. से इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया है।

8. चान्जू-III जल विद्युत परियोजना (48 मै0वा0)

चान्जू जल विद्युत परियोजना का विकास चम्बा जिला में रावी बेसिन में चान्जू नाले पर किया जा रहा है जो कि बैरा नदी की एक सहायक नदी है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 176.19 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव

आकलन प्राधिकरण द्वारा टी.ओ.आर. कर मंजूरी दिनांक 26.10.2013 को दी गई है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन/ पर्यावरण प्रबंधन योजना के सम्पादक हेतु कार्य जल संसाधन मंत्रालय के अर्न्तगत मै0 वैपकोस को दिनांक 16.01.2014 को प्रदान कर दिया है। (AFD) फ्रैंच विकास एजेंसी द्वारा इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया है। टैकनो आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी) ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 14.07.2015 को प्रदान कर दी गयी है।

9. दियोथल चान्जू जल विद्युत परियोजना (30 मै0वा0)

दियोथल चान्जू जल विद्युत परियोजना का विकास चम्बा जिला में रावी बेसिन में दियोथल नाले पर किया जा रहा है जो कि बैरा नदी की एक सहायक नदी है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 101.35 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा टी.ओ.आर. कर मंजूरी दिनांक 26.10.2013 को दी गई है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन/ पर्यावरण प्रबंधन योजना के निष्पादन हेतु कार्य जल संसाधन मंत्रालय के अर्न्तगत मै0 वैपकोस को दिनांक 16.01.2014 को प्रदान कर दिया है। AFD फ्रैंच विकास एजेंसी द्वारा इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया है। टैकनो आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी.) ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 22.07.2015 को प्रदान कर दी गयी है।

10. बैरा डोल सौर परियोजना (5 मै0वा0)

जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी मन्दिर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए (बैरा-डोल-5 मै0वा0) क्षेत्र का चयन किया गया है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 8.2 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस परियोजना का औसत उत्पादन मूल्य ₹8.03 कि0वा0 यूनिट अनुमानित किया गया है। हि.प्र. रा.वि.प.लि. ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियमन के अनुसार अक्षय उर्जा बिजली खरीद बाध्यता के तहत इस परियोजना से बिजली खरीदने के लिए सहमत हो गया है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत परियोजना के लिए 6.46 हेक्टेयर वन भूमि के पथांतरण के प्रस्ताव का अनुमोदन पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 21.08.2015 को किया है। इस परियोजना की डी.पी.आर. हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा बना ली गई है।

11. अन्य ऊर्जा विकास क्षेत्र :

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन जल विद्युत विकास के अलावा ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत, राज्य के विकास और भारतीय राष्ट्र की बदली ऊर्जा मांगो को पूरा करने के लिए अपनी विकास गतिविधियों में विविधता लाने का इरादा रखती है।

हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

13.9 हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि हि.प्र. सरकार का एक सरकारी उपक्रम है। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।

हि0 प्र0 सरकार के द्वारा कॉरपोरेशन को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के0वी0 की क्षमता से ऊपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ-2 विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार प्लान को लागू करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त निगम को एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के ऊर्जा मंत्रालयों तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने के अतिरिक्त निजी, केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है।

संचार प्रणाली की योजना बनाते समय विश्वसनियता, सुरक्षा, पर्यावरण हितैषी तथा आर्थिकी के साथ-साथ प्रदेश की जनता की स्वच्छ,

सुरक्षित व स्वस्थवर्धक पर्यावरण की उम्मीदों को भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा हि. प्र. ऊर्जा संचार निगम को 350 मिलियन डॉलर का ऋण एशियन विकास बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण परियोजना ट्रांसमिशन जिला किन्नौर (सतलुज बेसिन) और (शिमला पव्वर बेसिन)के कार्य के लिए 113 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है तथा ऋण जनवरी, 2012 से प्रभावी हो गया है और निम्न संचार परियोजनाएं क्रियान्वित हुई हैं।

- किन्नौर जिले में 400/220/66 के0वी0 2×315 एम.वी.ए. क्षमता के विद्युत उप-केन्द्र, वांगतू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹310.00 करोड़ है, और अगस्त, 2017 में चालू हो जाएगी।
- किन्नौर जिले में 220/66/22 के0वी0 के विद्युत उप-केन्द्र, भोक्टू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹27.00 करोड़ है, और मई, 2016 में चालू हो जाएगी।
- 400/220/66 के0वी0 2×315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप-केन्द्र, प्रगति नगर, (कोटखाई) जिला शिमला का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत

₹144.00 करोड़ है, और जनवरी, 2017 में चालू हो जाएगा।

- हाटकोटी से प्रगति नगर जिला शिमला में 220 के.वी. क्षमता की संचार लाईन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹62.00 करोड़ है, और जनवरी, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 33/132 के.वी. 31.5 एम वी ए के क्षमता के विद्युत उपकेंद्र पंडोह का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत ₹37.00 करोड़ है, और जनवरी, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 33/132 के.वी. 2x25/31.5 एम वी ए के क्षमता के विद्युत उपकेंद्र चंबी (शाहपुर) का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत ₹45.00 करोड़ है और अप्रैल, 2017 में चालू हो जाएगा।

निम्न ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य जारी कर दिया गया है और जिसके लिए निधि स्थानीय ऋण से वहन की जा रही है।

- जिला कुल्लू में 33/220 के. वी. तथा 2x315 एम0वी0ए0 के क्षमता के विद्युत उप-केन्द्र, फोजल का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा।
- जिला चम्बा में 33/220 के.वी. तथा 63 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप-केन्द्र, करियां का निर्माण कार्य जून, 2013 में पूर्ण हो गया है और संचार लाईन

करियां-चमेरा का निर्माण प्रगति पर है।

एशियन विकास बैंक ऋण के ट्रांच-11 में 110 मिलियन डालर के ऋण का समझौता सितम्बर, 2014 में हस्ताक्षरित हो चुका है जिसके अन्तर्गत सात परियोजनाओं का कार्य जारी कर दिया गया है।

- 66 के.वी. विद्युत उप-केन्द्र उर्नी का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹28.00 करोड़ है, और जून, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 400/220/33 के.वी. विद्युत उप-केन्द्र लाहल का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹233.00 करोड़ है, और जून, 2018 में चालू हो जाएगा।
- 220 के.वी. संचार लाईन छरोर से बनाला का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹47.00 करोड़ है और जून, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 220 के.वी. संचार लाईन लाहल से बुधिल का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹5.00 करोड़ है, और जुलाई, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 132 के.वी. विद्युत उप-केन्द्र चंबी से कांगड़ा-देहरा लाईन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 18.00 करोड़ है, अप्रैल, 2017 में चालू हो जाएगा।

- 66 के.वी. संचार लाईन उर्नी से वांगतु का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹14.00 करोड़ है, और जून, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 220 के.वी. संचार लाईन सुंडा से हाटकोटी का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹56.00 करोड़ है, और अप्रैल, 2017 में चालू हो जाएगा।

हिमऊर्जा

हिमऊर्जा ने अक्षय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। ऊर्जा कार्यकुशल तथा अपारम्परिक ऊर्जा साधनों जैसे सौर जल तापीय संयंत्र, सौर कुक्कर सौर प्रकाशवोल्टिय रोशनियां इत्यादि को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। हिमऊर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मै0वा0 तक)के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2015-16 के दौरान उपलब्धियां (दिसम्बर, 2015) तक तथा मार्च, 2016 तक प्रत्याशित तथा वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्न है:

- क) सौर उष्णता संबन्धी कार्यक्रम
- i) सौर जल तापीय संयंत्र: वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान

दिसम्बर, 2015 तक 4,200 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयंत्र स्थापित किए गए हैं तथा मार्च,2016 तक प्रत्याशित उपलब्धि 10,000 लीटर प्रतिदिन होगी। वर्ष 2016-17 के लिए 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- ii) सौर कुक्कर: वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 127 वाक्स टाईप तथा 63 डिशटाईप सौर कुक्कर की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत जारी किए गए हैं तथा मार्च,2016 तक प्रत्याशित 500 वाक्स टाईप तथा 250 डिश टाईप सौर कुक्कर होंगे। वर्ष 2016-17 के लिए 500 वाक्स टाईप तथा 50 डिश टाईप सौर कुक्कर का लक्ष्य भारत सरकार के नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

ख) सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

- i) सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां: वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 9,766 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां सामूहिक प्रयोग के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम तथा अन्य के अन्तर्गत स्थापित की जा चुकी हैं, मार्च,

2016 तक की प्रत्याशित उपलब्धि 10,000 होगी। वर्ष 2016-17 के लिए 10,000 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

ii) **सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्र:** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 600 के.डब्ल्यू.पी. के सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित किए जा चुके हैं। मार्च 2016 तक 1,000 के.डब्ल्यू.पी. सौर प्रकाशवोल्टिय पावर प्लांट की स्थापना प्रस्थापित है। वर्ष 2016-17 के लिए 1,000 किलोवाट सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो कि भारत सरकार के जन-जातीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

iii) **सौर प्रकाशवोल्टिय लालटेन:** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 1,000 सौर प्रकाशवोल्टिय लालटेन पूर्ण मूल्य पर वितरित किए जा चुके हैं तथा मार्च, 2016 तक प्रत्याशित उपलब्धि 1,000 होगी। वर्ष 2016-17 के लिए 2,000 सौर प्रकाशवोल्टिय लालटेन लक्ष्य रखा गया है।

iv) **सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां:** वर्तमान वित्तीय वर्ष के

दौरान दिसम्बर, 2016 तक 800 सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत वितरित किए जा चुकी हैं तथा मार्च, 2016 तक प्रत्याशित उपलब्धि 2,000 होगी। वर्ष 2016-17 के लिए 2,000 सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग) निजी क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाएं

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 9 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 20 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 219 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 448.95 मैगावाट है, निजी उद्यमियों को आबंटित की गई। 1 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 5 मैगावाट है स्थापित गई है तथा 6 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 22.50 मैगावाट है की स्थापना के लिए तैयार है, परन्तु इन्टर कनेक्शन पवाइंट उपलब्ध न होने के कारण इन्हें ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सका। वर्ष 2016-17 के लिए 12 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 43.10 मैगावाट है, की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

आवंटित परियोजनाओं बारे आरम्भ से लेकर 31.12.2015 तक की स्थिति (5 मै0 वा0 क्षमता तक) विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

सारणी 13.7

परियोजनाएं	संख्या	क्षमता (मै0वा0)
कुल आवंटित परियोजनाएं (अस्तित्व में)	659	1604.31
क) कार्यान्वयन समझौते चरण पर	255	808.85
i) स्थापित	70	265.25
ii) निर्माणाधीन	41	145.39
iii) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	144	398.21
ख) पूर्व कार्यान्वयन समझौते चरण पर	404	795.46
i) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	106	216.01
ii) सर्वेक्षण व अन्वेषण चरण में	298	579.45

घ) हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत परियोजनाएं

हिमऊर्जा द्वारा चलाई जा रही लघु विद्युत परियोजनाएं: लिंगटी (400 किलोवाट), कोठी (200 किलोवाट), जुथेड़ (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), सुराल (100 किलोवाट),

घरोला (100 किलोवाट) तथा साच(900 किलोवाट) तथा विलिंग (400किलोवाट) जिनमें उत्पादन हो रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक इन परियोजनाओं से 28,55,219 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। अन्य परियोजनाएं बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) तथा सराहन (30 किलोवाट) भी हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की गई है। बड़ा भंगाल परियोजना से बिजली की आपूर्ति स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम ऊर्जा को 3 परियोजनाओं जिनकी क्षमता 14.50 मै0वा0 है आवंटित की हैं। इन परियोजनाओं को राज्य सरकार की अनुमति अनुसार बी.ओ.टी. आधार पर आवंटित किया गया है। इन परियोजनाओं हेतु विभिन्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ङ बजट प्रावधान:

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य योजना/ गैर योजना के अंतर्गत आवंटित बजट अनुसार ₹270.00 लाख आई.आर.ई.पी. तथा एन.आर.एस.ई. के तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

14. परिवहन एवम् संचार

सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

14.1 सड़कें अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के लिए आवयंशक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2015 तक 35,775 कि०मी० वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप एवम् ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही हैं। वर्ष 2015-16 के लिए इस हेतु ₹901.84 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2015-16 का लक्ष्य एवं दिसम्बर, 2015 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 14.1 में दर्शाया गया है:-

सारणी 14.1

मद	इकाई	लक्ष्य 2015-16	उपलब्धियां दिसम्बर 2015 तक	2015-16 सम्भावित (31-3-2016) तक
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि०मी०	425	228	430
जल निकास	कि०मी०	570	407	550
पक्की तथा विरालित सड़कें	कि०मी०	520	775	850
जीप चलने योग्य सड़कें	कि०मी०	40	13	30
पुल	संख्या	35	14	30
गांव जुड़े	संख्या	65	23	60

14.2 हिमाचल प्रदेश में 31.12.2015 तक 10,099 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा सारणी संख्या 14.2 में दिया जा रहा है:-

सारणी 14.2

सड़कों से जुड़े गांव	31 मार्च को संख्या			दिसम्बर, 2015 तक
	2013	2014	2015	
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	208	208	208	208
1000-1499	270	280	283	285
500-999	1238	1245	1252	1255
250-499	3374	3422	3449	3449
250 से कम	4827	4864	4884	4892
कुल	9917	10019	10076	10099

राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

14.3 हिमाचल प्रदेश में 2,002.69 कि०मी० लम्बे राज्य उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोडज तथा बाई पास सम्मिलित हैं, इन सभी के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर, 2015 तक ₹105.58 करोड़ खर्च किये गये।

रेलवे

14.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला-कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर-पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम-चरुडू (33 किलोमीटर) बड़ी लाईन है।

पथ परिवहन

14.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का

एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर हैं। इसीलिए पथ परिवहन को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर 2,748 बसों (दिसम्बर, 2015 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। एच.आर.टी.सी. द्वारा प्रतिदिन 5.20 लाख किलोमीटर (लगभग) दूरी के साथ 2,289 रूटों पर बस सेवाएं चलाई जा रही हैं।

14.6 लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीं।

i) **यलो कार्ड व ग्रीन कार्ड का समायोजन :** यलो कार्ड व ग्रीन कार्ड का समायोजन नये ग्रीन कार्ड में कर दिया है। इस योजना के तहत नये ग्रीन कार्ड धारकों को किराये में 50 कि.मी. की दूरी के भीतर 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है। इस कार्ड की वैधता दो वर्ष तक है। तथा कार्ड की कीमत ₹50 है। पुराने कार्ड धारकों को किराये में निर्धारित वैधता तक छूट का प्रावधान रखा गया है।

ii) **सिलवर कार्ड योजना:** निगम द्वारा 22.9.2015 से सिलवर कार्ड योजना आरम्भ की गई है। इस कार्ड की कीमत ₹20 है व वैधता दो वर्ष है, यह कार्ड दूसरे राज्यों में भी निगम की बसों में 18 कि. मी. तक यात्रा करने पर मान्य है

व किराये में इस कार्ड पर 30 प्रतिशत छूट दी जाती है।

iii) **महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा:** महिलाओं को रक्षा बन्धन तथा भैया दूज के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। मुस्लिम महिलाओं की ईद तथा वकरीद के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

iv) **महिलाओं को किराये में छुट:** निगम द्वारा साधारण बसों में राज्य के भीतर यात्रा करने पर महिलाओं को किराये में 25 प्रतिशत की छुट दी जा रही है।

v) **सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क यात्रा सुविधा:**— सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले +2 कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

vi) **गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा:** निगम द्वारा कैंसर, रीड की हडडी व किडनी ग्रस्त मरीजों को एक अनुचर सहित निगम की साधारण बसों में इलाज के लिए चिकित्सक द्वारा जारी की गई पर्ची पर राज्य व राज्य के बाहर निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

vii) **शौर्य आवार्ड विजेताओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा:** शौर्य आवार्ड विजेताओं को हिमाचल

प्रदेश राज्य के भीतर निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त डिल्क्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

viii) **नई बसों की खरीद:** लोगों को सुरक्षित तथा आरामदायक बस सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निगम के बेड़े में 500 नई बसें शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त शहरी परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा 800 बसें जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्वन रिन्यूल मिशन के अन्तर्गत खरीदने तथा सम्बन्धित अधोसंरचना के विकास के लिए ₹289.00 करोड़ स्वीकृत किये हैं। 800 बसों में से निगम को 31.12.2015 तक 731 बसें प्राप्त हो चुकी हैं।

ix) **24X7 हेल्पलाइन:** निगम व निजी बसों के यात्रियों की शिकायतों व समस्याओं के सामाधान के लिए 24X7 हेल्पलाइन सेवा 9418000529 व 0177-2657326 शुरू की है।

x) **वाहन उपयुक्तता केंद्रों का संचालन:** अतिरिक्त आय अर्जित करने हेतु 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में वाहन उपयुक्तता केंद्रों का संचालन किया गया है व भविष्य में इसे सभी क्षेत्रीय कार्यालय में संचालित किया जाएगा। इन केंद्रों से निगम को अक्टूबर, 2015 तक ₹1.38 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है।

xi) **ऑन लाईन बुकिंग:** निगम ने निजी ऑनलाईन बुकिंग

एजेन्सियों जैसे कि "travelyari.com. busindia.com redbus.in" व स्थानीय बुकिंग एजेन्टों द्वारा बसों की ऑनलाईन बुकिंग शुरू की है। इसके अतिरिक्त डाक विभाग के साथ 156 डाकघरों से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की बुकिंग हेतु अनुबन्ध किया गया है।

xii) **प्रतिबन्धित मार्गों पर टैक्सियां:**—शिमला शहर में लोगों की सुविधा हेतु 8 टवेरा टैक्सियां शहर के प्रतिबन्धित मार्गों पर निगम द्वारा चलाई जा रही है।

xiii) **इलैक्ट्रिक बसें:**—निगम द्वारा प्रदेश में 25 पूर्णतः इलैक्ट्रिक बसें (Zero Emission) चलाई जायेगी। इन बसों की खरीद हेतु 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी व 25 प्रतिशत राशि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा खर्च की जाएगी। हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष का पहला ऐसा राज्य होगा जो सर्वप्रथम Zero Emission वाली बसें चलायेगा। निगम ने भारत सरकार से 90 प्रतिशत व 10 प्रतिशत के अनुपात में राशि प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।

xiv) **निःशुल्क Hot Spot (Wi-Fi) की सुविधा :** यात्रियों के मनोरंजन हेतु वोल्वो/ ऐसी बसों में Hot Spot (Wi-Fi) की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस डिवाइस में पर्याप्त संख्या में फिल्में व गाने उपलब्ध

है, जिसे सभी यात्री अपने मोबाइल पर देख/ सुन सकते हैं। भविष्य में यह सुविधा निगम की सभी बसों में उपलब्ध करवाने का विचार है।

xv) **भोजन की सुविधा** :- निगम द्वारा लोगों को पौष्टिक भोजन कम कीमत पर प्रदान करने के उद्देश्य से हमीरपुर, धर्मशाला, पालमपुर, मण्डी, बिलासपुर व ऊना में "हिमअन्नपूर्णा" नामक ढाबे खोले गए हैं व भविष्य में और अधिक ढाबे खोले जायेंगे।

परिवहन विभाग

14.7 हिमाचल प्रदेश में रेल, हवाई व वाहन जल सेवाएँ नाम मात्र है। इसलिये राज्य अधिकतर सड़क सेवाओं पर निर्भर हैं। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का कार्य विभिन्न नियमों/अधिनियमों को क्रियान्वित करना है इसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम है। दिनांक 31.3.2015 तक प्रदेश में कुल 10,77,404 गाड़ियां हैं जिनमें से 5,673 बसें, 34,796 टैक्सियाँ/ मैक्सी कैब, 9,236 आटोरिक्षा, 16,565 अन्य माल वाहन, 22,309 ट्रैक्टर (व्यवसायिक) और 1,64,773 मालवाहक वाहन है।

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹5,023.00 लाख विभाग को वार्षिक योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया गया जिसमें से ₹4,146.00 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को बस अड्डे के निर्माण हेतु दिनांक 31.12.2015 तक

पूँजीगत व्यय के रूप में जारी किए जा चुके हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 30.11.2015 तक कुल 24,519 वाहनों के विभिन्न अपराधों के अंतर्गत चालान पेश किये गए जिनमें से ₹384.00 लाख की राशि वसूल की गई।

परिवहन नीति:

14.8 वर्ष 2015-16 के अंतर्गत विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख नीतिगत कार्ययोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:-

i) **सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप**
प्रदेश में उपभोक्ताओं को लाईसेन्स, परमिट और अन्य सुविधाएँ सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के द्वारा प्रदान की जा रही है। विभाग की योजना है कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड आधारित लाईसेन्स और पंजीकरण प्रमाण पत्र सुविधाजनक निगरानी हेतु नवीनतम रूप में जारी किये जाएँ। विभाग की यह भी योजना है कि व्यवसायिक वाहनों के टैक्स को ऑनलाईन जमा किया जाए। साथ ही विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी बैरीयरो को आधुनिकीकृत करके उनको राज्य मुख्यालयों के साथ समयबद्ध निगरानी और नवीनतम जानकारी हेतु जोड़े जाने की योजना है।

वर्तमान में पोर्टल प्रणाली में सरकार से नागरिक, सरकार से

व्यापार तथा सरकार से सरकार, को जोड़ते हुए एक ऐसा केन्द्रित डेटाबेस तैयार किया गया है जिसके माध्यम से एक ही स्थान पर व्यापक सूचना तुरन्त उपलब्ध हो । वैब पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शुल्क/ वाहन कर की अदायगी तथा वास्तविक समय में अद्यतन सूचना का आदान प्रदान उपलब्ध है।

विभाग द्वारा गाड़ियों और ड्राइविंग लाईसैन्स के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और पंजीकरण एवम अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राज्य/राष्ट्रीय पंजिकाएँ बनाई गई हैं जो कि उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए धूरी/केन्द्र का कार्य करेगी जिससे उपभोक्ता किसी भी समय व कहीं भी सुविधा का उपयोग कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश में ई-पेमेंट सुविधा परिवहन सॉफ्टवेयर के साथ आरम्भ की गई है जिसमें नागरिकों को बिना किसी रूकावट के सुविधा प्रदान की जा सके। लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा गाड़ियों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के शुल्क/कर व लाईसैन्स की अदायगी में सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ विभाग की स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसमें कागजों को खराब होने से बचाया जा सके। ताकि स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण पुस्तिका के

माध्यम से वाहनों के बारे में अनिवार्य जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।

ii) निरीक्षण एवं प्रमाणिकता केन्द्र

वर्तमान में वाहनों के निरीक्षण / प्रमाणिकता को पारंपरिक तरीके द्वारा किया जाता है। बैज्ञानिक निर्धारण एवं तथ्यों के मध्यनजर वाहनों को प्राद्यौगिकी के हस्तक्षेप के तहत निरीक्षण एवं प्रमाणिकता केन्द्र को प्रदेश में नालागढ क्षेत्र में मोर्थ (MORTH) के सौजन्य से शीघ्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, उपरोक्त केन्द्र के सफल होने पर और स्थान पर भी इस तरह के केन्द्र खोले जायेंगे।

iii) परिवहन नगर का सृजन

वर्तमान में अधिकतर कार्यशालाएँ सड़कों के किनारे पर स्थापित हैं, जहां पर भारी संख्या में वाहनों को ठीक करने का कार्य किया जाता है, जो कि न केवल सड़क के किनारे भीड़ पैदा करती है बल्कि जनता के रोष व दुर्घटना का कारण भी बनती है। विभाग की योजना के अनुसार इन कार्यशालाओं को सड़क से दूर ऐसी जगह जहां पर बहुसुविधा पार्किंग, बैठने व खाने का स्थान, शौचालय, मनोरंजन केन्द्र और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन नगर का सृजन करना है।

iv) पर्यावरणीय सुरक्षा

प्रदेश में वाहन ही पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का मुख्य स्रोत है। प्रदूषणयुक्त वाहनों को धीरे-धीरे

एक प्रौद्योगिकी के अर्न्तगत पहचान कर उनके स्थान पर उचित तकनीक वाले बिना प्रदूषण युक्त वाहन भारत स्टेज-IV&V को लाकर हटाया जाना है। विभाग द्वारा प्रदूषित गाड़ियों के निरीक्षण हेतु वशिष्ठ, मनाली में प्रदूषण चेक केन्द्र स्थापित किया गया है।

v) **जल परिवहन**

विभाग द्वारा जल परिवहन के क्षेत्र में प्रगति लाने हेतु गोविन्द सागर झील (बिलासपुर) चमेरा डेम (चम्बा) कोल डेम (शिमला, बिलासपुर व मण्डी) जलाशयों में यात्री परिवहन व माल दुलाई हेतु

कार्य किया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार ने E-Meritime Consultancy Pvt. Ltd., Mumbai की परियोजना की संभावयता रिपोर्ट बनाने हेतु कार्य दिया गया है जो कि छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

vi) **चालक प्रशिक्षण संस्थान व प्रदूषण निरीक्षण केन्द्र:** वर्तमान में राज्य में 11 सरकारी, 14 हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम तथा 185 निजी चालक प्रशिक्षण संस्थान तथा 5 सरकारी और 66 निजी प्रदूषण निरीक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

15. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

15.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को राज्य की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है तथा यह विकास का मुख्य आधार तंत्र है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7.2 फीसदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ वातावरण, बर्फ से ढके पहाड़, कल-कल बहती नदियाँ, ऐतिहासिक स्मारक व स्नेहिल लोग इत्यादि पर्यटन में सहायक संसाधन राज्य में मौजूद हैं।

15.2 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा सरकार पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है तथा जिसमें जन उपयोगी सेवाएं सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्तमान में राज्य में 67,097 बिस्तरों की क्षमता के 2,416 होटल विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में होम स्टे योजना के अन्तर्गत 1,838 कमरों वाली लगभग 662 इकाईयां भी पंजीकृत हैं।

15.3 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने प्रथम चरण व तृतीय चरण के अन्तर्गत 95.16 मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। चरण-1 के अन्तर्गत 33.00 मिलियन अमेरिकन डालर, 20 उप-योजनाओं के लिये स्वीकृत किए गये हैं। चरण-1 का कार्य जून, 2017 तक पूर्ण किया जाना है। सभी 20 उप-

परियोजनाओं को आबंटित कर दिया गया है जिनमें से सात उप-योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अन्य कार्य प्रगति पर है। चरण-3 के संदर्भ में, कुल 15 उप-परियोजनाएं के सिवल कार्य, जिनके लिए कुल 62.16 मिलियन अमेरिकी डालर स्वीकृत हुए हैं तथा इन कार्यों में से 4 उप-कार्य आबंटित हो चुके हैं व अन्य परियोजनाएं प्राप्ति स्तर (Procurement Stage) पर हैं। चरण-3 का कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) निधिबद्ध परियोजना के अन्तर्गत गांवों में सामूहिक पर्यटन गतिविधियों जैसे कि कौशल विकास तथा प्रशिक्षण इत्यादि कार्य भी चार विभिन्न स्थानों धमेटा, प्रागपुर (कांगड़ा), नैनादेवी की तथा शिमला में किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 2015 तक, सामुदायिक समितियां जैसे कि 5 पंचायत पर्यटन विकास समिति, 1 शहरी पर्यटन विकास समिति तथा 14 स्वयं सहायता समूह, जिसके सदस्य स्थानीय महिलाएं तथा पुरुष हैं, बनाई गई हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत पर्यटन कौशल सम्बन्धी 15 प्रशिक्षण तथा वर्कशॉप आदि भी आयोजित की जा चुकी है जिसमें पाक, कला, नौका बिहार, जल संबन्धी क्रियाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) वाणिज्य तथा संचार (Communication) आदि शामिल हैं, और कुल 1,187 लोग (703 महिलाएं व 484 पुरुष) ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त स्कूल के विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, हमारी

सांस्कृतिक विरासत तथा धरोहर को संरक्षित करने हेतु चित्रकला तथा नारा लेखन, स्वच्छ गली प्रतिस्पर्धाएं आदि भी आयोजित की गईं। इस जागरूकता अभियान में 900 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। आशा है कि मार्च, 2016 तक 150 अतिरिक्त लोगों को पर्यटन संबंधी कौशल में प्रशिक्षित कर लिया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष में, राज्य में पर्यटन विकास हेतु राज्य बजट के अन्तर्गत ₹5,273.01 लाख आबंटित किए गए हैं।

राज्य में पर्यटन संबंधी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु विभाग ने 'स्वदेश दर्शन' योजना के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को ₹100.00 करोड़ की परियोजना मंजूरी हेतु भेजी है। इस परियोजना की निकट भविष्य में मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दिये जाने की संभावना है।

15.4 पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन संबंधी सुविधाओं को पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकसित करने हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रहा है। निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित रोपवे परियोजनाओं को सार्वजनिक व निजी साझेदारी (PPP Mode) के तहत प्रस्तावित किया गया है:-

- 1. धर्मशाला-दलाईलामा मन्दिर-मकलोडगंज (जिला कांगड़ा)**
इस रोपवे परियोजना का रियायती समझौता 22.7.2015 को पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा M/s TRIL Urban Transport Private Ltd. और A Power Himalayas Ltd. Mumbai, के मध्य हस्ताक्षरित हो

चुका है। इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, द्वारा 17.01.2016 को किया गया है। आयोजक (promoter) द्वारा रोपवे निर्माण हेतु विभिन्न वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

- 2. हिमानी चामुंडा जी (जिला कांगड़ा)**

इस रोपवे प्रोजेक्ट का रियायती समझौता 5.6.2015 को पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश व M/S Usha Breco Chamunda Devi Ropeway Pvt.Ltd, Delhi, के मध्य हस्ताक्षरित हो चुका है जिसका सर्वेक्षण कार्य शुरु हो चुका है तथा आयोजक द्वारा विभिन्न अनापति (NOCs) प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया शुरु की गयी।

- 3. पलचान से रोहतांग, विशिष्ट से रोहतांग, जिला कुल्लु**

इस रोपवे परियोजना का रियायती समझौता 21.10.2015 को पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं M/S Manali Ropeway Pvt. Ltd. के मध्य हस्ताक्षरित किया जा चुका है जिसका सर्वेक्षण कार्य शुरु हो चुका है तथा विभिन्न वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करने का कार्य आयोजक द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त रोपवे परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित रोपवे परियोजनाएं प्राप्ति स्तर (procurement stage) पर हैं।

- 1. बिजली महादेव (कुल्लु), न्युगल (पालमपुर, कांगड़ा) तथा सराहन से बाशल कांडा (शिमला-किन्नौर):**
उपरोक्त रोपवे परियोजनाओं की शुरुआती रिपोर्ट सलाहकारों द्वारा

बनाई जा चुकी है तथा Request for Proposal (RFP) दस्तावेज हिमाचल प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

2 धर्मकोट— त्रियूंड (कांगड़ा), टोबा—नयना देवी जी (बिलासपुर) तथा शाहतलाई—दियोटसिद्ध (बिलासपुर—हमीरपुर):

विभाग द्वारा 27.9.2015 तथा 28.9.2015 को HPIDB के सहयोग से इन तीन रोपवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन एवं नागरिक उड़डयन विभाग के पास निम्नलिखित पांच स्थान उपलब्ध हैं जिन्हें विकसित करने के लिए दीर्घकालीन पट्टे पर देने हेतु प्रक्रिया चलाई जा रही है:-

क.सं.	स्थल का नाम
1.	बद्दी, जिला सोलन
2.	झटीगरी, जिला मण्डी
3.	शोजा (बन्जार), जिला कुल्लू
4.	बिलासपुर, जिला बिलासपुर
5.	सुकैती, जिला सिरमौर

विभाग द्वारा इन स्थानों पर पर्यटन संबंधित गतिविधियों के निर्माण के लिए पट्टे पर देने हेतु बोली दस्तावेज तैयार कर दिया गया है। सरकार ने इन स्थानों को सार्वजनिक व निजी सांझेदारी के तहत विकसित करने के लिए इच्छुक विकासकों को पट्टे पर देने के लिए स्वीकृति दे दी है।

15.5 प्रदेश में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रिंट मीडिया तथा

इलैक्ट्रॉनिक सामग्री जैसे पर्यटक साहित्य, पैंफ्लेट, पोस्टर, ब्लॉ-अप्स इत्यादि तैयार किए जाते हैं तथा विभाग द्वारा वर्ष भर देश/विदेश में होने वाले मेलों एवं उत्सवों में भी भाग लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न निजी उद्यमियों के साथ 21 से भी अधिक मेलों व उत्सवों में प्रदेश व प्रदेश से बाहर भाग लिया गया है।

15.6 विभाग द्वारा समय समय पर प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन भी जारी किये गए हैं। पर्यटन नीति, 2013 व सतत कार्य योजना धर्मशाला, 2013 तैयार किये गए हैं। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाने हेतु विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश दलाली और कदाचार रोकथाम नियम-2015 बनाया जा रहा है।

15.7 विभाग द्वारा प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को विभिन्न साहसिक गतिविधियों, सामान्य प्रशिक्षण/पाठयक्रम जैसे ट्रैकिंग, गाईड, जल क्रीड़ा, स्कींग, रीवर राफटिंग इत्यादि तथा कौशल विकास पाठयक्रम जैसे पुलिस/गृह रक्षक, ढाबा मालिक/श्रमिकों और टैक्सी चालकों को विविध प्रशिक्षण दिये गए हैं जिनके अर्न्तगत 822 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया। विभाग द्वारा 150 हिमाचली व बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को सान्ध्या प्राप्त होटल प्रबन्धन संस्थान से प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई गई। विभाग द्वारा विभिन्न साहसिक गतिविधियों का संचालन/आयोजन भी किया जाता है। द्वितीय All India Open Catch-n-Release Trout Angling Championship

तथा Oral Intrective workshop 10 से 12 अप्रैल, 2015 के दौरान गांव झीवी, बंजार जिला कुल्लू व विभाग तथा बीड़-बिलिंग पैरागलाईडिंग एसोसियेशन द्वारा दिनांक 24.10.2015 से 31.10.2015 के मध्य बीड़-बिलिंग कांगड़ा में विभाग के समन्वय से पैरागलाईडिंग विश्व कप, 2015 का आयोजन किया गया जिसमें देश व विदेशी पायलटों द्वारा भाग लिया गया। Himalayan Adventure Sports & Tourism Promotion Association (HASTPA) शिमला द्वारा दिनांक 27.09.2015 से 04.10.2015 के मध्य Hero MTB Himalaya-India's Premier Mountain Biking Challenge का ग्यारहवां संस्करण आयोजित किया गया जिसके लिए विभाग द्वारा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी तथा M/s Himalayan Heli Adventures Pvt. Ltd., मनाली, जिला कुल्लू, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (Heli Skiing and out trial of the Snow Leopards) परिवहन व्यवस्था की खोजपूर्ण उड़ानों का दिनांक 2.01.2016 से 31.05.2016 तक आयोजन भी विभाग के प्रशासनिक सहयोग से किया जा रहा है।

विभाग, पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों/उत्सवों का आयोजन तथा गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहायता भी करता है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग ने निम्नलिखित आयोजनों का संचालन/सहायता की तथा निम्न उत्सव/गतिविधियों में भाग लिया:-

1. विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन (27.09.2015)
2. एप्पल फ़ैस्टीवल (शिमला व मनाली 2015)

3. बिग शिमला कार्निवाल (23.12.2015 से 01.01.2016)।
4. इसके अतिरिक्त India Travel Mart (ITM)- अमृतसर, जयपुर व लखनऊ एवं भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी India International Travel Exhibition (IITE) औरंगाबाद व इन्दौर, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट India International Travel Mart (IITM) बैंगलूरु, चैन्नई, पूणे, हैदराबाद एवं कोचीन, पर्यटन यात्रा मेला Tourism Travel Fair (TTF) कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत एवं पूणे, व्यापार मेला नागपुर, बिजयवाड़ा, रायपुर, चण्डीगढ़, अहमदाबाद, गोवा, चैन्नई, बैंगलूरु, नई दिल्ली, मुम्बई, भुवनेश्वर, रांची, कोयम्बाटूर, कोची व सेटे (SAATE) नई दिल्ली।

नागरिक उडडयन

15.8 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में शिमला, भुन्तर (कुल्लू-मनाली) और कांगड़ा तीन हवाई अड्डे विद्यमान हैं जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:-

क) शिमला हवाई अड्डा: शिमला हवाई अड्डे के रनवे की चौड़ाई एयरपोर्ट आर्थोरिटी आफ इंडिया द्वारा 23 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर कर दी गई है, तथा अब यह हवाई अड्डा ए.टी. आर. 42 के लोड पनैल्टी सहित उतरने के लिए उपयुक्त है शीघ्र ही यहां से उड़ानों का संचालन शुरु किया जायेगा।

ख) भुंतर हवाई अड्डा: वर्तमान में भुंतर हवाई अड्डे के रनवे की लम्बाई 1128 मीटर व चौड़ाई 30.5 मीटर है, जो कि ए0टी0आर0 72 के लोड

पैनलटी सहित उतरने के लिए उपयुक्त है। इस हवाई अड्डे के रनवे को लगभग 660 मीटर और बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए एयरपोर्ट आर्थोरिटी आफ इंडिया से पत्राचार किया जा रहा है।

- ग) कांगड़ा हवाई अड्डा: कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लम्बाई 1,372 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, इसके अतिरिक्त विस्तार जो कि 1372 मीटर से 1,800 मीटर विस्तार हेतु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव तैयार किया है।

इसके अतिरिक्त, गोघराधार, जिला मण्डी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना हेतु संभावना देखी जा रही है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्राथमिक निरीक्षण किया गया है।

हैलीपैड

15.9 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 63 परिचालित हैलीपैड हैं। इसके

अतिरिक्त, संजौली-दली बाईपास में हैलीपैड के निर्माण बारे मामला विचाराधीन है।

हैली-टैक्सी सेवाएं :

15.10 राज्य सरकार ने प्रदेश में, केवल नणि-महेश यात्रा के दौरान हैली टैक्सी सेवा को संचालित किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम:

15.11 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (की स्थापना वर्ष 1972 में) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जब से निगम की स्थापना की गई है तब से यह संस्था पर्यटकों के खान-पान/रहन-सहन, प्रबंधन तथा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक, चलन तथा प्राईम मूवर के रूप में कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा 1.04.2016 से 31.03.2016 तक ₹256.67 लाख शुद्ध लाभ अपेक्षित है।

16. शिक्षा

शिक्षा

16.1 शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है। राज्य में पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरुषों की 89.53 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

16.2 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था तथा 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया गया है। सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन जिला प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक तथा खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा क्रमशः जिला एवं खण्ड स्तर पर किया जाता है जिसका उद्देश्य:-

- प्रारम्भिक शिक्षा का साधारणीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में 31.12.2015 तक, प्रारम्भिक शिक्षा में 10,783 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,781 क्रियाशील हैं। 2,249 माध्यमिक पाठशालाएं

अधिसूचित हैं जिनमें से 2,236 क्रियाशील हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार विकलांग बच्चों की गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है।

16.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने व बढ़ती दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृत्ति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लाहौल व स्पिति प्रणाली की तर्ज पर छात्रवृत्ति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों जोकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को छात्रवृत्ति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन-जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें दी जाती हैं तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को भी अनुसूचित जाति की उप-योजना के अंतर्गत मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है। जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की

लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही हैं। सभी प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा एक से चार तक अंग्रेजी सहित सभी संशोधित पाठ्य पुस्तकें लागू की गईं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सभी छात्र-छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 1,202 माध्यमिक पाठशालाओं में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में 70 पंजाबी एवं 30 उर्दु अध्यापकों द्वारा सभी चयनित स्कूलों में पंजाबी/उर्दु को एक वैकल्पिक रूप में पढ़ाया जा रहा है।

ऊपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

16.4 वर्ष 2015-16 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:-

- i) मिडल मैरिट मैधावी छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र और छात्राओं को ₹800 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 1,332 छात्र लाभान्वित हुए और ₹10,65,620 खर्च किए गए।
- ii) आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को ₹150 प्रति छात्र/छात्रा कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 58,645 छात्र लाभान्वित हुए तथा ₹87,81,830 खर्च किये गये तथा कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र ₹250 एवं ₹500 प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 58,460 लाभान्वित हुये तथा ₹2,20,84,370 खर्च किये गये।

iii) सैनिकों के बच्चों को ₹150 छात्रवृत्ति प्रति विद्यार्थी (पहली से पांचवीं) प्रतिवर्ष दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 2 विद्यार्थी लाभान्वित हुये तथा ₹300 खर्च किये गये।

iv) छात्रा उपस्थिति योजना के अन्तर्गत जिनकी उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक हो को ₹2 प्रति माह, 10 माह के लिये दिए जाते हैं। कुल 34,425 छात्राएँ लाभान्वित हुईं तथा ₹6,90,500 वितरित किये गये।

v) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी आई.आर.डी.पी./एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./सामान्य विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिसके लिए वर्ष 2015-16 में ₹16.27 करोड़ का प्रावधान है।

vi) महात्मा गांधी वर्दी योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक सभी विद्यार्थियों को दो सैट वर्दियों के साथ ₹200 सिलाई के प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2015-16 में 7,31,122 विद्यार्थी (कक्षा 1 से 10 तक) लाभान्वित हुये हैं। जिसके लिये सरकार द्वारा ₹2,000.00 लाख का प्रावधान किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान

16.5 राज्य में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना पूर्व गतिविधियों के साथ शुरू किया गया जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए जोर दिया गया। जिसके अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में आधारभूत ढांचे को बेहतर

बनाना, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों एवम् अध्यापकों की क्षमता निर्माण, विद्यालयों की मेपिंग, शिक्षा की बेहतरी के लिए लघु योजनाएं व सर्वेक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, लिंग अनुपात के अंतर को समाप्त करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करवाना और विद्यालयों के प्रबन्धन में पूर्ण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

16.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार में प्रयास निम्न हैं:-

- **विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए :** हिमाचल प्रदेश में वास्तव में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या दर 99 प्रतिशत से अधिक है जो यह दर्शाता है कि विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या न के बराबर है। फिर भी यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बच्चों को गैर-आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। एक अन्य अध्ययन जो कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (IMRB) और 'प्रथम' गैर-सरकारी संस्था के द्वारा करवाया गया, जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। जिला बिलासपुर और लाहौल स्पिति

में कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं है। प्रदेश में यह देखा गया है कि देश के कई क्षेत्रों से पलायन करके बच्चें प्रदेश के शहरी व उप शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं जिसके कारण विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। इन पलायन करके आने वाले बच्चों की संख्या जानने एवम् इनको विद्यालयों में नामांकन करने के लिए सभी जिलों को हर वर्ष जुलाई और दिसम्बर महीने में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम एन0आर0बी0सी0 के तहत इन बच्चों को नामांकित करके और विशेष तौर पर तैयार किए गए अध्ययन सामग्री की मदद से इन्हें इनकी आयु अनुरूप कक्षा में दाखिल कर विद्यालयों में नामांकित करना होता है। प्रदेश में 4,942 विद्यालय से बाहर रह रहे विद्यार्थियों के लिए उनकी आयु अनुरूप शिक्षा एन.आर.एस. टी. सी के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। आयु अनुरूप कक्षा के दाखिले के लिए विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

- **समावेशित शिक्षा:** हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार की श्रेणी की अपंगता से ग्रसित हो, कुल 12,772 बच्चे चिन्हित किए गए हैं और उसमें से 10,950 बच्चों को विभिन्न नियमित पाठशालाओं में लिया गया है तथा 1,822 बच्चों को विभिन्न रणनीतियों के तहत शिक्षा के दायरे में लाया

गया है। 6-14 वर्ष तक की आयु तथा अधिक अक्षमता से ग्रसित विशेष आवश्यकताओं वाले इन बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों में 520 बच्चों को विभिन्न जिलों में 23 गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है व शेष बच्चों को सेवारत अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- **सेवारत शिक्षकों का क्षमता निर्माण:** सेवारत शिक्षकों की क्षमता निर्माण अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। इन विशेष सुविधाओं को प्रदान करने में दैनिक जीवन के कौशल जैसे: (1) स्वयं सहायक कौशल जैसे: भोजन, शौच एवं स्नान तथा पहनावा आदि (2) मोटर क्रियाओं के अन्तर्गत भौतिक चिकित्सक/ व्यवसायिक चिकित्सक के द्वारा शारीरिक, मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूल से बाहर पढ़ने वाले मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की सहायता द्वारा खण्ड समावेशित कमरों में शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- **चिकित्सीय सेवायें:** मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों की पहचान कर भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, स्पीच थैरेपिस्ट की सहायता से चिकित्सीय सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है। चूंकि भौतिक चिकित्सकों और स्पीच थैरेपिस्ट की कमी के कारण प्रथम चरण में यह सर्व शिक्षा अभियान के सामने बड़ी चुनौती थी इस आधार

पर कुछ जिलों में उन्हें Visiting basis पर नियुक्त किया गया है।

- **IEP/ITP तैयार करना:** प्रत्येक विशेष बच्चे का व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया और तदोपरान्त प्रत्येक विशेष बच्चे के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। हल्के और मध्यम श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पहले चरण में क्रियात्मक शिक्षा लागू की गई है।
- **अभिभावकों के लिए परामर्श:** विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए परामर्श प्रक्रिया पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष ध्यान दिया गया है व इसके परिणाम भी उत्साह जनक प्राप्त हुये है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षित अंध्यापक गृह आधारित कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को परामर्श देते हैं।
- **सामुदायिक भागीदारी:** प्रशिक्षित रिसोर्स अध्यापकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है व समुदाय का भी भरपूर समर्थन भी मिल रहा है।
- **शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम:** सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक और अन्य सहायक स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ओरिएंटेशन कार्यक्रम के द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों के ज्ञान को सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षित रिसोर्स अध्यापक इस कार्यक्रम में रिसोर्स व्यक्ति की

भूमिका अदा करते हुए सामान्य अध्यापकों को कक्षा की वास्तव स्थितियों से अवगत कराते हैं।

- **विशेष बच्चों के लिए देखभाल केन्द्र:** जिला शिमला और मंडी में दो देखभाल केन्द्र प्राथमिक स्कूलों में स्थापित किए गए हैं जिनमें लगभग 46 मानसिक व बहुविकलांग बच्चे कुशल अध्यापकों के मार्गदर्शन में शिक्षण/ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

- **चिकित्सीय मूल्यांकन:** वर्ष 2015-16 में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिये 50-चिकित्सीय शिविर आयोजित किये गये तथा 1,250 विभिन्न उपकरण उपलब्ध करवाये गये।

- **आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता:** चिकित्सा शिविर में आने-जाने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सहायक सहित यात्रा भत्ता दिया गया। गंभीर रूप से अक्षम श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह को शिविर तक लाने व ले जाने के लिए स्थानीय परिवहन दरों पर परिवहन सुविधा किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई।

- **दृष्टिहीन बच्चों के लिये पुस्तकें:** प्रदेश के कक्षा 1-8 तक के दृष्टिहीन बच्चों के लिये 142 सैट ब्रेल पुस्तकें प्रदान की गई तथा 80 सैट विस्तार छाप वाली पुस्तकें मंद दृष्टि वाले बच्चों को बांटी गई।

- **आई.ई. किया कलापों का अनुश्रवण:** रिसोर्स अध्यापकों व एन.जी.ओ. का सही अनुश्रवण के लिए राज्य परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने एक अनुश्रवण

प्रपत्र तैयार किया है जिनमें निम्न प्रकार की शर्तें होगी।

- i) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी गैर-सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता न प्रदान करना।
- ii) सभी गैर-सरकारी संगठनों के पास प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों का भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) से पंजीकृत होना आवश्यक है।
- iii) सभी कुशल शिक्षकों को प्रतिमाह अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला के समावेशित समन्वयक व खण्ड स्त्रोत समन्वयक को जमा करवाना आवश्यक है और अन्त में सभी जिला के परियोजना अधिकारियों द्वारा संकलित रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना आवश्यक है जिसकी सर्व शिक्षा अभियान की मासिक बैठक में समीक्षा की जाती है।

शैक्षणिक व्यवस्था में सभी बच्चों को रखे रखना

16.7 राज्य में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर न के बराबर है तथा इस पर सफलतापूर्वक नजर रखी जा रही है। प्रारम्भिक स्तर पर 0.65 प्रतिशत तथा उच्च प्रारम्भिक स्तर पर 0.90 प्रतिशत ड्रॉप आउट दर है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

16.8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों को सामान्य शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। होस्टल वार्डनों को नियमित रूप से

प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग जिला एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जाती है। प्रदेश में 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसमें से 8 चम्बा में तथा शिमला एवं सिरमौर में एक-एक विद्यालय कार्यरत है।

बच्चों के सीखने का स्तर

16.9 राज्य में आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पहले ही समाप्त कर दी गई है और कोई भी बच्चा प्रारम्भिक स्तर तक किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षा नहीं देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, धारा 29 के तहत सभी प्रारम्भिक पाठशालाओं सतत समग्र मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन जांच पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। प्रशिक्षण में आने वाली कमियों को समय-समय पर सीखने की प्रक्रिया के दौरान दूर की जाती है। अब स्टने की विधि एवं कागज़ पैसिल टेस्ट को बढ़ावा देने की बजाए नैदानिक शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों के पूर्ण विकास के लिये मूल्यांकन टेस्ट लिया जा रहा है। मूल्यांकन शीट्स द्वारा सीखने के अन्तर को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह मूल्यांकन शीट्स कक्षा, विषय एवं शीर्षक वार बनाई गई है।

विद्यालयों का मूल्यांकन

16.10 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों का गहन-अनुश्रवण किया जाता है ताकि इनका कार्यान्वयन सही ढंग से हो सके। इसी उद्देश्य से जिला स्तर पर व राज्य स्तर पर एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति के द्वारा जांचने के बाद

की गई रिपोर्ट को सरकार एवं हितधारकों के साथ जिला अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में सांझा किया जाता है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास

16.11 प्रभावी स्कूलों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास के लिए स्कूलों में सीखने के वातावरण को सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना हेतु न्यूप के सहयोग से (Save the Children) विज्ञान को शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु शामिल किया गया है।

- **सीखने के संकेतको को कार्यन्वयन करना:**— शैक्षणिक सत्र 2014-15 से राज्य में कक्षा एक से आठवीं तक सीखने के संकेतको को कार्यन्वयनित किया गया। सभी प्रारम्भिक अध्यापकों को निर्देश दिया गया कि इस प्रकार पढ़ाया जाये कि सभी विद्यार्थियों द्वारा वॉछित सीखने के स्तर प्राप्त हो जाये। इस स्तर का मूल्यांकन CCE के आधार जो कि सीखने के संकेतकों पर आधारित है, किया जाता है।
- **प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें** — कक्षा एक व कक्षा दो की पुस्तकों को संशोधित किया गया है और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सभी प्राथमिक स्कूलों में शुरू किया गया है। कक्षा तीन से पांचवी तक की पाठ्यपुस्तकों का भी पुनः विलोचन किया गया है तथा NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की रूप रेखा के आधार पर बनाई गई हैं।

- **उपलब्धि सर्वेक्षण के आधार पर सीखने के अंतर की पहचान—** हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक स्तर पर सभी छात्रों के बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन करने वाला पहला राज्य है। जिसके आधार पर बच्चों के सीखने के अंतर की पहचान विशेष रूप से स्कूल स्तर पर तथा जिला एवं राज्य स्तर पर पहचान कर ली गई है। SKOCH नामक एक स्वतन्त्र ऐजेंसी हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा करवाए गए आंकलन सर्वेक्षण के लिए “योग्यता के स्काच आदेश” के अन्तर्गत भारत के सबसे अच्छी संचालित परियोजना-2014 से सम्मानित किया गया है।

- **पूर्व पठन पाठन व संख्या ज्ञान कार्यक्रम:—** इस कार्यक्रम को कक्षा एक व कक्षा दो के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कक्षा एक व दो के छात्रों का आधारभूत सर्वेक्षण किया गया। आधारभूत सर्वेक्षण करते समय बच्चों से पढ़ने, लिखने, बोध व संख्यात्मक कौशल पर उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं और उसी के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल (सामग्री) तैयार किए गए।

- **आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण मूल्यांकन:—** राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बैठकों, कार्यशालाओं तथा प्रतिक्रियाओं तथा निगरानी रिपोर्टों के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किये गए हैं।

- **सतत समग्र मूल्यांकन:—** लर्निंग लिंक फाउंडेशन के सहयोग से सतत समग्र मूल्यांकन को सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है तथा एल0एल0एफ0 के माध्यम से प्रयोगिक तौर पर चार जिलों के 200 से अधिक स्कूलों को जोड़ा गया है।
- **कला एकीकृत लर्निंग कार्यक्रम:—** कला शिक्षा हमेशा से प्रारम्भिक शिक्षा में प्राथमिकता से रहा है। इस शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु डी0ई0ए0ए0, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली व ब्रिटिश कांसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का विशेष सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम को पायलट आधार पर दो जिलों शिमला और सोलन के 40 स्कूलों में शुरू किया गया है।

खेल—कूद किया—कलाप

16.12 वर्ष 2015-16 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में बच्चों की खेल—कूद किया कलाप के लिए ₹225.00 लाख का प्रावधान किया है। इससे बच्चों का केन्द्र स्कूलों, खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर तक के खेल आयोजन का खर्चा वहन किया जाता है।

अल्पसंख्यक समाज

16.13 वर्ष 2015-16 से यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा इस योजना के तहत उन अल्पसंख्यक बच्चों को केन्द्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹1.00 लाख से ज्यादा नहीं है। इस योजना के तहत लगभग 3,300 लाभार्थियों के लिए ₹60.00 लाख की

प्रस्तावना केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

प्राथमिक शिक्षा के भवनों का निर्माण बारे

16.14 वर्ष 2015-16 के लिए सरकार ने ₹490.00 लाख का बजट प्रावधान किया है ताकि स्कूलों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके उसके साथ-साथ प्रदेश की जरूरतमंद पाठशालाओं में कमरों की मांग भी पूरी की जा सके। इसके अतिरिक्त ₹999.99 लाख का प्रावधान भवनों की मुरम्मत तथा रख-रखाव के लिए किया गया है।

उच्च / उच्चतर शिक्षा

16.15 राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। जिसके फलस्वरूप वार्षिक बजट में प्रतिशत निरन्तर वृद्धि के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी वृद्धि हो रही है। दिसम्बर, 2015 तक 880 उच्च पाठशालाएं, 1,610 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 94 महाविद्यालय हैं जिसमें एस.सी.ई.आर.टी., बी.एड. महाविद्यालय, धर्मशाला तथा 5 संस्कृत महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, जोकि राज्य में कार्यरत हैं।

छात्रवृत्ति योजनाएं

16.16 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। छात्रवृत्तियां निम्न प्रकार से हैं:-

i) डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,000 और 1,000

अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को (मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम के आधार पर हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई हो) जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए राज्य में या राज्य के बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लिया हो को ₹10,000 वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014-15 में 1,694 अनुसूचित जाति और 1,663 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

ii) स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को 10वीं की परीक्षा के परिणाम पर आधारित (हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड) जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए ₹10,000 की राशि (वार्षिक) प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014-15 में इस योजना से 3,559 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

iii) ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन-जाति के 100 छात्र तथा 100 छात्राओं को (10वीं की परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड) मेधावी छात्रों में से जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए ₹11,000 की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 में 296 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

iv) महर्षि बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना: बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक अस्वच्छता से संबंधित व्यवसाय करते हैं को दसवीं

कक्षा से महाविद्यालय स्तर तक ₹9,000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं जोकि राज्य में स्थित किसी सरकारी या निजी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हो। वर्ष 2014-15 में 25 छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

v) **इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक प्रदत्त या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने पर ₹10,000 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रति छात्र/छात्रा बिना किसी आर्थिक आधार पर पूर्णतयः मैरिट के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2014-15 में 50 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

vi) **संस्कृत छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए ₹ 250 प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए ₹300 प्रतिमाह, की दर से छात्रवृत्ति उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

vii) **सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति:-** सैनिक छात्रवृत्ति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा (हमीरपुर) में अध्ययन हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों को देय है। यह छात्रवृत्ति छठी कक्षा से जमा दो कक्षा तक प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत 316 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

viii) **कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10+2 की 2,000 छात्राओं को योग्यता के आधार पर सभी गुप वाईज मैरिट सूचि के आधार पर वार्षिक ₹15,000 प्रति छात्र/छात्रा को राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत 1,057 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

ix) **मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना:** यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत सभी वर्ग के विद्यार्थियों जिनका चयन और प्रवेश, आई.आई.टी., ए.आई.आई.एम.एस. तथा आई.आई.एम., आई.एस.एम. धनबाद, झारखण्ड तथा आई.आई.एस.सी. बंगलोर से किसी भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए हुआ हो, को ₹75,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 75 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

x) **राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज छात्रवृत्ति योजना:** यह छात्रवृत्ति दस स्थाई हिमाचली निवासी केडेट/छात्रों को आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक दी जाती है जो कि राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज, देहरादून में अध्ययनरत हो। प्रत्येक कक्षा से 2 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति की राशि ₹20,000 प्रतिवर्ष है। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत 20 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

उपरोक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदेश में इस प्रकार हैं:-

1. आई.आर.डी.पी.छात्रवृत्ति योजना:

इस योजना के अंतर्गत ₹300 प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को, ₹800 मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा ₹1,200 मासिक महाविद्यालय स्तर के उन विद्यार्थियों को जो छात्रावास में नहीं रहते हैं ₹2,400 मासिक जो छात्रावास में रहते हैं तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंध रखते हैं और सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2014-15 में 58,864 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

2. विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति:

इस योजना के अंतर्गत ₹300 (छात्र) तथा ₹ 600 (छात्रा) प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं तथा ₹ 800 मासिक +1 व +2 छात्रों तथा ₹1,200 मासिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ छात्रावास में न रहने वाले स्तर के विद्यार्थियों तथा ₹2,400 मासिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संक्रियाओं/ युद्धों के दौरान मारे गए/ अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर

छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):

इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के छात्रों/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम हो, वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृत्ति नियमानुसार पात्र होंगे। यह छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्ष 2014-15 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति-6,852 अनुसूचित जन-जाति -2,249, अन्य पिछड़ा वर्ग-7,733 है।

4. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए:

यह छात्रवृत्ति उन छात्र/छात्राओं को जो पहली से दसवीं कक्षा तक अध्ययनरत हैं को देय होगी जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹44,500 से अधिक न हो इस छात्रवृत्ति में ₹50 प्रति माह तथा ₹250 प्रतिमाह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए देय है। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अंतर्गत 19,884 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

5. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये:

यह छात्रवृत्ति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/

जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹2.00 लाख से अधिक न हो। ये छात्रवृत्ति 9वीं व 10वीं कक्षा के अनावासिक छात्रों को ₹2,250 तथा ₹4,500 की राशि आवासिक छात्रों को दी जाती है। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत 16,637 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के 2,627 जनजाति के लाभान्वित हुए।

6. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदान:

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान राशि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने हि0प्र0 शिक्षा बोर्ड से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो उन्हें ₹3,000 की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। यह राशि (समय अवधि जमा) के रूप में दी जाती है। वर्ष 2014-15 में 6,133 लड़कियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया।

7. अल्प संख्यक वर्ग के लिए मैरिट-कम-मीन्ज छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय योजना):-

यह छात्रवृत्ति अल्प संख्यक समुदाय मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध के छात्र/छात्राओं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹2.50 लाख से अधिक न हो को दी जा रही है। वर्ष 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत 131 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार

16.17 संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न है:-

- क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- ख) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।
- ग) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।
- घ) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शोध/शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.18 प्रदेश में सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मशाला, हिप्पा फेयरलॉन, शिमला/ एन.यू.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी.आर.टी./ एन.सी.ई.आर.टी. /आर.आई.ई. अजमेर तथा आर.आई.ई., चण्डीगढ़ आदि संस्थानों में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2015-16 में लगभग 1,300 अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

यशवन्त गुरुकुल आवास योजना :

16.19 प्रदेश के जन-जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को

समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। यह योजना राज्य के 61 चिन्हित पाठशालाओं में लागू कर दी गई है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

16.20 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को नवीं से दसवीं कक्षा तक पाठ्यक्रम की पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। वर्ष 2015-16 में इस योजना के अंतर्गत ₹8.85 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,10,436 नवीं एवं दसवीं कक्षा के विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

व्यावसायिक शिक्षा

16.21 विभाग द्वारा नेशनल स्कील क्वालीफिकेशन फ्रैमवर्क (NSQF) योजना के अन्तर्गत 500 पाठशालाओं में आठ विषयों में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की गई। ये विषय आटोमोबाईल, रिटेल सिक्योरिटी, आई0टी0, हैल्थ केयर, पर्यटन, कृषि तथा टेलीकोम हैं। हर पाठशाला की 9वीं व 12वीं कक्षा में कम से कम दो विषय अवश्य होंगे। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वोकेशनल ट्रेनिंग सहयोगी (पार्टनर) द्वारा 1200 वोकेशनल अध्यापकों को नियुक्त किया गया है तथा 35000, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा:

16.22 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001-02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा :

16.23 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यावसायिक एवं प्रौफेशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा :

16.24 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं (बाहरी स्रोत से) में स्वयं आर्थिक प्रबन्धन आधार पर वैकल्पिक विषय को चुनकर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आई.टी. शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ₹110 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी फीस ली जा रही है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाती है। लगभग 80,861 विद्यार्थी जिसमें 6,863 अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) के आई.टी. शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:

16.25 विभाग ने राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान को प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति की देख रेख में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की वर्ष 2015-16 से 90:10 की सहभागिता में माध्यमिक स्तर पर लागू करने में बढत हासिल कर ली है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं इसमें प्रदेश की वर्तमान माध्यमिक पाठशालाओं के आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण, आत्म रक्षण प्रशिक्षण, कला उत्सव तथा वार्षिक स्कूल अनुदान शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए परियोजना

अनुमोदन बोर्ड भारत सरकार द्वारा ₹14,267.89 लाख की राशि स्वीकृत की है जिसमें से भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः ₹3,459.21 लाख और ₹1,153.07 लाख माध्यमिक अभियान की विभिन्न गतिविधियों को लागू करने के लिए जारी कर दी है।

आदर्श विद्यालय

16.26 भारत सरकार ने जिला चम्बा और सिरमौर के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों के लिए पांच आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें अधिसूचित कर कार्यरत बना दिया है। ये पांच विद्यालय हैं राष्ट्रीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुशनगरी, खण्ड तीसा, जिला चम्बा, डान्ड खण्ड तीसा, जिला चम्बा, भराईकोठी, खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिलोर, खण्ड पांगी, जिला चम्बा और शिलाई, खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर हैं। इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों को छात्रावास:

16.27 शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कन्या छात्रावास का निर्माण करके आरम्भ करके नवीं से बारहवीं कक्षाओं की छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान कर और सुदृढ़ करना होगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग एवं गरीबी रेखा नीचे रहने वाले परिवार की छात्राएं लाभान्वित होंगी। छात्रावासों का निर्माण जिला चम्बा और सिरमौर के शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में किया जाना है तीन कन्या

छात्रावासों हिमगिरी मेहला (चम्बा) और शिलाई (सिरमौर) का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि दो अन्य छात्रावासों तीसा व साच का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सरकार ने दो कन्या छात्रावासों हिमगिरी और शिलाई के लिए आवर्ती अनुदान के लिए ₹25.00 लाख स्वीकृत किये हैं।

सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी

16.28 आई0 सी0 टी0 (सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी) परियोजना केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 की साझेदारी में राज्य के 628 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सफलता पूर्वक लागू किया जा चुकी है। द्वितीय चरण में सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी परियोजना को प्रदेश सरकार में वर्ष 2015-16 में 90:10 की हिस्सेदारी में 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, 835 राजकीय उच्च पाठशालाओं और 5 स्मार्ट पाठशालाओं के लिए वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य स्मार्ट कक्षाओं और बहु संचार शिक्षण का प्रयोग करके पठन-पाठन की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली

16.29 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लागू किया गया है। इस योजना को वर्ष 2013-2014 से और प्रदेश सरकार की 90:10 की सहभागिता से आरम्भ किया गया है। इस गुणात्मक सुधार प्रणाली को प्रदेश में सुचारु रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद (एस.

एच.ई.सी) का गठन किया गया है। प्रदेश में सरकारी, निजि, ग्रांट-इन-एड, संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के लिए समेस्टर प्रणाली तथा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सी० बी० सी० एस०) लागू की जा चुकी है। इस प्रणाली के अर्न्तगत मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को रूसा के विभिन्न घटकों के अर्न्तगत, वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः ₹4.04 करोड़, ₹82.64 करोड़ एवं ₹46.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। विभाग द्वारा, रूसा के विभिन्न घटकों के अर्न्तगत ₹61.21 करोड़ की राशि प्राप्त की गई है, जिसमें से ₹48.50 करोड़ की राशि भिन्न-भिन्न संस्थानों को रूसा के विभिन्न घटकों के अर्न्तगत आबंटित की गई है।

शिक्षा में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम०आई०एस०) :-

16.30 इस प्रणाली का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को कंप्यूटरीकरण करना है। इस प्रणाली को (पायलट) परियोजना के रूप में जिला हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और मण्डी के 545 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व राजकीय उच्च पाठशालाओं में लागू किया जाएगा।

माध्यमिक स्तर पर निशक्त बच्चों को समेकित शिक्षा:-

16.31 प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर निशक्त बच्चों को समेकित शिक्षा वर्ष 2013-14 में आरम्भ हुई। इसके अर्न्तगत वर्ष 2015-16 में विशेष जरूरतमन्द बच्चों के लिए 12 आदर्श विद्यालय खोले गए जिनमें

इन बच्चों का शिक्षित करने हेतु 18 विशेष शिक्षकों की तैनाती की गई व 2,492 विशेष बच्चे चिन्हित किए गए। इन बच्चों की जांच के लिए प्रदेश में 45 चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा इन बच्चों को 261 विशेष उपकरण बांटे गए। इसके अतिरिक्त मुफ्त किताबें, एस्कॉट भत्ता, ब्रैल किताबें भी जरूरतमंद बच्चों को दी गई।

नेटबुक्स/टेबलेट सवितरण

16.32 शिक्षा विभाग वर्ष 2015-16 में, सीखने-सिखाने की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य से हिमाचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से उर्तीण 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत नेटबुक्स/ टेबलेटस देने जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा

16.33 हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मसी में स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। प्रदेश में इस समय, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद, 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलाजी संस्थान कांगड़ा, 1 भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर, 1 भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, 1 जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 1 अटल बिहारी बाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकीय/ प्रौद्योगिकीय संस्थान, प्रगति नगर जिला

शिमला, 14 निजी इंजीनियरिंग कालेज, 15 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 16 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 93 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए, 9 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (विकलांगार्थ) सुन्दरनगर 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल ऊना में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 131 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, एक राजकीय बी-फार्मसी महाविद्यालय, रोहड़ू, निजी क्षेत्र में 13 बी-फार्मसी महाविद्यालय और 2 डी-फार्मसी प्रदेश में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग एवं बी-फार्मसी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। 14 इंजीनियरिंग एवं नान-इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। आई.टी.आई. विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा 34 इंजीनियरिंग और 20 गैर-इंजीनियरिंग शाखाओं में सर्टीफिकेट स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा स्तर-वार क्षमता निम्नानुसार है:-

1. डिग्री स्तर	=	6,920
2. बी फार्मसी	=	1,030
3. डिप्लोमा स्तर	=	10,178
4. आई.टी.आई./		
आई.टी.सी.	=	39,596
कुल	=	57,724

16.34 तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राजीव गान्धी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थित नगरोंटा बगवां में खोला गया है। इसमें तीन पाठ्यक्रम मकैनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युनिकेशन

इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग, जिसकी प्रवेश क्षमता 60 छात्र प्रति पाठ्यक्रम होगी। भारत सरकार द्वारा रुसा के तहत ₹2,600 लाख स्वीकृत किये गये हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कालेज रामपुर का शैक्षणिक सत्र 2015-16 से दो व्यवसायों मकैनिकल इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग के साथ कक्षाएं राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर में कक्षाएं शुरु की गई हैं। इस इंजीनियरिंग महाविद्यालय को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से कुल स्वीकृत राशि ₹1,100 लाख में से ₹892.80 लाख एवं राज्य भाग के अन्तर्गत ₹149.97 लाख की धनराशि 90 प्रतिशत केन्द्रीय भाग एवं 10 प्रतिशत राज्य भाग के अनुपात से उक्त महाविद्यालय को जारी कर दी गई है।

16.35 तकनीकी शिक्षा विभाग एन.टी. पी.सी. तथा एन.एच.पी.सी. की सहायता से जिला बिलासपुर के बन्दला नामक स्थान में हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 62.06 बीघा भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरित हो गई है। यह प्रदेश में हाइड्रो विशेषज्ञता पहला संस्थान होगा।

16.36 विभाग द्वारा 6 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नामतः नगरोंटा बगवां (जिला कांगड़ा), कोटली एवं पधर (जिला मण्डी), डोडरा क्वार (जिला शिमला), सायरी (जिला सोलन) तथा महिला भराड़ी (जिला बिलासपुर) में शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सुचारु रूप से चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी

संस्थानों में महिला छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु ₹100.00 लाख प्रत्येक संस्थान की दर से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए हैं। जिसके लिये ₹548.72 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है।

16.37 कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कौशल विकास योजना के अन्तर्गत स्कूल छोड़ चुके नौजवानों, अकुशल एवं कुशल कामगारों की कुशलता का स्तर बढ़ाने हेतु इस समय विभाग में 140 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (68 सरकारी क्षेत्र और 72 निजी क्षेत्र) पंजीकृत है। इस स्कीम की स्थापना के बाद कुल स्वीकृत राशि ₹1,190.72 लाख में से अब तक ₹1,171.92 लाख व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 31,399 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा 120 व्यक्ति विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

16.38 विभाग में 14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शमशी, मण्डी, चम्बा, शाहपुर, नादौन(स्थित रैल में), नाहन, शिमला, रिकांगपिओ, रोंगटोंग(काजा), मण्डी तथा शिमला(महिला), सोलन और रामपुर को विश्व बैंक सहायता प्राप्त वोकेशनल

ट्रेनिंग इम्प्रूवेंट योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ केन्द्रों में स्तरोन्नत किए हैं तथा केन्द्रीय सहायता भारत सरकार तथा राज्य सरकार से क्रमशः ₹3,407.62 लाख तथा ₹1,066.43 लाख प्राप्त हो चुके हैं। इन संस्थानों में आधुनिक औजार एवं उपकरण क्रय करने, अध्यापकों को मानदेय एवं प्रशिक्षण एवं भवन निर्माण इत्यादि पर ₹4,364.00 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

16.39 औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने हेतु उनकी निपुणता को निखारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी सांझेदारी प्रथा जिस बारे राज्य स्तरीय कमेटी और सी. आई.आई., पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कार्मस एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संगठनों में आपसी परामर्श उपरान्त स्तरोन्नत किया गया है तथा ₹8,250.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित संस्थानों में भारत सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है तथा ₹7,797.00 लाख इन संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने हेतु खर्च किये गये।

17. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

17.1 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उपचारत्मक, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं, 68 चिकित्सालयों, 74 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 516 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 11 ई.एस.आई. औषधालयों तथा 2,067 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान कर रहा है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही हैं।

17.2 वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** वर्ष 2015-16 के दौरान (दिसम्बर, 2015 तक) इस कार्य के अंतर्गत 4,70,850 रक्त पटिकाओं का परीक्षण किया गया जिनमें से 60 अनुकूल पाई गईं और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया।

ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1995 में 5.14 प्रति दस हजार थी, दिसम्बर, 2015 में घटकर 0.24 प्रति दस हजार रह गई। 2015-16 के

दौरान दिसम्बर, 2015 तक 114 नए पीड़ित रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 120 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 168 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

iii) **संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र/क्लीनिक, 72 क्षयरोग युनिट और 197 माईकोस्कोपिक केंद्र, जिनमें 315 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं। वर्ष 2015-16 में 31.12.2015 तक 14,219 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 78,349 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है। इस वर्ष कुल क्षय रोग अधिसूचना लक्ष्य दर लक्ष्य 257 प्रति लाख प्रति वर्ष का था जिसके अन्तर्गत 208 प्रति लाख प्रति वर्ष की उपलब्धि पाई गई जोकि 81 प्रतिशत रही।

iv) **राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम:-** वर्ष 2015-16 में निर्धारित लक्ष्य 27,500 मोतिया बिन्दु आप्रेशन के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 23,675 मोतिया बिन्दु आप्रेशन किये गये जिनमें 23,224 मोतिया बिन्दु आप्रेशन में आई.ओ.एल लगाए

गये। वर्ष 2015-16 के दौरान 1,20,000 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2015 तक 1,47,468 विद्यार्थियों की जांच की गई।

- v) **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम**— यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण क्रियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्या की जरूरतों अनुसार बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों (दोनों महिला व पुरुष) द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक क्रमशः 9,466 बन्ध्याकरण, 18,575 लूप निवेश, ओ.पी. प्रयोगकर्ता 30,287 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 91,611 किए गए।

vi) **व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम**—

हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम आर.सी.एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग, गलघोटू, घनुष्टकार नवजात टैटनस, पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे सारणी 17.1 में दी गई है:—

सारणी संख्या 17.1

क. सं.	मद	2015-16	
		लक्ष्य	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2015 तक)
1	डी0 पी0 टी0	108730	67777
2	पोलियो	108730	80385
3	बी0 सी0 जी0	108730	79116
4	हैपाटाइटिस-बी	108730	67702
5	मीजल	108730	83719
6	विटामिन ए (पहली खुराक)	108730	83247
7	पोलियो (बुस्टर)	104390	76759
8	डी0 पी0 टी0 (बुस्टर)	104390	76732
9	विटामिन ए (पांचवीं खुराक)	108730	98783
10	डी0पी0टी0(5-6 वर्ष)	87720	84410
11	टी0 टी0 (10 वर्ष)	102460	89761
12	टी0 टी0 (16 वर्ष)	123055	101022
13	टी0 टी0 (गर्भवती मातायें)	132000	81740
14	माताओं को आयरन फालिक एसिड	132000	76325

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान इस अभियान का प्रथम चरण 17.01.2016 तथा दूसरा चरण 21.02.2016 को पूरा किया जायेगा।

- vii) **राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम**— वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 99,505 जांच किए व्यक्तियों में से 282 एच.आई.वी. के अनुकूल मामले पाए गए।

• **एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र कार्यक्रम**—हिमाचल प्रदेश में कुल 45 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों द्वारा जांच एवं परामर्श सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल जांच किए गए लोगों में

28,852 ए.एन.सी. रोगी थे जिनमें से 10 एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। हिमाचल प्रदेश में दो मोबाईल आई.सी.टी.सी. वैन भी कार्यरत है।

- **यौन रोग नियंत्रण:**— हिमाचल प्रदेश में कुल 20 आर.टी.आई./एस.टी.आई क्लिनिक द्वारा यौन रोगियों का उपचार किया जा रहा है। 2015-16 में 22,556 लोगों ने आर. टी.आई./एस.टी.आई. सेवाएं लीं।
- **रक्त सुस्त्रा कार्यक्रम:**—राज्य में 15 रक्त कोषों के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जा रहा है। 3 ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन युनिट आई.जी.एम.सी. शिमला, जोनल अस्पताल मण्डी और आर.पी.जी. एम.सी.टांडा में कार्यरत हैं। वर्ष 2015-16 में 203 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया तथा प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान की प्रतिशतता 90 प्रतिशत पाई गई। एक मोबाईल रक्त बस, 4 डोनर कोचों के साथ भी राज्य में कार्यरत हैं।
- **एंटी रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रम:**— प्रदेश में 3 एंटी रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र आई.जी.एम.सी. शिमला, जिला अस्पताल हमीरपुर और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में स्थित है और 3 एम ए.आर.टी. तथा 7 लिंक ए. आर.टी.केन्द्रों द्वारा एच.आई.बी. के साथ रह रहे लोगों को मुफ्त दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

- **लक्षित हस्तक्षेप:**— हिमाचल प्रदेश में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 18 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

viii) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:**—इस योजना के अन्तर्गत 95 स्वास्थ्य संस्थाओं केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 608 रोगी कल्याण समितियां जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है। 31.12.2015 तक ₹8.92 करोड़ की राशि सभी रोगी कल्याण समितियों को वितरित कर दी गई है।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

17.3 राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नर्सिंग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई।

17.4 इस समय प्रदेश के दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आई.जी.एम.सी. शिमला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कार्यरत है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से विभिन्न सरकारी संस्थानों में तथा गैर सरकारी (गैर सहायता प्राप्त) नर्सिंग संस्थानों में क्रमशः सीटें 1,390 सीटें जी0एन0एम0, 770 सीटें बी0एस0सी0 नर्सिंग, 120 सीटें पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0

नर्सिंग और 90 सीटें ए0एन0एम0 तथा 20 सीटें एम.एस. सी. नर्सिंग के कोर्स हेतु भरी गई। सरकार चम्बा में भी एक जी0एन0एम0 स्कूल खोलने जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में तीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कमशः हमीरपुर, चम्बा एवं नाहन में ₹189.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा तथा ₹12.53 करोड़ प्रदेश सरकार द्वारा 90:10 के आधार पर अनुमोदित किये गये। राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत भाग के ₹1.39 करोड़ नाहन में प्रस्तावित मैडिकल कॉलेज के लिए जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्रदेश के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में कुल 142 सीटें भरी गई हैं। इस निदेशालय के अंतर्गत संस्थावार उपलब्धियों का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय:

यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है। इसको उन्नयन कर सुपर स्पेशलिटी संस्थान में तबदील कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आई.जी.एम.सी शिमला को पी.एम.एस.एस.वाई. चरण-III के अन्तर्गत ₹150.00 करोड़ (केंद्रीय भाग ₹120.00 करोड़ तथा राज्य भाग ₹30.00 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिए ₹20.00 लाख एच.एस.सी.सी. को शुरुआती निर्माण क्रियाओं हेतु जारी कर दिए गए हैं। आई0जी0एम0सी0 शिमला में चिकित्सा अनुसंधान यूनिट स्थापित की गई हैं। इस यूनिट में गैर-संकामक रोगों से सम्बन्धित अनुसंधान होगा। भारत सरकार ने आई0जी0एम0सी0 शिमला में तृतीय संरक्षण कैंसर केन्द्र स्थापित करने के लिए ₹45.00 करोड़ रूपये की अनुदान राशि देय करने की सहमति प्रदान कर दी है। वर्ष

2015-16 के दौरान दिनांक 31.12.2015 तक ₹11.33 करोड़ के मशीनरी एवं उपकरण आई0जी0एम0सी0 शिमला के विभिन्न विभागों के लिए उपलब्ध करवाए दिए गए हैं। सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज के लिए प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए आई0जी0एम0सी0 के नजदीक भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा इसके अभिग्रहण हेतु प्रक्रिया जारी है।

भविष्य योजनाएं: सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में वार्षिक सत्र 2016-17 से एम0एस0सी नर्सिंग डिग्री कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 11 मंजिला नये ओ0पी0डी0 ब्लॉक का निर्माण ₹56.20 करोड़ की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में विभिन्न विषयों/ पाठ्यक्रमों की 9 पी0 जी0 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में एम0बी0बी0एस0 की सीटें 100 से 150 करने का प्रस्ताव भी है।

वित्तीय उपलब्धियां:

इस वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए कुल बजट ₹14,328.01 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें ₹9,349.00 लाख 31.12.2015 तक व्यय किए गए।

(ख) डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा:-

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा हिमाचल

प्रदेश का द्वितीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जिसकी स्थापना 50 एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों के साथ 1999 में आरम्भ किया गया तथा 24.02.2005 को एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। वर्तमान में इस संस्थान में एम0बी0बी0एस0 के 100 विद्यार्थियों का 17वां बैच प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है। बर्न यूनिट की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा ₹440.80 लाख की स्वीकृति की गई जिसमें से ₹277.00 लाख की राशि निर्माण कार्य एवं फर्नीचर एवं उपकरण खरीदने के लिए जारी कर दी है। डॉ0 आर0पी0जी0एम0सी0, टांडा में लैकचर थिएटर, परीक्षा हॉल/भवन एवं एनाटमी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भारत सरकार ने इस संस्थान में एम0आर0यू0 स्थापित करने के लिए ₹1.25 करोड़ स्वीकृत किए हैं जोकि इस संस्थान के पैरा-क्लीनिकल ब्लॉक में आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद स्थापित कर दिया जाएगा।

भविष्य योजनाएं:-

नर्सिंग स्टाफ के लिये 120 टाईप-3 आवास, प्रथम वर्षीय एम0बी0बी0एस0 तथा पी0जी0 विद्यार्थियों के छात्रावास का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-11 के अन्तर्गत ₹67.00 करोड़ की लागत से केन्द्र सरकार (एच.एस.सी.सी.) की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है। जी0एन0एम0 ट्रेनिंग के लिये ₹100.00 लाख की लागत से मॉडल स्कूल भवन के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त रोगीयों एवं उनके परिजनों के लिये अच्छी सुविधा प्रदान करने हेतु सराय भवन एवं शॉपिंग कम्प्लैक्स का निर्माण भी प्रस्तावित है जिसके लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने

सराय भवन के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

वित्तीय उपलब्धियां:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल बजट ₹7,108.46 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से ₹5,160.34 लाख 31.12.2015 तक व्यय किए गए।

(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय:-

हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना 20 प्रवेशार्थियों की क्षमता के साथ की गई थी। वर्ष 2007-08 से यह क्षमता 60 विद्यार्थियों तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 6 विशिष्ट एम.डी.एस. पाठ्यक्रम जैसे ओरल सर्जरी, पेडोडॉन्टिक्स, आर्थोडॉन्टिक्स, प्रोस्थोडॉन्टिक्स, ऑपरेटिव डेन्टिस्ट्री एवं पेरियोडॉन्टिक्स में दाखिला दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 20 छात्रों को डेंटल हाईजीनिस्ट एवं डेंटल मैकेनिकल डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्देश्य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दंत चिकित्सों एवं पैरा मैडिकल स्टाफ की मांग को देखते हुए किया गया तथा लोगों को पूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्य शल्य कक्ष में आधुनिक मशीनरी एवं उपकरण लगाए गए हैं जैसे निश्चेतन कार्य स्टेशन, निश्चेतन मॉनिटर एवं मल्टी मिडिया प्रोजेक्टर इत्यादि। इस संस्थान

द्वारा आम जनता एवं स्कूली छात्रों की दान्तों से सम्बन्धित ईलाज के लिए विभिन्न स्कूलों व गांवों में दन्त चिकित्सा के 11 दन्त कैम्प लगायें तथा 933 रोगियों का ईलाज किया गया व मुफ्त दवाईया रोगियों को वितरित की गई है। इस संस्थान द्वारा मुसकान योजना एवं मुख्य मन्त्री विद्यार्थी दन्त स्वास्थ्य योजना आरम्भ की गई तथा आई०आर०डी०पी० व बी०पी०एल० परिवारों के लिये मुफ्त दन्त चिकित्सा दी जा रही है।

भविष्य योजनाएं:-

इस संस्थान में तीन विषयों प्रोस्थडॉटिक्स, पैडोडॉटिक्स एवं कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री में पी.जी. पाठयक्रम आरम्भ करने हेतु स्वीकृति के लिए भारत सरकार को मामला प्रेषित किया गया है।

वित्तीय उपलब्धियां:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल बजट ₹1,312.35 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से 31.12.2015 तक ₹927.30 लाख व्यय किए गए।

आयुर्वेद

17.5 भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 28 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,113 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 युनानी स्वास्थ्य

केंद्र, 14 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची क्लीनिक (जिसमें एक कार्यशील है), 17 पंचकर्मा 9 क्षार-सूत्रा केन्द्र कार्यरत है। विभाग के अंतर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मसियां जो कि जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, माजरा, जिला सिरमौर तथा पपरोला, जिला कांगड़ा में कार्यरत है। ये फार्मसियां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष की क्षमता से बी.ए. एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया-चिकित्सा, शाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, द्रव्य गुण, रोग निदान, पंचकर्म, बाल रोग व रस शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा जोगिन्द्रनगर में 30 छात्रों की क्षमता का आयुर्वेदिक (बी) फार्मसी कोर्स आरम्भ किया गया है। आयुर्वेदा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, मुक्त अनीमिया, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्ष 2015-16 के लिए ₹218.50 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें ₹197.92 करोड़ गैर योजना तथा ₹20.58 करोड़ योजना में है।

जड़ी बूटियों के स्रोतों का विकास

17.6 राज्य के विभिन्न जड़ी बूटियों के स्रोतों का संरक्षण करने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (जिला हमीरपुर) व डुमरेड़ा (जिला शिमला) तथा जंगल झलेड़ा (जिला

बिलासपुर) में हर्बल गार्डनज की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ₹61.98 लाख मूल्य की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत 1 मॉडल नर्सरी प्रत्येक 4 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की जाएगी तथा 39 हैक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती की जाएगी।

औषधि जांच प्रयोगशाला

17.7 वर्ष 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान डी.टी.एल. जोगिन्द्रनगर द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मसियों के 556 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिससे ₹3.49 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया।

विकासात्मक गतिविधियां:

i) वर्ष 2015-16 में आयुष चिकित्सा को लोकप्रिय एवं आम जनता को इस बारे जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थानों में 4 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 1,687 रोगियों का उपचार किया गया। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गैर सरकारी संस्थाओं व आम जनता को जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1,638 किसानों को विभिन्न प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया। 39 पद आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बैच के आधार पर, 2 पद प्रवक्ता के लोक

सेवा आयोग द्वारा तथा 18 पद आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट के, 10 पद स्टाफ नर्स के तथा 7 पद लीपिक के भरे गये।

ii) राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी:

वर्तमान में तीन फार्मसियों द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को मुफ्त वितरण हेतु दवाईयों का उत्पादन किया जा रहा है। यह फार्मसियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं। पपरोला में स्थित फार्मसी राजकीय स्नात्कोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को क्रियात्मक कार्य हेतु भी उपयोग में लाई जाती है। विभाग की तीनों फार्मसियों से औषधियों का वितरण हि0प्र0 के आयुर्वेद संस्थानों को किया जाता है। वर्तमान में विभाग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से कच्ची जड़ी-बूटियों का औषधियों निर्माण करने हेतु क्रय कर रहा है जोकि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

iii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:

इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 155 सृजित पदों के विरुद्ध 135 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं।

वर्ष 2016-17 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य

विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये 5 नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

18. समाज कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

18.2

क) वृद्धावस्था पेंशन:- ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है परन्तु 80 वर्ष से कम हो तथा उनकी देख-रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हों व जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो को ₹600 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों और पेंशनरों को बिना किसी आयु सीमा के ₹1,100 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।

ख) अपंग राहत भत्ता:- ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई अपंगता हो तथा जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो, को ₹600 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों को ₹1,100 प्रति माह की दर से बिना किसी

आय सीमा के पेंशन प्रदान की जा रही है बशर्ते कि वे किसी सरकारी/गैर सरकारी बोर्ड व निगम में कार्यरत न हो तथा किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त न कर रहा हो। वृद्धावस्था तथा अपंग राहत भत्ता हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1,56,337 पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं हेतु ₹17,103.59 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹11,719.20 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

ग) विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पेंशन :- ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख-रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व उनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो, इनको भी ₹600 प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 70,360 पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹8,918.63 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹4,343.80 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

घ) कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता:- ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो पर कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है। ऐसे कुष्ठ रोगियों को ₹600 प्रति माह कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता दिया जाता है। इस योजना

हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1,482 पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹119.50 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹67.20 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

ड) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** :—इस योजना के अर्न्तगत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सभी सदस्य पात्र है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 90,000 पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹3,581.63 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹2,480.24 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

च) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** :—इस योजना के अर्न्तगत 40 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को उपरोक्त पेंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 20,933 पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹876.92 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹607.87 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

छ) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना** :—इस योजना के अर्न्तगत 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को उपरोक्त पेंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 809

पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹61.45 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹22.26 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

18.3 उपरोक्त सभी केन्द्रीय योजनाओं के अर्न्तगत केन्द्र सरकार से वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹200 व 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों हेतु ₹500 पेंशनर की दर से प्राप्त होते हैं। जबकि विधवा पेंशनरों व विकलांगता पेंशनरों हेतु ₹300 पेंशनर की दर से प्राप्त होते हैं। शेष राशि वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹400 व 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹900 तथा विधवा पेंशनरों हेतु ₹300 प्रति पेंशनर की दर से व मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि सभी प्रकार के पेंशनरों को एक सामान की दर से ₹600 प्रति माह व 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को ₹1,100 प्रति माह की दर से पेंशन प्राप्त हो सके। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अर्न्तगत प्रदेश सरकार ₹800 प्रति माह प्रति पेंशनर की दर से व मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय वहन कर रही है जिसका बजट प्रावधान राज्य अपंग पेंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले सभी पेंशनरों को एक सामान की दर से ₹1,100 प्रति माह की दर से पेंशन प्राप्त हो सके।

स्वरोजगार योजना

18.4 विभाग तीन निगमों द्वारा जो कि हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हि0 प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं

विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति विकास निगम को स्वयं रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अर्न्तगत राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्ष 2015-16 के लिए ₹637.00 लाख के बजट का प्रावधान है तथा 31.12.2015 तक ₹482.00 लाख की राशि जारी कर दी गई है।

अनुसूचित जाति/जन-जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.5 इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:-

i) **अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन:-** अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातीय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अर्न्तगत अन्तर्जातीय विवाह के लिए ₹50,000 प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2015-16 में इस योजना के अर्न्तगत ₹194.00 लाख के बजट में से 245 दम्पतियों के लक्ष्य के विरुद्ध 390 दम्पतियों को 31.12.2015 तक ₹158.50 लाख प्रदान किये गए हैं।

ii) **गृह अनुदान:-** इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो, को ₹75,000 प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु ₹25,000 आवास मुरम्मत हेतु दिये जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 में ₹2,346.00 लाख के बजट

प्रावधान में 3,128 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। 2,426 व्यक्तियों को इस वर्ष के दौरान 31.12.2015 तक ₹1,737.51 लाख खर्च करके लाभान्वित किया गया है।

iii) **कम्प्यूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलाप:-** इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों या जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 से कम हो उन्हें मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा ₹1,200 प्रति माह प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षण फीस वहन की जाती है। प्रशिक्षण पर अधिक खर्च आने पर अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी को स्वयं व्यय करनी पड़ती है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को ₹1,000 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को छः माह के लिए विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर दक्षता हासिल करने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में अभ्यर्थी को ₹1,500 प्रति माह राशि दी जाती है। वर्ष 2015-16 के लिए ₹351.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 31.12.2015 तक ₹71.66 लाख व्यय किए गए तथा 2,766 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

iv) **अनुवर्ती कार्यक्रम:-** इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय

₹35,000 से अधिक न हो, को औजार/सिलाई मशीनें खरीदने के लिए 21.8.2015 से ₹1,800 प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2015-16 में इस योजना के अर्न्तगत ₹115.40 लाख बजट का प्रावधान रखा गया तथा ₹68.11 लाख की राशि 31.12.2015 तक व्यय की गई जिससे 6,525 लाभार्थियों में से 3,511 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

- v) **अनु० जाति जन जाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के अर्न्तगत पीड़ित अनुसूचित जाति/जन-जाति परिवारों को राहत:-** उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के उन परिवारों को वित्तीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को ₹90,000 से ₹7.50 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है जो कि अत्याचार के प्रकार पर निर्भर है। वर्ष 2015-16 के लिए ₹50.00 लाख का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से ₹14.58 लाख की राशि 31.12.2015 तक व्यय करके 35 परिवारों को सहायता दी गई।

विकलांग कल्याण

18.6 विभाग विकलांगजन के लिए वर्ष 2008-09 से "सहयोग" नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना को आरम्भ कर उसका संचालन कर रहा है जिसके मुख्य घटकों की 31.12.2015 तक की भौतिक एवं

वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न रूप से है:-

- i) **विकलांग छात्रवृत्ति:-** इसका मुख्य उद्देश्य श्रवणदोष विकलांग विद्यार्थी जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, बिना किसी आय सीमा के इस घटक के अर्न्तगत जो विद्यार्थी छात्रावासों में नहीं रहते हैं उनकी छात्रवृत्ति ₹350 से ₹750 प्रति माह तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को ₹1,000 से ₹2,000 तक प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 में 31.12.2015 तक ₹97.86 लाख के बजट में से ₹61.88 लाख व्यय किए गए तथा 987 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- ii) **विकलांग विवाह अनुदान:-** सक्षम युवक व युवतियों को विकलांगजन से विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के आशय से जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक हो को ₹8,000 तथा 70 प्रतिशत से ऊपर वाले को ₹40,000 तक राज्य सरकार द्वारा विवाह अनुदान देने का प्रावधान है। इस वर्ष इस योजना के अर्न्तगत ₹35.85 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹21.11 लाख व्यय हुए जिससे 130 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।
- iii) **जागरूकता अभियान:-** इस घटक के अर्न्तगत खण्ड एवं जिला स्तर के शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें विकलांगजन संघ के प्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। इन

शिविरों में विकलांग जनों के चिकित्सा प्रमाण-पत्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगजन को चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। वर्ष 2015-16 में ₹10.00 लाख की राशि का प्रावधान है। 31.12.2015 तक इस योजना के अंतर्गत ₹5.70 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

- iv) **स्व: रोजगार:**— 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिस पर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ₹10,000 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2015-16 में 31.12.2015 तक निगम द्वारा 62 विकलांग व्यक्तियों को ₹245.36 लाख के ऋण उपलब्ध करवाये गये। अल्पसंख्यक निगम से अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।
- v) **कौशल विकास:**—चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजनों को चयनित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और ₹1,000 प्रति माह की दर से प्रशिक्षार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस वर्ष 47 विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष में ₹15.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तकनीकी

शिक्षा विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

- vi) **पुरस्कार योजना:**— इस योजना के अर्न्तगत निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम विकलांगजन को रोजगार देने व विकलांगता के बावजूद उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृष्ट विकलांगजन को ₹10,000 व श्रेष्ठ निजी नियोजक को ₹5,000 के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए ₹0.50 लाख का प्रावधान है।
- vii) **विशेष योग्यता वाले बच्चों को शिक्षा:**— प्रदेश में मूक बधिर व दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो संस्थान ढली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में 18 दृष्टिबाधित तथा 88 श्रवणदोष की लड़कियां दाखिल हैं। इस संस्थान के लिए ₹38.00 लाख के बजट में से 31.12.2015 तक ₹8.77 लाख व्यय हुए हैं हि0प्र0 बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाए जा रहे ढली (शिमला) तथा दाड़ी (कांगड़ा) विद्यालयों के लिए ₹110.00 लाख की बजट के विरुद्ध ₹50.45 लाख जारी किए। इसके अतिरिक्त विभाग, प्रेम आश्रम ऊना तथा आस्था कल्याण समिति, नाहन में 50 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों तथा 20 मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के रहने तथा पढ़ाई फीस, आदि का खर्चा वहन कर रही है। इस वर्ष ₹36.00 लाख का बजट प्रावधान था और

31.12.2015 तक ₹26.03 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

- viii) **विकलांगता पुनर्वास केन्द्र**:-प्रदेश में हमीरपुर व धर्मशाला में दो विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जो कि कमशः ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर व भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 में ₹15.00 लाख का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति उपयोजना

18.7 प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्र में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन-जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.09 प्रतिशत है।

18.8 अनुसूचित जाति उपयोजना को आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आवंटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय

विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

18.9 अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन-जाति उप-योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित उप-योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है।

18.10 अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए डिमांड-32 में अलग उप-शीर्ष "789" बनाया है। इस निधि को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप-योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति उप योजना में राज्य योजना के अन्तर्गत आवंटित बजट ₹1,220.14 करोड़ में से ₹453.99 करोड़ 30.9.2015 तक व्यय किए जा चुके हैं। वार्षिक अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत 2016-17 में ₹1,309.88 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.11 जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एवं कार्यान्वयन कमेटी गठित की

गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप-योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जो कि अनुसूचित जाति उप-योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम का 10 (क)

18.12 . . . वर्ष 2007 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 95,772 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। वर्ष 2015-16 में 9,104 अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 7,466 परिवार 30.09.2015 तक लाभान्वित हुए।

बाल कल्याण

18.13

क) मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना अनाथ, अर्ध-अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों के चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), शिल्ली (तिरसा), कल्पा, भरनाल, कलेही, मैहला, देहर (मण्डी), और चम्बा में बाल-बालिका आश्रम चलाए

जा रहे हैं। विभाग द्वारा परागपुर (कांगडा) टुटीकण्डी, मसली (शिमला), समूरकलां (ऊना) अर्की, कलसुइन, साहू (चम्बा) सुन्दरनगर (मण्डी), सुजानपुर (हमीरपुर) तथा किलाड़ (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। इन आश्रमों में 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क खाने-पीने तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है, तथा नौकरी सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा केरियर मार्गदर्शन व उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इन आश्रमों में 1,160 बच्चों के रहने की सुविधा है और वर्तमान में 614 बच्चे रह रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में ₹359.80 लाख का प्रावधान है तथा दिसम्बर, 2015 तक ₹189.70 लाख खर्च किए जा चुके हैं। मशोबरा में ₹616.82 लाख की लागत से लड़कियों के लिए मॉडल बाल गृह बनाया जा रहा है तथा हीरानगर (टूटू) शिमला ₹204.23 लाख की लागत से बनने वाला संपेक्षण गृह निर्माणधीन है।

ख)

बाल/बालिका सुरक्षा योजना: इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अनाथ/असहाय बच्चे जिनका पालन बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित अन्य परिवार के पालना दम्पति द्वारा किया जाता है, ऐसे इच्छुक हिमाचली दम्पतियों को, जिनकी कुल आयु 105 वर्ष से अधिक नहीं है, तथा परिवार की कुल मासिक आय ₹5,000 से कम नहीं है को वित्तीय सहायता दी

जाती है। भारत सरकार से ₹1,800 प्रति बच्चा प्रति माह की दर से अनुदान सहायता की स्वीकृति के उपरान्त वित्त वर्ष 2015-16 में यह ₹2,300 प्रति बच्चा प्रति माह कर दी गई है। 31.12.2015 तक 191 पात्र बच्चों को लाभान्वित कर ₹26.36 लाख व्यय किये गए हैं।

ग) **समेकित बाल संरक्षण योजना:** कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों में कमी लाने में जिनकी वजह से बच्चे उपेक्षा एवं शोषण के शिकार होते तथा अपने मां-बाप से अलग हो जाते हैं के लिए इस योजना के अर्न्तगत बच्चों को अस्थाई आश्रय देने के लिए बल्देयां (शिमला), तथा धर्मशाला में दो आश्रय स्थापित किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के सभी जिलों में किशोर न्यायबोर्ड, बाल कल्याण समितियां एवं जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड गठित किए गए हैं। जिला बाल संरक्षण इकाईयां चार जिलों क्रमशः शिमला, मण्डी, कांगड़ा और चम्बा में स्थापित की गई हैं। चाईल्ड लाईन टेलीफोन सेवा 1098 सात जिलों क्रमशः शिमला, कुल्लू, कांगड़ा सोलन, मण्डी, चम्बा, तथा सिरमौर में स्थापित की गई है। देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के अर्न्तगत केन्द्र द्वारा ₹1,269.67 लाख आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 31.12.2015 तक ₹816.49 लाख व्यय कर दिए गए हैं।

घ) **समेकित बाल विकास सेवाएं**
समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 78 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश में कुल 18,385 आंगनवाड़ी केन्द्रों व 537 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को सेवायें प्रदान की जा रही हैं। विभाग द्वारा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाएं, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ सेवायें, पाठशाला पूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। वित्त वर्ष 2015-16 के अर्न्तगत प्रावधित बजट ₹19,978.00 लाख था, जिसमें से ₹1,978.00 लाख राज्य का हिस्सा व केन्द्र का हिस्सा ₹18,000.00 लाख है, तथा नवम्बर, 2015 तक ₹9,927.01 लाख व्यय किए गए, जिसमें राज्य का हिस्सा ₹794.29 तथा केन्द्रीय हिस्सा ₹9,132.72 का था। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह क्रमशः ₹3,000, ₹1,500 व ₹2,250 का मानदेय निर्धारित किया गया है जिसका 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपनी 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी के अतिरिक्त क्रमशः ₹450, ₹300 तथा ₹375 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी

कार्यकताओं को प्रति माह प्रदान कर रही है।

ड़) पूरक पोषाहार कार्यक्रम:

समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम के अर्न्तगत विशेष पोषाहार कार्यक्रम में आंगनवाड़ियों में बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं तथा बी.पी.एल. किशोरियों को निम्नलिखित दरों पर पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष भर में 300 दिनों के लिए पोषाहार दिया जाता है। वर्ष 2015-16 के लिए पूरक पोषाहार की दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन) बच्चों को ₹6, गर्भवती/ धात्री माताएं को ₹7, बी.पी.एल., किशोरियों को ₹5 तथा अति कुपोषित बच्चों को ₹9 तय किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। वर्ष 2015-16 में इस कार्यक्रम के अर्न्तगत ₹2,999.00 लाख का राज्य हिस्सा व ₹3,366.07 लाख भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है। जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹3,740.08 लाख व्यय हुआ है व 4,46,211 बच्चे, 1,01,386 गर्भवती/ धात्री माताएं तथा 35,780 बी.पी.एल. किशोरियां लाभविन्त हुई हैं।

महिला कल्याण

18.14 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। प्रमुख योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैं:-

क) नारी सेवा सदन मशोवरा:- इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाएं तथा जिनको नैतिक खतरा हो को

आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में नारी सेवा सदन मशोवरा में 34 महिलाएं रह रही हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में आवासियों की सुरक्षा के लिए ₹24.57 लाख की लागत से चारदीवारी का निर्माण किया गया है तथा सदन में सी.सी. टी.वी. (CCTV) कैमरे भी लगाए हैं। महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि कोई आवासी महिला शादी करती है तो उसे ₹25,000 की सहायता दी जाती है। इस वर्ष एक आवासी महिला को सदन छोड़ने पर ₹20,000 की पुर्नवास सहायता दी गई। वर्ष 2015-16 में ₹51.06 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक ₹31.90 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए ₹25,000 का अनुदान दिया जात है जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो। वर्ष 2015-16 में इस उद्देश्य के लिए ₹566.25 लाख का बजट प्रावधान रखा गया जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹378.98 लाख खर्च किये गये तथा 1,511 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

ग) महिला स्वरोजगार सहायता:- इस योजना के अर्न्तगत ₹5,000 दिनांक 19.12.2015 से उर् महिलाओं को आय संवर्धन हेतु प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से कम है। इ

योजना के अर्न्तगत ₹10.00 लाख का प्रावधान किया गया। दिसम्बर, 2015 तक ₹6.35 लाख की राशि व्यय करके 254 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

घ) **विधवा पुर्नविवाह योजना:-** इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को पुर्नविवाह के लिए प्रेरित करके पुर्नवास करना है। इस योजना के अर्न्तगत दम्पति को ₹50,000 के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान इस योजना के अर्न्तगत ₹68.50 लाख का बजट प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक 110 दम्पतियों को ₹55.00 लाख दिए गए।

ङ) **मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना:-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय ₹35,000 से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 18 वर्ष हो के पालन पोषण हेतु ₹3,000 प्रति वर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाती है। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाती है। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2015-16 के लिए ₹858.91 लाख का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹457.26 लाख व्यय किये गए तथा 21,214 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

च) **इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना :-** इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का संचालन जिला हमीरपुर में किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष या उससे ऊपर की गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा लाभार्थी महिला की मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है ताकि लाभार्थी महिला को गर्भावस्था के अंतिम चरण तक कामकाज न करना पड़े। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित थी जो इस वित्तीय वर्ष से 90:10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत कुल ₹6,000 प्रति लाभार्थी की दर से आर्थिक सहायता दो किशतों में दी जाती है, पहली किशत गर्भवस्था की तीसरी तिमाही के दौरान तथा दूसरी किशत प्रसव के 3 माह के पश्चात दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अर्न्तगत उपलब्ध कुल ₹298.20 लाख में से 31.12.2015 तक 5,832 महिलाओं को लाभान्वित कर ₹295.17 लाख व्यय किए गए हैं।

छ) **माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अथवा ₹35,000 वार्षिक से कम आय वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन

जाति के परिवारों की महिलाओं को अनुदान प्रदान करके उन्हें कठिन परिश्रम से राहत दिलवाने के आशय से गैस कनेक्शन खरीदने हेतु सहायता दी जाती है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 75 महिलाओं को लाभान्वित करना है, तथा प्रदेश में 5,100 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन खरीदने पर कुल लागत के 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,300 हैं, उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2015-16 के लिए इस योजना के अन्तर्गत ₹66.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक ₹65.98 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा 2,484 गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

ज) विशेष महिला उत्थान योजना:- राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं, जो नैतिक खतरों में हैं, को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके पुर्नवास के लिए विशेष महिला उत्थान योजना बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना शुरू की है। योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ₹3,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति चालू वित्त वर्ष में ₹74.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक 240 महिलाओं को 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

झ) बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवार्य योजना 2012: यह योजना दिनांक 22.9.2012 को बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि समर्थन सेवार्य प्रदान करने का प्रावधान है। प्रभावित महिला को ₹75,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है ताकि उनका पुर्नवास किया जा सके। विशेष परिस्थितियों में अवयस्कों को ₹25,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष 2015-16 में ₹66.00 लाख के बजट का प्रावधान है जिससे 30 महिलाओं को दिसम्बर, 2015 तक वित्तीय सहायता दी गई है।

ञ) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: लिंग भेदभाव का समापन, निवारण करने, बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा बालिका की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को 22.1.2015 से देश के 100 जिलों में शुरू किया गया। यह योजना बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने और उसमें सुधार वृद्धि करने का प्रयास है। प्रदेश में इस योजना को ऊना जिले में, जहां बाल लिंगानुपात न्यूनतम पाया गया, लागू किया गया है। इस योजना के

माध्यम से जन समुदाय को घटते हुए लिंगानुपात के दुष्प्रभावों के बारे में जागृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अर्न्तगत विभिन्न जागरूकता कार्य-कलापों के आयोजन पर ₹89.50 लाख व्यय किए जा रहे हैं।

बेटी है अनमोल योजना

18.15 परिवार तथा समुदाय की शिशु कन्या तथा महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने तथा लड़कियों के स्कूल में नामांकन के उद्देश्य से बेटी है अनमोल योजना 5.07.2010 प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली दो बालिकाओं के नाम बैंक/ डाकघर में ₹10,000 जमा कर दिए जाते हैं। जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की द्वारा आहरित किए जा सकते हैं तथा स्कूल जाने पर इन लड़कियों को जमा दो कक्षा तक छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार ने 23.07.2015 से छात्रवृत्ति की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। नई/ संशोधित दरें ₹450 प्रति वर्ष से ₹2,250 प्रति वर्ष के बीच है। वर्ष 2015-16 में इस योजना के अर्न्तगत ₹946.65 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तथा दिसम्बर, 2015 तक ₹518.70 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा 16,111 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

किशोरी शक्ति योजना

18.16 किशोरी शक्ति योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देने, गृह आधारित एवं

व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख-रेख सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने हेतु संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित थी जो इस वित्तीय वर्ष से 90:10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। योजना प्रदेश के 8 जिलों शिमला, सिरमौर, किन्नौर, मण्डी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना तथा लाहौल-स्पिति में 46 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। योजना के अर्न्तगत गैर पोषाहार घटक पर प्रति वर्ष प्रति परियोजना ₹1.10 लाख तक व्यय करने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में, दिसम्बर, 2015 तक ₹14.36 लाख की राशि खर्च कर दी गयी है। इस योजना के अर्न्तगत 35,258 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 436 किशोरियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, 1,04,888 किशोरियों को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गई है।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना-(सबला):

18.17 राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देने, गृह आधारित एवं व्यावसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख-रेख सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने हेतु संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक इस योजना के पोषाहार घटक का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन किया

गया तथा गैर-पोषाहार घटक शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। इस वित्तीय वर्ष 2015-16 से योजना के दोनो घटकों में 90:10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। सबला योजना प्रदेश के चार जिलों कश्मीर, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा तथा चम्बा में चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत पोषाहार तथा गैर पोषाहार दो मुख्य घटक हैं। गैर पोषाहार घटक में ₹3.80 लाख प्रति बाल विकास परियोजना प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान है। पोषाहार घटक में किशोरियों को वर्ष में 300 दिन पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है।

पोषाहार पर ₹5.00 प्रति किशोरी प्रति दिन की दर से व्यय किया जाता है। गैर पूरक पोषाहार के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल राशि ₹84.72 लाख थी तथा ₹44.80 लाख व्यय किए गए। पूरक पोषाहार के अधीन दिसम्बर, 2015 तक ₹741.62 लाख व्यय किए गए। चालू वित्त वर्ष में 31.12.2015 तक 1,02,673 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 1,45,136 को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 247 को व्यावसायिक प्रशिक्षण, 1,14,483 को परिवार कल्याण, अर्श बच्चों की देखरेख सम्बन्धी ज्ञान, 11,243 को जीवन कौशल शिक्षा व 2,409 किशोरियों को जन सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया है।

19. ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास

19.1 ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित विकासात्मक योजनाएं/ कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:-

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

19.2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के स्थान पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रदेश में 1.04.2013 से आरम्भ किया गया जिसका कार्यन्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में 5 विकास खण्डों नामतः कण्डाघाट, बसंतपुर, मण्डी (सदर), नूरपुर और हरोली को कार्यक्रम के कार्यन्वयन हेतु लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत स्वरोजगार गतिविधियों जैसे कि ऋण वितरण, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता विकास एवं संस्थागत निर्माण आदि का कार्यन्वयन प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए ₹4.87 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया है जिसे उक्त गतिविधियों के कार्यन्वयन पर व्यय किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में कुल 2,010 महिला स्वयं सहायता समूहों को

बैंकों से जोड़ना प्रस्तावित है जिन्हें ₹30.00 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो जिलों नामतः शिमला व मण्डी में समस्त महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण पर ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा शेष 10 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित है। किन्तु उक्त ब्याज दरें मात्र उन स्वयं सहायता समूहों के लिए ही लागू होगी जिनकी ऋण अदायगी समय सीमा के भीतर नियमानुसार हुई हो।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NRLM) के घटक आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार/ई.सी. द्वारा 17 परियोजनाओं का अनुमोदन हाल ही में किया है इसके अन्तर्गत ₹166.49 करोड़ राशि का वहन भारत तथा राज्य सरकार के मध्य 75:25 की भागीदारी में किया जाएगा। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 49,537 ग्रामीण युवकों को विभिन्न ट्रेड में 3 वर्षों के अन्तराल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तथा इन प्रशिक्षित युवकों में से 40,170 युवकों को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।

आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2015 तक जिला वार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:-

सारणी 19.1

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (₹लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उप-लब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
बिलासपुर	100	79	150	67.20
चम्बा	230	163	360	69.30
हमीरपुर	125	94	160	109.76
कांगडा	310	257	500	363.85
किन्नौर	15	12	30	8.80
कुल्लू	70	90	90	70.20
लाहौल-स्पिति	15	15	30	4.50
मण्डी	540	617	780	635.94
शिमला	310	290	480	274.76
सिरमौर	75	68	110	52.70
सोलन	110	103	160	63.28
ऊना	110	158	150	99.20
हि0प्र0	2010	1946	3000	1839.29

वाटरशैड विकास कार्यक्रम

19.3 प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित बंजर क्षेत्रों भूमि, सूखा ग्रस्त मरुस्थल क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार विभाग द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारम्भ से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत 67 परियोजनाएं (869 माइको वाटरशैड) जिनकी कुल लागत ₹254.12 करोड़ है तथा 4,52,311 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी. ए.पी.) के अन्तर्गत 412 सूक्ष्म जलागम स्वीकृत हैं जिनकी कुल लागत ₹116.50 करोड़ तथा 2,05,833 हैक्टेयर भूमि के

विकास हेतु तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 552 सूक्ष्म जलागम परियोजनाएं जिनकी कुल लागत ₹159.20 करोड़ है जोकि 2,36,770 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु स्वीकृत हुई है। इस योजना के आरम्भ से दिसम्बर, 2015 तक एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम. पी.) के अन्तर्गत ₹245.22 करोड़ सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) पर ₹113.96 करोड़ तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत ₹112.40 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा एकीकृत वाटरशैड प्रबन्धन योजना (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2014-15 में प्रदेश के सभी जिलों के लिए 163 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत ₹1,259.96 करोड़ है तथा 8,39,972 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए ₹197.01 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित जिलों को (90:10 केन्द्र एवं राज्य भाग क्रमशः) आवंटित की जा चुकी है तथा इस आवंटित राशि में से दिसम्बर, 2015 तक ₹193.63 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा आवास योजना

19.4 इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. लाभभोगी को ₹75,000 प्रति परिवार के हिसाब से नये मकान के निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार की भागीदारी 90:10 के अनुपात में कर दी गई है। वर्ष 2015-16 में कुल 2,635 नए मकानों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में

दिसम्बर, 2015 तक 2,128 मकान स्वीकृत कर दिए गए हैं, जोकि निर्माणाधीन हैं तथा 165 मकानों का निर्माण 2.01.2016 तक किया जा चुका है। दिसम्बर, 2015 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹2.11 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है।

मातृ शक्ति बीमा योजना

19.5 यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। इस योजना में परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो को राहत के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से, किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, सिजेरियन, प्रजनन के समय किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू-स्खलन, कीटडंक, सर्पडंक, भूचाल, आंधी तूफान से तथा विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत बीमा राशि निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है:-

- i) मृत्यु पर ₹ 1.00 लाख
- ii) पूर्ण स्थाई अपंगता पर ₹1.00 लाख
- iii) एक अंग और एक आंख या दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर ₹1.00 लाख
- iv) एक कान या एक अंग की क्षति पर ₹ 0.50 लाख
- v) पति की मृत्यु पर ₹1.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 118 परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत ₹117.50 लाख की धन राशि सहायता के रूप में प्रदान की गई है।

राजीव आवास योजना

19.6 यह योजना इन्दिरा आवास योजना की पद्धति पर ही चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को नये मकान के निर्माण हेतु ₹75,000 की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 2015-16 के लिए 2,333 मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 1,280 मकानों की स्वीकृती प्रदान कर दी गई है तथा 503 मकान निर्मित किए जा चुके हैं। दिसम्बर, 2015 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹269.49 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

19.7 भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम को दिनांक 2.10.2014 से प्रारम्भ किया है तथा यह भी निर्णय लिया है कि स्वच्छ भारत-2019 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य बदलाव के अन्तर्गत बिना शौचालय के शेष बचे वी0पी0एल0 व ए0पी0एल0 (Identified) परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर ₹12,000 का अनुदान देने का प्रावधान 2.10.2014 से किया गया है जबकि निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) में अनुदान केवल ₹5,100 था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन को प्रत्येक ग्राम पंचायत में परियोजना आधार पर क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को परिवार की संख्या 150, 300, 500 व 500 के आधार पर क्रमशः ₹7.00, ₹12.00, ₹15.00 व 20.00 लाख प्रदान किये जा सकते हैं।

यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 12 जिलों में परियोजना आधार पर चलाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है।

निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) की वर्तमान स्वीकृत परियोजना अनुसार 31.12.2015 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्न सारणी के अनुसार है:-

वित्तीय प्रगति सारणी-19.2

(राशि लाख ₹ में)

भाग	कुल परियोजना परिव्यय	जारी राशि 1.4.2012 से आगे	खर्चा 1.4.2012 से आगे
केन्द्र	60195.67	18170.24	11724.46
राज्य	23185.98	5990.22	2678.15
लामार्थी	1874.03	134.41	134.41
कुल	85255.68	24294.87	14537.02

भौतिक प्रगति सारणी-19.3

घटक	लक्ष्य जो 1-4-2012 को निर्धारित किए गए	उपलब्धि	टिप्पणी
व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL)	202746 (BPL-26,829 APL-175917)	113145	-
स्कूल शौचालय	6130	2035	यह घटक स्वच्छ भारत मिशन में शिक्षा तथा महिला व बाल कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।
आंगनवाड़ी शौचालय	1997	1109	
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	1593	490	
ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन	3243 GPs	इस घटक का कार्यन्वयन चरणबद्ध तौर पर होना है। वर्ष 2014-15 के लिए 477 ग्राम पंचायतों का चयन किया है।	
बाह्य शौच मुक्त ग्राम पंचायतें	3243	1583 ग्राम पंचायतों ने स्वयं को बाह्य शौच मुक्त घोषित किया है तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार इन पंचायतों के इस दर्जे के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।	

वर्ष वार प्रगति:-

वित्तीय प्रगति सारणी-19.4

(राशि लाख ₹ में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	जारी राशि	खर्चा	जारी राशि	खर्चा
2012-13	1666.96	1659.06	501.63	557.86
2013-14	3049.74	2261.76	1091.62	783.10
2014-15	13016.73	3057.18	2155.01	681.74
2015-16 दिसम्बर, 2015 तक	436.81	4746.46	2241.96	655.45

भौतिक प्रगति सारणी-19.5

वर्ष	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	स्कूल शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	सामुदायिक शौचालय परिसर
2012-13	कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि परियोजना स्वीकृति चरण पर थी।	1215	1066	163
2013-14	9170	638	38	148
2014-15	54265	182	5	82
2015-16 Upto 12/15	49710	इन घटकों का कार्य शिक्षा तथा महिला व बाल कल्याण विभागों को सौंप दिया गया है		97

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना:

19.8 महिला मण्डलों को स्वच्छता अभियान की गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए, महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के दिशा निर्देशों अनुसार महिला मण्डल जिनके द्वारा अपने गांव/वार्ड व ग्राम पंचायत को बाह्य शौच मुक्त करने व इसके स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2015-16 के

लिए इस योजना में ₹131.04 लाख की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है।

राज्य प्रोत्साहन योजनाएं

महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एम0वी0एस0एस0पी0)

19.9 प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में राज्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत खण्ड/जिला/मण्डल व राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत-
₹1.00 लाख
2. जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत-
₹3.00 लाख
क) 300 से कम ग्राम पंचायतों के लिए जिला में एक पुरस्कार
ख) 300 से अधिक के ग्राम पंचायतों के लिए जिला में दो पुरस्कार
3. मण्डल स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत-
₹5.00 लाख
4. राज्य स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत-
₹10.00 लाख

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए ₹148.00 लाख की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया।

स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना:

19.10 राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत राज्य प्रोत्साहन योजना दिसम्बर, 2009 से प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता था। वर्ष 2011-12 के दौरान इस योजना में हाई/हाई सिकैण्डरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन योजना है जो प्रति वर्ष फरवरी माह से प्रारम्भ होकर 15 अप्रैल तक चलती है।

- जिला स्तर पर सबसे स्वच्छ प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई/हाई सिकैण्डरी स्कूलों को प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹50,000 की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार ₹20,000 की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- द्वितीय पुरस्कार (केवल खण्ड स्तर पर) ₹10,000

इस योजना में कुल वार्षिक पुरस्कार राशि ₹88.20 लाख है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

19.11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

को अधिसूचित किया तथा 2 फरवरी, 2006 में इसे लागू किया गया। प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में इस योजना को जिला मण्डी और जिला कांगड़ा 1.04.2007 से लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1.04.2008 से इस योजना को लागू किया गया है।

वर्ष 2015-16 तक भारत सरकार द्वारा ₹35,110.49 लाख तथा प्रदेश सरकार के राज्य हिस्से के रूप में ₹3,657.47 लाख रोजगार गारंटी फंड में जमा किए जा चुके हैं तथा प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान ₹36,329.65 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा 3,76,265 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 147.78 लाख कार्य दिवस अर्जित किये गए हैं।

20. आवास एवं शहरी विकास

आवास

20.1 हिमाचल प्रदेश सरकार का आवास विभाग, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के मकानों/ फ्लैटों के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है।

20.2 वर्ष 2015-16 में ₹13,384.05 का बजट में प्रावधान रखा गया था जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2015 तक ₹7,076.32 लाख का व्यय हुआ। इस वर्ष के दौरान 64 फ्लैटों का निर्माण व 155 प्लाटों को विकसित किया गया।

20.3 वर्ष 2015-16 के दौरान हिमुड़ा द्वारा 40 भवनों का निर्माण किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान 122 फ्लैटों का निर्माण, 145 प्लाटों को विकसित करने तथा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्य जैसे कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, जेल, पुलिस, युवा खेल एवं सेवायें, पशु पालन, शिक्षा, मछली पालन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण, शहरी विकास निकाय, पंचायती राज और आर्युवेदा विभाग का निर्माण कर रहा है।

20.4 टियोग, फलावरडेल, सन्जौली, मन्दाला परवाणु और जुरजा (नाहन) भटोलीखुरद (बददी) में आवासीय कालोनियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और छवगरोटी, फलावरडेल और परवाणु का

कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में हिमुड़ा के पास 454.12 बीघा जमीन विभिन्न स्थानों पर है और भूमि अर्जित का कार्य भी कार्य भी विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर है।

20.5 वित्तीय वर्ष 2015-16 में नई आवासीय स्कीम के अंतर्गत शील (सोलन), बटोलीखुरद, त्रिलोकपुर (नाहन) और वाणिज्य परिसर समीप पेट्रोल पम्प विकासनगर, शिमला में निर्माण कार्य किया जा रहा है। जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीनकरण मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 176 फ्लैटों (आशियाना-2) ढली, शिमला में निर्माण किया जा रहा है और आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत हमीरपुर में 72 फ्लैटों का, परवाणु में 192 फ्लैटों का निर्माण और नालागढ़ 128 फ्लैटों का कार्य पूर्ण किया है। यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत हिमुड़ा ने मण्डी कस्बे में सड़कों, रास्तों और नालों के चैनलाईजेशन का कार्य किया है।

20.6 मानवीय अवलोकन को कम करने व पारदर्शिता लाने के लिये ई-गवर्नेंस को लागू किया है और मुख्य कार्यालय स्तर पर आंकड़ों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसके साथ लेखा प्रणाली के सुधार के लिए इन्टर प्राईस रिसोर्स प्लानिंग की स्थापना की है। हिमुड़ा ने भूस्वामी तथा हिमुड़ा की विकास कार्यों में सहभागिता के लिए एक योजना भी शुरू की गई है।

शहरी विकास

20.7 संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एवं क्रियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए हैं। वर्तमान नगर निगम शिमला व धर्मशाला समेत कुल 54 शहरी स्थानीय निकाय हैं शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। चतुर्थ राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2015-16 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को ₹8,351.32 लाख की राशि प्रदान की गई है। इस राशि में इन निकायों को विकास कार्यों तथा उनके आय-व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता अनुदान राशि भी शामिल है।

एकीकृत गृह एवं मलीन बस्ती विकास योजना:-

20.8 इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलीन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में 25 वर्ग मीटर में एक रिहायशी युनिट दो कमरे एक रसोई तथा शौचालय के निर्माण का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत है। एक रिहायशी युनिट ₹1.00 लाख की लागत से बनाया जाना है यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना का भाग है। इस में अंशदान 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में ₹5,283.07 लाख (₹3,794.42 लाख केन्द्र तथा ₹1,488.65 लाख राज्य सरकार) की राशि आठ योजनाओं (हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन,

परवाणु, बददी, नालागढ़, सुन्दरनगर तथा सरकाघाट) को जारी कर दी गई है जिसके अंतर्गत 596 आवासीय ईकाईयों का निर्माण किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹20.00 लाख का बजट प्रावधान जो कि 31.03.2016 तक खर्च कर लिया जायेगा।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रख-रखाव:

20.9 54 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,416 किलोमीटर सड़कें, रास्ते तथा 1,139 किलोमीटर गलियों का रखरखाव किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों गलियों तथा रास्तों का रखरखाव किया जा रहा है उसके अनुपात में उन्हें ₹600.00 लाख इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदान किये गये हैं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

20.10 इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों को क्षमता विकास, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार अवसर प्रदान करना है ताकि वे गरीबी की परिस्थितियों से बाहर निकल कर एक संपन्न अथवा सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। यह योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है।

इस स्कीम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:-

1. कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार।
2. सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास।
3. क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण।
4. स्वरोजगार कार्यक्रम।

- 5 बेघर के लिए आश्रम।
- 6 शहरी स्ट्रीट वेन्डर को सहारा।
- 7 अभिनव एवं विशेष परियोजनाएं।

इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार द्वारा ₹588.86 लाख तथा ₹65.39 लाख राज्य भाग के रूप में जारी कर दिये गये हैं। इस योजना में 2,140 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें से 250 प्रशिक्षणार्थियों को (ई.एस.टी.पी. के माध्यम से) रोजगार प्रदान किया गया है। नेहरु युवा केन्द्र की सहायता से 570 (एस.एम. आई.डी. के अन्तर्गत) स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। शहरी आवासरहित लोगों के लिए 7 प्रस्तावनाएं अनुमोदित कर ली गई हैं। 10 जिला मुख्यालय शहरों के लिए City Street Vending Plan बनाने की स्वीकृति दे दी गई है तथा इसका कार्य मै0 हरियाणा नवयुवक कला संगम को दे दिया गया है।

छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना (यु0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0)

20.11 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में छोटे व मध्यम शहरी विकास योजना को पुनः संरचित कर इसका नाम छोटे तथा मध्यम शहरों में संरचना विकास योजना(यु0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 18 परियोजनाएं जिसमें पानी की आपूर्ति, मल निकास एवं शहरी ढांचे का निर्माण शामिल है, के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 13 शहरों में धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, रिवाल्सर, रामपुर, नगरोटा, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, परवाणु,

नालागढ़ तथा बददी को लाया जा चुका है जिसमें अनुमोदित योजना लागत ₹40,654.11 लाख हैं जिसमें ₹21,455.47 लाख राज्य भाग समेत जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹5,400.00 लाख केन्द्रीय भाग तथा ₹695.00 लाख राज्य भाग का बजट प्रावधान है जोकि वर्तमान वित्त वर्ष में इस्तेमाल कर लिया जाएगा।

राजीव आवास योजना

20.12 मलीन बस्तियों और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना का उद्देश्य निश्चित तरीके से मलीन बस्ती में रहने वालों की समस्याओं को हल करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके स्लम मुक्त भारत की स्थापना करना है। इसमें निम्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना है:-

- मौजूदा मलीन बस्तियों को औपचारिक व्यवस्था के भीतर लाना और इन्हें सुदृढ करना ताकि वे शेष नगर की तरह ही मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सके।
- औपचारिक व्यवस्था की उन कमियों को दूर करना जो स्लमों के निर्माण का कारण बनी हैं।
- शहरी भूमि और आवास की समस्याओं को हल करना जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पहुंच से बाहर हुए हैं।
- भारत सरकार ने राजीव आवास योजना के अंतर्गत शिमला शहर के कृष्णानगर स्लम के लिए ₹3,399.65 लाख की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस

परियोजना के अंतर्गत कृष्णानगर स्लम में 300 घरों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 224 लाभार्थी परिवारों को उसमें बसाया जाएगा तथा 76 आवास किराये के आधार पर दिये जाएंगे। इस योजना में अभी तक ₹1,067.20 लाख जारी किये जा चुके हैं। बच्चों के पार्क का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा रिहायशी मकान को सड़क से जोड़ने के लिए निविदाओं का कार्य प्रगति पर है।

प्रधान मन्त्री आवास योजना

20.13 इस परियोजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, मल-व्यवस्था, सड़क, बिजली इत्यादि के साथ गरीब व्यक्तियों को आवास प्रदान करवाना है। योजना 90:10 के आधार पर प्रथम चरण में राज्य के 13 शहरों के लिए लांगू की जाएगी।

केन्द्रीय वित्तियोग अनुदान

20.14 13वें वित्तियोग के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को दो प्रकार का अनुदान स्वीकृत किया है जो कि सामान्य बुनियादी अनुदान और सामान्य निष्पादन अनुदान हैं। यह अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर व 40 प्रतिशत श्रेत्र के आधार पर आवंटित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक ₹2,448.38 लाख सामान्य बुनियादी अनुदान लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु जारी किये जा चुके हैं।

मल व्यवस्था योजना

20.15 वित्त वर्ष 2015-16 में प्रदेश के शहरों में चल रही मल निकासी व्यवस्था योजनाओं को पूरा करने हेतु ₹2,244.00 लाख सामान्य योजना तथा ₹756.00 लाख विशेष घटक योजना में उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें से ₹1,619.44 लाख सामान्य योजना तथा ₹151.00 लाख विशेष घटक योजना में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। यह योजना सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

शहरी रुपांतरण तथा पुनरावर्तन के लिए अटल मिशन

20.16 अमरुत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित नई योजना है। इस योजना के अंतर्गत पानी, मल व्यवस्था, नालियों का निर्माण, शहरी यातायात व्यवस्था, पार्कों का निर्माण व क्षमतावर्धन आदि घटकों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों को 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 158.82 करोड़ की कार्यवृत्त योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ₹15.88 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है।

स्मार्ट सिटी मिशन

20.17 यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत प्रथम स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर धर्मशाला शहर

का चयन किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक ₹100.00 करोड़ की राशि प्रतिवर्ष जारी की जाएगी तथा इसी के बराबर का भाग राज्य सरकार द्वारा भी जारी किया जायेगा। पहले 20 शहरों की सूची भारत सरकार द्वारा द्वितीय स्तर की प्रतियोगिता के उपरान्त जारी कर दी जायेगी।

स्वच्छ भारत मिशन

20.18 इस योजना का शुभारम्भ म्राननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को किया गया। इस योजना के मिशन की अवधि 5 साल की है जो कि 2 अक्टूबर, 2019 तक है। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:-

- घरेलू शौचालय में अस्वच्छ शौचालयों का रूपांतरण कर फलश शौचालय बनाना।
- समुदायिक शौचालय।
- सार्वजनिक शौचालय।
- ठोस कचरा प्रबंधन।
- आई.इ.सी. एवं जन जागरुकता।
- क्षमतावर्धन, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व कार्यालय व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा ₹602.00 लाख की राशि जारी की गई है और वित्त वर्ष 2014-15 में राज्य द्वारा ₹66.89 लाख जारी की गई थी।

नगर एवम् ग्राम योजना

20.19 सन्तुलित विकास और विनियमन द्वारा भूमि संसाधनों में कमी के दृष्टिगत जनसांख्यिक और सामाजिक

आर्थिक तथ्यों का विवेकपूर्ण उपयोग करके कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन सुनिश्चित करने, पर्यावरण के संरक्षण, विरासत और मूल्यवान भूमि संसाधनों के सतत् विकास के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 33 योजना क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.42 प्रतिशत) और 34 विशेष क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.27 प्रतिशत) है में लागू किया गया है। नारकंडा योजना क्षेत्र और अतिरिक्त सराहन विशेष क्षेत्र के लिए भू-उपयोग मानचित्र व रजिस्टर तैयार किए गए। बंददी बरोटीवाला विशेष क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इसे अधिसूचित कर लिया गया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की क्षेत्रीयकरण का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।

20.20 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2016-17 हेतु निम्नलिखित योजना क्षेत्रों, विशेष योजना क्षेत्रों, आंचलिक क्षेत्रों के गठन, वर्तमान भू-उपयोग मानचित्रों, विकास योजना और क्षेत्रीय योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :-

- i) अतिरिक्त बिलासपुर योजना क्षेत्र गठन करना।
- ii) संगडाह दौलाकुआं- माजरा और अम्ब गगरेट योजना क्षेत्रों हेतु भू-उपयोग मानचित्रों को तैयार करना।
- iii) शिमला, घुमारवीं, अम्ब गगरेट, नादौन, सुन्दरनगर, बैजनाथ, पपरोला, धर्मशाला, नग्गर, मनिकर्ण, रिकांगपिओ, हाटकोटी, बीरबिलिंग,

नैरचौक और गरली परागपुर हेतु विकास योजना तैयार करना ।

20.21 विभाग द्वारा प्रारूप विकास योजनाओं नामतः हाटकोटी, घुमारवीं, अम्ब गगरेट, नादौन, सुन्दरनगर, मनिकर्ण, नग्गर, बैजनाथ, पपरोला, रिकांगपिओ, धर्मशाला एवं बीरबिलिंग का कार्य आउटसोर्स कर दिया गया है इस योजना/ विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक रणनीति को वर्ष 2035 तक के लिए सुनिश्चित किया जायेगा। विभिन्न योजना क्षेत्रों के उन गामीण क्षेत्रों जिनमें विकास की क्षमता कम है उनको हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की सीमा से बाहर किया गया है जबकि पूरे कमांड योजना क्षेत्र को निरस्त कर दिया गया है और नादौन योजना क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों जिनमें विकास की सम्भावनाएं कम हैं को

सम्बन्धित योजना क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।

20.22 चालू वित्त वर्ष 2015-16 के भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों हेतु ₹1.19 लाख रुपये की राशि इस विभाग को आबंटित की गई, जिसमें से ₹37.92 लाख रुपये की राशि 31.12.2015 तक व्यय हो चुकी है। मिश्रित भू-उपयोग हेतु परियोजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। आम जनता हेतु सेवा वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य के सभी योजना/विशेष क्षेत्रों एवं नगर निकायों में जवाबदेही, पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए टी0सी0पी0 बैव पोर्टल को विकसित किया गया है। यह भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को दूर करने में मददगार सिद्ध होगा।

21. पंचायती राज

पंचायती राज

21.1 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां तथा 3,226 ग्राम पंचायतें हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में समय-समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की योजना तथा परियोजना का अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार तथा प्राथमिक पाठशालाओं में जलवाहकों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेखापाल की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियंता, निजी सहायक, पंचायत सहायक तथा कनिष्ठ अभियन्ता का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है।

21.2 ग्राम पंचायतों को प्राथमिक पाठशाला भवनों का स्वामित्व तथा रखरखाव सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू-राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे में ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न

प्रकार के कर, फीस तथा शुल्क अधिरोपित करने तथा आय अर्जित करने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के मामले सुन सकती हैं तथा ₹500.00 प्रतिमाह तक भरण पोषण भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश दे सकती हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में ₹1.00 प्रति बोटल की दर से शराब की बिक्री पर उपकर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

21.3 यह अनिवार्य किया गया है कि कृषि, पशु-पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर पर कार्यरत कर्मियों उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेंगे जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं और यदि ऐसे गांव स्तर के कर्मचारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगी, जो रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और ऐसी रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्राम

पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

21.4 पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

- i) ग्राम पंचायत के प्रधानों को नियम-11 हिमाचल प्रदेश Forest Produce Transit (Land Route) नियम, 1978 के अंतर्गत वन उत्पादित 37 प्रजातियों के निर्गम के लिए परमिट जारी करने हेतु वन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- ii) राज्य सरकार ने पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को ₹6,500 तथा ₹4,500, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को ₹3,500 तथा ₹ 2,400 तथा प्रधान व उप-प्रधान ग्राम पंचायत को ₹2,100 एवं ₹ 1,800 मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला परिषद और सदस्य पंचायत समिति के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः ₹2,400 तथा ₹2,100 कर दी गई हैं और ग्राम पंचायत के सदस्यों को मास में अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक फीस की दर को ₹200 प्रति बैठक कर दिया गया है।
- iii) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य करने हेतु भ्रमण के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्ते की अदायगी हेतु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

- iv) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहों में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को कार्यालय सम्बन्धित भ्रमण के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की है।
- v) राज्य वित्तायोग के अर्न्तगत अनुदान के रूप में ₹1,850 प्रति चौकीदार, ग्राम पंचायत के हिसाब से समस्त 3,226 ग्राम पंचायतों के अनुदान के रूप में राशि प्रदान की जा रही है।
- vi) वितीय वर्ष 2015-16 से 14वें वित्तायोग की सिफारशें लागू हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तायोग ने ₹195.39 करोड़ की राशि इस राज्य को प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसमें से पहली किस्त के रूप में ₹97.70 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।
- vii) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्ध/ नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक इस प्रकार से है:-पंचायत सहायक को कमशः (अनुबन्ध) ₹7,000, पंचायत सचिव (अनुबन्ध) ₹7,810, कनिष्ठ लेखापाल (अनुबन्ध) ₹7,810, (नियमित) ₹5,910-20,200+1,900(जी.पी.), कनिष्ठ अभियन्ता (अनुबन्ध) ₹14,100 (नियमित) 10,300-34,800 +3800(जी.पी.), कनिष्ठ आशुलिपिक (अनुबन्ध) ₹8,710 (नियमित), 5,910-20,200+ 2,800(जी.पी.), सहायक अभियन्ता (अनुबन्ध) ₹21,000, (नियमित) 15,660-39,100+5,400(जी.पी.), सिलाई अध्यापिका ₹2,000, विकास खण्ड अभियन्ता ₹18,000, पंचायत

चौकीदार को ₹2,000 कर दिए गए हैं।

viii) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत, वार्षिक योजना 2015-16 के लिए ₹13.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की है जिसमें 5.77 करोड़ की राशि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु और ₹50.00 लाख की राशि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, थुनाग, मण्डी के जीर्णोधार के लिए स्वीकृत की हैं।

ix) भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 7 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को 12 प्रस्तावित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में से पंचायती राज संस्थाओं में लागू कर दिया गया है। पंचायत/ विभागीय कर्मचारियों को इन एप्लीकेशनो के बारे में प्रशिक्षण पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा में प्रदान किया गया और उन्होंने इस एप्लीकेशन पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी

सूचना और प्रौद्योगिकी हिमस्वान

22.1 राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा (डी.आई.टी.एच.पी.) हिमस्वान नामक सुरक्षित नेटवर्क बनाया गया। हिमस्वान ब्लाक स्तर तक सब राज्य सरकार के विभागों के लिए सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हिमस्वान कुशलतापूर्वक विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक सेवाएं जी.टू. जी.(सरकार से सरकार) जी.टू.सी.(सरकार से नागरिक), जी.टू.वी. (सरकार से व्यापार) सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलैक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने 6 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। हिमस्वान 5.02.2008 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अवधि वर्ष 2014 तक समाप्त हो गई है। अब राज्य सरकार इस परियोजना के संचालन तथा रखरखाव का खर्च वहन कर रही है।

हिमस्वान परियोजना तीन स्तरीय वास्तुकला का उपयोग करते हुए वर्ष 2007-08 में बनाई गई। आजकल कम लागत वाली तकनीक सुलभ है। इसलिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एम.पी.एल.एस.(मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग) बी.पी.एन.ओ.बी.वी.(वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ब्राडबैंड) जिससे तीन स्तरीय संरचना के स्थान पर अधिक प्रबंधनीय एक स्तरीय संरचना का उपयोग करने का फैसला किया। अब सभी कार्यालय का एस.एच.क्यू0-एन.ओ.सी. से सीधे जुड़ाव होगा।

हिमस्वान की वर्तमान स्थिति

- राज्य भर में 1,761 सरकारी कार्यालय हिमस्वान नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
- अब मै0 ओरेंज कम्पनी को तीन वर्ष की अवधि के लिए एस.एच.क्यू. पी.ओ. पी. हिमस्वान के संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है। मै0 ओरेंज कम्पनी ने हिमस्वान की सेवाओं का प्रबंधन 1 सितम्बर, 2014 से शुरू कर दिया है।
- मै0 के.पी.एम.जी. कम्पनी सेवा को हिमस्वान की तीसरी पार्टी के लेखा परीक्षक (टी.पी.ए.) के रूप में हिमस्वान के संचालक के कार्य की निगरानी के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। टी.पी.ए. ने 18 जुलाई, 2014 से सेवाएं शुरू कर दी हैं।
- अब तक 818 कार्यालयों को नई वास्तुकला में स्थानांतरित किया गया है बाकि कार्यालयों की स्थानान्तरण प्रक्रिया जारी है।

राज्य डाटा केन्द्र(एच.पी.एस.डी.सी.)

22.2 राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन.ईजी.पी.) के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश नागरिकों के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर की स्थापना प्रक्रिया में है। विभिन्न सरकारी

विभागों के आवेदनों की मेजवानी के लिए तथा नागरिकों के लाभ के लिए जी.टू.सी. (सरकार से नागरिक), जी.टू.जी. (सरकार से सरकार) जी0टू0वी0 (सरकार से व्यापार) सेवाएं तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए आम बुनियादी ढांचा तैयार करना (कम्प्युट्रिक संयंत्र, साझा सर्वर, भण्डारण, नेटवर्क संयंत्र, बिजली, वातानुकूलन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, यू.पी.एस., व रैक इत्यादि) जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा एकीकरण (सर्वर, दूर संचार उपकरणों एकीकृत पोर्टल/विभागीय सूचना प्रणाली उद्यम और नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा, फायरवॉल/आईडीएस नेटवर्किंग घटक इत्यादि) सोफ्टवेयर डाटावेस तैयार करना शामिल है। इलैक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में पांच साल की अवधि के लिए स्थापना, संचालन और राज्य डाटा सेंटर के रख-रखाव की लागत को वहन कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:-

- एच.पी.एस.डी.सी. के भवन का निर्माण हिमुडा द्वारा मैहली शिमला में किया गया है।
- मै0 ओरेंज कम्पनी पहले डाटा केन्द्र की स्थापना तथा फिर इस परियोजना के चालू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वयन करेगी। मै0 ओरेंज विजनेस सर्विसज ने 26 मई, 2014 से काम शुरू कर दिया है।
- डी0 जी0 सेट तथा ट्रांसफार्मर उपकरणों की स्थापना की जा चुकी है।

- आई0टी0 उपकरणों की स्थापना हो चुकी है। अब आई0टी0 उपकरणों के कॉन्फिगेशन का कार्य जारी है।
- मै0 ई.एण्ड वाई. की, एच.पी.एस.डी.सी. में सेवा के स्तर की निगरानी पांच वर्ष की अवधि के लिए तीसरी पार्टी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है जिसका एच.पी.एस.डी.सी. संचालक द्वारा पालन किया जा रहा है। मै0 ओरेंज कम्पनी ने टी.पी.ए. के तौर पर 24 सितम्बर, 2014 से सेवाएं शुरू कर दी है।

लोकमित्र केन्द्रों की स्थापना

22.3 इस योजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग करके एक समन्वित तरीके से राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 3,366 लोक मित्र केन्द्रों की स्थापना करना तथा ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, निजि तथा सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं सीधे उपलब्ध करवाना है। लोक मित्र केन्द्र ग्राम स्तर पर राज्य के नागरिकों को जी.टू.सी. सेवाओं को उपयोगकर्ताओं तक सीधे पहुंचा रहे है। राज्य सरकार भी ई-जिला परियोजना लागू कर रही है। 51 सेवाओं को ई-जिला मिशन मोड परियोजना के माध्यम से चलाया जा रहा है तथा इन सेवाओं की डिलिवरी भी लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:-

वर्तमान में कुल 3,366 लोक मित्र केन्द्रों में से 2,301 सी.एस.सी. स्थापित किए गए है जिनमें से 2,060 लोक मित्र केन्द्र सक्रिय रूप से निम्न जी.टू.सी. सेवाएं प्रदान कर रहे है:-

- 1) एच.पी.एस.ई.वी. बिजली बिल का संग्रह।
- 2) आई.पी.एच. पानी का बिल।
- 3) नकल जमाबन्दी के प्रति जारी करना (भू-अभिलेख)।
- 4) एच.आर.टी.सी. टिकट बुकिंग आदि।
- 5) ई0 आधार छपाई इत्यादि।
- 6) आधार कार्ड में जनसांख्यिकी का नवीकरण।
- 7) ब्लाक स्तर पर 50 आधार पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। जिसमें से 32 आधार पंजीकरण का परिचालन किया जा रहा है। शेष की लिए आवश्यक हार्डवेयर खरीदे जा रहे हैं।
- 8) नगर निगम शिमला में पानी का बिल संग्रह।
- 9) नगर निगम शिमला में संपत्ति कर का संग्रह।
- 10) जेल वार्ता वीडियो कन्फ्रेंसिंग प्रणाली।
- 11) किसान पंजीकरण प्रतिक्रिया।

राज्य पोर्टल एवं राज्य सेवा वितरण प्रणाली

22.4 सेवा डिलिवरी गेटवे एन.ई. जी.पी. के तहत ई-शासन के बुनियादी ढांचे का मुख्य घटक है। इस परियोजना के अंतर्गत नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे एवं नागरिकों के द्वारा किए गए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में सम्बंधित विभागों को भेजे जाएंगे। 14 विभागों की 49 सेवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक सेवा के लिए कार्य प्रवाह के साथ पोर्टल और ई. फार्म को अन्तिम रूप दे दिया गया है और विकसित प्रणाली लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:-

वर्तमान में राज्य सरकार के 11 विभागों की 36 जी.टू.सी. सेवाओं को www.eserviceshp.gov.in पर राज्य पोर्टल से नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत क्षमता निर्माण

22.5 भारत सरकार की क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों में राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य सरकार के लिए तकनीकी व व्यवसायिक मानव संसाधन उपलब्ध करवाना तथा विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता प्रदान करना है।

1. 4 एस.टी.ई.पी. कार्यक्रम एन.आई.एस. जी. के सहयोग से विभाग द्वारा आयोजित किया गया। जिसमें ई-गवर्नेंस परियोजना के जीवन चक्र परिवर्तन, प्रबन्धन और परियोजना प्रबन्धन पर नीति निर्णय लेने एवं विशेष कौशल तैयार करने के लिए चर्चा की गई। डी.ई.जी.एस. सभी 12 जिलों में बनाई गई है।
2. आज तक 2,323 कर्मचारियों को क्षमता निर्माण परियोजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है।
3. SeMT परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय अधिप्राप्ति सलाहकर को NISG के माध्यम से तैनात कर दिया गया है।

राजस्व न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

22.6 राजस्व न्यायालय मामले की निगरानी प्रणाली प्रभाग, जिला, मण्डलायुक्त और तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों

के उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा राजस्व अदालतों की दैनिक कार्यवाही अन्तरिम आदेशों/ निर्णयों को प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व मामलों का ब्यौरा आम जनता के लिए ऑन लाइन उपलब्ध है नागरिकों को अपने मामलों की स्थिति सूची देखना अन्तरिम आदेशों/ निर्णयों को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:-

1. आर.सी.एम.एस. परियोजना को भारत में ई-गवर्नेंस की पहल को पहचानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2014 सी. एस.आई. निहिलैट ई. गवर्नेंस पुरस्कार मिला है।
2. 242 राजस्व न्यायालयों में आर.सी.एम. एस.सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है।
3. 61,267 अदालती मामले आर.सी.एम. एस. में दर्ज किए गए हैं। जिनमें से 26,710 मामलों का फैसला हो चुका है।

अभियोग निगरानी प्रणाली

22.7 किसी भी सरकारी विभाग के लिए न्यायिक मुकदमों की निगरानी एक बड़ी चुनौती है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसके लिए एक सामान्य साफ्टवेयर तैयार किया गया है इस साफ्टवेयर के प्रयोग से सेक्रेटरी/ विभागाध्यक्ष न्यायिक मुकदमों की निगरानी सरल तरीके से कर सकते हैं और लम्बित मामलों का निर्धारित समय में उत्तर तैयार करना, वर्तमान स्थिति और व्यक्तिगत उपस्थिति के मामलों का निरीक्षण कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:-

1. सभी सरकारी विभाग अपने मामलों की दैनिक स्थिति को देखने के लिए एल.एम.एस. का उपयोग कर रहे हैं।
2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट एल.एम.एस. सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण के लिए माड्यूल तैयार किया है। एल.एम.एस. साफ्टवेयर के द्वारा सभी विभाग उच्च न्यायालय के आदेशों को देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
3. एल.एम.एस. में आज तक 52,193 मामले लम्बित रहे हैं।

निम्नलिखित विशेषताओं को एल.एम.एस. साफ्टवेयर में शामिल किया गया है।

- ई-मेल और एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना, अतिरिक्त निदेशकों, विभागों के प्रमुखों, नोडल अधिकारियों को भेजी जाती है।
- संबंधित विभाग के मामले का विवरण दर्ज होने पर स्वचालित पत्र तैयार हो जाता है।
- विलोपन/मामलों का स्थानांतरण सॉफ्टवेयर में शामिल है।

एकमात्र आई.डी.

(आधार)

22.8 आधार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में दिसम्बर, 2010 में शुरू किया गया था और तब से राज्य सरकार ने आधार बनाने में अग्रणी स्थान बनाए रखा है तथा 70 लाख (96.52 प्रतिशत) से अधिक राज्य के निवासियों को नामांकित किया जा चुका है। 67.77 लाख (93.41 प्रतिशत) से अधिक के यू.आई.डी. बनाए जा चुके हैं। शेष लोगों

के नामांकन के लिए सूचनाप प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 114 आधार स्थायी पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना की गई है। 5-18 वर्ष की आयु वर्ग को स्कूलों व कालेजों के आधार कैम्प के माध्यम से कवर किया जा रहा है। इसके अलावा 50 नए पी.ई.सी.एस. की स्थापना की जा रही है। राज्य में 0-5 वर्ष के वर्ग के लिए इस विभाग द्वारा 450 टैबलेट खरीदे गए हैं जिसका इस्तेमाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आधार पंजीकरण के लिए चार जिलों में किया जा रहा है।

आधार का प्रयोग

- एस.आर.डी.एच. (स्टेट रेजिडेंट डाटा हब) का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है जो आधार सिडिंग में विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान करता है।
- आधार के डाटावेस का प्रयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 78.40 प्रतिशत, मनरेगा में 96.18 प्रतिशत, शिक्षा में 99.58 प्रतिशत, एन.एस.ए.पी. में 76.71 प्रतिशत, एल.पी.जी. में 93.12 प्रतिशत सिडिंग कर दी गई है।
- ₹254.00 करोड़ डी.वी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) द्वारा वितरित किए गए हैं।
- हिमाचल मनरेगा में डी.वी.टी. शुरू करने वाला पहला राज्य है।
- आधार पर आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली नगर एवं शहरी विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय, 5 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में तथा शिमला के एक स्कूल में चालू है।

ई-कार्यालय

22.9 ई-कार्यालय एक उत्पाद है जिसका उद्देश्य अधिक-कुशल प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सरकारी लेन देन सरकारों के मध्य व सरकार के साथ करना है। निम्नलिखित विभागों में ई-कार्यालय आवेदन को लागू करना प्रक्रिया में है:-

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
- हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग।
- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था।
- कोष, लेखा और लाटरी विभाग।
- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग।
- हि0 प्र0 राज्य खाद्य आपूर्ति निगम।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
- शहरी विकास निदेशालय।
- विद्युत निदेशालय।
- पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
- निर्वाचन विभाग।
- हि0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड।
- ई-कार्यालय समाधान आई.टी. विभाग। उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है
- वित्तीय पोषण के लिए एन.आई.सी. के प्रस्ताव को वित्त विभाग के भेज दिया गया है।

जिला अदालतों, जेलों और हिमाचल प्रदेश के अन्य सरकारी कार्यालयों में ई-पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा **22.10** यह सुविधा अदालत में कैदियों को ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करेगी तथा तुरन्त न्याय देने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:-

- मै0 भारती एयरटेल राज्य में विडियो कान्फेसिंग के उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापित करने, इस परियोजना को चालू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
- मै0 भारती एयरटेल ने 63 विडियो कान्फेसिंग की आपूर्ति तथा स्थापित करने का आदेश दिया गया सभी 63 वीडियो कान्फेसिंग सुविधाओं को वितरित कर दिया गया है।
- वीडियो कान्फेसिंग सुविधा को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है अभी तक 60 वीडियो कान्फेसिंग सुविधाएं वितरित की गई हैं।

ई-जिला

22.11 ई-जिला परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य एकीकृत नागरिक केन्द्रीय सेवाएं प्रदान करना, जिला प्रशासन द्वारा नागरिक सेवाओं के एकीकरण और सहज वितरण कार्य प्रवाह के स्वचालन, वैकेंड कम्प्यूटरीकरण, डाटा डिजिटलीकरण की विभिन्न विभागों द्वारा परिकल्पना की गई है। इसके आगे का उद्देश्य आवेदनों का एकीकरण करना, सार्वजनिक मामलों/अपीलों/शिकायतों का तेजी से प्रसंस्करण सूचनाओं का जनता की आवश्यकता के अनुसार सूचना का प्रसार व महत्वपूर्ण सेवाओं को सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से नया स्वरूप देना है तथा इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं।

1. सभी 12 जिलों में डी.ई.जी.एस.सोसाइटी का गठन का कार्य पूरा कर लिया है

- तथा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तैनात कर दिए गए हैं।
2. मै0 विप्रो लिमिटेड ई-जिला एम.एम.पी. के लिए एस.पी.एम.यू. (राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई) सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
3. एम./एस. आई.एल. तथा एफ.एस. टैक्नोलोजी लिमिटेड को डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना के राज्य न्यायी शेल आउट के लिए (सिस्टम इंटीग्रेटर) रूप में चयनित किया गया है।
4. सभी/सेवाओं के लिए बिजनेस प्रोसेसरी-इंजीनियरिंग कार्यात्मक प्रबंधन आवश्यकता निर्देश (एफ.आर.एस.) दस्तावेजों को राज्य के शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
5. ई-जिला मिशन मोड प्रोजेक्ट 51 जी.टू.सी. सेवाएं की पहचान की गई है तथा विभिन्न चरणों (चरण- I से चरण-III) तक राज्य में चलाई जाएगी।
6. हार्डवेयर डिलिवरी, साइट तैयारी 11 जिलों में चलाई गई है (चरण- I में कवर की जाएगी) तथा 1 जिला की साइट में हार्डवेयर डिलिवरी की गतिविधि लम्बित है जिसे शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।
7. 2 जुलाई, 2015 को डिजिटल ईण्डिया सप्ताह के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में 7 विभिन्न सेवाओं को आरम्भ कर दिया गया।
8. ई-जिला योजना का एकीकरण यू.आई. डी.ए.आई. (आधार) एस. एम.एस.गेटवे तथा पे-मेंट गेटवे तैयार कर लिया गया है।
9. पुराने रिकार्ड का डाटा डिजिटल जेशन करने वाले विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) ने विरासत रिकार्ड के

- 10 लाख से अधिक डाटा को स्कैन कर रहे हैं जिसमें से 3,100 पंचायतों का कार्य पूर्ण हो गया है।
10. महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पहचान सेवाओं के डिजिटलईजेशन के लिए 32,550 रिकार्डों को स्कैन कर दिया गया है। जो लगभग पूरा हो रहा है।
11. ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत 7 जिलों के 400 से अधिक सरकारी कार्यालयों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है।
12. श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से 5 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत शुरू की गई हैं।

एन.ई.जी.पी.-ए प्रोजेक्ट

22.12 कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि एवं सहकारी विभाग राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को कृषि क्षेत्र के लिए मिशन मोड कार्यक्रम के तौर पर चला रहा है तथा इसमें कृषि, पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस परियोजना के अंतर्गत 12 सेवा कलस्टर भी चिन्हित किये गए हैं। एन.ई.जी.पी.-ए परियोजना का देश भर से लागू किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उद्देश्य केन्द्रीय कृषि पोर्टल (सी.ए.पी.) तथा राज्य कृषि पोर्टल (एस.ए.पी.) के माध्यम से सरकार से नागरिक/किसान

(जी.टू.सी./जी.टू.एफ.), सरकार से व्यापार (जी.टू.वी.), सरकार से सरकार (जी.टू.जी.) तथा कृषि सेवाएं एकीकृत तरीके से पेश करना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:-

- 193 स्थानों में से 192 स्थानों पर साईट तैयार हो चुकी है तथा हार्डवेयर की आपूर्ति, हार्डवेयर वितरण, सत्यापन और स्वीकृत परीक्षण पूरा कर स्थापित कर दी गई है।
- डाटा डिजिटलीकरण के लिए आर.एफ.क्यू तैयार की गई है।
- सभी कर्मचारियों का वेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्य पूरा कर दिया गया है।
- किसान एस.एम.एस पोर्टल के सभी उपयोगकर्ताओं को सलाहकार एस.एम.एस भेजने के लिए पंजीकृत किया गया है।
- लगभग 7.50 लाख किसानों को किसान पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।
- किसानों को नियमित रूप से एस.एम.एस भेजा जाता है।
- एन.ई.जी.पी.-ए.एन.आई.सी के द्वारा विकसित किया गया है।
- एस.आर.एस. तैयार किया तथा अनुमोदित हो गया है।



ECONOMIC SURVEY

HIMACHAL PRADESH

2015-16

Economics & Statistics Department

FOREWORD

Economic Survey is one of the budget documents which indicates the important economic activities and achievements of the Government. The salient features of the State of the economy of Himachal Pradesh during 2015-16 are presented in Part-i, and statistical tables on various subjects are given in Part-II.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their co-operation in making available the material included in the Survey. The burden of collection and updating the huge and voluminous data and its presentation in a concise and inter-related form was borne by the Economics & Statistics Department. I appreciate and commend the work done by the officers and officials of this department.

**Dr. Shrikant Baldi
Additional Chief Secretary
(Finance, Pig., and Eco. & Stat.)
to the Govt. of Himachal Pradesh.**

INDEX

Contents	Pages
1. General Review	1
2. State Income and Public Finance	9
3. Institutional and Bank Finances	14
4. Excise and Taxation	31
5. Price Movement	34
6. Food Security and Civil Supplies	36
7. Agriculture and Horticulture	41
8. Animal Husbandry and Fisheries	55
9. Forest and Environment	63
10. Water Resource Management	67
11. Industries and Mining	69
12. Labour and Employment	72
13. Power	76
14. Transport and Communication	95
15. Tourism and Civil Aviation	100
16. Education	104
17. Health	118
18. Social Welfare Programme	124
19. Rural Development	135
20. Housing and Urban Development	140
21. Panchayati Raj	145
22. Information and Science Technology	148



Part-I

ECONOMIC SURVEY-2015-16



1. GENERAL REVIEW

Economic Situation at National Level

1.1 THE long term growth prospective of the Indian economy is moderately positive due to its younger population corresponding low dependency ratio, and increasing integration into global economy. The outlook for short term growth is not so good as the Indian economy is not faring well which is evident from the fact that its export has declined in current financial year whereas the oil prices has reduced substantially. The economy having grown 7.2 percent in 2014-15 and expected to grow 7.6 percent in 2015-16.

1.2 The balance of payments position of Indian economy is quite good due to the 75 percent fall in oil prices which further manages the current account deficit (CAD) in the current financial year. Inflation in terms of Consumer Price Index in this period continued to be above the comfort zone. With the various measures taken by the government and the inflation coming off, the economy seems to have shifted to a higher growth trajectory

1.3 The world views India as the most happening place and every efforts has been made to capitalise this factor. Foreign Institutional Investors find investing in India attractive as the returns are high and assured.

1.4 The Gross Domestic Product (GDP) at constant prices, with new Base year i.e. 2011-12, in 2014-15 is estimated at ₹105.52 lakh crore as against ₹98.39 lakh crore in 2013-14. At

current prices Gross Domestic Product in 2014-15 is estimated at ₹124.88 lakh crore as against ₹112.73 lakh crore in 2013-14 shows an increase of 10.8 percent during the year. The Gross Value Added (GVA) at basic prices witnessed a growth of 7.1 percent during 2014-15 (Base 2011-12) against the growth rate of 6.3 percent during the previous year. The growth rate in Gross Value Added during 2014-15 has been achieved due to the higher growth in Other Services (11.4 percent), Mining & Quarrying(10.8 percent), Trade, Repair, Hotels & Restaurant (10.7 percent) Public administration (9.8 percent), Electricity, Gas, Water Supply & other utility services (8.0 percent) and Financial services (7.9 percent). Agriculture, Forestry & Fishing has shown a decline of 0.2 percent.

1.5 The per capita income at current prices is estimated at ₹86,879 in 2014-15 as against ₹79,412 for the previous year recording an increase of 9.4 percent. The per capita income in real terms i.e at 2011-12 prices, is estimated at ₹72,889 for 2014-15 as against ₹68,867 in 2013-14 registering an increase of 5.8 percent.


1.6 The growth rate for the fiscal year 2015-16 is expected around 7.6 percent as per the advanced estimates.

1.7 The inflation management was the key priority. The inflation rate, year-on-year, as measured by the Wholesale Price Index (WPI), remained low in the current financial year (2015-16) in comparison to the previous years in when it was as high as

7.3 percent. The inflation rate in terms of Whole Sale Price Index was (-) 0.7 percent in the month of December, 2015 against 6.4 percent in the month of December, 2014. The All India Consumer Price Index Number for Industrial workers was 6.3 percent in December, 2015 as against 5.9 percent during the period December, 2014.

Economic Situation in Himachal Pradesh

1.8 The economy of Himachal Pradesh is dependent upon the Agriculture and Horticulture and any fluctuation in the production impacts the economy at large. Owing to such situation the State of Himachal has not only emerged as a model of development of hill areas in the country, but has also emerged as a pioneer in various fields of development. The competence and value systems with civilisational heritage, trade liberalisation and other measures to increase the competitive environment in the economy has lead to robust performance of the State. *The economy of the State is expected to achieve a growth rate of 7.7 percent in the current financial year.*



1.9 The State Gross Domestic Product (GSDP) at factor cost At current prices, the GSDP is estimated at ₹1,01,108 crore in 2014-15 as against ₹92,589 crore in 2013-14 showing an increase of 9.2 percent during the year. At constant (2011-12) prices in 2014-15 is estimated at ₹89,050 crore as against ₹82,866 crore in 2013-14 registering a growth of 7.5 percent during the year as against the growth rate of 7.1 percent during the previous year. The increase in total State Domestic Product is mainly attributed to 14.6 percent increase in Transport and Trade, 13.9 percent in Community & Personal Services sectors, 6.1 percent in Secondary sector, 11.4 percent in Finance & Real estate. Whereas the Primary sector decreased by 1.7 percent. Food-grains production, which was 15.85 lakh MT during 2013-14 has increased to 16.74 lakh MT during 2014-15 and is expected at 16.19 lakh MT (anticipated) in 2015-16. The fruit production has decreased by 13.2 percent i.e from 8.66 lakh MT in 2013-14 to 7.52 lakh MT in 2014-15 and during 2015-16 (up to December, 2015) production was 8.19 lakh MT.

1.10 The Per Capita Income at current prices witnessed an increase of 8.6 percent as it increased to ₹1,19,720 in 2014-15 from ₹1,10,209 in 2013-14.

1.11 As per the advanced estimates and on the basis of economic conditions up to December, 2015, the likely growth rate for 2015-16 will be around **7.7 percent.**

**TABLE 1.1
Key Indicators**

Indicators	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
	Absolute Value		%age change over previous year	
G.S.D.P.(₹ in crore)				
(a)At current prices	92,589	1,01,108*	12.5	9.2
(b)At constant prices	82,866	89,050	7.1	7.5
Food grains production (lakh tonnes)	15.85	16.74	2.9	5.6
Fruit production (lakh tonnes)	8.66	7.52	55.8	(-) 13.2
Gross Value Added from Industrial Sector*(₹ in crore)	23,003	24,109	11.5	4.8
Electricity generated (Million Units)	1,951	2,097	7.5	7.4
Wholesale Price Index	177.6	181.2	6.0	2.1
C.P.I. for Industrial Workers(HP)	213	225	10.4	5.6

*At current price

1.12 The economic growth in the State is predominantly governed by agriculture and its allied activities showed not much fluctuations during nineties as the growth rate remained more or less stable. The decade showed an average annual growth rate of 5.7 percent, which is at par with national level. The economy has shown a shift from agriculture sector to industries and services as the percentage contribution of agriculture and allied sectors in total State Domestic Product has declined from 57.9 percent in 1950-51 to 55.5 percent in 1967-68, 26.5 percent in 1990-91 and to 10.4 percent in 2014-15.

1.13 The share of industries and services sectors respectively has increased from 1.1 & 5.9 percent in 1950-51 to 5.6 and 12.4 percent in 1967-68, 9.4 & 19.8 percent in 1990-91 and to 24.8 and 43.0 percent in 2014-15. However, the contribution of other remaining sectors showed a favourable shift i.e. from 35.1 percent in 1950-51 to 21.8 percent in 2014-15

1.14 The declining share of agriculture sector do not, however,

affect the importance of this sector in the State economy as the state economic growth still is being determined by the trend in agriculture and horticulture production. It is the major contributor to the total domestic product and has overall impact on other sectors via input linkages, employment and trade etc. Due to lack of irrigation facilities our agricultural production to a large extent still depends on timely rainfall and weather conditions. High priority has been accorded to this sector by the Govt.

1.15 The State has made significant progress in the development of Horticulture. The topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub-tropical fruits. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

1.16 During the year 2014-15 up to December, 2015, 8.19 lakh tonnes of fruits were produced in the state and it is envisaged to bring 3,000 hectares of

additional area under fruit plants against which 3,244 hectares of area has already been brought under plantation and 8.48 lakh fruit plants of different species were distributed up to December, 2015. Growing of off-season vegetables has also picked up in the state. During the year 2014-15, 15.76 lakh tonnes of vegetables were produced as against 14.66 lakh tonnes in 2013-14 recorded a growth rate of 7.5 percent. It is anticipated that the production of off season vegetables will be of the order of 14.80 lakh tonnes in 2015-16.

1.17 The power is one of the most important input for speedier economic growth and overall development of the State. As a source of energy hydro power is economically viable, non-polluting and is environmentally sustainable. The Power Policy of the State attempts to address all aspects like capacity addition energy security, access and availability, affordability, efficiency, environment and assured employment to people of Himachal. Though the private sector participation in terms of investments in this sector has been encouraging but the smaller projects has been reserved for investors from Himachal Pradesh only (up to 2 MW) and preference will be given for projects up to 5 MW.

1.18 Tourism Industry in Himachal Pradesh has been given high priority, which has also emerged as a major sector in the development of economy of the State. The Govt. has also developed appropriate infrastructure for its development which includes provision of public utility services, roads, communication network, airports, transport facilities,

water supply and civic amenities etc. As a result of high profile media thrust, a significant rise has been noticed in the tourist inflow during last few years as below:-

TABLE 1.2
Tourist arrival (In lakh)

Year	Indian	Foreigners	Total
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31

1.19 Himachal Pradesh has taken a lead in the area of climate change mitigation and has initiated concrete steps for reducing Green House Gas emissions. The development of technologies to conserve the resources and put them to proper use through bio technological innovations which will take Himachal to new heights.

1.20 Information Technology has a great scope for employment generation and revenue earnings. The HIMSWAN provides various G2G, G2C, G2B, e-Procurement and e-Samadhan etc. systems to bring efficiency and transparency in administration.

1.21 Containment of price is on the priority list of government. Himachal Pradesh Working Class Consumer Price Index number during 2015-16 increased by 6.3 percent in December, 2015 as against 6.3 percent at National level also, which clearly shows better management of price situation in the State.

1.22 The aggregate size of the 12th Five year Plan has been projected at ₹22,800.00 crore. However, the annual plan for 2016-17 has been proposed at ₹5,200.00 crore which will be 8.3 percent higher than the plan size of current year 2015-16. The Sectoral spread of the proposed outlay for 12th Five Year Plan (2012-17) is given under:-

Sr. No.	Sector	Proposed Outlay ₹ in crore	%age Share	Priority
1	Agriculture and Allied Activities	2906.79	12.75	III
2	Rural Development	1276.73	5.60	VI
3	Special Area	155.75	0.68	X
4	Irrigation and Flood control	1972.37	8.65	V
5	Energy	2805.59	12.31	IV
6	Industry and Minerals	224.42	0.98	IX
7	Transport and Communication	4709.88	20.66	II
8	Science, Technology and Environment	104.92	0.46	XI
9	General Economic services	596.59	2.62	VII
10	Social Services	7674.22	33.66	I
11	General Services	372.74	1.63	VIII
Total		22800.00	100.00	

1.23 To fulfil the commitments towards public, a separate department of Redressal and Public Grievances under the direct supervision of the Hon'ble Chief Minister has been set up in each of the public service oriented Departments to make this more efficient. Himachal Pradesh is the first state in the country to launch *e-samadhan* for redressal of public grievances.

1.24 The priority of the government has always been for Social Welfare programmes. *Concerted efforts have been made to improve*

the efficiency and quality of public services delivery.

Major achievements on the path of Socio-Economic resurgence are:-

- Social security Pension increased from ₹550 to ₹ 600 per month.
- Under the skill development scheme the eligible criteria for the age group 16-35 years is 8th pass and an amount of ₹1,000 is being provided.
- All persons above the age of 80 years and above are being provided an old age pension of ₹1,100 per month irrespective of any income limit, except those drawing any other pension.
- The state has been nominated for the best State under Krishi Karman Award 2014-15.
- 6.37 lakh Kisan Credit Cards have been issued by the banks.
- Under National Food security Mission Rice in three Districts and Wheat in nine districts have taken to enhance the production.
- Essential commodities are being supplied on subsidized rates to all the ration card holders in the State so as to save them from the on-slaught of rising prices.
- Under Rajeev Gandhi Ann Yojna 37 lakh consumers are being provided 3 Kg wheat and 2 Kg rice every month.
- To achieve faster and more inclusive growth in agriculture sector Dr. Y.S.Parmar Kisan Swarogar Yojna has been initiated.
- Under Tea Development scheme Scheduled Caste tea planters are provided 50 percent subsidy on agriculture inputs.

- Under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) 92,423 farmers have been covered in the State and claims to the tune of ₹ 34.50 crore has been paid.
- Beside Apple and Mango the WBCIS scheme have been expanded to Peach, Plum and Kinnow by including more blocks.
- For Integrated Development of Horticulture, the Government of India has approved an action plan of ₹70.04 crore.
- Under Kisan Call Center scheme the farmers can get any information on agriculture by dialling toll free number 1800-180-1551 between 6 AM to 10 PM.
- During the financial year 2014-15, 2,097 million units of electricity were generated.
- 10,264 MW hydro power has been harnessed out of 27,436 MW identified potential which comes out to 37.41 percent.
- 10 L.E.D bulbs are being provided to domestic consumers at cheaper rate from market.
- Investor meets organized in Mumbai, Bangluru, Ahmedabad and New Delhi.
- The industries contribute 24.81 percent to GSDP during 2014-15 and Industrial Package has been extended up to March, 2017 by Government of India.
- Under Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme 147.78 lakh man days were generated and 3,76,265 households were benefitted.
- To provide shelter to the shelter less rural poor people, 2,128 houses are sanctioned under Indra Awas Yojna.
- Under Rajiv Awas Yojna 503 dwelling units have been constructed.
- Swachh Bharat Mission is being implemented in all the 12 districts of the State in project mode and Himachal is considered as a leading State in the field of Sanitation.
- Under Matri Shakti Bima Yojna all women in the age group of 10-75 years, living below poverty line are covered in case of their death or disability. During this year 118 families were assisted.
- Special attention is being given to quality education and to achieve the target of universalization of elementary education under Sarva Shiksha Abhiyan is vigourously implemented
- Free education is being provided to girl students in the State upto University level.
- The girl students studying in classes IX to XII belonging to SC, ST, OBC, minority communities and BPL families are being provided with hostel facilities in the educationally backward blocks.
- Under Post Matric Scholarship to SC/ST/OBC a total of 16,834 students have been benefitted.
- Under Rajiv Gandhi Digital Vidyarthi Yojna the student of 10th & 12th have been provided 10,000 Notebooks.
- To improve the educational status of the deprived section of the society, various types of scholarships/ stipend are being provided by the State/ Central government at various stages.

- Under National Rural Health Mission 95 Health Institutions are identified to provide 24 hours emergency services.
- Sweeper, Auto Rickshaw, Taxi operator, Garbage collector brought under the National Rural Health Mission.
- Under "BETI HAI ANMOL Yojna" 16,111 girls have been benefitted.
- BETI BACHAO BETI PADHAO has been started in Una district of the Pradesh which has lowest sex ratio.
- Under Mukhya Mantri Kanyadaan Yojna 1,516 beneficiaries were covered upto December, 2015.
- Inter caste marriage and widow re-marriage grant has also been increased from ₹25,000 to ₹50,000.
- Under Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna there is provision of cash incentive of ₹6,000 and so far 5,832 women have been benefitted.
- To provide financial assistance and support services to Rape victims an amount of ₹75,000 is being provided and 30 women have been benefitted in current financial year.
- 13 New cities of the State came under notified area committee.
- Dharmshala is declared Second Municipal Corporation of the State.
- 25 percent exemption in bus fare for woman in road transport has been started.
- ₹90 crore have been spend under Nirmal Bharat Abhiyan.
- Under Rajiv Gandhi Panchyat Sashaktikaran Abmiyan the newly elected representatives of Panchyati Raj Institutions will be provided training.
- Himachal is the only State which has provided horizontal connectivity to 1,761 government offices in the Country.
- To provide transparency in the government procurement e-GP (E-Government Procurement) has been rolled out in IPH, PWD & Controller of Stores.
- Under state Portal and state services Delivery Gateway, 36 G2C services of 11 departments have been made available through this portal at www.eserviceshp.gov.in
- Under Aadhaar scheme more than 70 lakh residents have been enrolled. UID of 67.77 lakh have been generated so far.
- A uniform income limit of ₹ 35,000 per annum fixed for eligibility to avail benefit under various government schemes.
- Two more Women Police Stations has been established in the State
- Under "Service Guarantee Act 86 services in 15 departments has been implemented for efficient and timely solutions.
- Public Services Delivery Helpline has been set up for the people of the State.
- A facility of Toll Free telephone number has been set up for reporting the cases of corruption in the government departments
- The Per Capita Income has touched the level of ₹1,19,720 in 2014-15 witnessing a growth of 8.6 percent over 2013-14 and is estimated at ₹1,30,067 in 2015-16.

Table-1.3
Receipt and Expenditure of the State Government

(₹ in crore)

Item	2012-13 (Actual)	2013-14 (Actual)	2014-15 (RE)	2015-16 (BE)
1.Revenue Receipts(2+3+4)	15598	15711	18907	23535
2.Tax Revenue	6908	7612	9063	10185
3.Non-Tax Revenue	1377	1785	1399	1507
4.Grant-in-aid	7313	6314	8445	11843
5.Revenue Expenditure	16174	17352	20445	23488
(a)Interest Payments	2370	2481	2750	2950
6.Revenue Surplus/Deficit(1-5)	(-) 576	(-) 1641	(-) 1538	47
7. Capital Receipts	4434	4619	11451	4804
(a) Recovery of loans	21	17	26	17
(b) Other receipts	1042	551	1775	900
(c) Borrowings & liabilities	3371	4051	9650	3887
8.Capital Expenditure	4540	4091	10265	4851
9.Total Expenditure(5+8)	20714	21443	30710	28339
Plan expenditure	4386	4714	6199	6821
Non-plan expenditure	16328	16729	24511	21517
As Percent to the Gross State Domestic Product				
1.Revenue Receipts(2+3+4)	18.95	16.97	18.70	21.30
2.Tax Revenue	8.39	8.22	8.96	9.22
3.Non-Tax Revenue	1.67	1.93	1.38	1.36
4.Grant-in-aid	8.89	6.82	8.35	10.72
5.Revenue Expenditure	19.65	18.74	20.22	21.25
(a)Interest Payments	2.88	2.68	2.72	2.67
6.Revenue Deficit/ surplus (1- 5)	(-) 0.70	(-)1.77	(-) 1.52	0.04
7.Capital Receipts	5.39	4.99	11.33	4.35
(a) Recovery of loans	0.03	0.02	0.03	0.02
(b) Other receipts	1.27	0.60	1.76	0.81
(c) Borrowings & liabilities	4.10	4.38	9.54	3.52
8.Capital Expenditure	5.52	4.42	10.15	4.39
9.Total Expenditure	25.17	23.16	30.37	25.64
Plan expenditure	5.33	5.09	6.13	6.17
Non-plan expenditure	19.84	18.07	24.24	19.47

Note: GSDP estimates for 2012-13, 2013-14, 2014-15(Q) & 2015-16(Advance)

2. STATE INCOME AND PUBLIC FINANCE

Gross State Domestic Product

2.1 Gross State Domestic Product (GSDP) or State Income is the most important indicator for measuring the economic growth of a State. According to quick estimates, the total State Domestic Product for the year 2014-15 is ₹89,050 crore against ₹82,866 crore in 2013-14 thereby registering a growth of 7.5 percent at constant prices (Base:2011-12).

2.2 As per the quick estimates the value of Gross State Domestic Product of the Pradesh at current prices which was estimated at ₹92,589 crore for 2013-14 (Provisional estimates) increased to ₹1,01,108 crore during 2014-15, registering an increase of about 9.2 percent This increase is attributed to the agriculture & allied activities sector besides other sectors of the economy. The food grains production increased to 16.74 lakh MT in 2014-15 from 15.85 lakh MT in 2013-14. Whereas the production of apple decreased to 6.25 lakh MT in 2014-15 from 7.39 lakh MT in 2013-14.

2.3 The economy of Himachal Pradesh is predominantly dependent upon agriculture and in the absence of strong industrial base, any fluctuations in the agricultural or horticultural production cause some changes in economic growth also. During 2014-15 about 10.4 percent of state income has been contributed by agriculture sector alone.

2.4 The economy of the state also appears to be in resilient mode in

terms of growth. As per advance estimates, the growth rate of GSDP during 2015-16 will be 7.7 percent.

2.5 The table given below shows the growth of economy of Himachal Pradesh during the last three years:-

Table 2.1

Year	(Percent) H.P.
2012-2013	6.4
2013-2014(P)	7.1
2014-2015(Q)	7.5

Per Capita Income

2.6 According to quick estimates (New Series base 2011-12), the Per Capita Income at Current prices increased to ₹1,19,720 in 2014-15 from ₹1,10,209 in 2013-14 showing an increase of 8.6 percent. At constant (2011-12) prices the per capita income during 2014-15 is estimated at ₹1,04,838 against ₹98,425 in 2013-14 witnessing an increase of 6.5 percent.

Sectoral Contribution

2.7 The sectoral analysis reveals that during 2014-15, the percentage contribution of Primary Sector to total GSDP of the State is 15.91 percent, Secondary Sector 41.08 percent, Transport, Communications and Trade 12.62 per cent and Finance and Real Estate 15.08 percent, Community and Personal Services is 15.31 percent.

2.8 The structural composition of the state economy witnessed significant changes during the decade. The share of agriculture including

horticulture and animal husbandry in GSDP had declined from 21.1 percent in 2000-01 to 10.4 percent in 2014-15, yet the agriculture sector continues to occupy a significant place in the state economy and any fluctuation in the production of food grains/ fruits affect the economy. The share of primary sector which include agriculture, forestry, fishing and mining & quarrying has declined from 25.1 percent in 2000-01 to 15.9 per cent during 2014-15.

2.9 The Secondary sector, which occupies the second important place in the state economy has witnessed a major improvement since 1990-91. Its contribution increased from 26.5 percent in 1990-91 to 41.1 percent in 2014-15, reflecting healthy signs of industrialisation and modernisation in the State. The share of the electricity, gas and water supply sector which is a component of secondary sector has also increased from 4.7 percent during 1990-91 and to 8.6 percent during 2014-15. Tertiary sector which is comprised of sectors like trade, transport, communications, banking, real estate & business services, community and personal services has also witnessed change in its share. Its share in GSDP. for the year 2014-15 is 43.0 percent.

Sectoral Growth

2.10 Following are the major constituents of the economy which attributed to 7.5 percent growth of state economy during 2014-15.

Primary Sector

Primary Sector	2014-15 (₹In crore)	%age Inc. /dec.
1.Agriculture and Animal Husbandry	9,858	-4.0
2.Forestry & Logging	4,054	3.6
3. Fishing	73	11.6
4. Mining & Quarrying	232	3.1
Total Primary	14,217	- 1.7

2.11 Primary sector, which includes Agriculture, Forestry, Fishing, Mining and Quarrying, during 2014-15, witnessed negative growth rate of 1.7 percent, due to decrease in fruit production.

Secondary Sector

Secondary Sector	2014-15 (₹ in crore)	%age Inc. /dec.
1. Manufacturing	21,502	4.5
2. Construction	7,064	4.7
3. Electricity, Gas & Water Supply	7,471	12.4
Total Secondary	36,037	6.1

2.12 The Secondary sector, which comprises Manufacturing, Construction and Electricity, Gas and Water Supply registered a growth of 6.1 percent during 2014-15. As compared to the last year's performance in these sectors the electricity, gas and water supply sector has shown an increased growth in this year .

Tertiary Sector

Tertiary Sector	2014-15 (₹ in crore)	%age Inc. /dec.
1.Transport, Comm. & Trade Hotel	10,195	14.6
2.Finance and Real Estate	12,287	11.4
3.Community and Personal Services	12,456	13.9
Total Tertiary	34,938	13.2

Transport Storage, Communications and Trade

2.13 This group of sectors shows a growth of 14.6 percent during 2014-15. The transport by other means component of this sector has shown a highest growth of 21.8 percent.

Finance and Real Estate

2.14 This sector comprises Banking and Insurance, Real Estate, Ownership of dwellings and Business Services. It witnessed a growth of 11.4 percent in 2014-15.

Community and Personal Services

2.15 The growth in this sector during 2014-15 is 13.9 percent.

Contribution of Local Bodies in the State Gross Domestic Product (GSDP)

2.16 The overall contribution of local bodies in the GSDP for the year

2014-15 is 0.32 percent. Table below shows the growth of local body's in the State.

Percent Contribution of LBs

Year(s)	Percent Contribution
2012-13	0.27
2013-14(P)	0.33
2014-15(Q)	0.32

Prospects- 2015-16

2.17 As per the advance estimates based on the economic performance of State upto December, 2015 the rate of economic growth of state during 2015-16 is likely to be **7.7 percent**. The state has achieved growth rate of above 7.0 percent for last two years. The GSDP at current prices is likely to be about ₹1,10,511 crore.

2.18 According to the advance estimates the Per Capita Income at current prices during 2015-16 has been estimated at ₹1,30,067 against ₹1,19,720 in 2014-15 showing an increase of 8.6 percent.

2.19 A brief analysis of the economic growth in Himachal Pradesh, however, reveals that the State has always tried to keep pace with the all-India growth rate as shown in Table-2.2 below:-

Table 2.2

Period		Average annual growth rate (Percentage)	
Plan	Years/Year	H.P.	All India
First Plan	1951-56	(+)1.6	(+)3.6
Second Plan	1956-61	(+)4.4	(+)4.1
Third Plan	1961-66	(+)3.0	(+)2.4
Annual Plans	1966-67 to 1968-69	..	(+)4.1
Fourth Plan	1969-74	(+)3.0	(+)3.4
Fifth Plan	1974-78	(+)4.6	(+)5.2
Annual Plans	1978-79 to 1979-80	(-)3.6	(+)0.2
Sixth Plan	1980-85	(+)3.0	(+)5.3
Seventh Plan	1985-90	(+)8.8	(+)6.0
Annual Plan	1990-91	(+)3.9	(+)5.4
Annual Plan	1991-92	(+)0.4	(+)0.8
Eighth Plan	1992-97	(+)6.3	(+)6.2
Ninth Plan	1997-02	(+)6.4	(+)5.6
Tenth Plan	2002-07	(+)7.6	(+)7.8
Eleventh Plan	2007-12	(+)8.0	(+)8.0
Twelveth Plan	2012-17		
	(i) 2012-13	(+)6.4	(+)5.6
	(ii) 2013-14	(+)7.1	(+)6.6
	(iii) 2014-15	(+)7.5	(+)7.2
	(iv) 2015-16	(+)7.7	(+)7.6

Public Finance

2.20 The State Government mobilizes financial resources through direct and indirect taxes, non-tax revenue, share of central taxes and grants-in-aid from Central Government to meet the expenditure on administration and developmental activities. According to the budget estimates for the year 2015-16 (BE) the total revenue receipts were estimated at ₹23,535 crore as against ₹18,907 crore in 2014-15(RE). The revenue receipts increased by 24.48 percent in 2015-16 over 2014-15.

2.21 The State's Own Taxes were estimated at ₹6,341 crore in 2015-16(BE) as against ₹5,698 crore in 2014-15(RE) and ₹5,121 crore in 2013-14(A). The State's Own Taxes

was estimated 11.28 percent more in 2015-16 (BE) as against 2014-15 (RE).


2.22 The State's Non-tax Revenue (comprising mainly of interest receipts, power receipts, road transport receipts and other administrative service etc.) was estimated at 1,507 crore in 2015-16(BE). The State's Non-Tax Revenue was 6.40 percent of total revenue receipts in 2015-16.

2.23 The share of central taxes was estimated at 3,844 crore in 2015-16(BE).

2.24 The break-up of the State's Own Taxes reveals that sales tax of 3,937 crore constitute a major portion i.e. 38.65 percent of total tax


Gross State Domestic Product

Percentage Contribution (2014-15) At Current Prices



- Primary
- Secondary
- Transport & Trade
- Finance & Real Estate
- Services

Economic Growth of State (Rs. in Crore) At Constant Prices (2011-12)



revenue in 2015-16. The corresponding percentages for the year 2014-15(RE) and 2013-14(A) were 38.29 and 41.26 percent respectively. The revenue receipts from state excise duties is estimated at ₹1,138 crore in 2015-16 (BE) .

2.25 The percentage of revenue deficit to total GSDP for the year 2013-14 is (-) 1.77 percent and in 2014-15 the percentage of revenue deficit to the total GSDP is (-) 1.52 percent.

3. INSTITUTIONAL AND BANK FINANCES

3.1 The State of Himachal Pradesh comprises of 12 districts. The Lead Bank responsibility has been allocated amongst three banks viz. PNB in 6 districts, UCO Bank in 4 districts and SBI in 2 districts. The UCO Bank is the Convener Bank of State Level Bankers Committee (SLBC). Up to September, 2015, the State has a network of 1,955 bank branches and branch expansion is continuously increasing. 96 new bank branches were opened during October, 2014 to September, 2015. At present 1,564 branches are located in Rural areas and 302 in Semi-urban areas and 89 are functioning at Shimla, the only Urban Centre in the State classified by RBI.

3.2 As per census 2011, the average population per branch in the State comes to 3,511 against National level of 11,000. The Punjab National Bank has the largest number of 299 branches, SBI and its associates is having 351 branches and UCO bank is having 168 branches. The Cooperative Bank has a network of 475 branches and Private Sector Banks have a network of 109 branches. In addition a few Urban Cooperative banks are also functioning in the State. District Kangra is having a maximum number of bank branches i.e 390 whereas lowest number of branches 22 is functioning in district Lahaul & Spiti.

3.3 The Himachal Pradesh State Cooperative Bank Ltd. is an apex Bank of the State, in three tier short term credit structure of the State. Bank is delivering banking services in remotest of the remote areas in six districts with a network of 194 branches and 24 extension counters, all these branches are on CBS mode. State Co-operative Bank is the first

State Co-operative Bank on the National financial switch through which the customers are getting ATM facilities all over the Nation and about 51 own ATMs on strategic locations. Moreover 28 applications are pending with RBI for obtaining licence for opening new places of business. Bank is also providing anywhere money transfer facilities through RTGS/NEFT. The Bank is taking proactive steps towards financial inclusion and has adopted a BC Model in two villages with the help of PACS. Govt. of Himachal Pradesh has authorised the Bank to disburse pension to the retired govt. employees all across the State. The Bank is issuing RuPay KCC Cards, Debit Cards and also providing Mobile Banking, SMS Alerts and Auto renewal of FDRs facilities to its valuable customers.

3.4 The State is having Regional Offices of RBI, NABARD and controlling offices of PNB, SBI, UCO, SBOP, Canara Bank are operating in the State. The outreach of bank services has further increased by installation of 1,616 ATMs by various banks.

3.5 The role and responsibility of banks has well recognized as a partner for accelerating the socio-economic growth wheel of the State. The flow of credit in all priority areas has been enhanced. As on September, 2015, this network of banks in the State has achieved four National Parameters lending to Priority Sector, Agriculture Sector, Weaker Section and lending to women, out of six stipulated National Parameters by RBI. At present, in total advances extended by Banks in the State, the share of the Priority Sector Advances have reached to 71.82

percent, Agriculture Advances to 21.11 percent, Advances to Weaker Sections and Advances to Women increased by 6.21 percent and 14.90 percent and

Credit Deposit Ratio (CDR) at 58.90 percent. The position of National Parameters is given below in the Table-3.1

Table-3.1
Position of National Parameters

Sr. No.	Sector	%age of advances as on 30.9.2014	%age of advances as on 30.9.2015	National Parameter In %age
1.	Priority sector advances	73.37	71.82	40
2.	Agriculture advances	20.78	21.11	18
3.	MSE Advances(PSC)	45.03	41.47	
4.	Other Priority Sectors(PSC)	26.26	29.12	
5.	Advances to weaker sections	19.44	14.90	10
6.	DRI Advances to total advs. of previous year	0.09	0.10	1
7.	Advances to women	8.29	6.21	5
8.	C.D. Ratio	57.07	58.90	60
9.	Advances to SC/ST (PSC)	28.89	9.75	
10.	Advances to Minorities (PSC)	4.30	5.24	

Financial Inclusion:

3.6 The effort to include the financially excluded segment of the society into formal financial system in India is not new. The financial inclusion denotes delivery of financial services at an affordable cost to the vast section of the disadvantaged and low income group. For this purpose, a comprehensive Financial Inclusion Campaign- "Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana" (PMJDY) (launched throughout the country on 28th August, 2014) to cover the excluded section of society and the campaign has completed more than one year. It is a National Mission on financial inclusion to provide all households in the country with affordable financial services with particular focus to empower the weaker section of society, including women small and marginal farmers

and laborers, both in rural and urban areas.

CURRENT STATUS IN HIMACHAL PRADESH:

A. PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA (PMJDY):

3.7 In the 1st phase of implementation of the scheme network, banks in the State have covered all the households with at least one Basic Saving Deposit Account of each household. Banks have opened total 9,98,915 new BSBDA accounts up to the end of September, 2015 since the launch of scheme on 28.8.2014. Out of total PMJDY accounts, 8,80,581 BSBDA accounts are opened in Rural areas and 1,18,334 in Urban areas. In the State, banks have issued RuPay Debit Cards to 7.30 lakh customers under this scheme.

B. UNIVERSAL SOCIAL SECURITY INITIATIVES UNDER PMJDY SCHEME.

3.8 In the 2nd phase of implementation of the scheme, Government of India has launched three Social Security Schemes as a comprehensive social security initiative targeted mainly at the poor and unprivileged. These Social security schemes are launched in the State on 9th of May 2015 and present status is mentioned as below:-

1. MICRO INSURANCE SCHEMES:

i) PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA-(PMSBY):

3.9 This scheme is providing renewable one year **accidental death cum disability cover** of ₹ 2.00 Lakh (₹1.00 lakh for partial permanent disability) to all the saving bank account holders in the age group of 18 to 70 years for a premium of ₹12.00 per annum per subscriber. Banks have enrolled 7,38,649 subscribers under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) from the date of launch (8.5.2015) till 30.9.2015.

ii) PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA-(PMJJBY) :

3.10 This scheme is providing a renewable one year life cover of ₹ 2.00 Lakh to all the saving bank account holders in the age group of 18 to 50 years, **covering death due to any reason** for a premium of Rs.330.00 per annum per subscriber. Banks have enrolled 2,71,822 subscribers under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) from the date of launch (8.5.2015) till 30.9.2015.

2. MICRO PENSION SCHEME:

ATAL PENSION YOJANA (APY)

3.11 Atal Pension Yojana is focused on the unorganized sector and it provides subscribers a / fixed minimum pension of ₹1,000, 2,000, 3,000, 4,000 or 5,000 per month starting at the age of 60 years, depending on the contribution option exercised on entering at the age between 18 and 40 years. Thus the period of contribution by the subscriber under the scheme would be 20 years or more. The fixed minimum pension would be guaranteed by the government. While the scheme is open to the Bank account holders in the prescribed age group, the Central Government would also co-contribute 50.00 percent of the total contribution or ₹1,000 per annum, whichever is lower for a period of 5 years for those joining the scheme before 31st December, 2015 and are not member of any Statutory Social security scheme and are not income tax payers.

3.12 The State Government has also announced to contribute to the Atal Pension Yojana. The co-contribution from State Government in respect of each account holder of unorganized sector worker would be ₹1000 per annum for the next three years who joins the scheme between the period 1.6.2015 to 31.3.2016. The State Government has made a budgetary allocation of ₹10.00 crore to cover 1.00 lakh workers / subscribers under the Atal Pension Yojana in Himachal Pradesh. The State Government is focusing on MGNREGA workers, Mid Day Meal workers, Agriculture and Horticulture labourers and Anganwari workers to adopt the Atal pension Yojana. In the

Atal Pension Yojana (APY), banks have enrolled 3,340 subscribers under the scheme. Banks are putting focus attention on the targeted groups to increase the pace of enrollment under the scheme by conducting financial literacy and awareness campaign.

3. PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA (PMMY):

3.13 Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) rolled out on 8.04.2015 in the Country including Himachal Pradesh. The smaller of the micro enterprises mainly consist of non- farm enterprises in Manufacturing Trading and Services whose credit needs are below ₹10.00 lakh and all the loans given to these segments for income generation will be known as MUDRA loans. All advances granted on or after 8.4.2015 falling under this category be classified as MUDRA loan under the scheme.

3.14 Banks in Himachal Pradesh are allotted target of ₹1,236.50 crore in Financial Year 2015-16 under the scheme. As against the target, banks have disbursed total Mudra loans of ₹427.41 crore up to the period ended October, 2015, since the launch of Scheme and thus achieved 36 percent of the annual targets.

3.15 Banks have launched financial literacy campaign in the Govt./ Private Industrial Training Institutes (ITIs), Vocational Training Centre and Operational Centers (OCs) imparting Skill training in the State. In Himachal Pradesh, 84 Govt Industrial Training Institutes (ITIs), 135 ITIs in Private Sector, 9 Active Vocational Training Centers (VTCs) and 171 Operating Centers (OCs) are mapped with closest bank branches for

imparting Skill development training under the Financial Literacy campaign with the objective to cover ITI/skill trainees with credit linkages under the scheme.

RBI Roadmap 2013-16

Extension of Banking Services in all un-banked villages with population below 2000 in Himachal Pradesh.

3.16 In RBI Roadmap, total 14,953 unbanked villages are covered by opening of Brick & Mortar branch and Business Correspondents (called Bank Mitra) outlets as of September, 2015. Banks have targeted to cover all villages with in March, 2016 as per direction of Reserve Bank of India.

Business Volume of Banks:

3.17 The Aggregate Deposits of all banks operating in the State increased from ₹69,621.00 crore as on September, 2014 to ₹80,529.97 crore as on September, 2015 with the share of Commercial Bank at 72 percent, RRB at 4 percent, Co-operative Banks at 18 percent and Private Sector Banks at 6 percent. The Aggregate advances have also increased from ₹27,128.82 crore as on September, 2014 to ₹31,159.78 crore as on September, 2015 witnessing growth of 15 percent.

3.18 The overall banking business of banks in the State crossed ₹1,11,689.75 crore and has witness the growth of 15.44 percent over the last year. The Public Sector Banks occupy market share of 70.18 percent business in the state. The comparative data is as under in the Table-3.2:

Table- 3.2

Comparative Data of Banks in HP

(₹ in crore)

Sr.No.	Item	30.9.2014	30.9.2015	Variation & %age of growth over September, 2015	
				absolute	%age
1.	Deposit PPD				
	Rural	43036.06	49758.22	6722.16	15.62
	Urban/SU	26584.90	30771.75	4186.85	15.75
	Total	69620.96	80529.97	10909.01	15.67
2.	Advances (O/S)				
	Rural	17186.86	16702.50	(-) 484.36	(-) 2.82
	Urban/SU	9941.96	14457.28	4515.32	45.42
	Total	27128.82	31159.78	4030.96	14.86
3.	Total Banking Business (Dep+Adv)	96749.78	111689.75	14939.97	15.44
4.	Investment made by Banks in State Govt. Securities/Bonds.	3389.11	5546.96	2157.85	63.67
5.	CD RATIO as per Throat Committee	57.07%	58.90%	1.83	3.19
6.	Priority Sector Advances (O/S) of which under:	19632.09	22378.75	2746.66	13.99
	i) Agriculture	5637.17	6579.61	942.44	16.72
	ii) MSE	8839.35	9281.68	442.33	5.00
	iii) OPS	5155.57	6517.46	1361.89	26.42
7.	Weaker Section Adv.	5274.68	4643.94	(-) 630.74	(-) 11.96
8.	DRI Advances	24.10	44.31	20.21	83.86
9.	Non Priority Sec. Adv.	7496.73	8781.03	1284.3	17.13
10.	No. of Branches	1859	1955	96	5.16
11.	Advances to Women	2248.51	1937.14	(-) 311.37	(-) 13.85
12.	Credit to Minorities	1166.84	1172.72	5.88	0.50
13.	Advances to SCs/STs	6444.63	2183.33	(-) 4261.3	(-) 66.12

Performance under Annual Credit Plan 2015-16

3.19 Banks prepared Annual Credit Plan for financial year 2015-16 for disbursement of fresh loan on the basis of potential worked out for various priority sector activities by NABARD. The financial targets under Annual Credit Plan 2015-16 was

increased by 21 percent over the last plan outlay and fixed at ₹15,311.72 crore. Under Annual Credit Plan 2015-16, Banks has disbursed a fresh credit to the tune of ₹7,470.17 crore upto half year ended September, 2015 and achieved 49 percent of Annual commitment. The Sector-wise target vis-a-vis achievement upto 30.9.2015 is as under in the Table 3.3:

Table-3.3
Position as on September, 2015 at a glance

(₹ in crore)

Sr.No	Sector	Annual Target 2015-16	Targets Sept., 2015	Achievement, Sept., 2015		%age Ach. Over targets
				Fresh Units	Amount	
1.	Agriculture	5716.29	2858.15	182306	2917.31	102.07
2.	MSE	4309.15	2154.58	47953	2355.96	109.35
3.	Other Priority Sector	3197.35	1598.67	23727	851.63	53.27
4.	Total Priority Sector (1 to 3)	13222.79	6611.40	253986	6124.90	92.64
5.	Non Priority Sector	2088.93	1044.47	29084	1345.27	1128.80
Grand Total (4+5)		15311.72	7655.87	283070	7470.17	97.67

Implementation of Govt. Sponsored Schemes:

a) Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

3.20 Under this scheme 364 projects sponsored by KVIC/ KBIB & DIC are sanctioned by the banks upto September, 2015 against the annual target of 956 units in the State.

b) National Urban Livelihood Mission (NULM)

3.21 National Urban Livelihood Mission (NULM) has introduced under which loan were given for setting up of Self Employment Ventures, Skill Development and Housing loans to economical weaker section residing in Urban areas. The scheme covers the urban poor. Banks are assigned annual targets of disbursement of ₹ 10.00 crore under SEP component of National Urban Livelihood Mission (NULM) during the current year covering total 2,400 beneficiaries.

c) National Rural Livelihood Mission (NRLM)

3.22 During the current year upto September, 2015, banks have assisted 642 Self Help Groups under National Rural Livelihood Mission (NRLM) with credit of ₹ 11.04 crore.

d) Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS)

3.23 NABARD has further introduced the Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) under the centrally sponsored Govt. schemes having capital subsidy from Govt. of India and banks have disbursed ₹294.58 lakh to 336 new entrepreneurs under the scheme up to half year ended September, 2015.

3.24 Banks are providing short term credit to farmers for meeting their production needs through Kisan Credit Cards (KCCs), an innovative credit delivery mechanism to meet the production credit requirements of the farmers in a timely and hassle free manner. So far Banks had issued 6.37 lakh KCCs to needy farmers.

3.25 The Lead Banks i.e. UCO Bank, PNB & SBI have set up Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in 10 districts of the State. These institutional arrangements are playing a very crucial role in empowering the rural youth. Banks have so far trained total 24,956 rural youths for taking gainful ventures for self sustained growth.

NABARD

3.26 The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has strengthened its association with the developmental process substantially for Integrated Rural Development in the recent years by initiatives encompassing a wide range of activities viz. Development of Rural Infrastructure, Micro Credit, Rural Non-Farm Sector, Minor Irrigation and other agricultural sectors, besides strengthening the rural credit delivery system in the State. The active support from NABARD is generating tremendous social and economic benefits in the rural areas of the state. In addition to its own schemes, NABARD is also implementing centrally sponsored credit linked subsidy schemes of Government of India, like Dairy Entrepreneurship Development Schemes (DEDS), Capital Investment Subsidy Scheme for commercial Production Units of Organic Inputs under National Project on Organic Farming, Agri Marketing Infrastructure (AMI), Solar Schemes, National Livestock Mission (NLM), Agri-clinics and Agribusiness centres etc.

Rural Infrastructure

3.27 Government of India had created Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) within

NABARD in the year 1995-96. Under this scheme, concessional loans are given by NABARD to State Govt. and State owned Corporations for the completion of ongoing projects as also to start new projects in certain selected sectors. This scheme has also been extended to Panchayati Raj Institutions, Self Help Groups and Non-Government Organizations for development of various location specific infrastructures having a direct bearing on society and the rural economy.

3.28 The development of infrastructure in rural areas through Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), since its inception in 1995-96, has emerged as NABARD's major intervention in partnership with the State Governments. The fund has continued with the yearly allocations in the successive Union Budgets. Under this scheme, loans are given by NABARD to State Governments and State owned Corporations for completion of ongoing projects as also to execute new projects in selected sectors. RIDF initially focused on execution of incomplete projects mainly under irrigation sector, however, financing over the years have become broad based covering 34 eligible activities classified into Agriculture and related sectors, social sector and rural connectivity.

3.29 From an initial allocation of ₹15.00 crore under RIDF-I (1995-96), the allocation to the State has now reached the level of ₹590.00 crore under RIDF-XXI (2015-16). RIDF has played an important role in development of diversified sectors like irrigation, roads and bridges, flood protection, drinking water supply in addition to primary education, veterinary services, watershed development, IT

infrastructure etc. In recent years, innovative project for development of poly-houses and micro irrigation systems have been supported, a trend setter for development of agri-business and sustainable farming on commercial lines.

3.30 Financial assistance of ₹5,467.97 crore has been sanctioned under RIDF for implementation of 5,238 projects (as on 31st December, 2015) to the state with rural roads/bridges accounting for 51 percent share, followed by irrigation 31 percent, rural drinking water 17 percent and balance accounted by others including Education, Animal Husbandry etc. During the current Financial Year 2015-16, an amount of ₹584.19 crore has been sanctioned under RIDF-XXI upto 31st December, 2015. An amount of ₹343.60 crore has been disbursed up to 31st December, 2015 to the State Govt. raising the cumulative disbursement to ₹3,897.74 crore.

3.31 After the implementation/ completion of the sanctioned projects, drinking water will be made available to more than 34.83 lakh persons (Ultimate Population) 7,780 km. road will become motorable, 19,997 mtrs. span bridges will be constructed and 1,18,129 hectares land will be benefited through irrigation projects.

3.32 In addition, about 27,180 hectare land will be protected from flood damages through protection measures, 6,219 hectare land will be covered under watershed projects. An area equivalent to 231 hectare of farm lands will be brought under poly-houses with micro irrigation systems on farmer fields. In addition, 2,921 rooms in Primary Schools, 64 Science Laboratories in

Secondary Schools, 25 I.T. centres and 397 Veterinary Hospitals/Artificial Insemination Centres have already been constructed.

New Business Initiatives

a) NABARD Warehousing Scheme (NWS) 2015-16

3.33 NABARD has launched a dedicated scheme during the current year with a corpus of ₹5,000.00 crore, for providing direct loans to public and private sector for construction of warehouses/silos, cold storages and other cold chain infrastructure. Modernization/improvement of the existing storage projects, leading to scientific/additional storage will also be eligible for support. Under the scheme, 3 projects of modernization of cold stores into CA stores was sanctioned to HPMC at Oddi and Rohru in Shimla district and Patlikhul in Kullu district with a loan assistance of ₹855.00 lakh under NWS. The projects have now been completed with a cumulative capacity of 3,480 MT providing services of modern scientific controlled atmospheric storage to Apple farmers.

b) NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)

3.34 NABARD earlier in 2011-12 started a line of credit for State owned institutions/ corporations with sustained income streams, both on-budget and off-budget, for creating rural infrastructure outside the ambit of RIDF borrowing. This opened new avenues for creating rural infrastructure in non traditional areas. In order to further widen the scope of financing rural infrastructure, financing through PPP mode is a major thrust area under NIDA. Infrastructure projects largely benefitting the rural areas and covered in a

harmonized list of projects as approved by the GOI/RBI and activities covered under RIDF and Rurban mission are also eligible for funding under the PPP.

**c) Food Processing Fund (FPF)
2015-16**

3.35 NABARD has established a food processing Fund with a corpus of ₹ 2,000 crore for the year 2014-15 for providing financial assistance for establishing the designated food parks and also for setting up of individual food/ agro processing units in the designated Food Parks with the purpose to provide impetus to development of food processing sector on cluster basis in the country to reduce wastage of agricultural produce and to create employment opportunities, especially in rural areas. Cremica Mega Food Park Pvt. Ltd. Singha, Una is being established with a financial assistance of ₹32.94 crore under the fund.

Refinance Support

3.36 NABARD extended financial support amounting to ₹ 420.44 crore during 2014-15 and ₹561.10 crore during 2015-16 upto 31st December, 2015 to the banks operating in the state by extending refinance disbursement for diverse activities viz. Rural housing, small road transport operators, land development, minor irrigation, dairy development, self help group, farm mechanization, poultry, plantation & horticulture, sheep/goat/piggrey rearing, packing and grading house activity and other sectors. In addition, NABARD has introduced a fund "Long Term Rural Credit Fund" in 2014-15 to supplement the resources of cooperative Banks and RRBs Under this fund, NABARD, HPRO has disbursed an amount of ₹116.70 crore in 2014-15 and an

amount of ₹ 232.30 crore in 2015-16 up to 31st December, 2015. NABARD also supplemented the efforts of Coop. Banks and RRBs, for crop loan disbursement in the State by sanctioning ST (SAO) credit limit of ₹720.00 crore against which the banks have drawn refinance assistance of ₹720.00 crore on 31.03.2015. During 2015-16 credit limit of ₹500.00 crore was sanctioned and against it a total disbursement of ₹396.23 crore has been made as on 31.12.2015.

Micro Credit

3.37 The Self Help Group (SHG) movements has spread across the state and is now on a firm base. The movement has been unscaled with support in the human resources and financial products. In Himachal Pradesh, the cumulative number of credit linked Self Help Groups were stood at 52,448 covering 6.5 lakh rural households against 13.12 lakh total rural households in the state with a total loan outstanding of ₹319.26 crore as on 31st March, 2015. In addition to this, Women Self Help Groups programme is being implemented by NABARD, through local NGOs, in two districts viz. Mandi, Sirmour with grant support of ₹29.55 crore and target of formation and credit linkage of 1,500 Women Self Help Groups and 1,455 Women SHGs respectively. As on 30.09.2015, cumulatively 2,628 Women Self Help Groups have been saving linked and 1,541 Women SHGs have been credit linked.

3.38 The announcement in Union Budget 2014-15, financing of Joint Farming Groups "Bhoomi Heen Kissan" (landless farmers) has further given credence to effort of NABARD in

innovating and reaching out to the landless farmers through Joint Liability Groups mode of financing. As on 31st March, 2015 nearly 2,062 Joint Liability Groups have been provided credit amounting to ₹223.32 lakh by banks in the State. For propagating "Self Help Groups Bank Linkage Programme" and "Joint Liability Group" scheme NABARD is partnering with about 47 Self Help Promoting Institutions/ Joint Liability Promoting Institutions in the State. Further, NABARD facilitates short duration skill development training for SHG members, having availed more than once credit facility from banks. During 2015-16 (up to 31-12-2015) 36 number of Micro Entrepreneurship Development Programme (MEDP) have been sanctioned to various SHPI partners, which resulted into 998 SHG members got training for undertaking livelihood activity either individually or in group mode.

Farm Sector Initiatives

3.39 A total number of 3,025 Farmers Clubs have been promoted in the state as on 31st December, 2015 covering 36,949 farmers from 5,863 villages. A Federation of Farmers Clubs has been formed in Sirmaur district and other in Bilaspur district is working for the welfare of farmers.

a) Watershed Development

3.40 Seven Watershed development projects on full grant basis (One project is impleted in CSR mode) have been funded through NABARD's Watershed Development Fund. Dhundan Watershed project in District Solan has been completed successfully with a grant support of ₹64.10 lakh. Saryanj Sarma watershed project (Full Implementation Phase), District Solan with a grant of ₹ 158.03 lakh, Daseran

watershed project (Full Implementation Phase), District Solan with a grant of ₹122.19 lakh, Sidhchaler watershed project (Full Implementation Phase), District Una with a grant of ₹ 85.67 lakh, Jubehar watershed project (Interim Phase) in Una district with a grant assistance of ₹108.94 lakh and Ambeda Dheraj watershed project (Full Implementation Phase), District Una with a grant of ₹ 105.88 lakh are under implementation through NGOs with the direct support from NABARD. Patwa Khad watershed development project has been sanctioned with grant of ₹ 12.65 lakh under Capacity Building Mode. So far, an amount of ₹ 383.47 lakh has been disbursed under the above projects against the sanctioned amount of ₹ 657.47 lakh. During the year 2014-15, an amount of ₹ 100.00 lakh was released. All the projects cover an area of about 7,687 hectares and 4,908 households from 118 villages. These projects would result not only in raising the water availability but prove to be an important mechanism for environment protection besides increasing productivity and income of the farmers and conserving the diminishing pastures, thus facilitating animal husbandry also.

b) Tribal Development through the Tribal Development Fund (TDF)

3.41 NABARD, Regional Officer, Shimla has sanctioned three projects under tribal development fund. First project covers Tribal Development Programme in 4 villages of Amb block viz. Aloh, Suhin, Basuni & Dhargujjran with a grant assistance of ₹92.81 lakh in District Una and second project on traditional livelihood for tribal families in Baroti, Sanehara, Behri & Tihri villages of Jhandutta block of district Bilaspur

with a grant assistance of ₹104.54 lakh. Third project on Integrated Tribal Development has been sanctioned in Rupri, Chota Kamba and Naptha Panchayats of Nichar Block of Kinnaur District by HARP, Shimla with grant assistance of ₹ 317.76 lakh and loan of ₹ 40.50 lakh. These projects aims at setting up of Wadis (small orchards) as well as dairy units in selected villages covering about 680 acres of area and 1,090 tribal families for plantation of Mango, Kinnow, Lemon, Apple, Walnut, Pear, Wild Apricot with total grant support of ₹ 515.00 lakh and loan of ₹40.50 lakh from NABARD. The projects are expected to provide tribals with an opportunity to raise their income level through the wadi and dairy initiatives.

c) Support through the Farm Sector Promotion Fund (FSPF)

3.42 Under FSPF, 20 projects and 12 seminars/ workshops/ fairs/ Apple calendar have been funded so far with a grant assistance of ₹113.01 lakh. So far, upto 31.12.2015, a grant assistance of ₹112.15 lakh has been released for the purpose. These projects pertain to validation and promotion of fixed bee hives for rearing indigenous honey bee (*Apis cerena*), Promotion and Relication of System of Rice Intensification (SRI) method for sustainable live hood, Project for Agricultural Development with focus on System of Wheat intensification, Farmers training and demonstration on production and protection technology of temperate fruits in far flung areas, Validation and promotion of production practices of Exotic vegetables for Susustainable income, Pilot Project on Augmenting Productivity of lead Crop

Activities through Adoption of Sustainable Agriculture practices, Dissemination of technology for Raising healthy Nursery of vegetable Crops, project on Strengthening of improved fodder cultivation and silage making, Project on 'Demonstration and promotion of integrated apple crop management technolgis with farmers' participation approaches in apple growing districts, Promotion and popularization of production, protection and marketing techniques for quality vegetables, Project on introduction and propagation of Azolla as an economic feed substitute for livestock, project on 'productivity enhancement by setting up of 'Cattle Development Centre' project on Promotion of commercial cultivation of potential flowering potted plants, on Temprate Region etc. covering Solan, Una, Bilaspur, Shimla, Kullu, Kangra and Mandi districts of the state. Through the projects and seminars/ workshops/ fairs about 28,000 farmers have been benefitted.

d) Promotion of Farmer Producer Organisation (FPOs)

3.43 Ministry of Agriculture, Government of India, has allocated a budget of ₹ 200.00 crore for formation of 2,000 Farmer Producer Organisations in the country. In the state of Himachal Pradesh, NABARD has sanctioned a grant of ₹18.49 lakh to 19 NGOs for formation / promotion of 58 FPOs in Shimla, Mandi, Kinnaur, Sirmaur, Chamba, Kangra, Hamirpur, Bilaspur, Kullu and Lahaul & Spiti districts. These FPOs will undertake production, primary processing and marketing of vegetables, medicinal and aromatic plants and flowers on aggregation basis.

e) **Umbrella Programme on Natural Resource Management (UPNRM)**

3.44 NABARD has been implementing NRM based projects like watershed and wadi projects for the past 16 years under Indo-German collaboration with support from KFW and GTZ. With a view to restructure bilateral cooperation in the field of NRM, the Govt. of India and Germany have launched an UPNRM. NABARD and German Development Cooperation have been identified as the two strategic partners in the programme. The objective of the programme is to reduce poverty by creating livelihood opportunities, increasing farm income, strengthening the agriculture value chain and conserving the natural resources. To achieve environmental friendly economic growth across all strata of society, UPNRM supports projects that link natural resource management with livelihood improvements of the rural poor. In the State, upto 2015-16 (31.12.2015) financial assistance of ₹50.55 lakh has been sanctioned by Himachal Pradesh Regional Office of NABARD under UPNRM projects.

Rural Non-Farm Sector

3.45 NABARD has identified Rural Non-Farm Sector as one of the thrust areas of development. It is providing refinance support to Commercial Banks/RRBs and Cooperative Banks for development of Rural Non-Farm sector in the State. NABARD is also supporting Swarojgar Credit Card (SCC) Scheme by way of refinance, for the benefit of rural artisans and other small entrepreneurs, by keeping provision of timely and adequate credit for working capital or

block capital or both to them. in addition to providing refinance for production and marketing of Rural Non-Farm products, NABARD is providing financial assistance for promotion of skill/entrepreneurship development amongst the Rural Youth, Training by Master Craftsman, Rural Development and Self Employment Training Institutes RUDSETIs, RUDSETI type of institutes engaged in training rural youth in various activities having potential for employment and income generation. Skill Development Initiatives envisage to develop, upgrade or diversify the existing skills of the people in rural areas looking for wage employment or livelihood opportunities both in group mode or individually. The cumulative number of SDPs sanctioned in the State till December, 2015 was 233 involving grant assistance of ₹120.18 lakh benefiting about 4,832 persons.

Ground Level Credit Flow

3.46

- (a) The credit flow at the ground level during 2014-15 for Priority Sector aggregated ₹10,964.98 crore representing an increase of 17 percent over 2013-14. The target for 2015-16 has been fixed at ₹13,222.79 crore for various banks based on Potential Linked Credit Plans prepared by NABARD. Till 30th September, 2015, the achievement against this was ₹ 6,124.90 crore.
- (b) NABARD has been preparing the district level Potential Linked Credit Plans (PLPs) on an annual basis for all districts of the State which reflect in a realistic way the ground level potentials, as also the credit and non-credit linkages needed for achieving the targets

envisaged. The PLPs are prepared based on detailed discussions/ interaction with various stakeholders viz. State Govt, District Administration, Banks, NGOs, farmers and other related agencies. Broad sector wise PLP projections for 2016-17 has been assessed at ₹16,124.61 crore for Himachal Pradesh.

Financial Inclusion

3.47 Financial Inclusion is the process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular at an affordable cost in fair and transparent manner by mainstream institutional players. Government of India constituted two funds viz. Financial Inclusion Fund (FIF) and Financial Inclusion Technology Fund (FITF) to provide impetus to financial inclusion initiatives in the country. Both were merged to create a single "Financial Inclusion Fund" following intervention under FIF & FITF have been made by NABARD in Himachal Pradesh to scale up Financial Inclusion drive.

3.48 The objective of FIF is to support "developmental and promotional activities" with a view to securing greater financial inclusion, particularly among weaker sections, low income groups and in backward regions/ hither to unbanked areas. NABARD continued to manage FIF for meeting the cost of developmental and promotional interventions. The major interventions taken during

2014-15 as on 31st December, 2015 are as under:

- For spreading awareness regarding financial literacy in the state, 782 financial literacy camps have been organised in the state covering all the districts including Lahaul-Spiti.
- Sanctioned grant assistance of ₹ 65.60 lakh to Regional Rural Bank and Cooperative banks in State for setting up 13 Financial Literacy Centres (FLC) at district/ block level for spreading financial education among relatively remote and backward areas.
- Scaled up financial literacy drive through Jingles/TV scrolling on BIG FM, AIR and Doordarshan.
- Supported Regional Rural Bank (RRB) for promoting PMJDY/ financial literacy through magic shows/ . .nukkad . .natak . . in international "Kullu Dussehra festival" and international "Lavi Fair" Rampur, Shimla.
- Promoted financial literacy through magic shows/ nukkad natak in all the districts of Himachal Pradesh.
- Published advertorial on financial literacy in leading newspapers of the state.
- Supported SLBC, RRB and Coop. Banks for spreading message of financial literacy through literacy material like calendar, diary, guide and posters.
- Three projects were sanctioned under this fund for issue of 98,600 Rupay KCCs to RRB and Cooperative Bank in the State. Rupay Kisan Card will enable KCC account holders to access anywhere anytime banking facilities.

- One project for meeting operational cost i.e., reimbursement of Inter-Change Fee ₹15.00 and Switching Fee ₹2.50 per transaction of RuPay KCC Card was sanctioned to Cooperative Bank.
- An amount of ₹57.41 lakh has been sanctioned to HPGB, Mandi for issuance of 2,97,394 RuPay Card for the Basic Service Accounts holders.
- An amount of ₹28.80 lakh has been sanctioned to HPGB, Mandi for purchase of 100 Micro ATMs which will be deployed with the Business correspondents in the rural area.

As on 31st December, 2015, an amount of ₹ 353.09 lakh has been sanctioned to all stake holders in the State for various initiatives under FIF.

New Business Initiatives

Financial Assistance to Producers Organisation (PODF)

3.49 In order to support and finance Producers Organisations, NABARD has set up the "Producers Organisations Development Fund". The fund has been set up to support any registered producers organization viz., Producers Company (as defined under Sec 581 A in part IXA of Company's Act 1956), Producers Cooperatives, registered Farmer Federations, Mutually Aided Cooperative Societies, Industrial Cooperative Societies, other registered federations, PACS, etc. set up by producers to meet/the needs of the producers (farmers, artisans, handloom weavers, etc.) by providing timely credit mix of loan & limited grant), capacity

building of producers, strengthening of Producers' Organisation.

Financial assistance to PACS for taking up Multi Service Activities

3.50 In order to enable PACS to provide more services to their members and generate income for themselves, an initiative has been taken to develop PACS as Multi service Centres for enabling the PACS to provide ancillary services to their members and for creating additional business avenues and diversify its activities. In the year 2015-16 up to 31.12.2015 financial assistance of ₹ 87.40 lakh has been sanctioned by Himachal Pradesh Regional Office of NABARD.

Financial Assistance to Federations

3.51 In order to strengthen Marketing Federations/ Cooperatives in the marketing and other agriculture activities a separate line of credit, viz. Credit Facilities to Federations has been made available for the Marketing Federations/ Cooperatives to promote the marketing of agriculture produce and other agriculture activities. Marketing Federations/ Cooperatives having PACS and other producers' organisations as members/share holders are eligible to avail financial assistance under this scheme. Financial assistance will be available in the form of short term loan for crop procurement under Minimum Support Price Scheme (MSP) and supply of seeds, fertilizers, pesticides, plant protection, etc to the farmers and in the form of long term loan for post harvest handling including sorting & grading, primary processing, marketing etc. Such Federations/ Cooperatives should also be supported for providing agro advisory services and market

information through e-agriculture marketing.

Financial Assistance to Cooperative Banks

3.52 NABARD has been traditionally providing refinance support to District Co-operative Banks through State Cooperative Banks. NABARD has designed a Short Term Multi purpose Credit Product for financing the CCBs directly for meeting working capital and farm asset maintenance needs of the individual borrowers and affiliated Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS).

Investment Credit

3.53 The scheme for Development/ Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure, Grading and Standardization (AMIGS) and Grameen Bhandaran Yojana, a Capital Investment Subsidy scheme for Construction/Renovation of Rural Godowns has been formulated by Govt. of India to develop marketing infrastructure in the country to cater to the post-harvest requirement of production and marketable surplus of various farm products. From 1st April, 2014, both these schemes have been merged under "Agriculture Marketing Infrastructure (AMI)", a sub-scheme under "Intergated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM)". During 2014-15, one unit has been established with total subsidy release amounting to ₹ 6.16 lakh.

3.54 With a view to provide sustainable employment opportunities to members of SHGs and rural folks to increase their income level and also to increase milk production in the state by better cattle and milk management,

through DEDS scheme of Government of India. During 2014-15 ₹125.79 lakh subsidy was disbursed to 157 beneficiaries and during 2015-16 up to 31.12.2015 ₹141.59 lakh subsidy has been disbursed to 171 beneficiaries.

3.55 In addition to this, four more Government sponsored Schemes namely "Agriclinic and Agribusiness centres Scheme", "Scheme for commercial production Units of organic inputs under National Project on Organic Farming", "National Livestock Mission" and "Scheme for promoting solar Photovoltaic (SPV) Water pumping Systems for Irrigation Purpose" are operational in the state under which subsidy is routed through NABARD.

NABCONS

3.56 NABARD Consultancy Services (NABCONS) is a wholly owned subsidiary promoted by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and is engaged in providing consultancy in all spheres of agriculture, rural development and allied areas. Nabcons leverages on the core competence of the NABARD in the areas of agricultural and rural development, especially multi disciplinary projects, banking, institutional development, infrastructure, training, etc. The broad areas of specific competence in which the consultancy assignments are taken up by NABARD Consultancy Services are feasibility studies, project formulation, appraisal, financing arrangement, project management and monitoring, concurrent and impact evaluation, restructuring of agri-business units, vision documentation, development administration and reforms, institution

development and turnaround of rural financial institutions, performance rating of rural agencies, bank supervision, policy and action research studies, seminars on rural development themes, micro finance related training, exposure visits and capacity building, training of trainers and building up training institutions, non-farm enterprise promotion.

3.57 NABCONS has completed study assignment on "Third Party Evaluation of Rashtriya Krishi Vikas Yojna-2013-14" for HP Govt. In 2015-16. NABCONS has also taken up evaluation study of Special central Assistance to SCs, OBCs and Minority communities schemes in HP in 2015-16. Besides this, NABCONS has also completed the assignment on "Design Development, Implementation & Maintenance of Mandi Management Information System (MMIS) in APMCs for Himachal Pradesh State Agriculture Marketing Board (HPSAMB)", Feasibility study for setting up of Controlled Atmosphere (CA)/cold stores in HP for HPSAMB", "Third party inspection of Border Area Development Programme (BADP) projects-2011-12 & 2012-13" for Tribal Development Department, GoHP in Himachal Pradesh. In Addition, NABCONS also taken up appraisal of loans cases for cooperative banks in H.P.

Institutional Development

3.58 NABARD has been extending financial support to Agriculture Cooperative Staff Training institutions (ACSTIs) under SOFTCOB out of Cooperative Development Fund (CDF) to facilitate effective training delivery and support their training capacities for visible improvements in

the Cooperative Credit System (CCS) with enhancement of skills and capacities of staff available with CCS. Under the scheme the training expenditure as well as capital expenditure of the institutions is reimbursed as per the scheme.

3.59 NABARD has initiated a participative exercise with the help of C-PEC and selected CTIs to bring about an objective improvement in the performance of the CTIs and Linking the same to SOFTCOB assistance. The CTIs must accord priority to training programmes that address to the training needs of Cooperative Banks and PACS in areas such as, core banking solutions, computerisation, financial / profitability aspects and risk management areas, etc. For enhanced competency in financial sector. NABARD extended financial support of ₹36.49 lakh in 2013-14 and ₹27.59 lakh in 2014-15 to ACSTI of the State.

NABARD's initiatives for Climate Change in Himachal Pradesh

3.60 NABARD has been designated National Implementing Entity (NIE) for Adaptation Fund (AF), Green Climate Fund (GCF) set up under United Nation's Framework convention on Climate Change (UNFCCC) and for 'National Adaptation Fund for climate change (NAFCC) set up by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF &CC).

3.61 NABARD in its efforts to meet the future challenges of climate change has facilitated the preparation, development and sanction of a project on 'Sustained Livelihoods of Agriculture Dependent Communities in Drought Prone District of Himachal Pradesh through Climate Smart Solutions' in

Sirmour District from the Executing Entity (EE) i.e. Department of Environment, Science and Technology, Government, of Himachal Pradesh. The MoEF&CC has sanctioned ₹20 crore for the project in National Steering

Committee on climate change, NABARD will coordinate with the EE for execution of the project. This is a big achievement, the state of Himachal Pradesh is one of the first three states who have been able to get the project sanctioned under NAFCC.

4. EXCISE AND TAXATION

4.1 The Department of Excise and Taxation is a major revenue earning department of the Government of Himachal Pradesh. During the year 2014-15 revenue collected under VAT was ₹3,660.57 crore which is 70.67 percent of total revenue collected of ₹ 5,179.78 crore. During the year 2014-15 revenue of ₹1,044.14 crore has been collected under the head 0039-State Excise Act against the target of ₹1,014.81 crore, which is 20.16 percent of total revenue collection and remaining 9.17 percent collection was under the HP Passenger and Goods Tax Act, HP Luxury Tax Act, HP Certain Goods Carried by Road Tax Act and HP Entertainment Tax Act.

4.2 The Department has provided different facilities and the targets fixed for these facilities have been described below:-

- With effect from 1.04.2015 the quarterly/monthly returns have been merged and the dealer will be required to file only return in Form VAT-XV. This will not only save time but lead to better mapping of the data provided by the dealer.
- VAT rate of ATF sold to non-scheduled airlines (other than defence) has been decreased from 27 percent to 1 percent w.e.f. 1.05.2015.
- The taxable quantum for a person running a hotel, restaurant, bakery and other similar establishments, wherein food preparations including tea are served has been raised from ₹ 5.00 lakh to ₹ 8.00 lakh w.e.f. 18.05.2015.
- Goods vehicles entering the State with full e-declaration of loaded goods are not required to stop at the Barrier w.e.f. 18.05.2015. It is pertinent to mention that outgoing goods vehicles are already not required to stop at the barrier in case they make e-declaration.
- For general dealers (other than a dealer running a restaurant holding bar license for retail sale of liquor under the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 and a dealer dealing in medicine) the cut off turnover is up to ₹25.00 lakh. Dealers making inter-state purchases who sell goods exclusively within the State after purchasing them are also allowed to opt for this scheme. The lump sum tax rate is computed at the rate of 1 percent of the taxable turnover during the quarter.
- The procedure of deemed assessment has been simplified and streamlined, so that the dealers are facilitated and the dealers filing correct and complete returns are covered under the same.
- VAT on LED bulbs and fabrication of bodies of Trucks and Buses has been reduced from 13.75 percent to 5 percent w.e.f. 25.07.2015.
- Energy efficient Chullahs certified by The Energy and Research Institute (TERI) or approved by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) have been exempted from payment of VAT w.e.f. 25.07.2015.
- E-payment of tax under CST-1970 and VAT-2005 has been made compulsory w.e.f. 1.10.2015 to facilitate the dealers and to result in better accounting of the tax deposited.

- With a view to facilitate the dealers for tax payment 40+ Banks have been integrated in Cyber Treasury w.e.f. 6.06.2015.
- The dealers whose annual return will bear their digital signature will not be required to file hard copy of the same w.e.f. 14.12.2015.
- With effect from 4.01.2016, the goods on which rate of tax otherwise applicable is more than 4 percent other than Motor spirit, (Petrol including ATF and Diesel), when sold to Central Police Canteen shall be taxable @ 4 percent. Similarly goods when further sold by Central police Canteen directly to their serving and retired Central Armed Police Forces Personals will also be taxable @4 percent.
- Entry tax for Industrial inputs to new Industrial Units that have commenced commercial production on or after 1.10.2015 has been reduced from 2 percent to 1 percent.
- Electronic facility for filing e-return and deposit of tax in Cyber Treasury by the registered dealers w.e.f. 01.04.2015 under the Revenue Head 0045 Luxury Tax has been made available, to make the tax administration more smooth and transparent.
- The power has been granted to AETC/ ETO of the District to authorize the industrialists/ dealers to collect payment of Additional Goods Tax/Certain Goods carried by Road, under the HP PGT Act/ HP CGCR.
- The Government has reduced CGCR tax on packed drinking water from ₹ 7.50 per 10 Lt. to ₹2 per 10 Lt. to make this Industry more competitive.
- The Government has exempted the registered proprietor of new hotels from payment of Luxury Tax in rural areas, which came into operation after 1.04.2014 for a period of ten years from the date of operation.
- Magic and Circus shows have been exempted from Entertainment Duty from 1.04.2015 for a period of ten years to promote traditional arts.
- The revenue targets for the year 2015-16 has been fixed at ₹1,124.10 crore which is expected to be achieved successfully at the closure of this financial year. The State has implemented its own Excise Act-2011 w.e.f. 18.08.2012 under which a specific provision for 'Confiscation of Vehicle' being used for the smuggling of liquor has been made. The affixing of Holograms on each bottle of IMFL and Country Liquor has made compulsory, so that consumer may get qualitative liquor.

TABLE 4.1

GROWTH OF REVENUE RECEIPTS

(₹ in Crore)

Year	State Excise	Sales Tax	PGT	OTD	Total
2000-01	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-02	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-03	237.42	383.33	31.45	75.10	763.30
2003-04	280.21	436.75	33.96	85.24	836.16
2004-05	299.90	542.37	38.32	97.83	978.52
2005-06	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-07	341.86	914.45	50.21	118.64	1425.16
2007-08	389.57	1092.16	55.12	137.13	1673.98
2008-09	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-10	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-11	562.95	2103.39	93.26	283.35	3042.95
2011-12	707.36	2476.78	94.36	294.96	3575.46
2012-13	809.86	2728.22	101.39	331.88	3971.35
2013-14	952.67	3141.09	104.86	326.28	4524.90
2014-15	1044.14	3660.57	110.05	365.02	5179.78
2015-16(upto Dec., 2015)	790.21	2982.29	87.08	276.47	4136.05

5. PRICE MOVEMENT

Price Situation

5.1 Containment of Inflation is on the priority list of Government. Inflation hurts the common man most as their income is not indexed to prices. Inflationary tendencies are measured by Wholesale Price Index (WPI). The Wholesale Price Index at National level

during the month of December, 2014 was 178.7 which decreased to 177.4 (P) in the month of December, 2015 showing an inflation rate of (-) 0.7 percent. The month-wise average Wholesale Price Index Numbers for the year 2015-16 depicting inflation rate is given in the table 5.1 below:-

Table-5.1
All India Wholesale Price Index No. (Base 2004-05=100)

Month	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	Inflation rate
April	125.0	138.6	152.1	163.5	171.3	180.8	176.4	-2.4
May	125.9	139.1	152.4	163.9	171.4	182.0	178.0	-2.2
June	126.8	139.8	153.1	164.7	173.2	183.0	179.1	-2.1
July	128.2	141.0	154.2	165.8	175.5	185.0	177.6	-4.0
August	129.6	141.1	154.9	167.3	179.0	185.9	176.5	-5.0
September	130.3	142.0	156.2	168.8	180.7	185.0	176.5	-4.6
October	131.0	142.9	157.0	168.5	180.7	183.7	176.9	-3.7
November	132.9	143.8	157.4	168.8	181.5	181.2	177.6(P)	-2.0
December	133.4	146.0	157.3	168.8	179.6	178.7	177.4(P)	-0.7
January	135.2	148.0	158.7	170.3	179.0	177.3
February	135.2	148.1	159.3	170.9	179.5	175.6
March	136.3	149.5	161.0	170.1	180.3	176.1
Average	130.8	143.3	156.1	167.6	177.6	181.2


P: Provisional

5.2 The price situation in Himachal Pradesh remained under constant watch. The Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department of the State has been keeping constant vigil on the price situation and maintained the mechanism of supplying the essential consumer commodities to the public through a network of 4,856 fair price shops. In order to monitor food insecurity and vulnerability issues the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs is also implementing Food Insecurity and Vulnerability Mapping System (FIVIMS) through G.I.S. As a result of various measures by the State Government the prices of essential

commodities remained under control. Consumer Price Index (CPI)IW(Base 2001=100) of Himachal Pradesh increased at lower rate as compared to the National level. The C.P.I. for industrial workers in H.P. increased by only 6.25 percent in December, 2015 against 6.32 percent at National level. Further, in order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Govt. is vigorously enforcing various Orders/Acts. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities continued during the year so that effective measures can be taken in time to check undue price rise.

PRICE INDICES

Whole Sale Price Index(2004-05=100)



Consumer Price Index Number of Himachal Pradesh (2001=100)




Table - 5.2
Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers in H.P.
(Base 2001=100)

Month	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	Percentage change over previous year
April	158	167	185	201	219	227	3.7
May	158	169	185	205	219	229	4.6
June	158	169	186	208	221	230	4.1
July	163	174	192	213	227	233	2.6
August	164	174	195	214	229	234	2.2
September	165	176	195	215	228	236	3.5
October	165	179	195	217	227	239	5.3
November	165	179	196	218	225	241	7.1
December	166	177	196	213	224	238	6.25
January	168	178	198	214	225	-	..
February	166	178	199	215	225	-	..
March	165	180	199	217	226	-	..
Average	163	175	193	213	225	--	..

Table- 5.3

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers of All India
(Base 2001=100)

Month	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	Percentage change over previous year
April	170	186	205	226	242	256	5.8
May	172	187	206	228	244	258	5.7
June	174	189	208	231	246	261	6.1
July	178	193	212	235	252	263	4.4
August	178	194	214	237	253	264	4.4
September	179	197	215	238	253	266	5.1
October	181	198	217	241	253	269	6.3
November	182	199	218	243	253	270	6.7
December	185	197	219	239	253	269	6.32
January	188	198	221	237	254	-	..
February	185	199	223	238	253	-	..
March	185	201	224	239	254	-	..
Average	180	195	215	236	251	-	..

6. FOOD SECURITY AND CIVIL SUPPLIES

Targeted Public Distribution System(TPDS)

6.1 One of the main constituents of the Government strategy for poverty alleviation is Targeted Public Distribution System which ensures availability of essential commodities like Wheat, Wheat Atta, Rice, Levy Sugar and Kerosene through a net work of 4,856 Fair Price Shops. The total families for distribution of essential items have been divided in two categories viz;

- 1) National Food Security Act (NFSA) (Eligible Household)
 - i) Antyodaya Anna Yojana (AAY)
 - ii) Priority Households

2) Other than NFSA (APL)

6.2 In the State, the TPDS, having total ration cards 18,27,900 covering cards population 77,33,519. These card holders are provided with essential commodities through the network of 4,856 fair price shops which constitutes 3,210 Cooperative Societies, 37 Panchayat, 90 Civil Supplies Corporation, 1,513 Individual and 6 Mahila Mandals in the State.

6.3 Distribution of essential commodities during the year 2015-16 upto December, 2015.

Table-6.1

Sr. No.	Name of Commodity	Unit	Distribution of items upto December,2015
1	Wheat/Atta APL	M.T.	1,35,699
2	Rice APL	M.T.	66,293
3	Wheat BPL	M.T.	18,111
4	Rice BPL	M.T.	16,259
5	Wheat AAY/NFSA	M.T.	84,578
6	Rice AAY/NFSA	M.T.	60,927
7	Rice Annapurna	M.T.	51
8	Rice M.D.M.	M.T.	11,617
9	Levy Sugar/ Sugar NFSA/APL	M.T.	38,902
10	Dal Channa	M.T.	12,394
11	Urd Whole	M.T.	1,607
12	Kabli Channa	M.T.	11,019
13	Black Masur	M.T.	4,100
14	Ioddised Salt	M.T.	10,080
15	Refind Oil	K.L.	19,135
16	Mustard Oil	K.L.	6,684

6.4 Presently, following food items are being distributed under

TPDS & H.P State subsidised schemes which is as under :-

Table- 6.2

Sr.No.	Per Ration Card	Distribution (Quantity)
1	Up to two members	One Kg. Dal Rajmah, One Kg. I.Salt and only One litre E/Oil.
2	Three or four members	One Kg. Dal Rajmah , One Kg. Dal Chana, One Kg. I. Salt, Two litres E/Oil.
3	Five & above members	One Kg. Dal Rajmah, One Kg. Dal Chana, One Kg. Dal Black Masur, One Kg. I.Salt, Two litre E/Oil Rate of Dal Rajmah @ ₹30.00 per Kg., Dal Chana@₹35.00 per Kg., Black Masur@₹45.00 per Kg., I. Salt@ ₹4.00 per Kg., Edible oil (Refind Oil) @ ₹ 55.00 per litre,
4	Other than NFSA	
	i) APL	15 Kg.W/Atta @₹8.50 per Kg., 6Kg. Rice @₹10.00 per Kg. Note:- The State Govt. has decided to provide 20 Kg. Atta and 15 Kg. Rice per family per month to APL category of Tribal Areas of the State.
	ii) BPL	The BPL families is being issued additional food-grains to make good the quantity equal to 35 Kg. per family per month at BPL rate i.e. Wheat@₹ 5.25 per Kg., Rice @₹ 6.85 per Kg. The quantity of wheat and rice will be distributed according to the household members for which detail is as given. For one member family 17 Kg. and 13 Kg., two members family 14 Kg. & 11 Kg., three members family 11 Kg. & 9 Kg., four members family 8 Kg. and 7 Kg., five members family 5 Kg. and 5 Kg., six members family 2 Kg. and 3 Kg. respectively.
	iii) For Annapurna card holder	10 Kg. rice free of cost.
5	NFSA	
	i) For AAY ration card holder	35 Kg. per family i.e. 20 Kg. Wheat @ ₹2.00 per Kg. and 15 Kg. Rice @₹ 3.00 per Kg.
	ii) For Priority Households	5 Kg. per member- 3 Kg. Wheat @₹2.00 per Kg. and 2 Kg. Rice@ ₹3.00 per Kg.
6	Sugar	For APL ration card holders 600 gms. per member per month@₹19.50 per Kg. For Non-APL ration card holders 600 gms. per member per month @₹13.50 per Kg.

Table 6.3
Items Stocked in the Tribal Areas
for Distribution as on
December,2015

Sr. No.	Name of Commodity	Unit	Quantity
1	Wheat/Atta APL	M.T.	4,774
2	Rice APL	M.T.	3,355
3	Wheat BPL	M.T.	417
4	Rice BPL	M.T.	166
5	Wheat AAY/NFSA	M.T.	2,394
6	Rice AAY /NFSA	M.T.	2,054
7	Rice Annapurna	M.T.	1
8	Sugar	M.T.	1,393
9	Kerosene Oil	K.L.	266
10	L.P.G. 14.2 Kg.	No.	1,26,437
11	I.Salt	M.T.	500
12	Dal Chana	MT	236
13	Black Masur	M.T.	149
14	Kabli Chana	M.T.	309
15	Edible Oil	K.L.	598

Other Activities

Petrol and Petroleum Products

6.5 At present, there are 28 wholesale kerosene oil dealers, 329 Petrol Pumps and 137 Gas Agencies working in the state.

Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation (HPSCSC)

6.6 The H.P. State Civil Supplies Corporation as a "CENTRAL PROCUREMENT AGENCY" for all controlled and non-controlled essential commodities in the state is procuring & distributing food grains and other essential commodities to the entire satisfaction of the Government under the Targeted Public Distribution System (TPDS) and National Food Security Act (NFSA). During the current financial year 2015-16, up to December,2015 the Corporation procured & distributed various commodities under TPDS to the

tune of ₹900.28 crore as compared to ₹867.90 crore during the corresponding period of last year.

6.7 Presently, the Corporation is also providing other essential items like cooking gas, Diesel/Petrol/Kerosene Oil and life saving drugs/medicines at reasonable rates to the consumers of the State through its 117 Wholesale Godowns, 89 Retail Shops/ Apna Store, 54 Gas Agencies, 4 Petrol Pumps and 36 Medicine Shops. In addition to this, the procurement and distribution, of non-controlled commodities (like sugar, pulses, rice, atta, detergents, tea leaves, exercise note books, cement, CGI Sheets, medicines items under SNP, MNREGA & petroleum products etc.) through wholesale godowns and retail shops, of the Corporation which certainly has played an important role in stabilising prices of these commodities prevailing in the open market. During the current financial Year, 2015-16, up to December, 2015 the Corporation procured & distributed various commodities under the scheme to the tune of ₹340.30 crore as compared to ₹295.64 crore during corresponding period of last year.

6.8 The HPSCSC is arranging the supplies of rice & other supplementary items under the Mid-day-Meal Scheme to Primary and Upper Primary Schools as per the allocation made by the concerned Deputy Commissioners. During the current financial year 2015-16 up to December, 2015 the Corporation arranged the distribution of 11,617 MTs rice as compared to 12,557 MTs during the corresponding period of last year under this scheme. The Corporation is also arranging the supplies of identified

Specially Subsidized items (pulses of various kinds, Edible Oil and I.Salt) under the State Sponsored Schemes as per the decisions of the purchase committee constituted by the Govt. During the current financial year 2015-16, upto December, 2015 the Corporation has distributed these commodities under the said scheme to the tune of ₹277.62 crore as compared to ₹293.16 crore during corresponding period of last year to the Ration Card holders as per the scale fixed by the state government. During the year 2015-16 for the implementation of this scheme, a budget provision of ₹210.00 crore has been made as State subsidy. The corporation is likely to achieve a total turnover of ₹1,419.60 crore during the year 2015-16.

New Sales Centres Sanctioned/ Opened

6.9 The Corporation has sanctioned/ opened one LPG Agency at Kullu during the year 2015-16 in public interest.

Proposal of opening APNA STORE / MALL

6.10 The Corporation has initiated proposal of opening 'APNA STORE / MALL' in the identified HRTC's bus stands in the State. These APNA STORE/ MALL have been made functional at Bus stand Nagrota Bagwan and Palampur in the first phase, for the sale of various non-controlled items. Efforts are being made for opening APNA STORE / MALL in Mandi and Shimla Bus stand. In the Bus stand Kangra this is being made functional very shortly. On the other hand more Medicine Shops are proposed to be opened in the premises of the Govt. Hospitals.

Government Supplies

6.11 H.P. State Civil Supplies Corporation Ltd., is managing the procurement and supplies of medicines to Govt. hospitals, Cement to Govt. Department/ Board/ Corporation and other Govt. institutions and GI/DI/CI Pipes to I & PH Department of Govt. of H.P, School Uniform to Education Department of Govt. of H.P. During the current financial year, 2015-16 the position of Govt. supply remain as under:-

1 Supply of Cement to Govt. Deptt./ Boards/ Corporation	₹101.92 crore
2 Supply of Medicine to Heath/ Ayurveda Department	₹1.08 crore
3 GI/DI/CI Pipes to I&PH Department	₹ 65.00 crore
4 School uniform to Education department	₹36.49 crore
Total	₹204.49 crore

MNREGA Cement Supplies

6.12 During the financial year 2015-16 upto December, 2015 the Corporation managed the procurement & distribution of 22,00,489 bags cement amounting to ₹56.21 crore to various Panchayats used for developmental works of the Panchayats in the State.

Food Security in Tribal and Inaccessible Areas of the State

6.13 The Corporation is committed to provide all essential commodities, Petroleum products including kerosene oil and LPG in tribal and inaccessible areas, where private traders do not venture to undertake these operations due to economic non-

viability of the trade. During the current financial year, 2015-16 the supplies of essential commodities and Petroleum products to tribal and snow bound areas were arranged as per the tribal action plan of the Government.

Dividend and Chief Minister Relief Fund

6.14 The corporation is earning profit since its inception 1981. During the year 2015-16 a net profit of ₹2.06 crore was earned and a sum of ₹35.51 lakh was paid as dividend to the State Government of H.P. The corporation under the Corporate Social Responsibility scheme made available ₹14.00 lakh to HPPWD, Dharmshala for construction of community hall and gymnasium and purchase of sports items at Nagrota bagwan for the year 2015-16. In addition to this ₹ 5.00 lakh for maintenance of State Martyrs Memorial at Dharmshala was provided. For Rehabilitation of fire victims village Kotia, District Kullu was provided ₹5.00 lakh as relief measure. In the Chief Minister relief fund ₹31.00 lakh were donated during the year 2015-16.

Implementation of National Food Security Act, 2013 (NFSA)

6.15 The HP State Civil Supplies Corporation is playing major role in implementing the scheme through timely procurement, storage & supply of allocated food grains through its 117 wholesale centres to Fair Price

Shops for further distribution among the beneficiaries of the State. During the financial year 2015-16 up to December, 2015, 60,925 MTs rice and 84,577 MTs wheat at the rate of ₹3.00 and ₹2.00 per Kg per month respectively have been distributed to the identified beneficiaries. In addition to above, in the absence of separate Warehouse Corporation of the State Government, the HP State Civil Supplies Corporation is managing storage capacity itself, through 22,910 MTs owned and 36,558 MTs hired godowns in the State. In view of successful implementation of the NFSA, 2013 additional Storage Capacity is being created and efforts are being made for constructing of godowns at various places ranging from 300 MTs to 1,000 MT capacity for which identification/ transfer of Govt. land in the name of the Department/ Corporation is in progress. State Govt. has provided funds to the tune of ₹4.00 crore as per the Hon'ble Chief Minister Budget assurance speech 2015-16 for creating additional food grains storage capacity.

SAIL Yard

6.16 During the financial year, 2015-16, as per initiative taken by the corporation, the Steel Authority of India Ltd. has entrusted SAIL Yard at Bhattakuffar for the supply of quality steel to various Govt. Department/ Board/ Corporation and upto December, 2015 a total quantity of 1,538 MT steel has been supplied.

7. AGRICULTURE AND HORTICULTURE

AGRICULTURE

7.1 Agriculture is the main occupation of the people of Himachal Pradesh and has an important place in the economy of the State. Himachal Pradesh is the only state in the country whose 89.96 percent of population (Census 2011) lives in rural areas. Therefore dependency on Agriculture/Horticulture is eminent as it provides direct employment to about 62 percent of total workers of the State.

7.2 Agriculture happens to be the premier source of State Income (GSDP). About 10.4 percent of the total GSDP comes from agriculture and its allied sectors. Out of the total geographical area of State (55.67 lakh hectare) the area of operational holdings is about 9.55 lakh hectares and is operated by 9.61 lakh farmers. The average holding size is about 1.00 hectare. Distribution of land holdings according to 2010-11 Agricultural Census shows that 87.95 percent of the total holdings are of Small and Marginal. About 11.71 percent of holdings are owned by Semi Medium and Medium farmers and only 0.34 percent by large farmers. The distribution of land holdings in Himachal Pradesh has been depicted in Table-7.1

Table-7.1
Distribution of Land Holdings

Size of Holdings (hect.)	Category (Farmers)	No. of Holdings (lakh)	Area (lakh hect.)	Av. Size of Holding (hect.)
Below 1.0	Marginal	6.70 (69.78%)	2.73 (28.63%)	0.41
1.0-2.0	Small	1.75 (18.17%)	2.44 (25.55%)	1.39
2.0-4.0	Semi	0.85 (8.84%)	2.31 (24.14%)	2.72
4.0-10.0	Medium	0.28 (2.87%)	1.57 (16.39%)	5.61
10.0-Above	Large	0.03 (0.34%)	0.51 (5.29%)	17.00
Total		9.61	9.55	1.00

7.3 About 80 percent of the total cultivated area in the State is rainfed. Rice, Wheat and Maize are important cereal crops of the State. Groundnut, Soyabean and Sunflower in Kharif and Rapeseed/Mustard and Toria are important oilseed crops in the Rabi season. Urd, Bean, Moong, Rajmash in Kharif season and Gram Lentil in Rabi are the important pulse crops of the State. Agro-climatically the state can be divided into four zones viz.:-

- Sub Tropical, sub-mountain and low hills.
- Sub Temperate, Sub Humid mid hills.
- Wet Temperate high hills.
- Dry Temperate high hills and cold deserts.

The agro-climatic conditions in the state are congenial for the production of cash crops like seed potato, off-season vegetables and ginger.

7.4 The State Government is laying emphasis on production of off-season vegetables, potato, ginger, pulses and oilseeds besides increasing production of cereal crops, through timely and adequate supply of inputs, demonstration and effective dissemination of improved farm technology, replacement of old variety seed, promoting integrated pest management, bringing more area under efficient use of water resources and implementation of Wasteland Development Projects. There are four distinct seasons with respect to rainfall. Almost half of the rainfall is received during the Monsoon season and remaining precipitation is distributed among other seasons. The State received an average rainfall of 1,251mm Kangra district gets the highest rainfall followed by Sirmaur, Mandi and Chamba.

Monsoon 2015

7.5 The performance of agriculture is closely related to the performance of monsoon. During the monsoon season of 2015 (June-September) in Himachal Pradesh the rainfall received was Normal in Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi & Shimla District, Deficient in Bilaspur, Chamba, Kinnaur, Sirmour and Solan, Scanty in Lahaul & Spiti. For Himachal as a whole, the total rainfall during the entire monsoon season season was (-) 27 percent below the annual normal rainfall. The Table 7.2 shows southwest

monsoon performance in various districts.

Table 7.2
Monsoon Season Rainfall
(June-September, 2015)

District	Actual (mm)	Normal (mm)	Excess or Deficient	
			Total (mm)	%age
Bilaspur	704	877	(-) 173	(-) 20
Chamba	725	1406	(-) 682	(-) 48
Hamirpur	931	1079	(-) 148	(-) 14
Kangra	1434	1582	(-) 148	(-) 9
Kinnaur	122	264	(-) 142	(-) 54
Kullu	483	520	(-) 37	(-) 7
L/Spiti	146	458	(-) 312	(-) 68
Mandi	906	1093	(-) 188	(-) 17
Shimla	616	634	(-) 18	(-) 3
Sirmaur	774	1325	(-) 551	(-) 42
Solan	759	1000	(-) 241	(-) 24
Una	1132	863	270	31
Average	613	844	(-) 231	(-) 27

Table 7.3
Post Monsoon Seasons Rainfall Data
for the period from
(October-December 2015)

District	Actual (mm)	Normal (mm)	Excess or Deficient	
			Total (mm)	%age
Bilaspur	45	70	(-) 25	(-) 35
Chamba	108	127	(-) 19	(-) 15
Hamirpur	52	86	(-) 34	(-) 40
Kangra	64	105	(-) 41	(-) 39
Kinnaur	31	102	(-) 71	(-) 69
Kullu	77	98	(-) 21	(-) 22
L/Spiti	44	143	(-) 99	(-) 69
Mandi	79	81	(-) 2	(-) 3
Shimla	48	75	(-) 27	(-) 37
Sirmaur	16	87	(-) 71	(-) 81
Solan	65	89	(-) 24	(-) 27
Una	41	72	(-) 31	(-) 43
Average	56	103	(-) 465	(-) 46

Note:

Normal = -19% to +19%
Excess = 20% and above
Deficient = -20% to -59%
Scanty = -60% to -99%

Crop Performance 2014-15

7.6 The economy of Himachal Pradesh is largely depend on agriculture which still occupies a significant place in the state economy as 10.4 percent of total State Domestic Product in 2014-15 was generated by agriculture and allied sectors and any fluctuations in the production of food grains affect the economy significantly. During the Eleventh Five Year Plan, 2007-12 emphasis has been laid on production of off-season vegetables, potato, pulses and oilseeds besides cereal crops through timely and adequate supply of inputs, bringing more area under irrigation, approach of watershed development, demonstration and effective dissemination of improved farm technology etc. The year 2014-15 agriculturally remained a normal year. During the year 2014-15, the food grains production is estimated to be at 16.74 lakh MT against 15.85 lakh MT achieved during- 2013-14. The production of Potato was 1.81 lakh MT in 2014-15 as against 2.05 lakh MT in 2013-2014. The production of vegetable during the year 2014-15 was 15.76 lakh MT as against 14.65 lakh MT in 2013-14.

Prospects 2015-16.

7.7 The food grain production target for 2015-16 are to be around 16.19 lakh MT The Kharif production mainly depends upon the behaviour of south west monsoon, as about 80 percent of the total cultivated area is rainfed. The sowing of Kharif crops starts from the end of April and goes up to the mid of June. Maize and Paddy are

the the principal food grain crops growing during Kharif season. Other minor crops are Ragi, Millets and pulses. An area of 400.00 thousand hectare was sown under different Kharif crops. During this season about 20 percent of area is sown in the month of April-May whereas 70 percent of area is sown in the month of June and July which is a peak Kharif sowing period. Due to normal rain in the most part of the state, the sowing could be done in time and overall crop condition was normal. However, during the season heavy rainfall occurred during the month of July and August,2015 as a result of which crops were damaged to some extent. Rabi Sowing season normally starts in October and November. During this season the percent departure of rainfall was deficient and if the situation is still the same and drought like situation is prevailing in the state. If the rainfall dosen't occur in near future, it will not be possible to achieve the targets of area as well as production. Vegetables are grown in both rainfed as well as assured irrigated areas. As adequate rainfall was not received during Rabi season,2015 which may also affect the production. The total foodgrains production during 2015-16 is anticipated/ expected to be at 16.19 lakh MT as against tentative final production estimates of 16.74 lakh MT during 2014-15. The production of Potato is anticipated at 1.90 lakh MT and production of vegetables anticipated at 14.80 lakh MT against 15.76 lakh MT during 2014-15 and target for 2016-17 is shown in Table 7.4

Table-7.4
Foodgrains Production

(In '000 MT)

Crop	2013-14	2014-15 (tentative Final)	2015-16 (Anti.Ach.)	2016-17 (Target)
I. Foodgrains				
Rice	128.49	119.17	132.00	131.00
Maize	678.25	752.66	730.00	750.00
Ragi	1.97	3.11	3.00	3.50
Millets	3.60	4.26	4.00	6.00
Wheat	685.45	720.86	690.00	650.00
Barley	35.18	31.63	35.00	38.00
Gram	0.40	0.53	2.50	3.50
Pulses	51.80	41.43	22.50	18.00
Foodgrains	1585.13	1673.65	1619.00	1600.00
II. Commercial Crops				
Potato	205.28	181.38	200.00	195.00
Vegetables	1465.96	1576.45	1480.00	1500.00
Ginger(Dry)	1.84	1.84	3.00	5.00

Growth in Food grains Production

7.8 There is limited scope of increasing production through expansion of cultivable land. Like whole country, Himachal too has almost reached a plateau in so far as cultivable land is concerned. Hence, the emphasis has to be on increasing productivity levels besides diversification towards high value crops. Due to an increasing shift towards commercial crops, the area under foodgrains production is gradually declining as the area which in 1997-98 was 853.88 thousand hectares is likely to be declined to 832.60 thousand hectares in 2014-15. Increase in production thus reflects gain in productivity as is evident from the Table 7.5

Table 7.5
Food grains Area and Production




Year	Area ('000 hect)	Production ('000 M.T.)	Production per hectare (M.T.)
2010-11	795.18	1493.87	1.88
2011-12	788.06	1544.49	1.96
2012-13	786.43	1541.33	1.96
2013-14	774.72	1585.13	2.05
2014-15 (Ant Ach)	832.60	1673.65	2.01

High Yielding Varieties Programme (H.Y.V.P.)


7.9 In order to increase the production of food grains, emphasis has been laid on distribution of seeds of high yielding varieties to the farmers. Area brought under high yielding varieties of

FOODGRAINS PRODUCTION

'000 Tonnes



Foodgrains



principal crops viz. Maize, Paddy and Wheat during the last five years and proposed for 2015-16 is given in table 7.6.

Table-7.6
Area Brought Under High Yielding Varieties

('000 hect.)			
Year	Maize	Paddy	Wheat
2010-11	278.65	75.20	327.00
2011-12	279.05	75.08	330.35
2012-13	279.60	76.90	336.56
2013-14	285.05	76.50	341.35
2014-15	288.00	74.00	352.00

There are 21 seed multiplication farms from where foundation seed is distributed to registered farmers. In addition, there are 3 vegetable development stations, 13 potato development stations and 1 ginger development station in the State.

Plant Protection Programme

7.10 In order to increase the production of crops, adoption of plant protection measures is of paramount importance. During each season, campaigns are organised to fight the menace of crop disease, insects and pest etc. The Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, IRDP families, farmers of Backward Areas and small and marginal farmers are provided plant protection chemicals and equipments at 50 percent cost. From October, 1998 the Government has allowed 30 percent subsidy on such material to big farmers also. Achievements and Targets proposed in distribution of chemicals are shown in Table 7.7

Table-7.7
Achievement and targets proposed

Year	Coverage of Area under plant protection measures ('000 Hect.)	Distribution of chemicals (M.T.)
2012-17 (12 th Five Year Plan Target)	425.000	600.000
2012-13	92.000	161.189
2013-14	120.514	210.900
2014-15	108.000	190.110
2015-16 (Likely)	100.000	175.000

Soil Testing Programme

7.11 In order to maintain the fertility of the soil during each season, soil samples are collected from the farmers field and analysed in the soil testing laboratories. Soil testing laboratories have been established in all the districts(except Lahaul &Spiti), where as four mobile soil testing vans out of which one exclusively for the tribal areas is in operation for testing the soil samples at site. These laboratories have been strengthened with latest equipments. During 2010-11, two static soil testing labs have been strengthened and one mobile lab has also been set up at Palampur in Kangra District. During 2014-15, 1,03,685 Soil Samples were analyzed and about 69,635 number of soil samples are expected to be analyzed during 2015-16. Soil testing programme has been adopted as flagship programme by Govt.It has also been ensured to provide Soil Health Cards to every eligible farmer by the end of 12th Plan which will help farmers to know the soil status and nutrient

requirement etc.in their fields and to adopt soil test basis recommendations to use nutrient in their crops/ fields. The soil fertility map is being prepared by the CSKHPKV Palampur by using Global Positioning System (GPS). The State Government. has also declared soil testing as public service under H.P. Public Service Guarantee Act, 2011.

Organic Farming

7.12 The organic farming is becoming popular being suitable, environmental friendly and health concern to all concerned. Organic farming is being promoted in the state in a systematic manner by providing trainings, laying out demonstrations, organizing fairs/ seminars to the farmers. It has also been decided to set-up vermi-composting units at every house by the end of 12th Plan. Under this scheme, financial assistance of ₹5,000 per farmer is being provided (50 percent) assistance for construction of Vermicomposting pit size of 10x6x1.5 ft and 2 Kg. of Vermiculture. During 2014-15, in the State 4,14,230 vermicomposting units were established. Beside this, incentive is being provided on approved organic inputs. For adoption of Organic Farming, incentive @ ₹10,000 per hectare (50 percent) and for certification ₹10,000 per hectare is being provided for 3 years.

Bio-Gas Development programme

7.13 Keeping in view depleting sources of conventional fuel i.e. firewood, biogas plants have assumed great importance in the low and mid hills in the State. Till March,2015 since inception, 44,573 Biogas plants have been installed in the State. Out of the total biogas produced in the Himalayas about 90.86 percent is being produced in Himachal Pradesh alone. During

2015-16 against the target of 150 biogas plant, 89 number of such plants have already been installed upto December, 2015. This programme is at saturation stage.

Fertilizer Consumption and Subsidy

7.14 Fertilizer is a critical input, which helps in increasing the production to a great extent. The level of fertilizer consumption in 1985-86 was 23,664 tonnes. Now it has increased to 52,649 tonnes in 2014-15. In order to promote balance use of chemical fertilizers, a subsidy of ₹ 1,000 per MT on complex fertilizers have been allowed, use of water soluble fertilizers is promoted in a big way for which subsidy has been allowed to an extent of 25 percent of cost limited to ₹2,500 per quintal whichever is less. The subsidy is being provided under the Plan schemes. About 48,500 MT of fertilizers in terms of nutrients are proposed to be distributed during 2015-16.

Agriculture Credit

7.15 Traditionally, non-institutional sources of finance have been the major source of finance for the rural households due to various socio-economic conditions. Some of them have been lending at exorbitant rate of interest and since the poor own few assets, it is unviable for the financial institutions to secure their lending with collateral. However, the Govt. has taken measures to ensure timely and adequate supply of institutional credit to the rural households at reasonable rate of interest. In view of the propensity of the farmers to borrow money, most of whom are marginal and small farmers, credit flow for purchase of input is being made available by the banks.

Institutional credit is being extensively disbursed but there is scope to increase the same particularly in respect of the crops for which insurance cover is available. Providing better access to institutional credit for small and marginal farmers and other weaker sections to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices has been one of the major objectives of the Government. The banking sector prepares crop specific credit plans and the credit flow is monitored urgently in the meetings of the State level Bankers Committee.

Kisan Credit Card (K.C.C)

7.16 The scheme is under successful operation for the last twelve to thirteen years in the State. More than 1,955 bank branches are implementing this scheme. Till date about 6.37 lakh Kisan Credit Cards (K.C.C.) were issued by the various banks in the State.

Crop Insurance Scheme

7.17 The State Government has introduced this scheme from Rabi, 1999-2000 season. The crops covered are Wheat, Barley, Maize, Paddy and Potato. Subsidy on premium in respect of Small and Marginal Farmers was being provided on sunset basis as per provision of the scheme. From Rabi, 2007-08, the subsidy on the premium has been raised from 10 percent to 50 percent to the Small and Marginal Farmers. The scheme is compulsory for loanee farmers and optional for non-loanee farmers. The scheme provides comprehensive risks insurance against yield losses viz drought, hail storm, floods and pests and disease etc. The Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) is implementing the scheme.

The claims on account of losses to the crops and the subsidy on premium are shared equally by the state Govt. and the Govt. of India. From Kharif, 2008 season, Ginger crop of district Sirmour has also been included on pilot basis. Since inception of RKBY, a total of 3,48,294 number of farmers upto rabi, 2014-15 have been covered at an sum insured of ₹ 693.03 crore and the total claims paid of ₹18.31 crore.

Besides this the State Government has also provided insurance cover to Tomato crop in Solan District and Sadar Block of District Bilaspur. Rabi Potato crop of Kangra District on Pilot basis under the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) during Kharif & Rabi season (upto Rabi 2013-14). From Kharif, 2015 season Crop of Ginger & Peas have been covered under this scheme. This scheme is also implemented by the Agriculture Insurance Company of India Ltd.(AIC) and Private Insurance Company, i.e. ICICI Lombard & HDFC Ergo General Insurance Company. Under this WBCIS, 12,284 number of farmers have been covered at an sum of ₹ 20.52 crore and the total claim paid of ₹ 2.21 crore upto Kharif, 2015 season.

Seed Certification Programme

7.18 Agro-climatic conditions in the State are quite conducive for seed production. In order to maintain the quality of the seeds and also ensure higher prices of seeds to the growers, Seed certification programme has been given due emphasis. Himachal Pradesh State Seed Certification Agency registered growers in different parts of the State for seed production and certification of their produce.

Agriculture Marketing

7.19 For the regulation of agricultural produce in the State, Himachal Pradesh Agricultural/Horticulture Produce Marketing Act, 2005 has been enforced. Under the Act, Himachal Pradesh Marketing Board has been established at the State level. The whole of H.P. has been divided into ten notified market areas. Its main objective is to safeguard the interest of the farming community. The regulated markets established in different parts of the state are providing useful services to the farmers. A modernised market complex at Solan is functional for marketing of agricultural produce, besides construction of market yards in different areas. At present 10 market committees are functioning and 53 markets have been made functional and in addition 9 other markets are under construction. For the benefits of the farmers, the market fee has been reduced from 2 percent to 1 percent.

Tea Development

7.20 Total area under tea is 2,300 hectares with a production level of 15 lakh Kgs. Schedule Caste tea planters are provided agriculture inputs on 50 percent subsidy. In the last few years, there is slump in the market and tea industry has been affected badly. It is envisaged to give impetus for effective and remunerative returns of this commodity to the producers. Focus would also be on result and demonstration.

Agriculture Mechanisation

7.21 Under this scheme, new farm implements/machines are popularized among the farmers. Testing of new machines is also done under this programme. The department proposes

to popularize small power tillers and implements suited to hilly conditions. Farmers can get any information on agriculture by dialling toll free number, 1800-180-1551. The service is available from 6 AM to 10 PM on all working days. This is 100 percent centrally sponsored scheme.

Seed Village Programme (100% CSS):

7.22 Major constraint in increasing production and productivity of crops noted is the lack of sufficient quantities of quality seed of improved varieties to be made available to the farmers in time. To overcome this constraint, Govt. of India has started a novel programme known as "Seed Village Programme", by which sufficient seed multiplication can be achieved in order to meet local seed requirement besides facilitating supply of seeds at reasonable cost and ensuring quick multiplication of new varieties in a shorter time. Under this programme, areas of better seed production will be identified and a compact area approach will be followed. 50 to 150 suitable, responding/willing farmers for the same crop will be identified/selected preferably in compact area/cluster approach. Foundation/certified seed at 50 percent cost will be made available to these identified farmers. The seeds for half an acre per farmer will be allowed. Training on seed production and seed technology will be imparted to the identified farmers for the seed crops grown in the seed villages.

Soil and Water Conservation

7.23 Due to topographical factors the soil is subject to splash, sheet and Gully erosion resulting into degradation of the soil. Besides this

there is biotic pressure on the land. To curb this menace particularly on the Agriculture lands, the Department is implementing two soil and water conservation schemes under state sector. The schemes are:-

- i. Soil Conservation Works.
- ii. Water conservation and development.

Water conservation and minor irrigation programme has been accorded priority in order to boost agriculture production. The Department has prepared a plan to harvest rain water by constructing tanks, Ponds, check-dams and storage structures. Besides this, low lifting water devices and efficient irrigation system through sprinklers are also being popularized. In these projects, major thrust would be on soil & water conservation and creation of employment opportunities at farm level.

Dr. Y.S. Parmar Kisan Swarozgar Yojna

7.24 In order to achieve faster and more inclusive growth in agriculture sector, Govt. of Himachal Pradesh has started "Dr.Y.S.Parmar Kisan Swarozgar Yojna" (Poly house and Micro irrigation inside polyhouse). Project components include creation of need based infrastructure and are expected to fulfil objectives of high productivity, quality, safeguard against adverse weather, efficient input use etc. Project components include construction of location specific models of poly houses with micro irrigation facility. For this, 85 percent project assistance shall be provided to farmers. Also for creation for water sources individually and collectively by a group of farmers (low /medium lift, pumping machinery), 50 percent subsidy shall be

provided. A budget provision of ₹12.00 crore has been made for this components during 2014-15.

**Table No. 7.8
Project Components
(2014-15 to 2017-18)**

Sr.No.	Component	Nos.	Covered area
1	Poly House farmed structure	4700 Nos	835350 Sqm.
2.	Micro Irrigation(spinkler/ Drip System Poly Houses as per feasibility)	2150 Nos	820050 Sqm.
3	Low lift, medium lifts & pumping machinery 1 HP with poly houses as per feasibility	870 Nos	-
4	Total cost of civil works.	₹10178.10 lakh.	
5.	Farmers Sensitization, contingency and Cost Escalation.	₹940.45 lakh.	
6.	Total Project Cost	₹11118.55 lakh.	

Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)

7.25 Concerned by the slow growth in Agriculture and allied sectors, the Government of India has launched Rashtriya Krishi Vikas Yojna. The RKVY aims at achieving 4 percent annual growth in the agriculture sector during the XI Plan period, by ensuing a holistic development of Agriculture and allied sectors. The main objectives of the scheme are as under:-

1. To incentives the States so as to increase public investment in Agriculture and allied sectors.
2. To provides flexibility and autonomy to states in the process of planning and executing Agriculture and allied sector schemes.
3. To ensure the preparation of agriculture plans for the districts

- and the states based on agro-climatic conditions, availability of technology and natural resources.
4. To ensure that the local needs/ crops/ priorities are better reflected in the agricultural plans of the states.
 5. To achieve the goal of reducing the yield gaps in important crops, through focused interventions.
 6. To maximize returns to the farmers in Agriculture and allied sectors.
 7. To bring about quantifiable changes in the production and productivity of various components in Agriculture and allied sectors by addressing them in a holistic manner.

Government of India has allotted funds for agriculture growth which includes horticulture, animal husbandry, fisheries and rural development. Since the release under RKVY are being received from Govt. of India in the shape of ACA's therefore, this scheme is an state sector programmes during 2015-16. The total allocation amounting to ₹ 55.00 crore have been made under general Plan (₹36.19), SCSP (₹13.86) and TASP (₹4.95) crore for the year 2015-16 to Agriculture Department.

National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET)

7.26 During 12th Five Year Plan the National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET) has been launched to make the extension system farmer-driven and farmer arrangement of technology dissemination. NMAET has been divided into Four Sub-Mission.

1. Sub Mission on Agriculture Extension (SAME).
2. Sub Mission on Seed and Planting Material (SMSP)
3. Sub Mission on Agriculture Machanization (SMAM).
4. Sub Mission on Plant Protection and Plant Quarantine (SMPP)

The new component will be in the ratio 90:10 Centre and State Share. Under this scheme an expenditure of ₹88.00 lakh is anticipated under component of 90:10. An outlay of ₹263.00 lakh is proposed under NMAET during 2015-16.

National Mission on Sustainable Agriculture (NMSA)

7.27 Sustainable agriculture productivity depends upon quality and availability of Natural resources like soil and water. Agricultural growth can be sustained by promoting conservation and sustainable use of these scarce natural resorces through appropriate location specific measures. Thus, conservation of natural resources in conjunction with development of rain fed agriculture holds the key to meet burgeoning demand for food grain in the state. Towards this end, National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) has been formulated for enhancing agricultural productivity especially in rain fed areas.

Main deliverable under this mission are:

1. Developing rain fed agriculture.
2. Natural resources management.
3. Enhancing water use efficiency.
4. Improving soil health.
5. Promoting conservation agriculture.

An outlay of ₹ 151.00 lakh is proposed for the year of 2015-16 under this scheme.

National Food Security Mission (NFSM)

7.28 The National Food Security Mission (NFSM) aimed at to enhance the production of Rice, Wheat and Pulses. NFSM has been launched in the State from Rabi 2012 with two major components viz. NFSM-Rice and NFSM-Wheat. Under NFSM-Rice is in operation in three districts of state and whereas NFSM-Wheat in nine district with 100 percent assistance from Central Government. The aim of Mission is to increase production of Rice and Wheat through area expansion and productivity enhancement restoring soil fertility and productivity, creativity employment opportunities and enhancing level of farm economy in targeted districts.

HORTICULTURE

7.29 The rich diversity of agro-climatic conditions, topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub-tropical fruits in Himachal. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

7.30 This particular suitability of Himachal has resulted in shifting of land use pattern from agriculture to fruit crops in the past few decades. The area under fruits, which was 792 hectares in 1950-51 with total production of 1,200 tonnes increased to 2,24,352 hectares during 2014-15. The total fruit production in 2014-15 was 7.52 lakh tonnes, which during 2015-16 (upto

December, 2015) has been reported as 8.19 lakh tonnes. During 2015-16, it was envisaged to bring 3,000 hectares of additional area under fruit plants against which 3,244.06 hectares of area was brought under plantations and 8.48 lakh fruit plants of different species were distributed upto 31.12.2015.

7.31 Apple is so far the most important fruit crop of Himachal Pradesh, which constitutes about 49 percent of the total area under fruit crops and about 85 percent of the total fruit production. Area under apple has increased from 400 hectares in 1950-51 to 3,025 hectares in 1960-61 and 1,09,553 hectares in 2014-15.

7.32 The area under temperate fruits other than apple has increased from 900 hectares in 1960-61 to 27,900 hectares in 2014-15. Nuts and dry fruits exhibit area increase from 231 hectares in 1960-61 to 10,621 hectares in 2014-15, Citrus and other sub tropical fruits have increased from 1,225 hectares and 623 hectares in 1960-61 to 23,704 hectares and 52,574 hectares in 2014-15, respectively.

7.33 This pace of development is further jeopardized due to the erratic apple production, owing to weather vagaries and market fluctuations. The advent of WTO, GATT and liberalisation of economy is further imposing many challenges on the dominance of apple in fruit industry of Himachal Pradesh. The fluctuations in the production of apple during last few years have attracted the attention of the Government. It is necessary to explore and harness the vast horticulture potential of the hill State through diversified horticulture

production in varied agro-ecological zones.

7.34 Horticulture Development scheme is the major programme aiming at the creation and maintenance of infrastructural facilities in the rural areas for ensuring equitable access to the resources and inputs required for the promotion of all fruit crops. Under this scheme, the programmes like development of fruit production, area expansion programme, demonstration of new technologies and improved package of practices on the orchards of fruit growers, development of Walnut/ Hazelnut / Pistachio nut, mango / litchi, strawberry and other olive are being implemented.

7.35 During the year 2015-16 the procurement price of Apple, Mango and Citrus fruits have been remained the same under Market Intervention scheme as it was in the previous year and 36.033 MT, C grade Apple fruit valued to ₹ 23.42 crore has been procured under this scheme. No fruit was procured under Mango Market Intervention Scheme and the Citrus Market Intervention Scheme is in operation till 13.02.2016.

7.36 In warmer area of the State mango has emerged as an important fruit crop. Litchi is also gaining importance in certain regions. Mango and litchi are fetching better market prices. In the midhill zone, the agro-climatic conditions are highly suitable for the successful cultivation of new fruits like kiwi, olive, pomegranate, pecan and strawberry. The production of fruits for the last three years and current year upto December, 2015 is given in table 7.9.


Table 7.9
Fruit Production
(’000 tonnes)

Item	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 upto 31-12-2015
Apple	412.39	738.72	625.20	754.95
Other temperate fruits	55.02	66.13	43.61	29.57
Nuts & dry fruits	2.81	3.48	2.41	1.84
Citrus fruits	24.32	22.27	22.17	7.33
Other sub tropical fruits	61.16	35.74	58.55	25.32
Total	555.70	866.34	751.94	819.01

7.37 To provide quality packing material to the growers and to adhere standards of apples for different grades, Notification in this regard was issued by the State Government dated 4.04.2015 by specifying maximum weight allowed 24.00 Kgs. and 12.00 Kgs for Standard (Full Box) and Standard (Half Box), respectively.

7.38 To bring diversification in horticulture industry a total area of 393 hectares has been brought under flower cultivation upto 31.12.2015. To promote flower cultivation two Tissue Culture Laboratories have been established under Model Flower Cultivation Centres at Mahogbagh (Chail, District Solan) and Palampur District Kangra. Four farmers Cooperative Societies are functioning for the production and marketing of flowers in district Shimla, Kangra, Lahaul & Spiti and Chamba. Ancillary horticultural activities like mushroom and bee keeping are also being promoted. During 2015-16 upto December, 2015, 241.41MT of pasteurized compost for mushroom was prepared and distributed in the department units located at

FRUIT PRODUCTION



Chambaghat, Bajoura and Palampur. A total of 4,672.00 MT of mushroom was produced in the State up to December, 2015. Under the bee keeping programme, 804.19 MT of honey has been produced upto 31.12.2015 in the State.

7.39 The Weather based Crop Insurance Scheme was initially launched in Himachal Pradesh in 6 blocks for apple crop and in 4 blocks for mango crops during Rabi 2009-10. In view of the popularity of this scheme, the coverage under this scheme has been extended during the consecutive years. Presently (during year 2015-16), the scheme is being implemented in 36 blocks for Apple, 41 blocks for Mango, 15 blocks for Kinnow, 13 blocks for Plum and 5 blocks for Peach crops. In addition to this, to protect apple fruit crop from hailstorm 17 Blocks have been covered under Add-on cover scheme. During Rabi season (2014-15), 97,246 farmers have been covered under Weather Based Crop Insurance Scheme for apple who have insured their 61,69,865 trees for which the State Government has borne 25 percent premium subsidy of ₹9.22 crore. Out of these, 92,423 farmers are being benefited with a claim of ₹34.50 crore.

7.40 For integrated development of Horticulture, Centrally Sponsored Schemes, Mission for Integrated Development of Horticulture, Rashtriya Krishi Vikas Yojna and Pardhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna are being implemented in the State. Under these schemes various activities of development such as production of horticulture crops, strengthening of basic infrastructure and development of irrigation facilities are being implemented. For the implementation of

these Centrally Sponsored Schemes during the year 2015-16 funds amounting to ₹ 70.04 crore have been approved, out of which ₹ 25.75 crore have been received and a total number of 17,545 farmers have been benefited up to December, 2015 under these schemes. To promote protected cultivation in horticulture, the State Government has enhanced subsidy under Poly Houses from 50 percent to 85 percent and 1,89,000 sq. metre area is targeted under Green Houses during year 2015-16. To protect fruit crops especially apple from hailstorms, the State Government has enhanced subsidy on Anti Hail Nets from 50 percent to 80 percent by bringing in 1,13,570 Sq.Mt. area under Anti Hail Nets. A project on Apple rejuvenation is being implemented under Rashtriya Krishi Vikas Yojna in which old apple orchards are being rejuvenated and replaced with the new, improved and regular bearing Spur varieties. To promote micro-irrigation facilities, 180 hectare area has been brought under Pardhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna upto December, 2015. In addition to this, for strengthening Irrigation facilities in the orchards, water Storage Tanks and Borewells are being established in the State.

Himachal Pradesh Marketing Corporation (HPMC)

7.41 H.P.M.C. a State public undertaking was established in the Pradesh with the objective of marketing fresh fruits and vegetables, processing the unmarketable surplus and marketing the processed products. Since its inception, HPMC has been playing pivotal role in the life of fruit growers of the state by providing them remunerative returns of their produce.

7.42 During the year 2015-16 up to 31st December, 2015 HPMC has registered overall turnover of ₹4,750.24 lakh against the target of ₹9,000.00 lakh fixed for the financial year 2015-16. Under Market Intervention Scheme (MIS-2015) for apple the HPMC has procured only about 20,134.560 MT (5,03,364 bags of 40 kg each). The Corporation processed 3,535.220 MT Apple of "C" grade and extracted 298.00 MT Apple Juice Concentrate. The Corporation has not procured Mango fruit from the growers this year due to good return from the open Market and procured 21.00 MT of citrus fruits from the growers as on 15th January, 2016 which is being processed in the HPMC Plants. The corporation is mainly supplying its products to its bulk buyers, Railway, Northern Command Head quarter Udhampur, various religious institutions, M/S Parley and reputed Institutions, retail outlets and kiosks in the country. The Corporation has sold 254.72 MT of Apples juice concentrated for ₹ 395.70 lakh and other process products for ₹1,225.65 lakh to these institutions. HPMC also continued supplying fruits and vegetables to ITDC Hotels and institutions in Metro cities Delhi, Mumbai and Chandigarh. As on 31.12.2015 HPMC has supplied fruits and vegetables worth ₹ 477.08 lakh to these institutions. Similarly as on 31.12.2015 HPMC has sold material worth ₹492.37 lakh to the growers in the State. The Corporation has generated revenue of ₹531.26 lakh through its Cold Stores in Delhi, Mumbai, Chennai, Parwanoo and five CA stores of producing area of Himachal Pradesh.

The Corporation has been able to get sanctioned total grant in aid of ₹ 3,949.95 lakh to HPMC for up gradation of Technology from APEDA. Govt. of India. These have been got for the following projects:-

- i. Up- gradation of packing houses of Jarol Tikker (Kotgarh), Gumma (Kotkhai), Oddi (Kumarsain), Patlikuhal (Kullu) and Reckong Peo with 100 percent financial assistance of ₹797.30 lakh.
- ii. The HPMC has commissioning of two CA Stores at Gumma and Jarol-Tikkar in Distt. Shimla with grant in aid of ₹1,009.00 lakh from the APEDA, Ministry of Commerce to the Government of India.
- iii. Setting up of one modern vegetable pack house and cold room at Nadaun District Hamirpur with 100 percent grant in aid of ₹ 353.42 lakh.
- iv. Setting up of Pack house and cold room for packing grading of fruits, vegetables, flowers and culinary herb at Ghumarwin in District Bilaspur with 100 percent grant in aid of ₹435.08 lakh Govt. of India.
- v. Replacement of Tetra Pack filling machine TBA-9 in to TBA-19 under 100 percent grant in aid of ₹355.15 lakh to installed at fruit processing plant Parwanoo District Solan to improved the efficiency in production.
- vi. APEDA, Ministry of Commerce, Government of India also sanction grant in aid to the tune of ₹1,000.00 lakh for the up gradation of AJC Plant at Parwanoo has been started.

8. ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES

ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

8.1 Rearing of livestock is an integral component of rural economy. In Himachal Pradesh there is a dynamic relationship between common property resources (CPRs) such as forests, water and grazing land, livestock and crops. Livestock depend to a certain extent on fodder and grass grown on CPRs as well as on crops and residues. At the same time the animals return fodder, grass and crop residues to the CPRs and fields in the form of manure and provide much needed draught power.

8.2 Livestock thus is an important integral to the sustainability of economy of Himachal Pradesh. The contribution of major livestock products during the year 2014-15 was 11.72 lakh tonnes of milk, 1,662 tonnes of wool, 108.433 million eggs and 3,998 tonnes of meat which will likely to be of the order of 12.10 lakh tonnes of milk, 1,412 tonnes of wool, 100.00 million eggs and 4,040 tonnes of meat during 2015-16. Milk Production and Per Capita availability shown in Table- 8.1

Table 8.1
Milk Production and Per Capita Availability

Year	Milk Production (lakh tonnes)	Per Capita Availability (gram./Day)
2014-15	11.72	468
2015-16 (Estimated)	12.10	483

8.3 Animal Husbandry plays an important role to boost the rural economy and as such for livestock

development programme attention is paid in the state by way of:

- i) Animal Health & Disease control
- ii) Cattle Development.
- iii) Sheep Breeding and Development of Wool.
- iv) Poultry Development.
- v) Feed and Fodder Development.
- vi) Veterinary Education.
- vii) Livestock Census.

8.4 Under Animal Health and Disease Control, 1 State level Veterinary Hospital, 7 Polyclinics, 49 Sub-Divisional Veterinary Hospitals, 284 Veterinary Hospitals, 30 Central Veterinary Dispensaries and 1,768 Veterinary Dispensaries are in the state as on 31.12.2015. Besides this 6 Veterinary Check posts are also operating to provide immediate veterinary aid to the livestock. Under Mukhyamantri Arogya Pashudhan Yojna 1,251 veterinary dispensaries have been opened.

8.5 For improving the quality of sheep and wool, Government Sheep Breeding Farms at Jeori (Shimla), Sarol (Chamba), Tal (Hamirpur), and Karachham (Kinnaur) are supplying improved sheep to the breeders of the State. One Ram centre at Nagwain in District Mandi is also functioning where improved Rams are reared and supplied to breeders for cross breeding. The flock strength of these farms are 1,715 during the year 2014-15 and 317 Rams were distributed to the breeders. In view of the increasing demand for pure Hoggets and the established popularity of the Soviet Marino and American

Rambouillet in the Pradesh, the State has switched over to pure breeding at the existing Government farms in the State. 9 Sheep and wool Extension Centres continue functioning. During the year 2015-16, the wool production is likely to be of the order of 1,412 Tonnes. Angora rabbit farms are functioning at Kandwari (Kangra) and Nagwain (Mandi) for distribution of rabbits to the breeders.

8.6 Dairy production is an integral part of the Animal Husbandry and forms, part of the earning of small and marginal farmers in Himachal Pradesh. The recent trend towards the development of a market oriented economy emphasized the importance of milk production, especially in areas falling in the vicinity of urban consumption centres. This has motivated farmers to replace local non-descript breeds of cows with cross-breed cows. Upgradation of indigenous cattle is being carried out by cross breeding with Jersey and Holsten. In buffalo upgradation with Murrail bull is being popularized. Artificial insemination with the latest technology of Deep Frozen Semen is being practised. During 2014-15, 11.28 lakh Semen straws for cows and 2.96 lakh Semen straws for Buffaloes were produced. During 2015-16, 11.50 lakh semen straws for Cows and 3.00 lakh semen straws for Buffaloes are likely to be produced. During 2014-15, 0.31 lakh litre Liquid Nitrogen (LN2) gas was produced and 0.80 lakh litre is likely to be produced in 2015-16. During 2014-15, Artificial Insemination facility is being provided through 2,399 institutions to 7.47 lakh cows and 2.29 lakh Buffaloes and 7.64 lakh cows and 2.30 lakh buffaloes are likely to be

inseminated during the year 2015-16. Cross breed cows are preferred because of factors such as longer lactation period, shorter dry period and higher yields.

8.7 During 2015-16 under the Backyard Poultry Scheme 3.40 lakh dual purpose coloured strains chicks are likely to be distributed and 1,050 persons are targeted to impart training in poultry farming 1.80 lakh chicks were distributed among the 3,036 beneficiaries under this Scheme in subsidy till November, 2015. During 2014-15, 315 units of poultry chicken were established. One horse breeding farm at Lari in Lahaul and Spiti district has been established with the objective to preserve Spiti breed of horses. During the year 2014-15, 53 horses have kept in this farm. One Yak breeding farm has been also established in the premises of horse breeding Lari. During the year 2014-15, the strength of yaks was 53 in this farm. Under feed and fodder development scheme, 15.00 lakh fodder roots, 0.65 lakh fodders plants to be distributed during 2015-16.

Dairy Entrepreneurship Development Scheme (Doodh Ganga Yojna):-

8.8 Dairy Entrepreneurship Development Scheme (Doodh Ganga Scheme) has been launched in collaboration with NABARD in the State since 25th September, 2009. The Components of the scheme include:

- Establishment of small dairy units (units size comprise of 2-10 milch animals) Bank Loan of ₹6.00 lakh for purchase of 10 animals.

- Bank Loan to the tune of ₹20.00 lakh for purchase of milking machine/bulk milk cooling units,
- Purchase of dairy processing equipments for manufacture of indigenous milk products, Bank Loan to the tune of ₹ 13.20 lakh.
- Establishment of dairy products transportation facilities and cold chain bank loan of ₹26.50 lakh.
- Cold storage facilities of milk products bank loan of ₹33.00 lakh.
- Dairy, marketing outlet/ Dairy parlour Bank Loan of ₹1.00 lakh.

Pattern of Assistance

- i) Bank ended capital subsidy @ 25 percent of the project cost for general category and 33.33 percent for farmers of SC/ ST category.
- ii) Entrepreneur contribution (Margin - Money) for the loans beyond ₹1.00 lakh will be 10 percent of the project cost.

National Project on Bovine and Dairy Development

8.9 ₹23.87 crore National Project on Bovine and Dairy Development has been sanctioned by Government of India on 100 percent Central Assistance pattern and ₹ 5.71 crore were released for the year 2014-15. This project aims at strengthening of following activities of Animal Husbandry Department.

1. Strengthening of Liquid Nitrogen Storage, transport and distribution.
2. Strengthening of Sperm Stations, Semen Banks and A.I. Centres.
3. Acquisition of high pedigree bulls or Sperm Stations and for Natural Service in remote areas.

4. Strengthening of training facilities.
5. Strengthening of E.T.T. Lab (Embryo Transfer Technology).
6. Development and conservation of Indigenous Breed.

Backyard Poultry Farming

8.10 To develop poultry sector in Himachal Pradesh, department is running following poultry development schemes especially in rural areas of the State. Under Backyard Poultry Project 2-3 week old chicks of coloured Strain variety i.e. Chabro are supplied to the farmers of the State. and One unit consists of 50-100 chicks. These chicks are produced at the two hatcheries i.e. Nahan and Sundernagar.

Assistance to State for Control of Animal Diseases

8.11 Due to large scale inter state migration from adjoining states and lack of nutrition grasses and fodder due to hilly topography most of animals are prone to various livestock diseases. Central Government has provided assistance to State Government for control of contagious diseases under ASCAD which is on the pattern of 50 percent Central share and 50 percent State share. Diseases for which free vaccination is being provided to livestock owners are FMD, HSBQ, Enterotoxaemia, PPR, Raniket Disease, Marek's disease and Rabies under this project.

Shepherd Insurance Scheme

8.12 It is Centrally Sponsored scheme started during 2007-08 and the premium of ₹ 330.00 per annum per breeder will be born in the ratio of 100:150:80 between the Life Insurance Corporation, Government of India and Shepherds.

Benefits to sheep breeders

- Natural Death ₹ 60,000
- On death due to accident ₹1,50,000
- Permanent total Disability due to accident ₹1,50,000
- Loss of 2 eyes or 2 limbs in an accident ₹1,50,000
- Loss of 1 eye or 1 limb in an accident ₹ 75,000

Besides this, under this scheme the sheep breeder is provided free benefit which is called add on benefit. Under this scheme a scholarship of ₹1,200 per year for two children of the beneficiary studying in class 9th -12th will be provided.

Milk Based Industries

8.13 H.P. Milkfed is implementing dairy development activities in the State. The H.P. Milkfed has 865 milk producers Co-operative Societies. The total membership of these societies is 38,970 out of which 196 woman Dairy Co-operatives are also functioning. The surplus milk from the milk producers is collected by village dairy co-operative societies, processed and marketed by H.P. Milkfed. At present the Milkfed is running 21 milk chilling centres having a total capacity of 81,500 litres milk per day and 8 milk processing plants having a total capacity of 85,000 litres milk per day. One milk powder plant of 5 MT per day at Duttanagar in Shimla District and one cattle feed plant of 16 MT per day capacity at Bhor in District Hamirpur has been established and functioning. The average milk procurement is about 63,000 litres per day from the villages through village dairy co-operatives. The

H.P. Milkfed is marketing approximately 25,000 litres of milk per day which includes milk supply to various prestigious dairies in bulk and supply to army units in Dagshai, Shimla, Palampur and Yol areas. The milk collected to milk chilling centres is transported to milk processing plants where it is processed, packed, and marketed in sachets as well as in loose containers.

8.14 H.P. Milkfed provides technical know-how, awareness activities in field of Dairy by organizing seminars, camps in rural areas. Besides this other inputs like cattle feed and clean milk production activities are provided to the farmers at their door steps. Himachal Pradesh Government has increased milk procurement rates by ₹1.00 per litre w.e.f. 1.04.2015 thus giving direct financial benefits to 38,970 families associated with the Milk Federation.

Developmental efforts

8.15 In order to utilize surplus milk and increase its revenue and to bring down its losses H.P. Milkfed has initiated the following developmental activities:-

- Processing Plants of capacity 5,000 litres per day is being set up at Recong, Peo, district Kinnaur, Nalagarh, district Solan and Jangal Beri, district Hamirpur.
- A new Mineral Mixture Plant and Urea Molasses Plant are being set up at Bhor, Tehsil Bhoranj, district Hamirpur.
- A new Compressed Fodder Plant is being set up at Bilaspur.
- Three Cattle Feed godown has been set up at district Bilaspur

Una and Nadaun, District Hamirpur.

- Provide self as well as direct employment opportunities through village Dairy Co-operatives.

New Innovations

8.16 Himachal Pradesh Milkfed is manufacturing Nutrimix at 'Nutrimix Manufacturing Plant' Chakkar (Mandi) to cater the need of the Welfare Department under ICDS project. During 2015-16, 42,529.75 quintals of 'Nutrimix has been supplied. Pradesh Milkfed has also supplied 2,118.77 qtls of Skimmed Milk Powder(SMP) to ICDS and SABLA Block through Welfare Department. To keep pace with the present level of growth the department has prepared and submitted various projects to Govt. of India under different plan.

- The H.P. Milk Federation organize training programme to milk producers at village level for educating them to produce good quality of milk.
- 50 percent cattle subsidy of ₹15,000 per animal is proposed for purchasing 300 animals under IDDP-III project for Solan, Hamirpur and Kinnaur districts.
- H.P. Milkfed has also diversified its activities by manufacturing sweets during Deepawali festival and sold 300 quintals of sweets and 30 quintals Gazaks during Lohri in the year 2015-16.
- H.P. Milkfed is providing refreshment kit to Blood donors at IGMC Shimla.

Achievement of H.P. Milkfed are shown in Table 8.2

Table 8.2
Achievement of H.P.Milkfed

Sr. No	Particulars	2014-15	(upto 30.11.15)
1	Organized Societies	845	865
2	Membership	38740	38970
3	Milk procured(lakh ltrs)	199.39	157.00
4	Milk Marketing(lakh ltrs)	68.92	61.21
5	Ghee sold(MT)	158.54	96.07
6	Paneer sold (MT)	70.10	91.57
7	Butter sold(MT)	22.65	18.00
8	Dahi sold(MT)	150.77	105.00
9	Cattle Feed(in qtls.)	28649.48	20752.00

8.17 The H.P. Milk Federation not only provides a remunerative market to the milk producers living in remote and far-flung areas but also makes available milk and milk products to the consumers in urban areas at a competitive prices. In order to ensure that milk is instantaneously chilled at village level, H.P. Milkfed has installed 97 Bulk Milk Coolers at village level in various parts of the State. To bring transparency and automation in the testing of milk at village level, H.P. Milkfed has installed 174 Automatic Milk Collection Units in different Village Dairy Co-operative societies.

Wool Procurement and Marketing Federation

8.18 The main objective of the Federation is to promote the growth and development of wool industry in the State of Himachal Pradesh and to free wool growers from exploitation by the middleman/traders. In pursuance to the above objective, the Federation is actively involved in procurement of sheep and angora wool, sheep shearing at pasture level, sheep wool scouring and marketing of wool. Sheep shearing is done with the imported automatic machines. During the year 2015-16 (upto 31.12.2015) the sheep wool procurement was 41,064.40 Kg. and the value of the same was ₹23.79 lakh.

The Federation is also implementing a few Centrally Sponsored Schemes for the benefit and upliftment of sheep and angora breeders in the State. During current financial year the benefits of these schemes is likely to percolate to approximately 15,000 breeders. The Federation is also providing remunerative prices to the wool growers for their produce by selling the wool in the established markets.

The details of projected activities of the Federation during 2016-17 are shown in Table 8.3

Table 8.3

Sr. No.	Particulars	Quantity	Anticipated Expenditure (₹ in lakh)
1.	Sheep wool	94,000 Kg.	49.68
2.	Angora wool	100 Kg.	0.60
3.	Sheep Shearing	95,000 Nos.	-
4.	Sheep wool scouring carbonizing	40,000 Kg.	-

FISHERIES AND AQUACULTURE

8.19 Himachal Pradesh is one of the States amongst a few in the union of India which has been gifted by mother nature with rivers emanating from glaciers which traverse through hilly terrains and finally enrich the semi-plain area of the state with their oxygen rich water. Its linearly flowing rivers Beas, Satluj and Ravi receive many streams during their downward journey and harbour the precious cold water fish fauna such as Schizothorax, Golden Mahseer and exotic Trouts. Cold water resources of the state have shown their potential with the successful completion of ambitious Indo-Norwegian Trout farming Project and tremendous interest shown by the hill populace for the

adoption of evolved technology. The commercially important fish species in Gobind Sagar and Pong Dam reservoirs, Chamera and Ranjeet Sagar Dam have become a tool for the upliftment of local population. About 6,284 fishermen in the State depend directly on reservoir fisheries for their livelihood. During 2015-16 (up to December, 2015) cumulative fish production was 6,636.88 MT valued at ₹5,822.67 lakh. 10 new trout units are being added in private sector, with the 6.25 lakh from RKVYS. The reservoir of Himachal Pradesh has the distinction of highest per hectare fish production in Govind Sagar and highest sale price value of fish catch in Pong Dam in the country. During current year (upto December, 2015), 13.17 tonnes table size trout has been sold from the state farms and earning revenue to the tune of ₹ 95.50 lakh. Last few years sale of fish is shown in Table 8.4.

Table 8.4
Table Size Trout Production

Year	Production (in tonnes)	Revenue (₹ in lakh)
2011-12	17.98	83.01
2012-13	19.18	98.48
2013-14	13.81	115.41
2014-15	17.07	114.66
2015-16 (upto Dec., 15)	13.77	95.50

8.20 The Department of Fisheries has constructed carp as well as trout seed production farms in the state to cater the requirement of reservoirs rural Ponds and commercial farms in public as well as private sector. The value of Carp Farm seed production is ₹245.98 lakh in 2014-15 and ₹148.38 lakh in 2015-16 (up to December, 2015).

Despite hilly terrain of the State aquaculture is being given due importance. Under "Rastriya Krishi Vikas Yojna" (RKVY) an outlay of ₹63.00 lakh has been approved by Government with the breakup as shown in Table 8.5

Table 8.5

Sr. No.	Name of scheme	Outlay Amount
1.	Construction of Backyard Fish Farming Units	₹ 43.20 lakh
2.	Distribution of Fishing equipment & fish seed stoking	₹ 5.15 lakh
3.	Const. of community ponds in schedule cast populated village.	₹ 8.40 lakh
4.	Const. of trout units in tribal areas of Himachal Pradesh	₹ 6.25 lakh
Total		₹ 63.00 lakh

8.21 The Department of Fisheries has initiated many welfare schemes for the upliftment of fishermen. During recent year, a new scheme named "Backyard Fish Farming" (Kitchen Fish Ponds) has been started under which 120 kitchen fish ponds are being constructed in the State during current financial year. A new scheme named mobile fish market vehicle has been launched in the state with 90 percent financial assistance from NFDB, Hyderabad with an aim to provide fresh fish to the people of Himachal Pradesh at their doorsteps. Fishermen now are covered under insurance scheme where ₹2.00 lakh is given (in case of death/ permanent disability) or ₹1.00 lakh (in case of parital disability) and ₹10,000 towards hospital expenses and even losses to their gear and crafts are

being born by the State Government to the extent of 50 percent under "Risk Fund Scheme". A contributory saving scheme has been initiated by the State Govt. and matching state's share of deposited saving is provided to them during this season. The amount so generated is paid to fishermen in two equal monthly instalments. The scheme wise achievements are shown as in Table 8.6

Table 8.6

Sr. No.	Name of Scheme	Extent of Assistance
1.	Insurance scheme(50-50 state and central Govt.)	₹ 2.00 lakh(on death/permanent disability) ₹ 1.00 lakh(partial disability) ₹ 10,000 (Hospital expenses)
2.	Saving-cum-Relief scheme (during close season)	₹ 1,800 (in two instalments per fisherman)

8.22 Department of Fisheries is earnestly contributing in the strengthening of rural economy and generation of employment opportunities to the unemployed youth and various schemes in this direction have been initiated. A total number of 460 self employment opportunities were generated by the department under various schemes. Reservoir fisheries is one of the important sector in Himachal Pradesh under "Cage Fish Culture" scheme ₹334.00 lakh has been transferred to Central Inland Fisheries Research Institute (CIFRI)- Barrackpore, Kolkata for demonstrating cage Fish Culture technology in the State reservoir. State of Himachal Pradesh is perhaps the only one in the union which

has given full attention to the amelioration of Economic Status of its dam oustees organized them in co-operatives. As a result of scientific management of reservoir fisheries, fishermen are getting lucrative price of their landed fish.

8.23 Achievements of the department during the financial year 2015-16, (upto December, 2015) and proposed targets for 2016-17 are shown in Table 8.7

Table 8.7

Sr.No	Items	Achieved upto December, 2015	Targets fixed for the year 2015-16	Targets proposed for the year 2016-17
1	Fish Production from all sources(in tonnes)	6636.88	11286.00	11600.00
2	Fish Seed Production Carp farms (lakh)	148.38	495.00	500.00
3	Table Size trout Production (in tonnes)	13.78	17.00	20.00
	Govt. sector			
4	Table Size trout Production (in tonnes)	273.80	383.00	440.00
	Private Sector			
5	Employment generated (nos.)		570.00	590.00
6	Total Revenue of the department (lakh)	381.53	400.00	410.00

9. FOREST AND ENVIRONMENT

FOREST

9.1 Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,033 square kilo meters and form about 66.52 percent of the total geographical area of the State. The strategy of Himachal Pradesh Government in forestry management is conservation along with rational utilization and side by side expanding its base. The plan programmes taken up by the Forest Department aim at fulfilling these policy measures. Some of the important plan programmes are as under:-

Forest Plantation

9.2 Forest plantation is being carried out under Productive Forestry Scheme and Soil Conservation Schemes. These Schemes include Improvement of Tree Cover, Raising Nurseries for Departmental Plantation and Public Distribution, Development of Pastures and Grazing land, Sanjhi Van Yojna, TFC and Protective Aforestation, Soil Conservation and Demonstration and EAPs. During the year 2015-16, targets of 6,028 hectares will be achieved with a cost of ₹16.84 crore and out of which an area of 5,450 hectares have been achieved upto December, 2015. During the year 2015-16 also 45 lakh medicinal plants are being planted with an investment of ₹13.00 crore in this sector.

Wild Life and Nature Conservation

9.3 Himachal Pradesh is known for its diversity of animals and birds. The scheme aims at improving the habitat and facilitating provision of areas (sanctuaries & national parks) so

as to afford protection to the various species of birds and animals facing extinction. During the current financial year 2015-16 an outlay of ₹ 484.00 lakh was approved against which an amount of ₹340.22 lakh has been spent upto December, 2015 and the remaining amount will be spent upto 31st March, 2016.

Intensification of Forest Management

9.4 Forests are exposed to dangers of fire, illicit felling and encroachments. It is therefore, felt necessary that check posts at suitable places are established to curb illicit timber trade and fire fighting equipments and techniques are made available to all the forest divisions where fire is a major destructive element. Communication network is also required for good management and protection. An outlay of ₹405.61 lakh has approved for the current financial year 2015-16 out of which an amount of ₹125.75 lakh has been spent upto 31st December, 2015 and the balance amount will be spent up to March, 2016.

Externally Aided Projects Swan River Integrated Watershed Management Project

9.5 Swan River Integrated Watershed Management Project with the assistance of Japan International Cooperation Agency (JICA) in Una District. The total outlay and duration at the inception of project was ₹ 160.00 crore and 8 years (2006-07 to 2013-14) respectively. Now following the process of micro-planning and as per the

recommendation of Mid Term Review and Evaluation (MTRE) of the project held in 2011. The cost and duration has been revised to the tune of ₹ 215.00 crore and 10 years (2006-07 to 2015-16) respectively. Swan River Integrated Watershed Management Project covering 96 panchayats in Una District has been selected as the project area for implementation of various activities of this project. The sharing cost of the project is at 85:15 ratio. For the current financial year 2015-16 ₹8.05 crore has been approved out of which ₹5.17crore has been spent upto December,2015. The remaining amount will be spent by March, 2016.

World Bank Aided Mid Himalaya Watershed Development Project

9.6 Himachal Pradesh Mid Himalayan Watershed Development Project has been launched in the State w.e.f. 1.10.2005 for a period of 6 years with a total cost of ₹ 365.00 crore. Project cost is to be borne by the World Bank and the State Government in 80:20 ratio and 10 percent of the project cost is to be contributed by the beneficiaries. Now, a new project called Additional Financing for Mid Himalayan Watershed Development Project with a total cost of ₹ 231.25 crore has been approved upto 2015-16. The project is now spread over 710 panchayats. The overall goal of the project is to reverse the process of degradation of the natural resource base and improve the productive potential of natural resources and income of the rural household in the project area in Himachal Pradesh. The current financial year 2015-16, an outlay of ₹ 100.00 crore has been approved against which ₹ 60.12 crore has been spent upto December,2015. The project was to culminate on March, 2016 but

the period has now been extended up to March,2017. An amount of about ₹70.00 crore will be spent during the year 2016-17.

HP Forest Eco-system Climate Proofing Project

9.7 With the help of KFW Bank of Federal Republic of Germany Himachal Pradesh Forest Eco-system Climate Proofing Project would be implemented with a total cost of ₹286.00 crore for a period of 7 years in Kangra and Chamba district. For the implementation of this project German Government has agreed to provide fund of ₹240.00 crore and remaining amount will be provided by State Government. The financial agreement in this project has been signed on 29.12.2015. An amount of ₹ 5.00 crore is earmarked during 2015-16 and ₹ 40.00 crore has been proposed for the year 2016-17. Similarly, GIZ another Bank of Federal Republic of Germany has agreed to provide assistance of approximately ₹25.00 crore under technical cooperation for a period of 3 years for Integrating Eco-system Services approach in Himachal Pradesh.

ENVIRONMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY

Significant achievements of the Department during the year 2015-16 and Major Policy initiatives proposed to be under taken during financial year 2016-17 is as under:-

State Knowledge Cell on Climate Change

9.8 During the year 2015-16 Himachal Pradesh Knowledge cell on Climate Change has been established and is made functional in the

Department of Environment, Science & Technology, with the financial and technical assistance of Department of Science & Technology, Government of India. To initiate the activities Climate Modeling Facility has been established in the Knowledge Cell and to carry out climate related studies and a climate change knowledge based web portal has been developed. For the financial year 2016-17 the department has proposed to develop co-ordination mechanism for ensuring co-operative and cohesive action on climate change under active co-ordination with Department of Science Technology (Gol), the database on climate change shall be generated and the knowledge gaps shall be filled up. The setting up of a knowledge centre shall build a vibrant and dynamic knowledge system with primary focus to collection, collation and dissemination of climate change knowledge in the State through Himachal Pradesh knowledge cell on climate change. The Department of Environment is working to develop a coherent database on the geological, hydrological, biological and social cultural dimensions including traditional knowledge system on preservation and conservation of the eco-system and also to generate a strong database through monitoring and analysis to eventually create a knowledge base for policy interventions on climate change

Development Policy Loan (DPL)/ Grant from Government of India

9.9 In continuation to the DPL-I&II, the Government of Himachal Pradesh has posed DPL-III proposal to the World Bank through Government of India under bilateral funding for shift towards Green Growth and sustainable development. It is proposed to provide a

support of 100 Million USD as State Share.

Setting up Centre on Science, Learning & Creativity

9.10 A new Centre on Science, Learning & Creativity is being built in the State with the aim to demystify science and to make common people and farmers aware about science and its applications.

Implementation of Bio-technology Policy

9.11 During the financial year 2015-16 the department has implemented Biotechnology Policy in order to promote and support the research in the State. The department is funding R&D projects under the areas of Bio-Food, Bio-Energy, Crop Improvement, Animal Husbandry and Organic Farming. Under major policy initiative the department for the year 2016-17 has proposed that in Biotechnology the collaborative research are being made available to the end users including farmers of the State. The best research scientists and scholars in Biotechnology in the State are rewarded to promote applied biotechnology as one of the major tools for development in the State. The State of Biotechnology Report of the State is made available to all the Stakeholders ranging from Researchers to students for their first hand information about the latest happenings in Biotechnology in the State.

Environmental Clearances

9.12 The Government has made the process of environment clearances easier and the entire process from submitting the application to the final approval has been made

online. It has resulted in more transparent, faster and easily accessible.

A Programme under National Adaptation Fund for Climate Change

9.13 In order to adapt the impacts of climate change in agriculture sector Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India has approved a programme under National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) with the total financial outlay of ₹20.00 crore. This programme is to be implemented from this year in the State by Department of Environment, Science & Technology through National implementing Agency,

NABARD. Key outcomes of the programme would be:

- Climate mapping and climate vulnerability Index for the District Sirmaur.
- 30,000 number of farmers of Distt. Sirmaur will be skilled to adopt the climate smart packages for drought adaptation.
- 26 percent enhanced water security through soil water conservation measures and micro-irrigation systems will be achieved.
- At least 20,000 farmers will be covered in financial inclusion programme and 15,000 farmers are targeted beneficiary under weather insurance programme in District Sirmaur.

10. WATER RESOURCE MANAGEMENT

DRINKING WATER

10.1 Water management is an important issue. Provision of safe drinking water has been the priority of the State Government. All the census villages in the state have been provided with drinking water facilities by March, 1994. As per the latest updated/validated survey of drinking water supply schemes in Himachal Pradesh, all 45,367 habitations have been covered with safe drinking water facility by March, 2008. With the enforcement of National Rural Drinking Water Supply guidelines w.e.f. 1.04.2009 and subsequent realignment / mapping of habitations, there are 53,205 habitations in the state, Out of which 19,473 habitations (7,632 habitation with population coverage >0<100 and 11,841 habitations with 0 population coverage) are identified having inadequate drinking water. The criteria of coverage of habitations have been changed to population based coverage to ensure Water Security at household level. As per request of various States, Govt. of India had directed the States for data correction of survey. Status of habitations as on 1.4.2015 was finalized as under:-

Total No. of Habitations	Habitations with 100% population coverage	Habitations with population coverage >0 and <100
53,604	32,154 (59.98%)	21,450 (40.02%)

During the year 2015-16, against the target of covering 2,074 habitations (1,037 habitations under State sector and 1,037 habitations under central sector) with an out lay

of ₹173.20 crore (State Sector) and ₹125.00 crore (NRDWP) respectively, 1,332 habitations in which 1,199 habitations under Central sector and 233 habitations under State sector have been covered up to December, 2015. An expenditure of ₹159.14 crore (₹47.44 crore under central sector and ₹111.70 crore under state sector) has been incurred up to December, 2015.

Hand pump Programme

10.2 The Government has an ongoing programme of providing hand-pumps with focus on regions facing scarcity of water during summer season. Total 32,219 hand pumps have been installed up to March, 2015. During the year 2015-16, 881 hand pumps have been installed upto November, 2015.

Urban Water Supply

10.3 Under drinking water scheme, the work of operation and maintenance of 50 towns of the state is looked after by the IPH Department. Augmentation work of 38 towns Water Supply Schemes have been completed upto March, 2015. Water Supply to Dharamshala, Kangra, Hamirpur, Sarkaghat, Nagrota Bagwan, Kullu, Mandi, Rampur, and Manali is in progress through UIDSSMT, Augmentation work of Water supply scheme of Nahan & Banjar town are in progress through State Sector. During the year 2015-16 a budget provision of ₹17.00 crore has been kept for augmentation of water supply schemes, against which an expenditure of ₹8.80 crore has been incurred upto December, 2015.

IRRIGATION

10.4 To increase the crop production the importance of irrigation is well established. Adequate and timely supply of irrigation water to crops is the pre-requisite in the agriculture production process, particularly in areas where the rainfall is scanty and irregular. The supply of land is fixed, i.e. inelastic; therefore, the accelerated growth in production is possible through multiple cropping and realization of higher crop yield per unit area, which in turn depends upon irrigation. Creation of irrigation potential and its optimum utilization continues to receive a high priority in Government Planning.

10.5 Out of the total geographical area of 55.67 lakh hectares of Himachal, only 5.83 lakh hectares is the net area sown. It is estimated that ultimate irrigation potential of the state is approximately 3.35 lakh hectares. Out of this, 0.50 lakh hectares can be brought under irrigation through major and medium irrigation projects and balance 2.85 lakh hectares of area can be provided irrigation through minor irrigation schemes. Till date 2.64 lakh hectares land has been brought under the irrigation facility.

10.6 The only major irrigation project in the state is Shahnehar Project in Kangra District. The project has been completed and irrigation facility to 15,287 hectares land is being provided. The CAD works is in progress and out of 15,287 hectares, 6,386 hectares land has been brought under CAD activities. Medium Irrigation Projects Changer area Bilaspur 2,350 hectares, Sidhatha Kangra, 3,150 hectares and Balh Valley Left Bank, 2,780 hectares has been

completed. At present work of Medium Irrigation Project Phinna Singh (CCA 4,025 hectares) and the Nadaun area in District Hamirpur (CCA 2,980 hectares) is in progress.

Major and Medium Irrigation

10.7 During 2015-16, an amount of ₹4,500.00 lakh has been provided. There is no target under Major and Medium Irrigation because these schemes are in initial stage and upto December, 2015 an expenditure of ₹362.68 lakh has been incurred.

Minor Irrigation

10.8 During the year 2015-16, there is a budget provision of ₹15,245.00 lakh in the state sector to provide irrigation facilities to an area of 3,500 hectares against which upto December, 2015 an area of 2,300.95 hectares has been covered with an expenditure of ₹ 3,378.36 lakh.

Command Area Development

10.9 During the year 2015-16, a provision of ₹5,000.00 lakh including Central assistance has been kept for constructing field channels and 964.50 hectares of field channel has been achieved. In addition to this work for CAD activities under 23 MIS and 39 schemes Minor Irrigation is in progress. An expenditure of ₹163.34 lakh has been incurred upto December, 2015.

Flood Control Works

10.10 During the year 2015-16 a sum of ₹19,005.00 lakh has been provided to protect 2,500 hectares of land. An amount of ₹1,431.72 lakh has been spent to protect an area of 936.97 hectare up to December, 2015. The work for Swan Phase-IV and Channelization of Chhochh Khad is in progress.

11. INDUSTRIES AND MINING

INDUSTRIES

11.1 Himachal Pradesh has made significant achievements in the field of industrialisation in the past few years. Recently many initiatives have been taken by Govt. to facilitate investment in the State.

Status of Industrialization

11.2 As on 31.12.2015, there were 40,712 units working in the State. Out of these 138 Industrial Units are Large and 380 are Medium Scale Units.

Development of Industrial Areas/ Estates

11.3 The budget amounting to ₹ 34.30 crore has been allocated for the year 2015-16 for infrastructure development of various Industrial Areas/ Estates. Out of allocated fund ₹19.87 crore have been incurred on construction of various development works in Industrial Area/ Industrial Estates as on 31.12.2015. The balance budget of ₹ 14.43 Crore will be spent before 31.03.2016.

State of the Art Industrial Area under MIUS

11.4 The Ministry of Commerce & Industry (DIPP), Govt. of India has accorded final approval for setting up of two State of Art Industrial Area at Pandoga District Una and Kandrori District Kangra under Modified Industrial Infrastructure Up gradation Scheme. The detail of funding pattern of these projects is shown in the following Table:-

Table 11.1

Means of Finance	Amount (₹ in crore)	
	State of Art Industrial Area at Pandoga District Una	State of Art Industrial Area at Kandrori District Kangra
Central Grant	22.62	24.07
SIA	23.97	17.00
Debt	41.46	54.70
Total	88.05	95.77

The grant shall be utilized for the purpose of up gradation of infrastructure facilities at these industrial areas, under physical infrastructure (Roads & Storm Water Drainage, Streets Lights, augmentation of 132KV Power Sub-Station etc.), technical infrastructure (Common Facility Centre etc.), Social infrastructure (Working Women Hostel, Bus Stops, Rain Shelter and Common Health Centre etc.) and for miscellaneous/ administrative grant.

The Govt. /Forest Land measuring 515.00 Bighas has been identified for development of 3rd State of the Art Industrial Area at Dabhota, Tehsil Nalagarh, District Solan. The FCA case has been submitted to the Forest Department for forest clearance under FCA, 1980 and is under Process.

Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

11.5 Under this scheme against the target of 382 cases, 902 cases have been sponsored to various banks, out of which 475 cases

involving Margin Money subsidy ₹620.64 lakh, have been sanctioned. In 155 cases, an amount of ₹ 210.19 lakh of Margin Money (subsidy) has been disbursed and in these enterprises about 506 persons have been employed.

ASIDE SCHEME (Assistant to the States for Development of Export Infrastructure & Allied Activities.

11.6

i) State Component

Under the State Component of the ASIDE Scheme no budget allocation had been made by the Govt. of India as the said scheme has been de-linked from the support of the Centre. However, projects under implementation would be completed as per the scheme guidelines..

ii) Central Component

During the year 2013-14 and 2014-15, 5 projects total cost of which are ₹71.45 crore have been sanctioned by the Department of Commerce & Industry, Govt. of India, involving ₹57.96 crore ASIDE Grant, out of which ₹35.49 crore has been released to the State. Out of 5, two have been completed.

- i) Construction work of project i.e. Improvement & Strengthening of link road Ajouli (Punjab Border) to Santokhgarh, Tahliwala, Industrial Area upto Laluwal, District Una RD 0/0 to 14/150
- ii) Composite Pharma Lab for Exporting Units in BBN Area has been completed

Remaining following 3 projects are under implementation

- i) Setting up Container Parking Facility for exporting units in Baddi Barotiwala Area.

- ii) Development of Electrical Infrastructure at I.A. Kala Amb, District Sirmaur
- iii) Warehouse Project for exporting units located Baddi Barotiwala-Nalagarh Area.

1st instalment released by the Government of India has been utilized and 2nd instalment is still awaited from the Government of India for completion of above said projects.

Sericulture Industry

11.7 Sericulture is one of the important agro-based rural cottage industries of the Pradesh that is providing gainful employment to about 9,200 rural families for supplementing their income by producing silk cocoons. Thirteen silk yarn reeling units have been set up in private sector i.e. district Kangra and Bilaspur five each in Hamirpur, Mandi and Una one each with the assistance of Government. Upto 31st December, 2015, 224.65 MT Silk Cocoons were produced that was converted into raw silk of 28.94 MT providing an income of about ₹723.50 lakh by sale of Silk products in the State. The anticipated production of Silk cocoon is 224.65 MT and converted raw silk production is 28.94 MT during the year.

Handloom and Handicrafts

11.8 Under Tribal Sub Plan a sum of ₹85.00 lakh and ₹1.00 crore under SCSP has been released in favour of H.P. State Handloom & Handicraft Development Corporation for opening of Training Centres.

Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojna

11.9 During the current year (up to 31.12.2015), 2,740 weavers have been covered under the Scheme.

District Level Events

11.10 To Organise District Level events by HIMBUNKAR Kullu for marketing of handloom products, 16 proposals has been sanctioned by the Government of India during this year.

MINING

11.11 Minerals constitute a fundamental component of State's economic base. Good quality limestone, which is one of the ingredients in the manufacture of cement, is available in plenty in the State. Six Cement Plants M/s ACC at Barmana, Distt. Bilaspur (two units), M/s Ambuja Cements Ltd. at Kashlog Distt. Solan (two units), M/s J.P. Industry at Baga Bhalag (one unit) and M/s CCI at Rajban Distt. Sirmour (one unit) are already in operation. The establishment of other three major cements plants at Sundernagar, Distt. Mandi (M/s Harish Cement (Grasim) Gumma-Rohana, Distt. Shimla (The India Cements Ltd) Alsindi, Distt. Mandi (M/s Lafarge India Ltd.) are underway and accordingly mining leases have been granted in their favour.

11.12 In addition to above, the Government has also granted prospecting licences to the various companies in order to carry out the detailed study for proving the deposits, quantity and quality of Limestone and other associated minerals i.e. M/s Associated Cement Companies Ltd, (Dhara Badhu, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi), M/s Dalmia Cements (Karaili-Kothi-Sal-Bagh, Tehsil Sunni, Distt. Shimla), M/s Ambuja Cements Ltd. (Gyana-Chalyan- Basyana-Barsanu-Mangu of Tehsil Arki, Distt. Solan) M/s Reliance Cementation Company Ltd (Sugrathi-Thangar-Kura Khera, Pauli Khera-Kandal-Dedera of Tehsil Chopal, Distt. Shimla), M/s Asian Cement Company (Rauri-Lamba-Sanun etc. of Tehsil Arki, District Solan). Other

commercially exploitable minerals in the State are Shale, Barytes, Silica Sand, Rock Salt, Quartzite, Building material like sand stone, sand, bajri and building stone. Apart from carrying out development and regulation of Mines & Minerals, the Geological Wing, Department of Industries is also conducting Geo-technical investigations of bridge sites, buildings and geo-environmental etc.

11.13 During 2014-15, about ₹161.52 crore and during 2015-16 (upto December, 2015) about ₹87.58 crore of royalty from minerals have been realized and total revenue earning to the tune of ₹130.00 crore is estimated during current financial year.

i) **New Leases granted:** During 2014-15, 3 numbers of mining leases under major mineral have been granted/renewed and during 2015-16 (upto September, 2015), extension in 30 numbers of mining leases of major minerals in terms of provisions of Section 8A (5) & 8A (6) of Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015, has been made for a period of 50 years from the date of grant. Further during 2014-15, 7 numbers of mining leases under minor minerals have been granted and during 2015-16 (upto September, 2015) 30 numbers of mining leases have been granted.

ii) **Geo Technical Investigations:** During 2014-15, 28 numbers of Geo-Technical reports pertaining to foundation testing of bridge sites, geological evaluations of road alignments, land slides etc. were sent to user agencies for further action and during 2015-16 (upto December, 2015) 18 numbers of Geo-Technical reports have been sent to the user agencies.

12. LABOUR AND EMPLOYMENT

EMPLOYMENT

12.1 As per 2011 Census, 30.05 percent of the total population of the Pradesh is classified as main workers, 21.80 percent marginal workers and the rest 48.15 percent as non-workers of the total workers (main+marginal) 57.93 percent are cultivators and 4.92 percent agricultural labourers, 1.65 percent are engaged in household industry and 35.50 percent in other activities. The employment assistance/ information service to job seekers in the Pradesh is rendered through the 3 regional employment exchanges, 9 district employment exchanges, 2 university employment information and guidance bureau, 55 sub-employment exchanges, one special employment exchange for Physically Handicapped, one Central Employment Cell, Vocational Guidance and Employment Counseling to the youth as well as in the matter of collection of Employment Market Information Centre are working in the State. All 67 Employment Exchanges have been computerized and 64 Employment Exchanges are online. Efforts are on to bring remaining 3 Employment Exchanges online.

Minimum wages

12.2 Himachal Pradesh Government has constituted a Minimum Wages Advisory Board under the Minimum Wages Act-1948 for the purpose of advising the State Government in the matter of fixing and revising the minimum rates of wages for the workers. The State Government has enhanced the minimum wages for unskilled category of workers from ₹170 to ₹180 per day or ₹5,100 to ₹5,400 per month w.e.f. 1.05.2015,

working in existing 11 scheduled employments.

The State Government has added 8 new scheduled employments namely; (1) Hydro Power Projects (2) Pharmaceuticals Industries (3) Hospitals/Nursing Homes & Clinics (4) Domestic Workers (5) Safai Karamchari Employment (6) Security services (7) Temples and Religious Places/Dharamshalas (8) Workers working in Toll Tax Barriers, under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948 so that maximum workers working in these scheduled employments are also covered under the provisions of the ibid Act and benefits of minimum wages and other working conditions etc are ensured to them.

Employment Market Information Programme

12.3 At the district level, the employment data is being collected under the Employment Market Information Programme since 1960. The total employment in the State as on 31.12.2014 in Public Sector was 2,75,490 and in private sector was 1,51,686 and establishments in Public sector are 4,239 and in Private sector the number of establishments are 1,715.

Vocational Guidance

12.4 There are total four vocational Guidance centres under Labour and Employment Department out of which one vocational guidance centre at the Directorate and other three are located at Regional Employment Office viz Mandi, Shimla and Dharamshala. Besides this, there are two University Employment

Information and Guidance Bureaus at Palampur and Shimla. These Vocational Guidance Centres impart vocational guidance to needy applicants. Vocational guidance camps are also organized in many educational Institutions of the State. During the period 1.04.2015 to 31.12.2015, 110 camps were organized in the different parts of the state.

Central Employment Cell

12.5 With a view to provide technical and highly skilled manpower to all the industrial units, Institutions and establishments, the Central Employment Cell which has been set up in the Directorate of Labour and Employment of the State remained engaged in rendering its services during the year 2015-16. Under this scheme, assistance is provided to the employment seekers on the one hand in finding suitable jobs in private sector according to their qualifications and on the other hand to recruit suitable workers without wastage of money, material and time. The Central Employment Cell organizes Campus Interview for Private Sector Employers for their requirement of unskilled Labour. From 1.04.2015 to 31.12.2015, Central Employment Cell has organized 164 Campus Interviews wherein 2,334 candidates have been placed. The Central Employment Cell also organizes Job Fairs in the State. From 1.04.2015 to 31.12.2015, 4 Job Fairs have been organized by the Department. In these 4 Job Fairs, 2,674 candidates were placed in employment in different Industries in the State.

Special Employment Exchange for Physically Handicapped.

12.6 The special employment exchange for the placement of physically disabled (visually disabled,

hearing disabled and locomotor disabled) persons was set-up in the Directorate of Labour and Employment during the year,1976. This special exchange renders assistance to the physically disabled candidates in the field of vocational guidance and also provides employment assistance in Private Sector. The Physically disabled persons who constitute the weaker section of society have been provided number of facilities/ concession which include free of cost medical examination of the disabled persons through the Medical Boards constituted at the State and District level, relaxation of age by 5 years, exemption for qualifying type test for those who suffer from disability in the upper limbs extremities, 3 percent reservation for appointment in Class-III & Class-IV posts, reservation of 5 percent seats in girls Industrial Training Institute and Tailoring Centres and providing reservation against the specific points, in departmental 200 points Rosters i.e. 1st, 30th, 73rd, 101st, 130th, 173rd (1st and 101st for Visually disabled and 30th and 130th for Hearing disabled and 73rd and 173rd for locomotor disabled). During the year 2015-16 from 1.04.2015 to 31.12.2015, 1,157 physically disabled persons were brought on the Live Register of the Special Employment Exchange bringing the total number to 17,318 During this period 34 physically disabled persons were placed in employment.

Labour Welfare Measures

12.7 Under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 the District Vigilance Committees and Sub Division Vigilance Committees have been constituted to monitor and ensure the implementation of Bonded Labour System (Abolition) Act 1976. A State Level Standing Committee on the report of Expert Group on Bonded

Labour System and other related Acts in the State has been constituted. The State Government has established two Labour Courts-cum-Industrial Tribunals one with headquarter at Shimla with its jurisdiction of District Shimla, Kinnaur, Solan and Sirmaur and the other at Dharamshala with its jurisdiction of District Kangra, Chamba, Una, Hamirpur, Bilaspur, Mandi, Kullu and Lahaul-Spiti. The Presiding Officers of Labour Courts-cum-Industrial Tribunals of the rank of District and Session Judges have been appointed for each Labour Courts cum-Industrial Tribunals.

Employees Insurance and Provident Fund Scheme

12.8 The Employees State Insurance is applicable in the areas of Solan, Parwanoo, Barotiwala, Nalagarh, Baddi in Solan District, Mehatpur, Bathri & Gagret in Una District, Poanta Sahib & Kala Amb in Sirmour District, Golthai in Bilaspur District, Mandi, Ratti, Ner Chowk, Bhangrotu, Chakkar & Gutkar in Mandi District and Industrial Area Shoghi & Municipal area of Shimla in District Shimla. About 6,291 establishments with an estimated 2,28,380 insured persons are covered under ESI Scheme in Himachal Pradesh upto 31.12.2015. Under employees provident fund scheme about 10,90,957(provisional) workers have been brought in 9,289 establishments up to 31.12.2015.

Industrial Relations

12.9 The problem of Industrial Relations has gained considerable importance on account of expansion of industrial activities in the pradesh. Conciliation machinery has been functioning in the pradesh and has proved as an important agency for the settlement of industrial disputes and

maintaining industrial peace and harmony. Function of Conciliation Officer has been entrusted to the Joint Labour Commissioner, Deputy Labour Commissioner, Labour Officers & Labour Inspectors in the field within their respective jurisdiction. Higher authorities from Directorate level intervene in the cases/disputes where the conciliation fails to bring about any amicable settlement at lower level.

Building & Other Construction Workers (RE&CS) ACT-1996 and Cess Act- 1996

12.10 Under this Act various provisions have been made to implement welfare provisions such as providing Maternity/Paternity benefit, Retirement Pension, Disability Pension, Funeral Assistance, Financial Assistance for education of children, Financial Assistance for Marriage of the children and own marriage of member and providing Bicycle, Washing Machine to women workers. Financial Assistance for Induction Heater or Solar Cooker and Solar Lamp is being given to all beneficiaries. The provision has also been made to obtain loan for purchasing tools and purchase/construction of house. The Board may also construct/hire buildings for transit hostels for Building & Other Construction Workers wherein the number is more than 300. Recently the Board is constructing Workers Transit Hostel at Dulehad, Distt. Una and Worker Transit Hostel at Ghansot (Nalagarh) District Solan whereas land for workers Transit Hostel in Shimla, Mandi, Chamba and Kinnaur is under process to identify. The Board has also covered Building & Other Construction Workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojna and Jan Shri Bima Yojna. 1,678 Establishments, 88,534 beneficiaries are registered with the Board and

65,738 beneficiaries have been provided benefits amounting to ₹20.25 crore under the various welfare scheme and an amount of ₹283.71 crore approx. has been deposited with the H.P. Building & Other Construction Workers Welfare Board, Shimla upto 31.12.2015.

SKILL DEVELOPMENT ALLOWANCE SCHEME:

12.11 The Skill Development Allowance scheme is a flagship programme of the State Government. A budgetary provision of ₹100.00 crore has been made for this scheme for the financial year 2015-16. Its purpose is to aid the educated un-employed youth of Himachal Pradesh to enhance their employability and income through skill development. The scheme provides an allowance ₹1,000 per month for youth doing skill training and ₹1,500 per month for 50 percent permanently physically disabled for duration of training (subject to maximum 2 years).

During the Financial Year w.e.f 01.04.2015 to 31.12.2015

amount of ₹26.27 crore has been disbursed as Skill Development Allowance to 60,869 beneficiaries (26,748 continued from previous Financial Year and 34,121 enrolled during this Financial Year). From the commencement of the scheme to till 31.12.2015 an allowance of ₹68.93 crore has been disbursed to 1,07,887 beneficiaries.

EMPLOYMENT EXCHANGE INFORMATION

12.12 During the period 1.04.2015 to 31.12.2015 in all 1,46,741 applicants were registered and 262 placement were done in Government sector and 2,607 in private sector. The number of vacancies notified during this period by various employers was 2,542 The consolidated number on Live Registers of all employment exchanges stood at 8,08,767 on 31.12.2015.

The District-wise work done by the employment exchange with effect from 1.04.2015 to 31.12.2015 is given in Table 12.1 below:-

Table No.12.1

Sr. No	District	Resgistration	Vacancies notified	Placement		Live Registration
				Govt Sector	Pvt.Sector	
1	Bilaspur	10548	1	6	131	53241
2	Chamba	9509	2	7	697	55758
3	Hamirpur	11129	6	34	516	64761
4	Kangra	34835	366	128	526	177135
5	Kinnaur	1398	3	0	0	9036
6	Kullu	6526	339	4	13	44490
7	L& Spiti	817	0	19	0	4103
8	Mandi	25258	14	30	317	158038
9	Shimla	15249	767	11	40	76812
10	Sirmaur	9216	314	0	26	55992
11	Solan	10382	366	1	236	51826
12	Una	11874	364	22	105	57575
H.P.		146741	2542	262	2607	808767

Note: Placement figure do not include the figures of placement given by departments and HP Public Service Commission and HPSSSB, through direct and open competition.

13. POWER

13.1 Power is one of the most important input for economic development. In addition to its widely recognized role as a catalyst to economic activity in different sectors of economy, the power sector makes a direct and significant contribution to economy in terms of revenue generation, employment opportunities and enhancing the quality of life.

13.2 The Hydro Power Sector in Himachal Pradesh strongly emphasizes the economic dimensions by way of environmentally and socially sustainable Hydropower development in the State, line with objective of Government of Himachal Pradesh to promote inclusive green growth and sustainable development of the State

through climate change related with transformative actions across the key engines of economic growth of the State. This, as such provides conducive policy framework and directions to promote, develop and harness optimally the vast Hydropower potential of 27,436 MW, out of which a potential of about 24,000 MW is harnessable in its five river basins namely Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Yamuna. The State has been accelerating the pace of Hydropower development through the active involvement of both the Public and Private sectors. Hydropower development essentially focussed on run-of-the-river hydro projects either in tandem or in cascade.

Power harnessed under various sectors

Table 13.1

SECTOR	Capacity (MW)
HPSEBL	487.55
CENTRAL/JOINT	7457.73
HIMURJA (STATE)	2.37
HIMURJA (PRIVATE)	260.25
PRIVATE above 5 MW	1897.40
HP SHARE	159.17
Total	10264.47

13.3 To achieve optimal harnessing of the available potential and to identify new hydro potential, the Government had carried out optimization studies of all five river basins through reputed consultant M/s LIPL, to explore the possibilities for the left out hydro potential in all river basins. The studies revealed that the total identified potential of the

State would be to the tune of 27,436 MW. The Satluj basin comprises the highest potential of 13,332 MW followed by Beas basin having a capacity of 5,995 MW, Ravi basin having a capacity of 3,237 MW, Chenab basin having a capacity of 4,032 MW and Yamuna basin having a capacity of 840 MW. So far a total of 10,264 MW stands harnessed under various sectors.

Physical and Financial achievements w.e.f 1.04.2015 to 31.12.2015 and anticipated upto 31.03.2016 and targets fixed for the financial year 2015-16.

Table 13.2

Sr. No	Discription	Targets	Achievements upto 31.12.2015	Anticipated upto 31.03.2016
1	Capacity Addition	1050 MW	830 MW	76 MW
2	Power Sale on account of sale of free power & equity	₹300 crore	₹1009 crore	₹30 crore
3	Grant of Techno Economic Clearance (TEC)	40 No.	23 No.	10 No.
4	Inspection of projects	20 No.	09 No.	-

Hydro Power Projects above 5 MW

13.4 A total 91 number of projects with aggregate capacity of 7,666 MW have been allotted under Private sector above 5 MW so far, out of which 18 number of projects with aggregate capacity of 1,897 MW already stand commissioned where as 23 number of projects with aggregate capacity of 720 MW are under various stages of construction/execution and 50 number of projects with aggregate capacity of 5,049 MW are under various stages of clearance/ investigation stages.

₹30,965.06 lakh and loan ₹3,440.56 lakh). Out of which ₹26,118.70 lakh has been released by M/S REC Ltd. (Nodal agency) as grant and ₹2,919.14 lakh as loan upto March, 2015. The expenditure including liabilities is ₹32,854.63 lakh ending upto December,2015. The works for all the schemes have been completed except for 33 KV HT line of Pangi Block in Chamba District.

H.P State Electricity Board Ltd

13.5 CENTRALLY SPONSERED SCHEMES AND DEPARTMENTAL SCHEMES.

i) Electrification of Villages under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna (X & XI th Plan):

In Himachal Pradesh Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna (RGGVY) scheme for all the 12 districts was sanctioned by the Ministry of Power, Government of India for ₹34,405.62 lakh (GoI Grant

Out of the 109 un electrified villages covered under RGGVY (as per 2011 census) 9 villages had already been electrified before the commencement of RGGVY scheme. Ten number of villages were not technically feasible for electrification and 90 number of of un-electrified villages have been electrified under RGGVY scheme.

i) RGGVY (BPL) Target/ Achievement:

In RGGVY scheme, total 12,483 number of BPL households was sanctioned by

M/s REC for providing cost free service connection as per the guidelines of the scheme. A total

number of 15,293 BPL households stand electrified under the scheme upto March, 2015.

The progress of ongoing works under RGGVY upto December,2015 is tabulated as under:-

Table 13.3

Sr. No	District	No. of RHH Eltfd (incl.BPL)	No. of BPL Eltfd.	Sanct. Amt.(in lakh)	Release of funds (₹ in lakh)			Exp. ending 31.03.15	Closure Status
					Grant	Loan	Amount Released		
1	Chamba	2865	1174	6634	5369	597	5966	5942	Not closed
2	Solan	5668	1524	4619	3483	389	3871	4397	Closed
3	Una	8628	1451	2306	1735	194	1928	2165	Closed
4	Sirmaur	4302	1236	4939	3741	418	4159	4599	Closed
5	Bilaspur	1385	322	417	347	39	386	430	Closed
6	Hamirpur	1406	530	597	449	50	499	613	Closed
7	Kangra	11208	3362	2655	1959	222	2181	2896	Closed
8	Mandi	7342	2398	3366	2526	283	2809	3158	Closed
9	Shimla	4914	2266	5194	3862	432	4294	5057	Closed
10	Kullu	2905	874	777	593	66	659	890	Closed
11	L & S	753	118	1324	1017	113	1131	1215	Closed
12	Kinnaur	850	38	1578	1039	115	1154	1493	Closed
TOTAL		52226	15293	34406	26119	2919	29038	32855	Closed

ii) Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna (DDUGJY)

The Ministry of Power, GoI has launched DDUGJY on 3.12.2014 for the electrification of rural households with the following objectives:

- The project shall provide separation of agriculture and non-agriculture feeders facilitating judicious roistering of supply to agriculture and non-agriculture consumers in the rural areas.
- The core objective of separation of feeders is to provide regulated supply to agriculture consumers and continuous power supply to non-agriculture consumers in rural areas.
- The project shall provide strengthening and augmentation of sub-transmission & distribution (ST&D) infrastructure in rural areas, including metering at distribution transformers, feeders at consumers end. The core objective is to ensure reliable and

quality power supply in rural areas.

- The existing programme of RGGVY as approved by CCEA for continuation in 12th and 13th Plans will get subsumed in this scheme as a separate rural electrification components for which CCEA has already approved the scheme cost of ₹39,275.00 crore including a budgetary support of ₹35,447.00 crore. This outlay will be carried forward to the new scheme of DDUGJY in addition to the outlay of ₹43,033 crore including a budgetary support of ₹33,453 crore from Govt. of India during the entire implementation period.

Accordingly, the project was formulated by HPSEBL for all 12 districts of the State for above objectives and covering 35 numbers of

un-electrified villages and 14,088 Rural households including 3,288 BPL households for electrification. The scheme is being executed on departmental basis as per approval of Monitoring Committee constituted by Government of India. The scheme has been approved by monitoring committee for ₹159.12 crore.

(iii) Restructured Accelerated Power Development and Reform Program (R- APDRP) :-

Projects under the R-APDRP

- program shall be taken up in two Parts:

Part-'A'

Ministry of Power, Government of India (GoI) has launched the Restructured Accelerated Power Development Reform Program (R-APDRP) to reduce the Aggregate Technical & Commercial (AT&C) losses to 15 percent in project areas. The program is divided into 2 parts namely Part-A & Part-B. Part-A will include projects for establishment of baseline data & IT applications like Meter Data Acquisition, Meter Reading, Billing, Collections, GIS, MIS, Energy Audit, New Connection, Disconnection, Customer Care Services, Web Based Services etc. to verify AT&C losses. Part-B will include distribution strengthening projects.

Ministry of Power has sanctioned ₹96.40 crore against DPRs of 14 eligible towns for Himachal Pradesh during August, 2010. The total project cost for Part-A under R-APDRP is ₹128.46 crore. The balance is to be met through own funding. Power Finance Corporation Limited (PFCL) has been designated as the Nodal Agency for the program by Govt. of India.

Under Part- A of Restructured Accelerated Power Development Reform Program (R-APDRP) in Himachal Pradesh, 14 towns namely (Shimla, Solan, Nahan, Paonta, Baddi, Bilaspur, Mandi, Sundernagar, Chamba, Dharamshala, Hamirpur, Kullu, Una and Yol) had been found eligible for funding and providing requisite hardware, software and peripherals at Data Centre (DC) at Shimla, Disaster Recovery Centre (DRC) at Paonta Sahib and will help for Meter Data Acquisition System (MDAS), Energy Audit (EA), Identity & Access Management System (IAMS), Management Information System (MIS) containing Dataware Housing (DW) & Business Intelligence (BI) tools, Enterprise Management System (EMS) & Network Management System (NMS), which is a part of hardware.

Award for Consultant/ Implementation Agency:

The award for IT Consultant has been placed to M/s Telecommunication Consultants India Limited, New Delhi in consortium with M/s Vayam Technologies India Ltd. as consortium partner on 31.07.2009 for an amount of ₹39,70,800. The purpose of IT Consultant is to assist the HPSEB Ltd. in preparing the feasibility report, bid document, assist in bid process and monitor implementation.

The award for IT Implementation Agency has been placed to M/s HCL Infosystems Ltd., Noida on 30.08.2010 for an amount of ₹99.14 crore which was further revised to ₹99.13 crore.

Latest Status and Completion Schedule:-

- Data Centre at Shimla is functional.
- The Disaster Recovery Center at Paonta Sahib is functional

- HPSEB Ltd. has declared the 14 towns Go-live to the Ministry of Power, Government of India in July, 2014.
- User Acceptance Testing (UAT) of Data Center has been completed.
- TPIEA IT has completed the verification of Data Center, Disaster Recovery centre, Sub Division Offices and other offices of 14 towns and their final report is awaited, which is likely to be completed very shortly.

Expected Benefits from the scheme:-

The focus of the R-APDRP, Part-'A' Scheme is on actual demonstration of performance in terms of sustained loss reduction. Establishment of reliable and automated systems for sustained collection of accurate base line data through adoption of information technology in the area of energy accounting.

Part-'B'


In Himachal Pradesh 14 towns namely Baddi, Bilaspur, Chamba, Dharamshala, Hamirpur, Kullu, Mandi, Nahan, Paonta Sahib, Solan, Shimla, Sundernagar, Una and Yol having population more than 10,000 are covered under Gol sponsored grant-in-aid (initially loan) R-APDRP scheme. The schemes for these towns under R-APDRP (Part-B) includes renovation, modernization & strengthening of 11KV & 22 KV level sub-stations, Transformers/

Transformer centres, Re-conductoring of 11KV and LT lines, load bifurcation, feeder separation, Load Balancing, HVDS (11KV), Arial Bunched Conductoring, replacement of electromagnetic energy meters with tamperproof electronic meters, installation of capacitor banks, mobile service centres and strengthening at 33 KV or 66 KV system.

Initially, the R-APDRP (Part-B) schemes amounting to ₹322.18 crore (Gol loan component of 289.97 crore) were sanctioned by M/s Power Finance Corporation Ltd. (PFC) / Ministry of Power for all the 14 towns covered under R-APDRP in Himachal Pradesh. Due to non availability of land for construction of 66/11 KV substations and right of way problem for associated 66 KV lines, the schemes for Shimla and Baddi towns were revised. The revised R-APDRP (Part-B) DPRs for Shimla and Baddi towns amounting to ₹120.34 crore and ₹84.10 crore respectively were sanctioned by M/s Power Finance Corporation Ltd. (PFC) on 08.02.2012 and accordingly the original sanctions amounting to ₹322.18 crore (Loan amount ₹289.97 crore) were later revised to ₹338.97 crore (Gol Loan component amount ₹ 305.07 crore).

At the start, M/s PFC Ltd released 1st tranche of ₹101.68 crore as upfront money for these 14 towns. Town wise sanction status of the R-APDRP (Part-B) schemes is given below:-

ELECTRICITY CONSUMPTION



■ Sold outside State ■ Consumption

TOWN-WISE SANCTION STATUS OF R-ADRP (PART-B)

Table 13.4

Sr. No.	Name of Town/ Project Area	Loan (₹ in crore)	Counterpart Fund (₹ in crore)	Total Project Cost (₹ in crore)	Target Completion Date
1	Baddi	75.69	8.41	84.10	Dec,2016
2	Bilaspur	1.87	0.21	2.08	Dec,2016
3	Chamba	2.64	0.29	2.93	Completed
4	Dharamshala	9.28	1.03	10.31	Dec,2016
5	Hamirpur	5.81	0.65	6.46	Almost Complete
6	Kullu	6.66	0.74	7.40	Completed
7	Mandi	17.32	1.92	19.24	Dec,2016
8	Nahan	5.46	0.61	6.07	Completed
9	Paonta Sahib	32.97	3.66	36.63	Dec,2016
10	Shimla	108.30	12.04	120.34	Dec,2016
11	Solan	20.32	2.26	22.58	Dec,2016
12	Sundernagar	5.90	0.65	6.55	Dec,2016
13	Una	6.58	0.73	7.31	Completed
14	Yol	6.27	0.70	6.97	Dec,2016
Total		305.07	33.90	338.97	

The schemes also envisages the provision of incentive for utility staff in the towns where "Aggregate Technical & Commercial loss" (AT&C loss) levels are brought below 15 percent. A maximum amount equivalent to 20 percent of the grant for Part-B project is allocated for this purpose. The incentive scheme amounting to ₹9.76 crore for all the 14 towns covered under R-APDRP (Part-B) has been sanctioned by M/s PFC Ltd. in the 24th meeting of the Steering Committee.

The proposal for counterpart funding (10 percent of the total project cost) amounting to ₹33.90 crore was approved by Board of Directors and accordingly the same had been sanctioned by M/s PFC Ltd. on 22.6.2012. The MOA and deed of Hypothecation for counterpart funding was signed between M/s PFC Ltd. and HPSEB Ltd. in Vidyut Bhavan, Shimla on 19.12.2013.

The proposal for funding the Civil works and other component which are necessary for implementation of R-APDRP (Part-B) initially amounting to ₹65.63 crore (loan assistance ₹59.00 crore) was later required to be revised to loan assistance of ₹49.29 crore due to non availability of assets for hypothecation and has recently been sanctioned by M/s PFC Ltd. on 22.09.2015. The loan documents in respect of Civil works and other components under R-APDRP (Part-B) have been signed between M/s PFC Ltd. and HPSEB Ltd. on 28.09.2015 and the funds of ₹18.40 crore have been received by HPSEBL on 30.09.2015. The works in five towns namely Chamba, Nahan, Kullu, Una and Hamirpur are almost complete (except for some minor works). Till date, against the Govt. of India loan and counterpart loan components, M/s PFC Ltd. has released ₹122.96 crore (as GoI loan) and ₹27.67 crore as

counterpart loan. A total fund released till date by PFC Ltd is ₹150.63 crore against the Govt. of India loan and counterparts loan components. A total expenditure to the tune of ₹199.00 crore has been incurred in the 14 towns uptill 30.11.2015.

In 9 towns namely Baddi, Bilaspur, Dharamshala, Mandi, Paonta Sahib, Solan, Shimla, Sunder Nagar and Yol works are under progress and likely to be completed by December, 2016.

Integrated Power Development Scheme (IPDS)

Ministry of Power, Govt. of India has launched Integrated Power Development Scheme (IPDS) on 03.12.2014 for the electrification of urban households.

Objectives of the projects under IPDS are the following:

- a) The projects shall provide strengthening of Sub-Transmission and Distribution Network in urban areas including provisioning of Solar panels on Government building including net-metering.
- b) The project shall provide metering of feeders/ Distribution Transformers/ consumers in urban areas.

- c) The project shall provide IT enablement of distribution sector and strengthening of distribution network, as per CCEA approval dated 21.06.2013 for completion of the targets laid down under R-APDRP for 12th and 13th Plan by subsuming R-APDRP in IPDS and carrying forward the approved out lay for R-APDRP to IPDS.

In Himachal Pradesh 12 HPSEBL Circles (54 urban towns as per 2011 census) have been covered under the Integrated Power Development Scheme (IPDS). The DPR's for 12 circles have been submitted to M/s PFC Ltd. for amounting to ₹115.43 crore for approval from the Centre Level Monitoring Committee. The Monitoring Committee in-principle approved the DPR's for 12 circles for Himachal Pradesh amounting to ₹110.60 crore and ₹0.55 crore (i.e 0.05 percent of the project cost) for Project Management Agency (PMA). In respect of PMA, HPSEBL has awarded the work of PMA to M/s WAPCOS Ltd. for IPDS projects in Himachal Pradesh on 09.09.2015. Tripartite Agreement has been signed between the Government of Himachal Pradesh, HPSEBL and M/s PFC Ltd in the month of December, 2015. The detail of circle-wise in-principle approved cost is given below.

Table 13.5

Sr. No.	Name of circle	No. of towns	Name of towns covered	Appraised cost (in crores)
1	Bilaspur	5	Bilaspur, Sundernagar, Ghumarwin and Talai, Naina Devi	8.83
2	Dalhousie	5	Chamba, Dalhousie, Chowari, Khas, Nurpur and Bakloh	3.63
3	Hamirpur	5	Hamirpur, Bhota, Nadaun, Tira, Sujanpur and Jwalamukhi	3.96
4	Kangra	6	Kangra, Dharamshala, Yol, Dehra Gopipur, Palampur and Nagrota Bagwan	14.27
5	Kullu	4	Kullu, Manali, Banjar Bhuntar	14.09
6	Mandi	4	Mandi, Jogindernagar, Rewalsar and Sarkaghat	4.89
7	Nahan	3	Nahan, Poanta Sahib and Rajgarh	3.00
8	Rampur	2	Rampur and Narkanda	10.81
9	Rohru	4	Rohru, Chopal, Jubbal & Kotkhai	13.21
10	Shimla	3	Shimla, Theog and Sunni	7.56
11	Solan	8	Solan, Baddi, Arki, Subathu, Parwanoo, Kasauli, Dagshai and Nalagarh	14.22
12	Una	5	Una, Mehatpur, Gagret, Santokgarh and Daulatpur.	12.13
TOTAL		54		110.60

13.6 I.T. INITIATIVES

i) GIS/GPS Based Asset Mapping including Consumer Indexing and Valuation of Assets of HPSEB Ltd, preparation of FARs of HPSEB Ltd called GIS Package.

- HPSEB Ltd. has decided to carry out GIS/GPS based asset mapping including consumer indexing and valuation of assets for whole HPSEB Ltd., to create Fixed Asset Registers with wings namely Generation, Transmission and Distribution after proper reconciliation with latest balance sheet of the Board.
- Part-I of the project has already been completed by the end of December, 2011.

Under Part-2 of the project all the three firms have completed the field survey work. Now valuation reports prepared by the firms have been submitted in the respective offices of HPSEBL for approval by concerned offices of HPSEBL.

ii) Computerized Billing and Energy Accounting Package (IT Package)

Latest Status:

Computerized Billing and Energy Accounting Package (IT Package) was implemented under the 'Accelerated Power Development and Reform Program (APDRP)' launched by Ministry of Power (MOP). Under this

project, the activities of the operation sub-divisions are computerized through functionalities such as Pre-billing Activities, Billing Activities, Post Billing Activities, Legal & Vigilance Activities, Store management at sub-division level, Customer Relationship Management, Electrical Network Management & Energy Accounting/Auditing and Management Information System (MIS). The award was placed on M/S HCL Info-Systems Limited Noida for an amount ₹3,057.88 lakh. The project has been implemented in 128 Sub Divisions of 27 Divisions and 12 Circles covering more than 12 lakh consumers.

iii) Implementation of SAP based computerized billing in 61 Electrical Sub Divisions.

In view of the issues in the existing computerized billing implemented in various Electrical Sub Divisions, it has been decided by HPSEBL management to go for a standard platform for billing. As various modules of SAP are being implemented in HPSEBL under ERP project, therefore computerized billing in left out 61 Electrical Sub Divisions on SAP platform was approved to avoid handling of multiple platforms.

The work has been awarded to M/s TCS Ltd during July, 2015 amounting to ₹16.47 crore to implement SAP billing solution in new 61 Electrical Sub Divisions. As per the award, the work has to be completed within 15 months. M/s TCS Ltd has deployed their team to study the system requirement, data gathering and finalize the application customisation accordingly. There is a provision for the AMR (Automated Meter Reading) of 350 consumers having connected load above 100 KW.

iv) Implementation of an Enterprise Resource Planning (ERP) package in HPSEB Ltd.

Under the ERP project, the following functions of the HPSEB Ltd. would be fully automated:

- a) Financial Management and Accounting
- b) Human Resource Management (HRM) including payroll
- c) Project Management
- d) Material Management
- e) Maintenance Management
- f) Availability Based Tariff. A Dash Board for Senior Management for MIS purpose shall also be available. The total cost of the project is approximately ₹ 24.00 crore award for Implementation of ERP system has been issued to M/s TCS. So far, following HPSEBL locations have been made Go Live on SAP ERP application

- Head office (Vidyut Bhavan Shimla)
- Operation Circle-Shimla operation circle (Electrical Division no. I, II and City-Electrical Division), Solan, Nahan, Rohru and Rampur.
- The project is being implemented in phased manner amongst all units of HPSEBL South Zone which have been made live and by March, 2016 Transmission wing will be made live on SAP ERP System.

v) Implementation of Smart Grid Pilot Project at Kala Amb, H.P.

The Smart Grid Project shall establish Advanced Metering Infrastructure System (AMI) Peak Load Management System (PLM) and Outage Management System (OMS). The project envisages establishment of control centre along with supply, installation, testing and commissioning of complete AMI, OMS and PLM

system involving smart meters, Auto Reclosers, Sectionalisers, Fault Passage Indicators (FPI), Distribution Transformer Monitoring Unit (DTMU), Remote Terminal Units, MDAS, MDM, PLM, OMS, SCADA system, communication system, hardware & software for control centre, replacement of relays etc. GIS mapping and IVR system that is already in place shall be integrated with OMS and AMI system, ERP (SAP) which is under implementation shall also be integrated with these systems.

Smart Grid Implementation shall improve the system performance by reduction in peak power, reduce outages, and improve consumer engagement & satisfaction and HPSEBL's overall financial performance by implementing Advanced Metering Infrastructure (AMI), Demand Side Management (DSM) and GIS based outage management system.

HPSEBL is implementing Smart Grid Pilot at Kala Amb. The Ministry of Power, Govt. is providing 50 percent financial assistance for implementation of the project. As per the guidelines of MoP M/s PGCIL has been appointed as Advisor cum Consultancy services provider to HPSEBL for establishment of Smart Grid Pilot Project. The implementation of Smart Grid Pilot Project at Kala Amb has been awarded to the consortium of M/s Alstom T&D India Ltd and M/s Genus Power Infrastructure Ltd. during February, 2015 for amounting to ₹24.99 crore. As per the award the work has to be completed within 18 months.

Present Status:

- The site office has been opened at Poanta Sahib by the firm.
- Project completion schedule has been finalized and approved.

- Control room Layout has been finalized.
- 258 numbers of smart meters have already been installed and started communicating meter data, billing data, tamper alerts and alarms etc. All features of smart meters can be operated remotely.
- The inspection of the second lot of meters, CT/PT three phase Operated meters. CT Operated meters with suitable CT and feeder meter has been done w.e.f 04.11.2015 to 06.11.2015. These 1,104 meters have been supplied and will be installed shortly.
- DTMU, FPI, Auto Recloser detailed engineering and Site Survey is in progress. Control Centre Hardware and Software DRS is in the final stage and is likely to be supplied shortly.

New IT Initiatives in HPSEB Ltd.

R-APDRP next phase

The MoP is considering extension of R-APDRP programme to towns under Integrated Power Development Scheme (IPDS) in the next phase of this programme. Under this the Need Assessment Document for eligible towns is under preparation and would be covered as per the availability of funds allocated by Govt. of India.

13.7 Future plans of the Department.

- Computerization of offices in HPSEBL.
- Augmentation & construction of new sub-stations and HT/LT lines to provide quality & reliable power to the consumers in the State of H.P.
- To reduce the T&D losses.

1) PROJECT UNDER EXECUTION UNDER HPSEBL

i) UHL STAGE-III HYDRO ELECTRIC PROJECT (100 MW)

The package for construction of Neri Khad Intake works, Rana Khad Intake works, Surge Shaft & Storage Reservoir has been completed. The works of Penstock i/c civil works and power house have almost been completed (except minor miscellaneous items).

The Project is scattered over a large geographical area having poor communication, weak geological formations, tunnelling through sand stone, clay stone and conglomerate with heavy ingress of water at Inlet heading of Head Race Tunnel (HRT). Contracts of HRT have been rescinded twice due to slow progress/non performance of the Contractor and remaining works were awarded on 15.10.2010. The excavation of HRT has been completed during March, 2013 and concrete lining work is in progress. Entire package is now anticipated to be completed by July, 2016. Ninety nine percent work

of supply of electro-mechanical equipments and 97 percent erection work has been completed. The revised estimated cost of the project is ₹1281.52 crore (December, 2012 price level). All the work pertaining to transmission viz. Construction of 132 KV Single Circuit Transmission line from Chullah to Bassi (15.288 Kms) and 132 KV Double Circuit Transmission line from Chullah to Hamirpur (34.307 Kms) have also been completed. Total expenditure amounting to ₹1,190.63 crore has been incurred on Civil, Generation and Transmission works of this project upto October, 2015. The Project is now anticipated to be commissioned during October, 2016.

ii) New projects

The Government of Himachal Pradesh has allotted Sai-Kothi-I (15 MW), Sai Kothi-II (16.5 MW), Devi Kothi (16 MW), Hail (18 MW) and Raison (18 MW) to HPSEBL for implementation. The pre construction stage activities of these newly allotted projects are in process.

H.P Power Corporation Ltd:

Table 13.6

13.8 PROJECTS UNDER HPPCL:-

Sr. No.	Name of Projects	Capacity (MW)
A) Projects (Under Execution)		
State Sector		
1.	Sawra Kuddu HEP	111
2.	Kashang HEP (Stage-I)	65
3.	Kashang HEP (Stage- II, III)	130
4.	Sainj HEP	100
5.	Shongtong Karcham HEP	450
	Sub Total (A)	856
B) Projects (Under Investigation)		
State Sector		
1.	Chirgaon Majhgaon HEP	60
2.	Kashang HEP (Stage-IV)	48
3.	Gyspa HEP (Project of National Importance)	300
4.	Surgani Sundla HEP	48
5.	Nakthan HEP	460
6.	Thana Plaun HEP	191
7.	Triveni Mahadev HEP	78
8.	Renuka Dam HEP (Project of National Importance)	40
9.	Deothal Chanju HEP	30
10.	Chanju III HEP	48
11.	Dhamwari Sunda HEP	70
	Sub Total (B)	1373
C) Projects (Under Prefeasibility Stage)		
1.	Chhoti Saichu HEP	26
2.	Saichu Sach Khas HEP	117
3.	Lujai HEP	45
4.	Saichu HEP	58
5.	Khab HEP	636
	Sub Total (C)	882
Grand Total (A+B+C)		3,111

Projects under construction/ implementation stage through HPPCL are as under:

1. Sawra Kuddu HEP(111 MW):-

- Sawara Kuddu HEP (111 MW) a run-of- the-river scheme on the Pabbar River in Shimla District (H.P.) near Rohru. The Project is being financed by ADB (Asian Development Bank) except Head Race Tunnel (HRT) package, which is being financed by Power Finance Corporation (PFC) and out of the equity contribution by the State Government.
- The project is expected to generate 385.78 MU of electricity.

The work progress of HRT package has suffered badly due to encountering of poor geology and bad performance of the contractor. Re-tendering process with respect to HRT package completed and work has been awarded to M/s HCC Ltd. on 25.11.2014. The expected completion date of work is March, 2017.

2. Integrated Kashang HEP:-

Integrated Kashang HEP (243 MW) envisages development of Kashang and Kerang Streams,

tributaries of the river Sutlej comprising four distinct stages as under:-

- **Stage-I (65 MW):-** Comprising diversion of Kashang stream to an underground power house located on the right bank of Satluj near Powari village, developing a head of approximately 830 m to generate 245.80 MU per annum @ ₹ 2.85 per unit.
- **Stage-II & III (130 MW):-** Comprising diversion of the Kerang stream into an underground water conductor system (K-K Link) leading to upstream end of Stage-I water conductor system, augmenting the generating capacity of Stage-I power house, using Kerang waters over the 820m head available in Kashang Stage-I power house to generate 790.93 MU per annum @ ₹1.81 per unit.
- **Stage-IV (48 MW):-** This stage is more or less independent scheme harnessing the power potential of Kerang stream upstream of the diversion site of Stage-II. In this scheme, a head of approximately 300m could be utilized to develop power in an underground powerhouse located on the right bank of Kerang stream. The date of commissioning of 1st Unit is March, 2016 and 2nd Unit is May, 2016.

3. Sainj HEP (100 MW):- Sainj HEP has been contemplated as a run of the river development on river Sainj, a tributary of River Beas in Kullu District of Himachal Pradesh. The project comprises of a diversion barrage on the river Sainj near village Niharni and underground power house on right bank of river Sainj near village Suind with a gross head of 409.60 m to generate 322.23 MU per annum @ ₹3.74 per unit. The project is being executed on EPC mode & construction

works are under progress. The Date of the commissioning of 1st Unit is June, 2016 and 2nd Unit is July, 2016.

4. Shongtong Karcham HEP (450 MW):-

Shongtong Karcham Hydro electric project a run-of – river scheme on the river Sutlej in District Kinnaur of Himachal Pradesh with diversion barrage, near village Powari, and underground power house, located on the left bank of the river Satluj near village Ralli will generate a gross head of 129 m, to generate 1,579 MU per annum, @ ₹ 3.98 per unit of power. The project is being constructed through EPC mode. Likely date of completion of Civil and Hydro-Mechanical package is August, 2017 and E&M package is January, 2020.

Work on EPC Mode for Civil & HM works has been awarded to M/s Patel. Engineering. Ltd. M/s. Patel Engineering Ltd. has taken the 1st blast on Adit-11 of HRT on 27.12.2013. E&M work of Shongtong Karcham HEP (450MW) awarded to M/s AHPL & contract agreement was signed on 04.03.2015. Work of project on all fronts is in full swing.

5. Renuka Dam HEP (40 MW):- Renukaji Dam project, conceived as a drinking water supply scheme for the National Capital Territory of Delhi, envisages construction of 148 m high rock fill dam on river Giri at Dadahu in Sirmour district and a power house at toe of Dam. The project will ensure 49,800 hectare m of live water storage in its reservoir and a firm water supply to the tune of 23 cumecs to Delhi besides generating 199.99 MU per annum @ ₹ 2.38 per unit exclusively for use of Himachal Pradesh. Revised cost estimate of the project at March, 2015 price level amounting to ₹5242.89 crore has been submitted to Central Water Commission for

examination on 01.05.2015. Central Electricity Authority (CEA) has approved the cost of E & M Works (March, 2015 price level) at ₹ 108.71 crore and Transmission works at ₹11.74 crore. The Ministry of Environment & Forests accorded environment clearance on 23.10.2009. It has been challenged in National Environment Appellate Authority/ National Green Tribunal (NGT). MoEE, New Delhi accorded "in-principle" approval of the Central Government under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 909.00 Hectre (Originally proposed 901.00 Hectare) of forest land for construction of Renukaji Dam Project in favour of M/s HPPCL in Sirmour district of Himachal Pradesh.

6. Thana Plaun HEP (191MW)

The project is contemplated as Storage-cum-Run-of River Scheme envisaging Roller Compacted Concrete (RCC) gravity dam of 107 metre high on river Beas in Mandi district of Himachal Pradesh. The annual power generation in a 90 percent dependable year shall be 668.07 Million Units. Approval on revised ToR received from MoEF on 05.06.2014 for conducting EIA/EMP studies are being carried out by ICFRE, Dehradun. The Nodal Officer, Forest (Conservation) Act 1980 Govt. of Himachal Pradesh has accepted online FCA i.e diversion of forest land for the project on 07.12.2015. Under the Indo-German Bilateral Development Co-operation Programme, KfW, Germany has agreed to fund Thana Plaun HEP and further tie up with KfW for financial assistance of loan of 200 Million Euro and grant of 1.5 Million Euro is in advance stage. Clearance for obtaining Techno Economic Clearance is in advanced stage from various

Government agencies vis-a-vis CWC/CEA.

7. Surgani Sundla (48 MW)

The Scheme has been envisaged to use the Tail water of BairaSuil HEP for the Generation of 48 MW of Power. The Project has been planned to be operated in tandem with Bairasuil HEP. ToR approved by SEAC on 13.10.2011. FIA & EMP studies are being carried out by ICFRE, Dehradun. In Principle approval has been accorded by Addl.PCCF (Central) GoI, MoEF for diversion of 32.91 hectare of forest land on 15.07.2013. Techno-Economical Clearance (TEC) has been accorded by DoE, GoHP on 20.10.2012. ADB has been requested for financing the project, The project is expected to generate 209.60 MU of electricity in 90 percent dependable year.

8. Chanju-III HEP (48 MW):

Chanju-III HEP is a Run-of-river Scheme on the Chanju nallah, a tributary of Baira river, which in turn is a tributary of Siul river in Ravi basin, in Chamba District of Himachal Pradesh. The annual power generation in 90 percent dependable year shall be 176.19 MU. Terms of Reference (ToR) have been approved by State level Environment Impact Assessment Authority in its meeting held on 26.10.2013. For carrying out Environment Impact Assessment/ Environment Management Plan (EIA/EMP), work has been awarded to M/s WAPCOS, Ministry of Water Resources on 16.01.2014. Agency Francaise De Development (AFD) has agreed to finance the project. The Techno Economical Clearance of Chanju-III HEP has been accorded by Directorate of Energy, GoHP on 14.07.2015.

9. Deothal Chanju HEP (30 MW):

Deothal Chanju HEP (30 MW) is a Run of River scheme on Deothal Nallah, a tributary of Chanju Nallah which is a tributary of Baira River which in turn drains into the river Ravi, in Chamba District of Himachal Pradesh. The annual power generation in 90 percent dependable year shall be 101.35 MU. ToR has been approved by State level Environment Impact Assessment Authority in its meeting held on 26.10.2013. For carrying out EIA/EMP work has been allotted to M/s WAPCOS, Ministry of Water Resources on 16.01.2014. Agency AGENCE Francaise De Development (AFD) has agreed to finance the project. The Techno Economical Clearance of Deothal Chanju HEP has been accorded by Directorate of Energy, Govt of Himachal Pradesh on 22.07.2015.

10. Berra Dol Solar Project(5MW):

A site has been identified at village Berra Dol, near Shri Naina Devi ji Shrine, District Bilaspur, (H.P.) for setting up of a 5 MWP Solar Photovoltaic plant. Berra Dol Project will generate 8.2 MU of energy in a year. The average cost of generation is estimated to be ₹8.03 per Kwh. The state distribution utility viz. Himachal Pradesh Electricity Board Ltd. (HPSEBL) has agreed to purchase power from this project under Renewable Energy Power purchase obligation (RPPO) as per Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC) regulation. MoEF&CC, GoI Regional Office, Dehradun has accorded final approval for the diversion of 6.46 Hect. of forest land in favour of HPPCL on 21.08.2015. Detailed Project Report for the scheme has been prepared by HPPCL.

11. Other areas of Power development:

H.P. Power Corporation apart from Hydro Power Development intends to diversify its power development activities in other areas such as thermal, renewable sources of energy such as solar and wind power, to meet the growing energy demands for the development of the State and the Indian nation.

H.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

13.9 Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL) is an undertaking of Himachal Pradesh with a view to strengthen the transmission network in Himachal Pradesh and to facilitate evacuation of power from upcoming generating plants.

The jobs entrusted to Corporation by Govt. of Himachal Pradesh inter-alia included execution of all new works; both Transmission Lines and Sub-Station of 66 KV and above voltage rating, formulation, up-gradation, execution of Transmission Master Plan of HP for strengthening of transmission network and evacuation of power. HPPTCL is discharging the functions of a State Transmission Utility (STU) and coordinating the transmission related issues with Central Transmission Utility, Central Electricity Authority, Ministry of Power (GOI), Himachal Pradesh Government and HPSEB Ltd. Besides, corporation is also responsible for planning and coordination of transmission related issues with IPPs, CPSUs, State PSUs, HPPCL and other State/ Central Government Agencies.

The Corporation is planning transmission system in such a way to ensure principles of reliability, security, eco-friendly and economy matched with rising and desirable expectation of cleaner, safer, healthier environment to people, both affected and benefited by its activities is one of the objective of the corporation.

The Government of India has approved ADB loan of \$ 350 Million for implementation of Transmission Projects covered in Power System Master Plan (PSMP) in Himachal Pradesh and loan agreement for Tranche-I for under taking implementation of Transmission projects in District Kinnaur (Satluj Basin) and Shimla (Pabbar basin) estimated at a cost of \$ 113 Million has been signed and made effective from January, 2012. The Following Transmission Projects are under execution:-

- 400/220/66 KV, 2x315 MVA sub-station at Wangtoo in district Kinnaur. The awarded amount for the project is ₹310.00 crore and shall be commissioned in August, 2017.
- 220/66/22 KV Sub-Station at Bhoktoo in Distt. Kinnaur. The awarded amount for project is ₹27.00 crore and shall be commissioned in May, 2016.
- 400/220/66 KV, 2x315 MVA sub-station at Pragati Nagar (Kotkhai) in Distt. Shimla. The awarded amount for the project is ₹144.00 crore and shall be commissioned in January, 2017.
- 220KV, transmission line from Hatkoti to Pragati Nagar in Distt. Shimla. The awarded amount for the project is ₹62.00 crore and shall be commissioned in January, 2017.

- 33/132KV 31.5 MVA GIS Sub-station at Pandoh. The awarded amount for the project is ₹37.00 crore and shall be commissioned in January, 2017.
- 33/132KV 2x25/31.5 MVA GIS Sub-station at Chambi (Shahpur). The awarded amount for the project is ₹45.00 crore and shall be commissioned in April, 2017.

The following Transmission Projects are under execution and are being funded through domestic borrowings:

- 33/220 KV, 2x315 MVA sub-station at Fozal in Distt. Kullu has been completed.
- 33/220 KV, 63 MVA sub-station at Karian in Distt. Chamba has completed in June, 2013 and the work of line karian to Chamera is in progress.

The Tranche-II of ADB loan amounting to \$ 110 Million has been signed in September, 2014. The following seven number of projects have been awarded:-

- 66 KV GIS Switching sub-station Urni. The awarded amount for the project is ₹28.00 crore and shall be commissioned in June, 2017
- 400/220/33 KV GIS Sub-station Lahal. The awarded amount for the project is ₹233.00 crore and shall be commissioned in June, 2018.
- 220 KV line from Charor to Banala. The awarded amount for the project is ₹47.00 crore and shall be commissioned in June, 2017.
- 220 KV D/C line from Lahal to Budhil. The awarded amount for the project is ₹5.00 crore and shall be commissioned in July, 2017.

- LILO of 132 KV Kangra Dehra line from Chambhi sub-station. The awarded amount for the project is ₹18.00 crore and shall be commissioned in April, 2017.
- 66 KV D/C line from Urni to Wangtoo Sub-station. The awarded amount for the project is ₹14.00 crore and shall be commissioned in June, 2017.
- 220 KV D/C line from Sunda to Hatkoti. The awarded amount for the project is ₹56.00 crore and shall be commissioned in April, 2017.

HIMURJA

Himurja has made concerted efforts to popularize renewable energy programmes throughout the State with financial support of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Govt. of India and State Government. Efforts are continued for promotion and providing of renewable energy devices like Solar Cooker, solar water heating system, decentralized solar photovoltaic applications etc. HIMURJA is also assisting the Govt. for exploitation of Small Hydro (upto 5 MW) in the state. The achievements of HIMURJA during the year 2015-2016 (upto December, 2015), anticipated upto March, 2016 and target fixed for 2016-17 are as under:

A. SOLAR THERMAL PROGRAMME

- i) **Solar Water Heating System:** Solar water heating systems of 4,200 Ltr. per day capacity have been installed upto December, 2015, anticipated achievement upto March, 2016 will

be about 10,000 ltr. per day. A target of 10,000 ltr. per day capacity solar water heating systems installation has been proposed for the year 2016-17.

- ii) **Solar Cooker:** During the current financial year 127 Box type and 63 Dish type solar cookers under JNNSM have been provided up to December, 2015. Anticipated achievement upto March, 2016 will be about 500 Box type and 200 Dish type solar cookers. A target of 500 Box type and 50 Dish type solar cookers has been proposed for the year 2016-17 under MNRE, Govt. of India programme.

B. SOLAR PHOTOVOLTAIC PROGRAMME

- i) **SPV Street Lighting System:** During current financial year 2015-16, 9,766 SPV Street Lighting Systems have been installed for community use up to December, 2015 under JNNSM of Govt. of India, anticipated figures upto March, 2016 will be about 10,000. A target of 10,000 SPV Street Lighting systems has been proposed for the year 2016-17.

- ii) **SPV Power Plant:** During current financial year 2015-16 SPV Power Plant of 600 kWp have been commissioned upto December, 2015 under JNNSM of Govt. of India, anticipated figures upto March, 2016 will be about 1000 kWp. A target of 1000 kWp capacity SPV Power Plants has been proposed under MNRE, Govt. of India programme/ Tribal Sub Plan.

iii) **SPV Lanterns:** During the current financial year 1,000 SPV Lanterns have been provided on full cost upto December, 2015 and anticipated figures upto March, 2016 will be about 1,000 number. A target of 2,000 SPV Lanterns has been proposed for the year 2016-17.

iv) **SPV Domestic Light:** During the current financial year 800 SPV Domestic Lights have provided upto December, 2015 under Jawaharlal Nehru National Solar Mission and anticipated figures upto March, 2016 will be about 2,000. A target of 2,000 SPV Domestic Lights has been proposed for the year 2016-17.

C SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECTS UPTO 5 MW CAPACITY BEING EXECUTED THROUGH PRIVATE SECTOR PARTICIPATION

During the current financial year, 9 Implementation Agreements for projects with total capacity of 20 MW have been signed upto December, 2015. 219 projects with an aggregate capacity of 448.95 MW have been allotted to the private Investors. 1 Project with an aggregate capacity of 5 MW has been commissioned and 6 Projects of 22.50 MW capacity are ready for commissioning but could not be connected to grid due to non availability of Interconnection Point. For the financial year 2016-17 commissioning of 12 projects with an aggregate capacity of 43.10 MW have been targeted.

Upto date status (as on 31.12.2015) of the allotted projects upto 5 MW capacity is as under.

Table 13.7

Projects	No.	Capacity(MW)
Total allotted Projects (in existence)	659	1604.31
(A)Implementation Agreement Stage	255	808.85
i) Commissioned	70	265.25
ii) Under Construction	41	145.39
iii) Clearances being obtained	144	398.21
(B)Pre Implementation Agreement Stage	404	795.46
i) Clearances being obtained	106	216.01
ii) Survey & Investigation in progress	298	579.45

D. HYDRO ELECTRIC PROJECTS BEING EXECUTED BY HIMURJA

MHEPs

Himurja is operating Micro Hydel projects at Lingti (400KW), Kothi (200 KW), Juthed (100 KW), Purthi (100 KW), Sural (100 KW), Gharola (100 KW), Sach (900 KW) and Billing (400 KW) which are under generation. During current year 28, 55,219 units of electricity has been generated from these projects upto December, 2015. Other projects, namely Bara Bhangal (40 KW) and Sarahan (30 KW) have also been executed by HIMURJA. From Bara Bhangal project, energy is being provided to local public. H.P. Government has allotted 3 projects with an aggregate capacity of 14.50 MW capacity to HIMURJA. As per approval of the State Govt. these projects have further been allotted on B.O.T. basis. Further process for obtaining various clearances for these projects is in progress.

E. BUDGET PROVISION

The expenditure during 2015-16 under Plan & Non Plan will be ₹270.00 lakh under IREP and NRSE schemes on the basis of budgeted

Annual Plan outlay for the promotion of renewable energy programmes including implementation of Small Hydro Programme in the State.

14. TRANSPORT AND COMMUNICATION

Roads and Bridges (State Sector)

14.1 Roads are an essential ingredient of infrastructure of economy. In the absence of any other suitable and viable modes of transportation like railways and waterways, roads play a vital role in boosting the economy of the hilly state like Himachal Pradesh. Starting almost from a scratch the state Government has constructed 35,775 Kms of motor able roads (inclusive of jeep able and track) till December, 2015. The State Government has been assigning a very high priority to road sector. For the year 2015-16, there is an outlay of ₹ 901.84 crore. The target fixed for 2015-16 and achievements made up to December, 2015 are given as under:-

Table-14.1

Item	Unit	Target for 2015-16	Achievement upto Dec. ,15	2015-16 Anticipated upto 31.3.2016
Motorable	Kms	425	228	430
Cross-drainage	"	570	407	550
Metalling & Tarring	"	520	775	850
Jeepable	"	40	13	30
Bridges	Nos	35	14	30
Villages connectivity	"	65	23	60

14.2 In the State as on 31.12.2015, 10,099 villages as detailed below in table 14.2 were connected with roads:-

Table-14.2

Villages connected with road	As on 31 st March			As on Dec. 2015
	2013	2014	2015	
Villages with population more than				
1500	208	208	208	208
1000-1499	270	280	283	285
500-999	1238	1245	1252	1255
250-499	3374	3422	3449	3449
Below 250	4827	4864	4884	4892
Total	9917	10019	10076	10099

National Highways(Central Sector)

14.3 The process of improvement of National Highways in the State having total length of 2,002.69 Kms which includes urban links and bye-passes, continued during the year also. Upto the end of December, 2015, an expenditure of ₹105.58 crore has been incurred.

Railways

14.4 There are only two narrow gauge railway lines connecting Shimla with Kalka (96 Km.) and Jogindernagar with Pathankot (113 Km.) and one 33 Km. broad gauge railway line from Nangal Dam to Charuru in District Una.

Road Transport


14.5 Road Transport is the main stay of economic activity in the Pradesh as other means of transport namely Railways, Airways, Taxies, Auto Rickshaw etc. are negligible. Therefore, the road transport corporation assumes paramount importance. The passenger transport services to the people of Himachal Pradesh, within and outside the State are being provided by Himachal Road Transport Corporation, with a fleet strength of 2,748 buses as on December, 2015. HRTC is plying bus services on 2,289 routes with coverage of 5.20 lakh Kms. (approx.) daily.

14.6 For the benefit of people the following schemes remained in operation during the year:-

- i) **Merged Yellow & Green Card Scheme:-** Yellow and green card has been merged into new green card. Under this scheme the new

- green card holder is allowed 25 percent discount in fare, if the journey under taken by passanger is of 50 km. The validity of this card is 2 years and having cost of ₹50. The concession on fare is allowed to Old Card holders till the validity of Card.
- ii) **Silver Card Scheme:** Corporation has introduced silver card scheme w.e.f. 22.09.2015. The cost of this card is ₹ 20 and having its validity for 2 years. This card having 30 percent discount in fare and also valid in HRTC. buses to travel upto 18 kms of the other States.
- iii) **Free Facility to Women:** Women have been allowed free travelling facility in HRTC ordinary buses on the occasion of "Raksha Bandhan" and "Bhaiya Dooj". Muslim women have been allowed free travelling facility on occasion of "Id" and "Baker Id"
- iv) **Discount in fare to women:**The corporation has also allowed 25 percent discount in fare in HRTC ordinary buses within the State to the women.
- v) **Free Facility to Students of Government Schools:**The students of Government schools up to +2 classes have been allowed free travelling facility in HRTC ordinary buses.
- VI) **Free Facility to the person suffering from serious disease:** Free travelling facility to cancer, spinal injury, kidney and dialysis patients along with attendant in HRTC buses for the purpose of medical treatment on referral slip issued by the Doctor within and outside the State.
- VII) **Free Facility to Gallantry Awardees:** The Gallantry Award winners have been allowed free travelling facility in HRTC's Delux buses, in addition with ordinary buses within the State.
- VIII) **Purchase of New Buses:** 500 new buses have been included in the fleet of HRTC in order to provide safe and comfortable transport facility to the passengers. In addition,the Ministry of Urban Transport, Government of India has sanctioned a sum of ₹289.00 crore under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) for purchase of 800 new buses and development of associated infrastructure. Out of the 800 buses, 731 number of buses have been received as on 31.12.2015.
- IX) **24X7 Helpline:** 24x7 HRTC/ Private Bus Passenger's helpline No.94180-00529 and 0177-2657326 have been introduced to get feedback from passengers regarding the operation of HRTC buses.
- X) **Vehicle Fitness Centre:** To generate additional revenue, vehicle fitness centres have been started at 16 regional offices of HRTC which will further be started in all the units of H.R.T.C. Till October,2015, ₹1.38 crore has been earned by HRTC from these centre.
- XI) **On Line Booking:** HRTC has started on line booking of its buses through private online booking agencies like travelyari.com, busindia.com, redbus.in and local travel agents. In addition to an agreement with Postal Authorities for booking of

ROADS



bus tickets through 156 post offices.

(II) **Taxis on sealed roads:** The corporation has introduced 8 tevera vehicles in shimla for public on sealed roads.

(III) **Electric buses:** 25 fully electric buses (zero emission) will be introduced in the Pradesh. 75 percent amount has been provided by the Government of India for purchases of these buses and 25 percent will be borne by HRTC. Himachal Pradesh will be first State in the India who will ply the zero emission buses. The corporation has requested the government of india to provide the fund in the ratio of 90:10.

(IV) **Free hotspot and (Wi-Fi) facility:** Entertainment system has been installed in the Volvo/AC buses, which can be accessed by the passengers free of cost. Number of films and songs are available in this system which can be seen/listen on mobile by the passangers and this facility will be provided in all HRTC buses in near future.

) **Provide food facility:** To provide nutritious food at affordable price HIM-ANNAPURNA has been started at Hamirpur, Bilaspur, Dharamshala, Palmpur, Mandi and Una. More such dhaba will be opened in near future.

Transport Department

7 Himachal Pradesh has minimum presence of rail, air and water transport services, therefore the State is most entirely dependent upon road transport. As on 31.03.2015 the State

has a total of 10,77,404 vehicles, out of which 5,673 are buses, 34,796 are Taxis/ Maxis Cabs, 9,236 are three wheelers, 16,565 are other transport vehicles, 22,309 are Tractor (Commercial) and 1,64,773 are goods vehicles.

During the year 2015-16, the department has been provided a sum of ₹ 5,023.00 lakh under annual plan out of which a sum of ₹4,146.00 lakh has been released to the HRTC for construction of Bus Stands upto 31.12.2015.

During the year 2015-16 upto 30.11.2015 The department has challaned 24,519 vehicles for different offences and a sum of ₹384.00 lakh have been received.

Transport Policy

14.8 Significant achievements of the Department during the year 2015-16 and Major Policy initiatives proposed to be under taken during financial year 2016-17 is as under:

i) I.T intervention

The users in the State are provided licenses, permits, registration Certificates and other services through I.T intervention. The department plans to issue SMART CARD based license, permits and registration certificates for handy monitoring and updating. The Department also plans to deposit taxes of commercial vehicles through online. Similarly all the barriers are planned to be computerized and modernized for linking them with the State headquarters for real time monitoring and updating.

The existing system provides citizen-centric applications, running from disparate sites has been integrated into a common portal connected to the centralized database and provide a comprehensive set of Government-to-Citizen, Govt.-to-Business and Government-to-Government services from a single point. The information services offered through the portal also updated/available through real-time data access and payment of various types of fees/taxes.

The State Register and National Register for vehicles and Driving Licences have been created, based on the data replicated from RLAs/RTOs and these act as a central repository of all crucial data/information. This also enable users to avail the service on "Anywhere Service" basis.

e-Payment facility in Himachal Pradesh has been integrated with transport software to present seamless service delivery to the citizens. Arrangements has been made to provide this facility for collection of various fees/taxes related to the vehicles and driving licences transactions which help public to avoid the hassles faced in transport offices. In addition Transport Department plan to initiate the Smart Card based vehicle Registration Certificate Card (VRC), by replacing and putting an end to the paper based VRC's. The new smart VRC's

shall securely store statutory data about the vehicle, its history, its registration details and the owner's data.

ii) **Inspection and Certification Centre**

At present the inspection/fitness of vehicles is regulated by the traditional methods. With a view to have objective and scientific assessment of vehicles by intervention of technology and computers, an inspection and certification centre is proposed to be established shortly in the State at Nalagarh which will be funded by the MORTH. Based on its success and response more such centres shall be established in future.

iii) **Creation of Transport Nagar**

At present most of the motor mechanical workshops which cater to a large number of vehicles are functioning on road sides which are creating not only congestion on the road but also a public nuisance and risk for accident. The department plans to shift the workshops to locations away from roads and create multiple facilities like parking lots, seating places, eating places, toilets, recreation centres and other facilities at the site of the newly created Transport Nagars in all districts of the State.

iv) **Environmental Protection**

The vehicles plying in the State are major source of environmental Pollution. The polluting vehicles would be gradually phased out by way of input of appropriate technology and introduction of non-polluting vehicles i.e. Bharat Stage-IV & V.

The pollution check Post at Vashist, Manali has been established by the department to keep check on the polluting vehicles.

v) **Water Transport**

The department has taken initiatives to promote Water Transport in Himachal Pradesh. These shall be promoted in Govind Sagar, Lake (Bilaspur), Chamera Dam (Chamba), Koldam (Shimla, Bilaspur & Mandi) to promote water

transport. For this purpose tender has been awarded to conduct survey and feasibility report to E-Meritime Consultancy Private Ltd. Mumbai. The report will be submitted in six months.

vi) **Driving Training School and Pollution Check Centre**

Presently 11 Government, 14 HRTC and 185 private Driving Training Schools and 5 Govt. and 66 private Pollution Check Centres are functioning in various places in the State.

15. TOURISM AND CIVIL AVIATION

15.1 Tourism in Himachal Pradesh is being recognized as one of the most important sectors of the economy and a major engine of growth. The contribution of the tourism sector to the State GDP is 7.2 percent which is quite significant. State is endowed with geographical and cultural diversity, clean environment, snow clad mountains, gushing rivers, historic monuments and the friendly and hospitable people.

15.2 Tourism Industry in Himachal Pradesh has been given very high priority and the Government is continuously endeavour to strengthen the basic infrastructure to enable tourism development which includes provision of public utility services, roads, communication network, airports, transport facilities, tapped water supply and reasonably good civic amenities etc. At present about 2,416 hotels having bed capacity of about 67,097 are registered with the department. In addition, there are about 662 Home Stay units registered in the State having about 1,838 rooms.

15.3 To give boost to the Tourism in the State, the Asian Development Bank (ADB) has approved loan assistance worth US \$ 95.16 million under Tranche-1 & Tranche-3. Under Tranche-1, there are total 20 sub-projects for which US \$33.00 million has been approved. The completion period of Tranche-1 is June, 2017. All the 20 sub-projects have been awarded out of which 7 Sub-projects are complete and work on rest of the projects is under progress. In respect of Tranche-3, there are total 15 sub-

projects of civil works and the total financing approved is to the tune of US \$62.16 million, out of which 4 sub-projects have been awarded and rest of the projects are in the procurement stage. The completion period for Tranche-3 is December, 2019.

Under the ADB funded project, Community Based Tourism Activities in Villages including Skill Development, Training etc. are also being undertaken in 4 Clusters, namely Dhameta, Kangra-Pragpur, Naina Devi and Shimla. Upto December 2015, community based committees such as 5 Panchayat Tourism Development Committee, 1 Town Tourism Development Committee and 14 Self Help Groups comprising of members from the local communities both female and male have been formed. Under the project, 15 trainings and workshops on tourism related skills such as cooking, boating, water based activities, solid waste management, marketing and communication etc with total participation of 1,187 persons (including 703 women and 484 men) have been organized. Further, awareness drives on cleanliness, conservation of heritage and culture have been organized amongst school children through painting, slogan writing and clean street competitions. More than 900 students have been involved in these awareness drives. It is expected that upto March 2016, 150 additional persons will be trained in tourism related skills.

During current financial year there is an allotment of ₹5,273.01 lakh under State budget for development of tourism in the State.

Under "SWADESH DHARSHAN," a scheme of Ministry of Tourism, Government of India, the Department has submitted projects worth ₹100.00 crore for sanction by the Ministry to strengthen the tourist infrastructure in the State. The projects are likely to be sanctioned by the Ministry in near future.

15.4 The Department of Tourism is encouraging private sector to develop tourism related infrastructure in the State without any adverse effect on the environment. In order to encourage private sector participation, following proposals for setting up Ropeways under Public Private Partnership (PPP), mode have been proposed:-

1. **Dharamshala-Dalailama Temple-Mcleodganj (District Kangra)**
Concession Agreement has been signed on 22.07.2015 with M/s TRIL Urban Transport Private Ltd. and A Power Himalayas Ltd. Mumbai. The foundation stone has been laid by Hon'ble Chief Minister on 17.01.2016. The promoter is in the process of obtaining various statutory clearances.
2. **Himani- Chamunda Ji (District Kangra)**
The Concession Agreement has been signed on 05.06.2015 between the Department of Tourism & M/S Usha Breco Chamunda Devi Ropeway Pvt.Ltd, Delhi. The survey work has been started and various NOCs are being procured by the promoter.
3. **Palchan to Rohtang/Vashisht to Rohtang (District Kullu)**
Concession Agreement has been signed on 21.10.2015 between Department of Tourism and M/S Manali Ropeway Pvt. Ltd. for which

the survey work has been started and the case for obtaining statutory clearances by the promoter is under process.

In addition to above mentioned ropeways projects, following Passenger Ropeways projects are at the procurement stage :-

1. **Bijli Mahadev (Kullu), Neugal (Palampur), Kangra and Sarahan to Bashal Kanda (Shimla-Kinnaur)**
For the above projects, inception reports have been prepared by the consultant. RFP documents are being prepared through HPIDB.
2. **Dharamkot-Triund(Kangra),Toba-Naina Devi Ji (Bilaspur), Shahtalai-Deothsidh (Bilaspur-Hamirpur)**
The Department had also invited EoI through HPIDB for these three ropeway projects on 27.09.2015 & 28.09.2015.

In addition to above, the Department of Tourism & Civil Aviation has following five sites which are being offered to be developed on long term lease basis for which codal formalities are in advanced stage.

Sr.No.	Name of the Site
1.	Baddi in District Solan
2.	Jhatingri in District Mandi
3.	Shoja (Banjar) District Kullu
4.	Bilaspur District Bilaspur
5.	Suketi, District Sirmaur

The department has prepared a Bid Document for leasing out these sites for setting up tourism related activities. The Government. has conveyed the approval for leasing the same for development on Public Private Partnership (PPP) mode. The Department is going to offer these sites

on lease to interested developers shortly.

15.5 A sustained marketing of the State is being done throughout the year in print and electronic media. In order to promote the State as tourist destination, dissemination of tourist information plays significant role for which Department of Tourism prepares different types of promotional and publicity material like brochures/pamphlets, posters, blow-ups etc. and participate in various tourism fairs and festivals being organised in the country and abroad. The department along with private hoteliers participated in more than 21 fairs and festivals, within and outside the State.

15.6 The department has released advertisements in the print and Electronic Media for the promotion of the tourism from time to time. Tourism Policy, 2013 & Sustainable Action Plan for Dharamshala, 2013 have also been formulated. To save the tourists from the clutches of touts Himachal Pradesh Prevention of Touting and Malpractices against Tourist, Act-2015 is being processed.

15.7 The Department has organized various adventure and general training courses for the unemployed youths of the State like Trekking Guide, Water Sports, Skiing, and river rafting etc. and skill development courses to police/Home Guard, Dhaba owner/worker and taxi drivers and under various activities training to 822 youth has been provided in the State. The department has released scholarship/stipend to 150 Himachali Students undergoing training in recognized Hotel Management Institutes in the State and out of the State and also sponsors/organizes

adventure sports activities. Second All India Open Catch-n-Release Trout Angling Championship and Oral Interactive Work Shop at village Jibhi, Teh Banjar, District Kullu, Himachal Pradesh, was conducted w.e.f. 10th to 12th April, 2015 and Paragliding World Cup, 2015 was organized at Bir-Billing, District Kangra, Himachal Pradesh, w.e.f. 24.10.2015 to 31.10.2015 in which pilots from India and abroad participated. Through the administrative support of this department, the Himalayan Adventure Sports & Tourism Promotion Association (HASTPA), Shimla, organized 11th edition of Hero MTB Himalaya-India's Premier Mountain Biking Challenge w.e.f. 27.09.2015 to 4.10.2015 and M/S Himalayan Heli Adventures Pvt. Ltd., Manali, District Kullu, is conducting exploratory flights for Heli Skiing and carrying out trials of the Snow Leopards Transport System w.e.f. 02.01.2016 to 31.05.2016.

The Department organizes and supports the tourism related events/festivals. During the current financial year the Department has organized, supported and also has participated in the following events/festival:-

1. Celebration of World Tourism Day (27.09.2015).
2. Apple festival (Shimla & Manali, 2015)
3. Big Shimla Carnival (23.12.2015 to 1.01.2016).
4. Participated in India Travel Mart (ITM), Amritsar, Lucknow, Jaipur, and International Travel Exhibition (IITE), Aurangabad and Indore, India International Travel Mart (IITM), Bangalore, Chennai, Pune, Hyderabad and Kochin Tourism & Travel Fair (TTF), Kolkata, Hyderabad, Ahmadabad, Surat and

Pune and to be participated in Travel and Tourism Fairs at Nagpur, Vijaywara, Raipur, Chandigarh, Ahmedabab, Goa, Chennai, Bangalore, New Delhi, Mumbai, Bhubneshwar, Ranchi, Coimbatore, Kochi and Saate New Delhi.

Civil Aviation

15.8 At present there are only three Airports in HP namely Shimla, Bhuntar (Kullu-Manali) and Kangra. The status of these airports is as under:

a) Shimla Airport:

The work of widening of runway of Shimla Airport from 23 mtrs. to 30 mtrs. has been completed by the Airport Authority of India (AAI) and now, it would meet the requirement for landing of ATR-42 with a load penalty. Flight operation from this airport is likely to be commenced shortly.

b) Bhunter Airport:

Bhunter airport has an existing runway of 1128 mtrs. with a width of 30.5 mtrs. which is only suitable for the landing of ATR 72 with load penalty. There is a proposal to expand the runway by another 660 meters approximately for which correspondence is made with Airport Authority of India.

c) Kangra Airport:

The runway length of this airport is 1,372 meters and width is 30 meters. Plan for expansion of runway of Gaggal (Kangra airport

from 1,372 meters to 1,800 meters has been prepared by the Airport Authority of India(AAI).

In addition, possibility for a Green field Airport is being explored at Goghradhar in District Mandi. Airport Authority of India has done preliminary inspection of the site.

Helipads

15.9 Himachal Pradesh at present has 63 operational helipads. In addition, proposal for construction of new helipads at Banredu near Sanjauli-Dhali bye-pass road is also under consideration.

Heli-taxi Services

15.10 Heli-taxi services are being operated during Mani-Mahesh yatra only in the State.

Himachal Pradesh Tourism Development Corporation

15.11 The Himachal Pradesh Tourism Development Corporation was established to Promote Tourism in the Pradesh. Ever since its establishment the Corporation has acted as catalyst, trendsetter and a prime mover for the promotion of tourism in Himachal Pradesh. The Himachal Pradesh Tourism Development Corporation expected to earn a net profit of ₹256.67 lakh during the period 01.04.2015 to 31.03.2016.

16. EDUCATION

EDUCATION

16.1 Education is the key instrument for developing human capability. The State is committed to provide education to all. The concerted efforts of the Government have put Pradesh as one of the leading State in educational literacy. According to 2011 census Himachal Pradesh has a literacy rate of 82.80 per cent. Male/female literacy rate differs considerably in the State as against 89.53 per cent literacy rate for males it is 75.93 per cent for females. All out efforts are afoot to bridge this gap.

Elementary Education

16.2 Directorate of Primary Education was set up in 1984 and further renamed as 'Directorate of Elementary Education' w.e.f. 01.11.2005. The policies of the Government in the field of Elementary Education are implemented through the Deputy Directors of Elementary Education and Block Primary Education Officers at District and Block Level respectively with aims:-

- To achieve the goal of universalization of Elementary Education.
- To provide Quality Elementary Education.
- To increase access to Elementary Education.

At present up to 31.12.2015 there are 10,783 notified Primary Schools out of which 10,781 are functional and 2,249 notified Middle schools out of which 2,236 are functioning in the State. To overcome the shortage of trained teachers,

efforts are being made to make fresh appointments of teachers in the needy schools. An attempt has also been made to cater the educational need of disabled children.

16.3 To increase enrolment, reduce the drop out rate and enhance the retention rate of the children in these schools, various scholarships and other incentives namely Poverty Stipend Scholarship, Girls Attendance Scholarship, Scholarship for Children of Army Personnel, Scholarship for the students belonging to IRDP families, Pre-matric scholarship for Scheduled Castes students on Lahaul & Spiti Pattern Scholarship and Scholarship for the Children of Army Personnel who are serving at the border areas are being provided to the students of Primary Schools in the State. In addition to above Free Text Books are being provided for OBC/IRDP students in non Tribal areas. Free Text Books and Uniforms to SCs students under SCSP are being provided. Free Text Books and Uniforms are also given under TASP. Free Text Books are also being provided to all girl students of primary schools belonging to even general category under Sarva Shiksha Abhiyan to enhance female literacy in the State. The revised text books including English for class I-IV have been developed and introduced in all Govt. Primary Schools. Mid-day meal scheme is being implemented in all the Government and Government aided Primary and Middle Schools in the State to compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court of India. Under this scheme each student is being

provided with hot cooked meal on each day of the school. Computer Education Programme has been started in 1,202 upper primary schools in remotest part of the State. 70 Punjabi Teachers and 30 Urdu Teachers are being taught the Punjabi/Urdu subject as an optional subject in the respective identified schools in the State.

Upper Primary Level of Education

16.4 The following incentives are being provided during the year 2015-16:-

- i) Middle Merit/Medhavi Chatervarti Yojna @ ₹ 800 per annum per boy/ girl, 1,332 students were benefitted and ₹10,65,620 were spent.
- ii) Scholarship for IRDP families children @ ₹ 150 per student for class 1st to 5th is being provided and 58,645 students were benefitted and ₹87, 81,830 have been spent and @ ₹ 250 per boy and ₹ 500 per girl student for class 6th to 8th is being provided. Under this scheme 58,460 students were benefitted and ₹2, 20, 84,370 have been spent.
- iii) Scholarship for the children of military personnel @ ₹150 per student (1-5) classes. Under this scheme 2 students were benefitted and ₹300 have been spent.
- iv) Under Girls Attendance Scheme girl students having attendance more than 90% is being awarded ₹2 per month for 10 months. Total 34,425 students were benefitted and ₹6, 90,500 have been spent.
- v) Free Text Books are being provided by Himachal Pradesh Government for all IRDP/SC/ST/OBC/ General students for which

there is a budget provision of ₹16.27 crore during 2015-16.

- vi) Under Mahatma Gandhi Vardi Yojana two sets of uniform is being provided for class 1st to 10th with ₹200 as stitches charges per year. For the year 2015-16, about 7,31,122, students (Classes 1st to 10th) were benefitted. The State Government has made a budget provision ₹2,000.00 lakh for the year 2015-16.

Sarva Shiksha Abhiyan

16.5 Sarva shiksha Abhiya launched in the State with a well defined Pre-Project Phase on improving the infrastructure in the District Project Offices, capacity building of educational administrators, teachers, school mapping, micro-planning, surveys etc. The objective of this movement was to ensure universal access, enrolment, removal of gender gaps, retention and completion of elementary schooling by all 6-14 age group children coupled satisfactory quality elementary education with active participation of the community in the management of schools.

16.6 The main efforts for improving the quality of elementary education under SSA are as under:

- **Out of School Children:** The Net Enrolment Ratio (NER) at the elementary stage of education in Himachal Pradesh is more than 99 percent which is indicative of the fact that there are negligible children who are outside the formal range of education. However, they are being attempted to bring into the fold of elementary education through Non-Residential Special Training

Centres. The first and foremost obligation of Right to Education (RTE) Act is to ensure that all children in the age group of 6-14 years should be in the schools. Other independent studies conducted by Indian Market Research Bureau (IMRB) and Pratham have also confirmed that the number of out of school children in Himachal Pradesh is below one percent. Bilaspur and Lahaul Spiti Districts have no out of school children. It is observed that due to migration from other parts of the country to the urban/semi-urban areas of the State, the figure of out of school children keeps on fluctuating. Districts have been asked to conduct survey in the month of July and December every year to keep track of migratory population, enrol them in schools as per RTE provision by levelling off their learning gaps through some non-residential bridge courses. For identified 4,942 Out of School Children (OOSC), age and class appropriate education is being ensured through NRSTCs. Bridge courses for primary and upper primary level children have been developed to ensure age appropriate admission of OOSC in formal schools.

- **Inclusive Education:** In Himachal Pradesh total 12,772 Child With Special Needs (CWSN) were identified suffering from one or other disability. 10,950 CWSN have been integrated in formal schools and for 1,822 out of school CWSN, different strategies have been adopted to bring them into the fold of education system.

For these children Home-Based Programme has been introduced and implemented at elementary level in the age group of 6-14 years in Himachal Pradesh. 520 children have been adopted by 23 NGOs in various districts and remaining are being covered by in-service trained teachers.

- **Capacity building of in service Teachers:** Capacity building of in service teachers is an integral part of general teacher Training Programme. The Special focus of providing services is on activities of Daily Living Skill Training such as: (1) Self Help Skills: Eating, Toileting, Bathing and Dressing etc. (2) Motor Activities: Under this skill, CWSN with Orthopedically Impairment and Cerebral Palsy are being covered and trained in Motor activities under the guidance of physiotherapist/ occupational therapist. In addition to above these out of school CWSN are being covered by taking the services of Special Educators in Mental Retardation through utilizing Block IE Resource Rooms.
- **Therapeutic Services:** As most of the identified children do suffer from cerebral palsy, therapeutic services such as physiotherapy, occupational therapy and speech therapy were provided on priority basis. Due to shortage of physiotherapist and speech therapists and their non willingness to serve in rural areas it was also a challenge faced by the SSA during the first phase. Physiotherapist was appointed on visiting basis in some districts to

- provide effective therapeutic services to the needy children.
- **Preparing of Individual Education Programmes(IEP)/ Individual Transition Planning (ITP):** Individual Education Programmes (IEPs) have been prepared for every child and accordingly goals were fixed for every three months. For mild and moderate categories, functional academic curriculum is implemented in the classroom.
 - **Counselling of Parents:** Parents and other family members of special children were provided counselling session under SSA. Counselling session with the help of trained teachers and Counsellors especially under "Home Based Programme" have been initiated in all the districts of Himachal Pradesh.
 - **Community Involvement:** The trained resource teachers are providing their support in the Community Involvement for which the department has received very encouraging response from the community.
 - **Orientation Programme of Teachers:** Orientation of teachers and other supportive staff is also an important aspect and SSA has ensured regular orientation programme to its teachers so that proper academic support could be ensured to the needy special children. The trained resource teachers are acting as Resource Persons in these programmes and provide the resource support to general teachers in the actual class room situation.
 - **Day Care Centres for CWSN:** Two, Day Care Centres in primary schools have been established at Shimla and Mandi. These special wings are rehabilitating around 46 Mentally Retarded children with the help of trained special educators.
 - **Medical Assessment:** 50 Medical assessment camps for CWSN in 2015-16 have been organized and 1,250 aids and appliances were provided to the needy children.
 - **To and Fro Local Bus Fare:** To and fro local bus fare is allowed to the CWSN along with one attendant to medical camps for formal assessment. Hiring of conveyance at the local transport rate for a group of severely CWSN is also been allowed so that they can be brought to the medical camp sites.
 - **Braille Books & Enlarged Print Books:** 142 sets of Braille Books from class 1st to class 8th have been provided to Blind children and 80 sets of Enlarged print books to low vision students.
 - **Monitoring system of IE Activities:** For proper monitoring of resource teacher and NGOs, State Project Office SSA has designed the monitoring proforma for all District Project Officers which includes:
 - i) No funds may be released to NGOs without inspecting their working as per terms of references fixed by SSA.
 - ii) The NGOs must have trained Special Educators registered from Rehabilitation Council of India (RCI).
 - iii) Regarding monitoring of the work done by the Resource

Teachers, SSA has also developed monthly monitoring Performa. Every Resource Teacher has to submit their monthly progress report to the concerned District Inclusive Education Coordinators. After compiling the monthly progress report of IE RTs, the District Project Officers send the reports to the SPO which are reviewed in the SSA monthly review meetings.

Retaining All Children in the Education System

16.7 Total out of school children and drop out rates are negligible and the State has been successful in checking the drop out rates. The dropout rate at Primary and Upper level is 0.65 and 0.90 percent respectively.

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya(KGBV)

16.8 In KGBVs girls are being imparted skill education along with normal studies. Regular training imparted to KGBV hostel wardens and each KGBV is monitored by State and District level monitoring team. There are 10 KGBV functional in Himachal Pradesh (Eight in Chamba District and one each in Shimla & Sirmour district).

Learning Level of Children

16.9 Class-VIII board examination has already been abolished and no child at the elementary stage will be subjected to face any formal examination. However, the evaluation of children is being done

through CCE as per section 29 of the RTE. After delivery of content their progress is recorded on CCE registers and gaps are addressed as and when identified during the learning process. Now the emphasis is on diagnostic teaching instead of promoting rote method and single line paper pencil test. This evaluation system is taking care of holistic development of all children. The learning gaps identified during continuous evaluation are also being taken care of through assessment sheets. These assessment sheets are class, subject and topic wise.

Monitoring of Schools

16.10 Rigorous monitoring mechanism is being adopted to ensure adequate supervision and evaluation of different activities under SSA. In order to constantly oversee and control the programme implementation State level as well as district level teams have been constituted. The main findings of the monitoring reports are shared with stake holders and the Government.

State's Vision Statement for Quality Education

16.11 Providing Quality Education in Himachal Pradesh by ensuring Enabling Learning Environment in the schools for Holistic Development of every child through Effective School Leadership. This vision statement is incorporated in the document for quality education that has been prepared in collaboration with NUEPA and "Save the Children". The main interventions under SSA are as under:

- **implementation of Learning Indicators:-** The learning Indicators for class I to VIII have been implemented in the state

from the academic session 2014-15. All the elementary teachers have been directed to teach in such a manner that the desired learning levels are achieved by the students. Students are evaluated through CCE which is based on these learning indicators.

- **Text Books of Primary Classes:-** Text books for Class-1 and class-2 have been revised and introduced in all government primary schools through Himachal Pradesh Board of School Education. For classes III to V, the text books have been revised and developed by SCERT on the basis of National Curriculum framework-2005.
- **Identification of Learning Gaps through Achievement Tests:-** Himachal is the first State who started conducting large scale achievement surveys of all the students at elementary level. Learning gaps have been identified at school level in particular and broadly at district and State level. This initiative of the State Government for improving quality education has been highly appreciated by an independent agency called SKOCH who has awarded, "SKOCH Order of Merit" India's best Governance Project-2014 for the assessment survey carried out by SSA in Himachal Pradesh.
- **Early Reading, Writing and Numeracy Programme:-** It was initiated in the state for class-1 and class-2. Before the commencement of activity in the state, a baseline survey of class-II students was done for all students enrolled in Government schools.

In the base line assessment, students were asked questions to test their ability on Reading, Writing, Comprehension and Numeracy skills. Based on the baseline recommendations, Training Needs Assessment (TNA) was done and accordingly training module/material was prepared.

- **Training Need Assessment (TNA):-** On the basis of meetings, workshops, feedback, baseline and monitoring reports, Training Need Assessment (TNA) has been done and on the basis of TNA, Training modules have been developed.
- **Continuous and comprehensive evaluation (CCE):-** CCE is being implemented in all the government schools up to class VIII in the state. For the strengthening of CCE implementation in the state Learning Links Foundations (LLF) is piloting in 200 schools spread over four districts.
- **Art Integrated Learning Programme:-** Art Education has always been a priority area especially in Primary education. To promote art education, Art Integrated Learning Programme has been initiated in collaboration with DEAA, NCERT, New Delhi and British Council of India, New Delhi. The programme has been started in 40 schools of two districts, Shimla and Solan on Pilot basis.

Sports Activities

16.12 A budgetary provision of ₹ 225.00 lakh was made for the year 2015-16 for carrying out the sports

activities of children of Primary/Elementary Schools at Centre, Block, District, State and National levels.

Minority Community

16.13 From 2015-16 onward this Scheme is 100 percent Centrally Sponsored Scheme and the budget under this scheme is allotted by the Government of India to the students/beneficiaries whose parents income does not exceed ₹,1.00 lakh per annum. A proposal of ₹60.00 lakh for 3,300 students has been submitted to Government of India for approval.

Construction of Elementary Education Buildings

16.14 The Government has made a budget provision of ₹ 490.00 lakh under head Major Works to provide adequate infrastructure facilities viz construction of Elementary School Buildings/Rooms and district/Block offices during the current financial year 2015-16. There is an additional budget provision of ₹999.99 lakh for repair and maintenance of school building in the State.

High/ Senior Secondary Education

16.15 Highest Priority is being given towards education in the State owing to with the share of education of the total Plan Outlay of the state is increasing every year along with the educational institutions. Up to December, 2015, there are 880 Government High schools, 1,610 Government Senior Secondary Schools and 94 Government Degree colleges including 5 Sanskrit colleges, SCERT

and B.Ed. college Dharamshala running in the State.

Scholarship Schemes

16.16 To improve the educational status of the deprived sections of the society, various types of scholarships/stipends are being provided by the State/ Central Governments at various stages. The scholarship schemes are:-

- i) **Dr. Ambedkar Medhavi Chhatravriti Yojna:** Under this scheme the scholarship is being given to the top 1,000 meritorious students of SC category and top 1,000 meritorious students of OBC on the basis of Matric examination conducted by HPBSE for 10 +1 & 10+2 classes in a recognised institution within or out side of the State @ ₹10,000 per student per annum. During the year 2014-15, 1,694 students of SC category and 1,663 of OBC category have been benefited under this scheme.
- ii) **Swami Vivekanand Uttkrishtha Chhatravriti Yojna :** Under this scheme 2,000 top meritorious students of General category declared as such in the result of Matric Examination conducted by HPBSE on merit basis for 10+1 and 10+2 classes. The scholarship is given @ ₹10,000 per student per annum. During the year 2014-15, 3,559 students have been benefited under this scheme.
- iii) **Thakur Sen Negi Uttkrishtha Chhatravriti Yojna:** Under this scheme, the scholarship is being given to the top 100 boys & 100 girl students of ST category on the basis of the Matric result conducted by HPBSE on merit basis for 10+1 and 10+2 classes

- @ ₹11,000 per student per annum. During the year 2014-15, total 296 such students have been benefited under this scheme.
- iv) **Maharishi Balmiki Chhatravriti Yojna:** The bonafide Himachali girl students belonging to Balmiki families whose parents are engaged in unclean occupation are being given scholarship, under this scheme @ ₹ 9,000 per girl student per annum beyond Matric level to college level and for professional courses in Himachal Pradesh irrespective of their status (Government or Private). Total 25 girl students have been benefited under this scheme during the year 2014-15.
- v) **Indira Gandhi Utkrishtha Chhatervriti Yojna:** Under this scheme, 150 meritorious students for post plus two courses for studying in colleges or doing professional courses shall be awarded @ ₹ 10,000 per year per student purely on basis of merit and without any income ceiling. Total 50 students have been benefited under this scheme during the year 2014-15.
- vi) **Sanskrit Scholarship Scheme:** A sum of ₹ 250 per month for 9th and 10th classes and ₹ 300 per month for +1 and +2 classes are being given to those students who secure first position in the subject of Sanskrit with 60 percent and above marks.
- vii) **Sainik School Scholarship:** The scheme is applicable to the bonafide H.P. students in the Sainik School Sujampur Tihra from class VI to XII. Under this scheme 316 students have been benefited during the year 2014-15.
- viii) **Kalpana Chawla Chhatravriti Yojna:** Under this scheme, the top 2,000 top meritorious girl students of +2 classes of all study groups are given ₹15,000 per student per annum. During the year 2014-15, total 1,057 students have been benefited under this scheme.
- ix) **Mukhya Mantri Protsahan Yojna:** This scheme has been started during the year 2012-13 and one time ₹75,000 will be given to all students of State who are selected and take admission for a degree course in any Indian Institute of Technology or All India Institute of Medical Sciences and post graduate diploma course in any Indian Institute of Management, (ISM) Dhanbad at Jharkhand and Indian Insitute of Science (IISC) at Banglore. Total 75 students benefitted under this scheme in 2014-15.
- x) **Rashtriya Indian Military College Scholarship:** This award is given to the ten bonafide Himachal Pradesh students, two from each class VIII to XII in RIMC, Dehradun, @ ₹20,000 per year per student. Under this scheme 20 students have been benefited during the year 2014-15.

In addition to above the following Scholarship schemes are also running in the state.

1. **IRDP Scholarship Scheme**

A sum of ₹ 300 per month for 9th & 10th class, ₹ 800 per month for +1 & +2 Class, ₹1,200 per month for College/Day scholar students and ₹2,400 per month for Hostellers is being given to those students who

belong to IRDP families and studying in Government/ Government Aided Institutions. in the year 2014-15, 58,864 students have been benefited under this scheme.

2. Scholarship to the children of Armed Forces Personnel Killed/ disabled during wars.

A sum of ₹ 300 (boys) and ₹ 600 (girls) per month for 9th & 10th class, ₹ 800 per month for 10+1 & 10+2 Class, ₹ 1,200 per month for College/ University/ Day scholar students and ₹2,400 per month for hostellers is being given to Children of Armed Forces Personnel killed/disabled in different operations/ war.

3. Post Matric Scholarship to SC/ST/OBC students (Centrally Sponsored Scheme)

The students belongs to Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose parents annual income is up to ₹2.50 lakh and Other Backward Classes students whose parents annual income is up to ₹1,00,000 are eligible for full scholarship (i.e. Maintenance allowance + full fee) for all courses and they are studying in Government/ Government Aided Institutions. During the year 2014-15, Scheduled Caste - 6,852, Scheduled Tribes-2,249 and Other Backward Classes -7,733 students were benefitted from this scheme.

4. Pre-Matric Scholarship to Other Backward Classes students.

This scholarship will be awarded to those students from class 1st to 10th whose parents/ guardians income from all sources does not exceed ₹ 44,500 per annum. A sum of ₹50 per student per month

for Day scholar students and ₹250 per month for hostellers is being given. During the year 2014-15 total 19,884 students have been benefited under this scheme.

5. Pre-Matric Scholarship to SC & ST students.

This scholarship will be awarded to those students whose parents/ guardians income from all sources does not exceed ₹2.00 lakh per annum. A scholarship of ₹ 2,250 per student per annum to Day scholars and ₹ 4,500 per annum to hostellers of class IX and X is being given. During the year 2014-15, total 16,637 SC students & 2,627 ST students have been benefited under this scheme.

6. Incentive to SC/ST girl students for secondary education.

Under this Centrally Sponsored Scheme SC/ST girl students who take admission in 9th Class after passing Middle Standard Examination from H.P. Board School Examination. The amount of incentive under this scheme is ₹ 3,000 and will be given in the shape of a Time Deposit. During the year 2014-15, total 6,133 girl students have been benefited.

7. Merit cum means Scholarship Scheme for Students belonging to Minority Community (CSS).

This Scholarship is for the Minority students belonging to Muslim, Sikh, Christian, Budhhist communities, whose parents/ guardians income from all sources does not exceed ₹2.50 lakh from all sources. The total 131 students have been benefitted under this scheme during 2014-15.

Expansion of Sanskrit Education

16.17 Tremendous efforts are made to promote Sanskrit Education by the State Government as well as Centre Government. The details are as under:-

- a) Award of scholarships to students of High/ Senior Secondary Schools studying Sanskrit.
- b) Providing grant for the salary of Sanskrit Lecturers for teaching Sanskrit in Secondary Schools.
- c) Modernization of Sanskrit Schools.
- d) Grant to State Government for various schemes for promotion of Sanskrit and for research/ research projects.

Teachers Training Programmes

16.18 The Teachers Training Programmes need to be strengthened to equip in-service teachers with the latest techniques/ teaching methods. Seminars/re-orientation courses are being conducted by SCERT Solan, GCTE Dharamshala, HIPA Fairlawns, Shimla, NUPA New Delhi/CCRT/ NCERT/RIE, Ajmer and RIE Chandigarh. Approximately 1,300 teaching and non - teaching staffs have been trained during 2015-16.

Yashwant Gurukul Awas Yojna

16.19 In order to provide suitable residential accommodation to the teachers posted in High/Senior Secondary Schools of Tribal and hard areas this scheme has been launched since the year 1999. The scheme is being implemented in 61 identified schools of the State.

Free Text Books

16.20 The State Government is providing free text books to the students

of 9th and 10th classes belonging to SC, ST, OBC & IRDP categories. An expenditure of ₹8.85 crore have been spent for this purpose and 1,10,436 students have been benefited during the academic session 2015-16.

Vocational Education

16.21 In order to provide employability to students the department imparted Vocational Education under NSQF in 500 Schools with 8 subjects/trades i.e. Automobiles, Retail, Security, IT, Healthcare, Tourism, Agriculture and Telecom with atleast 2 subjects in every school in 9th & 12th classes. Under this scheme 1,200 vocational teachers have been deployed by the different vocational Training Partner and about 35,000 students have been enrolled in this programme.

Free Education to Handicapped Children

16.22 Free education to the children having more than 40 percent disability is being provided in the State upto University level since 2001-02.

Free Education to Girls

16.23 Free education is being provided to girl students in the State upto University level i.e. only tuition fee is exempted.

Information Technology Education

16.24 Information Technology education is being imparted in all Govt. Senior Secondary Schools on self finance basis through outsourcing where students had opted for IT education as an optional subject. The department is charging IT fee ₹110 per month per student. The students of SC (BPL)

families are getting 50 percent fee concession of total fee. About 80,861 students are enrolled in IT education subject out of which 6,863 SC (BPL) students are benefitted under this scheme.

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

16.25 The Department has taken a lead in implementing the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) at secondary level under Himachal Pradesh School Education Society (HPSES) on the sharing funding pattern 90:10 i.e. 90 percent by Government of India and 10 percent by State Government from the year 2015-16. The activities under RMSA are being taken up to strengthen infrastructure in the existing secondary schools, training to in service teachers, self defence trainings and kala Utsav, with Annual grant to schools in the State. Project Approval Board (PAB) of the Government of India has approved an amount of ₹ 14,267.89 lakh out of which Gol and State have released ₹3,459.21 lakh and ₹1,153.07 lakh respectively for the implementation of various activities of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA).

Model Schools

16.26 The Government of India has sanctioned Five Model Schools for Educationally backward blocks of District Chamba and Sirmour and State Government notified and made functional. The Five Model schools are GMSSS Khushnagri in Tissa Block District, Chamba, and GMSSS Dand in Tissa Block District Chamba, GMSSS Bharia Kothi in Mehla Block, District Chamba, GMSSS Hillour in Pangi Block District Chamba and GMSSS Shillai in

Shillai block District Sirmour. The construction work in these schools is being taken up on priority basis.

Girls Hostel in Educationally Backward Blocks

16.27 The Centrally sponsored Scheme for the construction and running of Girls hostel for students of Secondary and Sr. Secondary Schools; in Educationally Backward block is to strengthen the Boarding and Hostel facilities for Girl Students studying in classes IX to XII. The girls belonging to SC, ST, OBC, minority communities and BPL families shall be benefitted under this scheme. The construction work of three girl's hostels i.e. Himgiri, Mehla (Chamba) and Shillai (Sirmaur) have been completed and construction work of remaining two hostels i.e. Tissa, and Sach are under process. Government of India sanctioned Recurring grant of ₹ 25.00 lakh for two Girls Hostels Himgiri (Chamba), and Shillai (Sirmaur).

Information & Communication Technology (ICT) Project

16.28 The ICT project under central-State share of 90:10 has already successfully implemented in 628 Senior Secondary schools. In the phase II of ICT project, 615 Sr. Sec. Schools, 835 Govt. High Schools and 5 Smart Schools have been approved in the ratio of 90:10 from the year 2015-16. This shall improve and strengthen the teaching learning activity using smart class rooms and multi media teaching aids.

Rashtriya Ucchar Shiksha Abhiyan

16.29 To improve the Higher Education System in the State the

Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan has been started from 2013-14 on the funding pattern of 90 percent Centre and 10 percent State share under 12th Five year Plan. The Government of Himachal Pradesh has constituted a SHEC (State Higher Education Council) as to implement this quality improvement system properly in the State. The semester system & CBCS (Choice Based Credit System) has been started for the under graduate classes in the Government / Private /Aided/ Sanskrit Colleges in the state. Under the Scheme, funds amounting to ₹4.04 crore, ₹82.64 crore and ₹46.00 crore have been provided to the State, in the year 2013-14, 2014-15 and 2015-16 respectively, by the Ministry of Human Resource Department (MHRD), Govt. of India under the different components . As on date, an amount of ₹ 61.21 crore has been received in this Directorate out of which ₹ 48.50 crore, stand released to various institutions under the different component of RUSA.

MIS (Management Information System) in Education

16.30 The objective of this Scheme is to automate the process and computerize the various activities carried out in educational institution /offices of the Education Department. This Scheme will be implemented as pilot project in 545 GSSS and GHS of Hamirpur, Kangra, Una & Mandi Districts.

Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage

16.31 Inclusive Education for disabled at Secondary Stage is commenced in the state in the year 2013-14. Under this scheme, 12 model schools have been established in all the

districts and 18 Special Educator are engaged in these schools for imparting the Special Education to CWSN enrolled in the schools. 2,492 children with special need have been identified. For the assessment of these children 45 medical camps have been organised and 261 Aids and Appliances have been distributed to the needy children. Free Text books, Escort Allowance, Braille book have been supplied to the Children with Special Need during the year 2015-16.

Distribution of Net books

16.32 The department is going to distribute Net books to the 10,000 meritorious students of 10th and 12th class of Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamsala under Rajiv Gandhi Digital Yojna with the aim to strengthen the teaching learning activities in schools during the year 2015-16.

TECHNICAL EDUCATION

16.33 Department of Technical Education is providing education in the field of Technical Education, Vocational and Industrial Training. Today the department has reached a stage where all the interested candidates of the State can get admission in Engineering/ Pharmacy both diploma and degree as well as certificate level courses in Himachal Pradesh through different institutions i.e. Indian Institute of Technology(IIT), Mandi at Kamand, One National Institute of Technology (NIT), Hamirpur, National Institute of Fashion Technology (NIFT) Kangra, Indian Institute of Management(IIM), Sirmour, Indian Institute of Information Technology, UNA, Jawaharlal Nehru, Govt. Engineering College Sundernagar, Atal Bihari Vajpayee

Govt. Institute of Engineering and Technology, Pragatinagar, District Shimla. 14 Privately managed engineering colleges, 15 Government Polytechnics and 16 Polytechnic in Private Sector, 93 Co-educational Industrial Training Institutes in Government sector and 09 Industrial Training Institutes for women and one ITI for Physically Handicapped at Sundernagar in Government sector, One Motor Driving school at Una in Government sector, 131 ITIs in private sector, One B-Pharmacy college Rohroo District Shimla, 13 B-Pharmacy colleges in private sector and 2 D-Pharmacy college in private sector are functioning in the pradesh. In Engineering and B-Pharmacy Colleges, the Technical Education is imparted up to degree level, whereas the Polytechnics are providing professional/ technical education at diploma level courses in 14 Engineering and Non-Engineering disciplines. The Industrial Training Institutes are providing different certificate level courses in 34 engineering and 20 non-engineering trades. Present intake in the existing institutions is as under:-

1. Degree Level	=	6,920
2. B. Pharmacy	=	1,030
3. Diploma Level	=	10,178
4. ITIs/ITCs	=	39,596
Total	=	57,724

16.34 The department has opened Rajiv Gandhi Government Engineering College, Kangra at Nagrota Bagwan under RUSA with three disciplines Mechanical, Electronics & Communication and Civil with an intake of 60 students in each discipline. An amount of ₹2,600.00 lakh has been sanctioned under RUSA by Government of India. The classes of Government Engineering College, Rampur have

been started at Jawahar Lal Nehru, Government Engineering College, Sundernagar with 2 disciplines Mechanical and Civil. This Engineering College has been selected under World Bank funded project namely Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II with project cost of ₹ 1,100.00 lakh on 90:10 pattern. Till date this institution has received a sum of ₹892.80 lakh from Govt. of India and ₹149.97 lakh as State share.

16.35 The department proposes to open a Hydro Engineering College at Bandia in district Bilaspur as a joint venture of Government and NHPC & NTPC for which 62.06 Bigha land has been transferred in the name of Technical Education Department. It shall be the first institution specializing in Hydro sector in the State.

16.36 06 Govt. I.T.Is. have been made functional at Nagrota Bagwan district Kangra, Kotli and Padhar in district Mandi, Dodra Kwar in district Shimla, Syri in district Solan and women ITI at Bharari in district Bilaspur from the academic session 2015-16. The GOI (MHRD) has granted its approval to provide ₹100.00 lakh each for the construction of girls hostels in existing 09 Polytechnics for which ₹548.72 lakh have been received.

16.37 Modular Employable Skills under the Skill Development Initiative Scheme, vocational training are being provided to those workers seeking certification of their skills, school dropouts, unemployed youths and ITI graduates to improve their employability. At present 140 vocational training providers (68 Govt. VTP +72 Private VTP) have been registered under Skill Development Initiative Scheme. Since

its inception total fund of ₹1,190.72 lakh has been received against which ₹1,171.92 lakh has been spent so far. Total 31,399 candidates have been trained under this scheme and 120 candidates are presently undergoing training.

16.38 14 Nos of I.T.Is namely Shamshi, Mandi, Chamba, Shahpur, Nadaun at Rail, Nahan, Shimla, Reckong-Peo, Rong Tong, Mandi(W), Shimla(W), Solan, Una and Rampur, have been upgraded as centre of excellence and ₹3,407.62 lakh as Central Assistance and ₹1,066.43 lakh as State share have been received which have been spent for providing modern machinery and equipments, honorarium/ remuneration and training to teachers and also for construction of

building etc. and expenditure of ₹4,364.00 lakh has been incurred under this scheme.

16.39 Emphasis is on developing multi-skills in the trainees to add to their employability in the Industrial Sector. 33 I.T.I.s have been upgraded under Public Partnership Mode (PPP Mode) after due consultation/discussion with the State Steering Committee, PHD Chamber of Commerce, CII and various other Industrial Associations located in different parts of Himachal Pradesh, for which central assistance amounting to ₹8,250.00 lakh has been received in the respective I.T.I.s from Government of India and expenditure of ₹7,797.00 lakh has been incurred for up-gradation of infrastructure in ITIs.

17. HEALTH

HEALTH AND FAMILY WELFARE

17.1 The State Government has ensured that health services for effective prevention and treatment intervention are accessible to people and are applied efficiently. In Himachal Pradesh, Health and Family Welfare department is providing services which include curative, preventive, promotive and rehabilitative services through a net work of 68 Hospitals, 74 Community Health Centres, 516 Primary Health Centres, 11 ESI Dispensaries and 2,067 Sub-Centres. To provide better health services to the people, the Government is strengthening the existing infrastructure by providing modern equipments, specialized services, increasing the strength of the medical and para-medical staff in the medical institutions.

17.2 A brief description of various health and family welfare activities carried out in the State during 2015-16 is as under:-

- i) **National Vector Borne Disease Control Programme:** During the year 2015-16, (upto December, 2015) 4,70,850 blood slides were examined, out of which 60 slides were found positive and no death due to malaria was reported.
- ii) **National Leprosy Eradication Programme:** Under this programme the prevalence rate, which was 5.14 per ten thousand in 1995, has been reduced to 0.24 per ten thousand as on December, 2015. During 2015-16, (upto December, 2015), 114 new cases of Leprosy have

been detected, 120 cases were deleted after completion of treatment and 168 cases of leprosy are under treatment. They are getting MDT from different health institutions free of cost.

- iii) **Revised National T.B. Control Programme:** Under this programme, 1 T.B. Sanatorium, 12 District T.B. centres/clinics, 72 T.B. Units and 197 Microscopic Centres having a provision of 315 beds were functioning in the state. During the year 2015-16 upto 31.12.2015, 14,219 cases were detected having symptoms of this disease and sputum tests of 78,349 persons were carried out. Himachal Pradesh is one of the States where all the districts have been covered under this project. The achievement of total cases notification rate was 208 per lakh per year (81 percent) against the target of 257 per lakh per year.
- iv) **National Programme for Control of Blindness:** Under this programme during the year 2015-16 (upto December, 2015), 23,675 cataract operations were performed against the target of 27,500 cataract operations. 23,224 cataract operations were performed with I.O. lenses. Also 1,47,468 students were examined under this programme against a target of 1, 20,000.
- v) **National Family Welfare Programme:** This programme is being carried out in the State as a part of Reproductive and Child Health Programme, on the basis

of community needs assessment approach. Under this approach, grass-root level workers like multipurpose health workers (both male & female) give an estimate of the various family welfare activities required in the area/ population covered by them. Under this programme, 9,466 sterilisations, 18,575 I.U.D. insertions, 30,287 OP Users and 91,611 CC Users were done during 2015-16 (upto December, 2015).

vi) **Universal Immunization Programme:** This programme is also being implemented in the State as a part of Reproductive Child Health (RCH) programme with an aim to reduce the morbidity and mortality among mothers, children and infants. The vaccine preventable diseases viz. Tuberculosis, Diphtheria, Pertusis, Neo-natal Tetanus, Poliomyelitis and Measles have shown remarkable reduction over the last years. The targets and achievements for the year 2015-16 are given in Table 17.1.

Table- 17.1

Sr. No.	Item	2015-16	
		Targets	Achievement upto December,15
1	2	3	4
1	D.P.T.	108730	67777
2	Polio	108730	80385
3	B.C.G.	108730	79116
4	Hepatitis-B	108730	67702
5	Measles	108730	83719
6	Vit. A 1 st dose	108730	83247
7	Polio Booster	104390	76759
8	D.P.T. Booster	104390	76732
9	Vit. A 5 th dose	108730	98783
10	D.P.T.(5-6 years)	87720	84410
11	T.T. (10 years)	102460	89761
12	T.T. (16 years)	123055	101022
13	T.T.(PW)	132000	81740
14	I.F.A. (Mothers)	132000	76325

Like previous years, the Pulse Polio campaigns were also launched in the State during the year 2015-16. The first round of this campaign was on 17.01.2016 and second round will be held on 21.02.2016.

vii) **National AIDS Control Programme:** During the year 2015-16 up to December, 2015, 99,505 persons screened out of which 282 HIV positive cases were detected..

• **Integrated Counselling and Testing Centre (ICTC)**

Total 45 ICTC centres in Himachal Pradesh are providing Counselling and testing services. In the year 2015-16, out of total tested persons, 28,852 were ANC clients, out of which 10 were diagnosed as HIV positive. Two Mobile ICTC Vans units are also functional.

• **STI/ RTI**

Total 20 clinics are providing STI/RTI services in various districts of Himachal Pradesh. In the year 2015-16 total 22,556 people have availed the services of these RTI/ STI clinics.

• **Blood Safety**

Under blood safety, 15 Blood Banks and 3 Blood Component Separation Units IGMC, Shimla, ZH Mandi and RPGMC Tanda are functioning in the State. During the year 2015-16, 203 VBD Camps have been organized and in the State blood donation percentage is 90 percent. One Mobile Blood

Bus with four donor couches is also functional in State.

- **Anti Retroviral Treatment Programme**

State has 3 ART centre at IGMC, Shimla, RH Hamirpur and Dr. RPGMC Tanda, 3 FART and 7 Link ART Centres through these free ART Drugs are being provided to people living with HIV/AIDS.

- **Targeted Interventions**

18 Targeted Interventions Project are being implemented in the State for High Risk Groups.

viii) **National Rural Health Mission:** Under this scheme 95 Health Institutions were identified to provide 24 hours emergency services. Apart from this 608 Rōgi Kalyan Samities are also functioning at District Hospitals, Civil Hospitals and CHCs. A sum of ₹8.92 crore has been distributed to all the RKS till 31.12.2015.

Medical Education & Research

17.3 The Directorate of Medical Education Training & Research was established with the objective to provide better medical education system and training to Medical and Para Medical & Nursing personnel to monitor and coordinate the activities of Medical & dental services of State.

17.4 At present the State has two Medical Colleges i.e. Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajendra Prasad Medical College Tanda and one Government Dental College in Shimla are functioning. Besides this, four Dental colleges are

functional in private sector in the State. During the academic session 2015-16, 1,390 seats has been filled up for the training of GNM courses, 770 seats for B.Sc. Nursing courses, 120 seats for Post Basic BSc.Nursing courses, 90 seats for ANM training course and 20 seats for M.Sc. Nursing degree course in various Govt. and private unaided nursing Institutions. Government is also going to start the one GNM School at Chamba. To overcome the deficiency of Medical Graduate i.e. doctors in the State three new medical colleges at Hamirpur, Chamba and Nahan in Government sector has been approved by central Govt.on 90:10 ratio pattern and a sum of ₹189.00 crore will be given by the central Govt. out of which a sum of ₹12.53 crore to the State Government has been released by the Government of India and State Government has also released ₹1.39 crore as 10 percent State Share for the construction work of New Medical College at Nahan. During this session 2015-16, 142 number of PG seats in various specialities are filled in IGMC and Dr. RPGMC Tanda. The Institution wise major achievements under this Directorate are as under:-

(a) IGMC, Shimla:

Indira Gandhi Medical College and Hospital now upgraded as Super specialty Institute, is the premier health institute of the State. Government of India has approved up gradation of IGMC, under phase-III of PMSSY with the cost of ₹150 crore (centre share ₹120 crore and State share ₹ 30 crore) for which a sum of ₹20.00 lakh has been released to HSCC for pre construction activities. Medical Research Unit has been established in IGMC, Shimla. It will undertake research

in Non-communicable diseases. The Government of India has principally agreed to pay grant of ₹45.00 crore to IGMC, Shimla for setting up of Tertiary Care Cancer Centre. The Machinery & Equipment costing approximately ₹11.33 crore were provided to different departments in IGMC, Shimla during the year 2015-16 up to December, 2015. Teaching Block for Sister Nivedita Government Nursing College is to be constructed at IGMC, Shimla. The land has been identified adjoining to IGMC and process for acquisition of same is already initiated.

Future Proposals: The process is being initiated to start M. Sc. Nursing Degree Courses in Sister Nivedita Govt. Nursing College, IGMC, Shimla from the coming session 2016-17. New OPD block consisting 11 stories will be constructed at IGMC, Shimla with the cost of ₹ 56.20 crore. For the academic session 2016-17, there is a proposal to increase 9 more seats in IGMC Shimla in various specialties and also to increase MBBS seats from existing 100 to 150 in IGMC.

Financial Achievements

During the financial year 2015-16 there is a budget provision of ₹14,328.01 lakh and the expenditure up to 31.12.2015 is ₹ 9,349.00 lakh.

(b) Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Kangra at Tanda(DRPGMC):

Dr. Rajendra Prasad Medical College, Kangra at Tanda is the 2nd Medical College of the State established with an intake capacity of 50 MBBS students. The first batch was started in 1999 and recognized by MCI on

24.02.2005. At present 17th Batch with an intake capacity to 100 MBBS students is undergoing training in this institution. The Govt. of India has approved ₹440.80 lakh for establishment of Burn Unit at Dr. RPGMC, Tanda out of which ₹ 277.00 lakh has been released by Government of India for construction work, Furniture and Equipments. The construction works of Lecture Theaters, Examination Hall, Anatomy Block has been completed in all respect. The Government of India has sanctioned a sum of ₹1.25 crore for the establishment of MRU which is proposed to be established in the Para Clinical Block shortly after necessary renovation work.

Future Proposals: 120 Type-III quarters for Nursing staff, 1st year MBBS & P.G. Hostel have been proposed to be constructed under PMSSY-II with the assistance of the Central Government through the HSCC with the estimated cost of ₹67.00 crore. Model School for GNM training costing ₹100.00 lakh is proposed to be constructed. There is also a proposal for the construction of a Sarai building & a shopping complex to provide better facilities to the patients and their attendants for which the Government has accorded approval to construct the sarai building.

Financial Achievements:

During the financial year 2015-16 there is a budget provision of ₹7,108.46 lakh and the expenditure up to 31.12.2015 is ₹5,160.34 lakh.

(c) Dental College and Hospital Shimla:

Himachal Pradesh Government Dental College and Hospital, Shimla

was established with an intake capacity of 20 students per year. From the year 2007-08 the admission of 60 students to BDS course has been started. Besides this the MDS courses in six specialities Oral Surgery, Periodontics, Orthodontics, Prosthodontics, Operative Dentistry and Paedodontics are also being made with intake capacity of 15 PGs students per year. Training course for Dental Hygienist and Dental Mechanics Diploma is also being run with the intake capacity of 20 students in each course per year.

The main objective of the opening of the Dental College and Hospital was to meet the ever increasing demand of Dental Doctors and Para Medical staff with the view to provide better dental health services to the people of the State. The main OTs of the institution have been equipped with latest Machinery & equipments i.e. Anesthesia Work Station, Anaesthesia monitor and Multi Media Projectors. Himachal Pradesh Government Dental College and Hospital, Shimla has organized 11 Dental Camps to cater to the needs of General Public and school children and 933 patients treated and free medicines are being distributed during these dental camps. This college has also started Muskan Yojna and Chief Minister Student Dental Health Scheme and providing free dental treatment to the BPL and IRDP families of the state free of cost.

Future Proposals: The case for starting of PG (MDS) courses in three specialities i.e. Prosthodontics, Paedodontics & Conservative Dentistry have been submitted to Government of India for grant of permission.

Financial Achievements:

During the financial year 2015-16 there is a budget provision of ₹1,312.35 lakh and the expenditure up to 31.12.2015 is ₹ 927.30 lakh.

AYURVEDA

17.5 Indian System of Medicines and Homoeopathy plays a vital role in the Health Care System of the State. The separate Department of Ayurveda was established in 1984 and Health Care services are being provided to the general public through 2 Regional Ayurvedic Hospitals, 28 Ayurvedic Hospitals, One Nature care hospital, 1,113 Ayurvedic health centres, 3 Unani health centres, 14 homoeopathic health centres and 4 Amchi clinics (out of which one is functional). 17 Panchkarma and 9 Ksarsutra centres are functioning in the State. The department has inbuilt system of production of medicines through 3 Ayurvedic Pharmacies, at Jogindernagar (District Mandi), Majra (District Sirmour) and Paprola (District Kangra). These pharmacies catering to the need of the Ayurvedic health institutions of the department and also give boost to the employment to local people. Rajeev Gandhi Government P.G. Ayurvedic College Paprola with an intake capacity of 50 students for B.A.M.S. degree is functioning at Paprola in Kangra district. Besides this the PG Classes in Kayachikitsa, Shalaky Tantra, Shalya Tantra, Prasuti Tantra, Samhita and Sidhant, Dravya Guna, Rog Nidan, Swasth Vritta, Panchkarm Balrogand Ras Shastra are also there. The department has started the B-Pharmacy course (Ayurveda) at Jogindernagar with intake capacity of 30 students. The department of Ayurveda is also associated with National Health Programmes like Janani Sishu Yojna,

Family welfare, Anaemia free, AIDS, immunization and pulse polio etc. During the current financial year 2015-16, there is a budget provision of ₹218.50 crore out of which Non Plan is ₹197.92 crore and Plan is ₹20.58 crore.

Development of Herbal Resources

17.6 Four herbal gardens at Jogindernagar (Mandi), Neri (Hamirpur), Dumreda (Shimla) and Jungle Jhalera (Bilaspur) are functioning in the state. An Annual Action Plan for 2015-16 under the Centrally Sponsored Scheme of National Mission on Medicinal Plants at a project cost of ₹61.98 lakh has been approved by the National Medicinal Plants Board, Department of AYUSH, Government of India. Under this, one model nurseries of four hectare area will be established. Besides this, cultivation of medicinal plants will be undertaken by the farmers in 39 hectare area in the State.

Drug Testing Laboratory

17.7 During the year 2015-16 (upto December,2015), DTL Jogindernagar has analyzed 556 samples (from Government and Private Pharmacies) and generated a revenue of ₹3.49 lakh.

Development Activities

i) To popularized and make people aware of AYUSH treatment, 4 free medical camps have been organized from time to time at different places during the year 2015-16 under which 1,687 patients were checked-up and treated. Sensitization programmes are also being organized for the awareness of NGOs and general

public. 1,638 Farmers were given training under different training camps. 39 post of A.M.O. are filled batch wise, 2 post of Lecturers are filled through HPPSC, 18 post of Ayurvedic Pharmacists, 10 post of Staff Nurses and 7 post of clerk sre filled in the department.

ii) Government Ayurvedic Pharmacies

Presently there are three Departmental Ayurvedic Pharmacies in the State manufacturing Ayurvedic Drugs for free distribution through Ayurvedic Insitutions in the State. The Pharmacies have been located at Majra in Sirmour, Jogindernagar in Mandi and Paprola, in Kangra. Pharmacy at Paprola is also attached with Ayurvedic College Paprola for practical purpose for the students of PG Ayurveda College, Paprola. These Pharmacies supply drugs to all health institutions of Ayurvedic Department. Presently department has been procuring raw herbs through H.P. State Civil Supplies Corporation Ltd. for manufacturing medicines due to non availability of the same locally.

iii) National Rural Health Mission

Under this scheme at present, 135 AMOs are working under co-location policy against the created 155 post of AMOs.

Proposed Targets for the year 2016-17

This department has proposed the target of opening 5 New Ayurvedic Health Centres, during the year 2016-17.

18. SOCIAL WELFARE PROGRAMME

SOCIAL WELFARE AND WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

18.1 The Social Justice and Empowerment Department of the State is engaged in socio-economic and educational uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, infirms, handicapped, orphans, children, widows, destitutes, poor children and women etc. The following schemes are being implemented under social welfare programme:-

Social Security Pension Scheme

18.2

- a) **Old Age pension:** Old age pension ₹ 600 per month is being provided to those who have attained the age 60 years or above but below 80 years having annual income below ₹35,000 per year, 80 years & above pensioners are being provided pension ₹1100 per month without any income criteria.
- b) **Disability Relief Allowance:** Disability Relief Allowance ₹600 per month is being given to those disabled persons who are having at least 40 percent of disability and whose annual income does not exceed ₹35,000 per year to above 70 percent disabled persons is being provided ₹1100 per month without any income criteria subject to the condition that applicant should not be in Govt. Service/semi Govt. service/ Board/ Corporation and should not be in possession of any kind

of pension. During current financial year 2015-16 there is a target of 1,56,337 pensioners under the above schemes. An amount of ₹11,719.20 lakh have been spent upto 31.12.2015 against the budget provision of ₹ 17,103.59 lakh.

- c) **Widow /Deserted/ Ekal Nari Pension:** The Widow/ Deserted/ Ekal Nari Pension ₹600 per month is being provided to those Widow /Deserted/ Ekal Nari ladies (above 45 years of age) whose annual income does not exceed ₹35,000 per year. During current financial year 2015-16 there is a target of 70,360 pensioners. Under the above scheme, an amount of ₹4,343.80 lakh have been spent upto 31.12.2015 against the budget provision of ₹ 8,918.63 lakh.
- d) **Rehabilitation allowance to Lepers:** Rehabilitation allowance to leprosy ₹600 per month is being provided to the patient of leprosy who have been identified by the Health Department irrespective of their age and annual income. During current financial year 2015-16 there is a target of 1,482 pensioners under the above scheme. An amount of ₹67.20 lakh have been spent upto 31.12.2015 against the budget provision of ₹119.50 lakh.
- e) **Indira Gandhi National Old Age Pension: (IGNOAP):** Indira Gandhi National Old Age Pension is being provided to the persons who have attained the age 60 years or above and belong to BPL household.

During current financial year 2015-16 there is a target of 90,000 pensioners under the above scheme. An amount of ₹2,480.24 lakh have been spent upto 31.12.2015 against the budget provision of ₹ 3,581.63 lakh.

f) **Indira Gandhi National Widow Pension(IGNWP):** Indira Gandhi National Widow Pension is being provided to the widows between the age group of 40 to 79 years and belongs to BPL household. During current financial year 2015-16 there is a target of 20,933 pensioners under the above scheme. An amount of ₹ 607.87 lakh have been spent upto 31.12.2015 against the budget provision of ₹ 876.92 lakh.

g) **Indira Gandhi National Disability Pension (IGNDP):** Indira Gandhi National Disability Pension is being provided to the disabled persons between the age group of 18 to 79 years having 80 percent disability and belongs to BPL household. During current financial year 2015-16 there is a target of 809 pensioners under the above scheme. An amount of ₹22.26 lakh have been spent upto 31.12.2015 against the budget provision of ₹61.45 lakh.

18.3 For all the above Central Pension Schemes a sum of ₹200 and to the pensioners above 80 years ₹500 per month is being provided under IGNOAPS by the Government of India. Whereas under IGNWPS and IGNDPS an amount of ₹300 is being provided by Government of India. However, the remaining amount ₹ 400 per month to below 80 years and ₹ 900 per month to above 80 years pensioners under IGNOAPS

and ₹300 under IGNWPS along with MO Commission is being borne by the State Government and the budget provision for this purpose has been made under State Old Age and State Widow Pension Schemes, so that pensions could be provided at uniform rates to all the pensioners ₹600 per month and ₹1,100 per month to the pensioners above 80 years of age. Similarly under IGNDPS, the State Government is providing ₹800 per month per pensioner along with the M.O Commission from its own resources, so that all the 70 percent and above disabled pensioners get pension at the uniform rate of ₹1,100 per month. The budget provision for this purpose has been made under the State Disability Relief Allowance pension scheme.

Self Employment Scheme

18.4 The department is also providing funds to the three Corporations viz; Himachal Pradesh Minorities Finance and Development Corporation, Himachal Pradesh Backward Classes Finance and Development Corporation and Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribe Corporation under the head investment for the running of various self employment schemes. There is a budget provision of ₹637.00 lakh for the year 2015-16 and upto 31.12.2015, an amount of ₹482.00 lakh, have been released.

Welfare of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes

18.5 Under this programme, the important schemes implemented during 2015-16 are as under:-

i) **Award for Inter-caste Marriage:** For elimination of the practice of untouchability between

Scheduled Castes and non Scheduled Castes, the State Government encourages inter-caste marriages. Under this scheme, an amount of ₹ 50,000 per couple is given as incentive money. For inter-caste marriages during 2015-16, a budget provision of ₹194.00 lakh is kept for the purpose and 390 couples have been benefited with an amount of ₹158.50 lakh upto 31.12.2015 against the target of 245 couples.

ii) **Housing Subsidy:** Under this scheme the members of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are given subsidy of ₹75,000 per family for house construction purposes and for house repair ₹25,000 to those whose annual income does not exceed from ₹35,000. During the year 2015-16 an amount of ₹2,346.00 lakh has been provided in the budget and 2,426 persons were benefited with an amount of ₹1,737.51 lakh upto 31.12.2015 against the target of 3,128 persons.

iii) **Training and Proficiency in Computer Applications and Allied Activities:** Under this scheme computer training are provided in the recognized computer courses to candidates belonging to BPL, SC, ST and Minorities or those whose annual income is less than ₹60,000. The department bears the training cost not exceeding ₹1,200 per month per candidate and balance cost if any is borne by the candidate. During the training a stipend of ₹1,000 per month is being provided. After completion of the training, the candidates are placed for six months in the organization / offices, so as to

gain proficiency in computer applications. During the period of placement ₹1,500 per month per candidate is being provided. During the year, 2015-16, budget provision of ₹ 351.00 lakh is kept out of which an amount of ₹ 71.66 lakh has been spent upto 31.12.2015 and 2,766 trainees were benefited.

iv) **Follow up Programme:** Under this scheme, implements and tools, sewing machine costing ₹1,800 w.e.f. 21.8.2015 per beneficiary are given to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes whose annual income does not exceed from ₹35,000 per annum. For the year 2015-16 a budget provision of ₹115.40 lakh was made under this scheme out of which an amount of ₹68.11 lakh was spent benefiting 3,511 persons upto 31.12.2015 against 6,525 beneficiaries.

v) **Compensation to Victims of Atrocities on Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Families under SCs/STs (POA) Act-1989:** Under the rules of the above Act monetary relief is granted to those scheduled castes, scheduled tribes families who become victims of atrocities committed by the member of other communities due to caste consideration, relief amounting to ₹90,000 to ₹7.50 lakh is provided to the victims of atrocity, which depends upon the nature of atrocity. During the year 2015-16 against the budget provision of ₹50.00 lakh an amount of ₹14.58 lakh was spent upto 31.12.2015, under this scheme thereby benefiting 35 families.

Welfare of Disabled

18.6 Department is implementing Comprehensive Integrated Scheme named "Saryog" for persons with disabilities launched during the year 2008-09. The components of the scheme along with financial and physical achievement upto 31.12.2015 is as under:-

- i) **Disabled Scholarship :** This Scherre is applicable to all categories of disabled students including hearing impaired persons having disability of 40 percent or above without considering there family income. The rate of scholarship varies from ₹350-750 per month for day scholars and ₹1,000-2,000 per month for boarders. Against the budget provision of ₹97.86 lakh upto 31.12.2015 an amount of ₹61.88 lakh has been spent and benefited 987 stdudents.
- ii) **Marriage Grant to Individuals Marrying Persons with Disabilities:** To encourage able bodied young men or girls to marry the disabled boy or girl having not less than 40 percent disability and who have attained the Marriageable age, marriage grant 40 percent to 69 percent, disability ₹8,000 and above 70 percent disability ₹40,000 provided by the State Government. Against the budget provision of ₹ 35.85 lakh an amount of ₹ 21.11 lakh has been spent upto 31.12.2015, there by benefiting 130 persons.
- iii) **Awareness Generation and Orientation:** Provision has been made to organize block and district level composite camps for representative of NGOs working for persons with disabilities, SHGs and representative of PRIs at grass

root level. In these camps medical certificates, aids and applications are provided to persons with disabilities. Apart from this all the schemes being run for persons with disabilities are publicized in these camps. There is a budget provision of ₹10.00 lakh for the year 2015-16 and upto 31.12.2015 under the scheme ₹5.70 lakh has been spent.

- iv) **Self Employment:** Disabled persons having disability of 40 percent and above are provided loans by the Himachal Pradesh Minorities Finance and Development Corporation for setting up small ventures. SCs/OBCs and Minority Affairs Department provides subsidy on projects sanctioned by H.P. Minorities Finance and Development Corporation upto ₹10,000 or 20 percent of the project cost (whichever is less). During 2015-16 upto 31.12.2015, loans amounting to ₹245.36 lakh has been released by the Himachal Pradesh Minorities Finance and Development Corporation to the 62 persons with disability. Proposal of subsidy is awaited from Minority Corporation.
- v) **Skill Enrichment:** Vocational rehabilitation training to PWDs through selected ITIs is provided in identified trades. Training is free of cost and stipend ₹1,000 per month is paid by the department. Budget provision of ₹15.00 lakh has been provided under the scheme. During the current financial year, 47 disabled children have been sponsored for training. Proposal is awaited from Technical Education.

vi) **Scheme of Awards:** Provision of incentives to best performing disabled individuals and private employers providing employment to maximum disabled in their organization has been made. Best performing individuals are to be given cash award of ₹10,000 each. Best private employer is to be provided cash incentive of ₹5,000. Budget provision of ₹0.50 lakh has been provided under this component.

vii) **Institutions of Children with Special Needs:** Two institutions at Dhalli and Sundernagar have been set up in the State for providing education and vocational rehabilitation service to visually and hearing impaired children. In the "Institution for Children with Special Abilities" Sundernagar 18 Visually and 88 Hearing impaired girls have been enrolled. For running and maintenance of this Institution against the budget provision of ₹ 38.00 lakh an expenditure of ₹ 8.77 lakh has been incurred upto 31.12.2015. For the institution run by the HPCCW at Dhalli(Shimla) and Dari(Kangra) school an amount of ₹50.45 lakh has been released by the department against the budget provision of ₹110.00 lakh. In addition to this, State Government is providing grant to the Prem Ashram, Una, Astha Welfare Society, Nahan to meet out expenditure on boarding, lodging and education of 50 mentally retarded children and 20 mentally retarded adult. The budget provision of ₹36.00 lakh and ₹ 26.03 lakh has been spent upto 31.12.2015.

viii) **Disability Rehabilitation Centres (DRCs):** Two Disability

Rehabilitation Centres have been set up at Hamirpur and Dharamshala under NPRPD. These centres are being run through DRDA Hamirpur and Indian Red Cross Society Dharamshala respectively. During the year 2015-16 an amount of ₹15.00 lakh has been provided under the scheme.

Scheduled Caste Sub-Plan:

18.7 The Scheduled Castes in this Pradesh are not concentrated into specific regions but are widely dispersed and would be benefited equally as rest of the population. Accordingly, approach to economic development in the case of Scheduled Castes Sub-Plan is not area based as the case with the Tribal Sub-Plan. The district of Bilaspur, Kullu, Mandi, Solan, Shimla and Sirmour are the predominantly Scheduled Castes population districts where Scheduled Castes concentration is above the State average. These six districts taken together account for 61.09 percent of the Scheduled Castes population in the state.

18.8 For making Scheduled Castes Sub-Plan need based and effective the Single Line System for Plan formulation and monitoring has been introduced whereby funds are allocated to each district based on fixed parameters which are non-divertible from one district to another district and plans are prepared at district level for each district under the supervision of the Deputy Commissioner and in consultation with the Heads of the Districts/ Regional Offices of the implementing department.

18.9 The various programmes for the welfare of Scheduled Castes

are being implemented effectively. Although the Scheduled Castes communities are deriving benefits under the normal Plan as well as Tribal Sub-Plan, yet in order to provide special coverage under individual beneficiary programmes and development of infrastructure in Scheduled Castes concentrated villages, 25.19 percent of the total State Plan allocation is earmarked for Scheduled Castes Sub-Plan. The main emphasis of the State Government is to identify more and more realistic schemes, which may generate sizeable income and employment for the Scheduled Castes families.

18.10 A separate Sub Major Head "789" has been created for Scheduled Caste Sub-Plan and a separate demand (Demand No. 32) has also been created. Such an arrangement is very helpful in diverting funds from one scheme to another in the same major head and from one major head to another to ensure 100 percent expenditure under SCSP. During the year 2015-16 there was an outlay of ₹ 1,220.14 crore out of which ₹453.99 crore were spent up to 30.09.2015 under Scheduled Caste Sub-Plan and ₹1,309.88 crore has been proposed for the Annual Plan 2016-17.

18.11 The District Level Review & Implementation Committee has been constituted at district level under the Chairmanship of Minister of the district and Deputy Commissioner as its Vice-Chairman. The Chairman of the Zila Parishad and all the Chairpersons of BDCs alongwith other prominent local persons have been nominated as non-official members and all district level officers concerned with SCSP as official members to review, formulation and implementation of Scheduled Castes Sub-Plan. The Secretary

(SJ&E) holds quarterly review meeting with the departments at the State level. Besides this, a High Powered Coordination and Review Committee has been constituted under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister, which also review the performance of Scheduled Castes Sub-Plan.

Point No. 10(a) of 20 Point Programme

18.12 There are 95,772 SC families in the State who have been found to be living below poverty line according to the survey conducted by the Rural Development department during the year 2007. During the year 2015-16 against the target of 9,104 SCs families to assist 7,466 S.Cs. families have been benefited upto 30.09.2015.

CHILD WELFARE

18.13

a) Mukhymantri Bal Udhar Yojna
With a view to look after the orphans, semi-orphans and destitute children, the department is providing grant-in-aid for running and maintenance of Bal /Balika Ashrams at Sarahan, Sunni, Rockwood, Durgapur (Shimla), Chilli (Tissa) Kalpa, Bharnal, Kalehi, Mehia, Dehar (Mandi) and Chamba being run by the voluntary organizations. The department is running Bal/ Balika Ashrams at Pragpur (Kangra), Tuti Kandi, Masli (Shimla), Smoorkalan (Una), Arki, Kalsuien, Sahoo (Chamba) Sundernagar (Mandi) Sujampur (Hamirpur) and Killar (Chamba). In these ashrams the inmates are provided free boarding and lodging facilities up to the age of 18 years and education upto 10+2 standard. Provision for

higher education, professional education, career guidance and job oriented vocational training and rehabilitation have been included in the scheme. Total capacity of these Ashrams/ Shisu girls to accommodate is 1,160 children and present strength is 614. A budget provision of ₹359.30 lakh has been made for the current financial year for this scheme and ₹189.70 lakh have been spent upto December, 2015. A Model Home for girls with the cost of ₹616.82 lakh is being constructed at Mashobra and an observation home with the cost of ₹204.23 lakh is under construction at Hiranagar (Tutu, Shimla)

b) Bal/Balika Surksha Yojna

Under this scheme the foster family recommended by the child welfare committees, assistance is provided to desirous couples who are bonafide residents of Himachal Pradesh, total age of the couple is not above 105 years and their monthly income is not less than ₹5,000 are given after having allowed ₹1,800.00 per child per month by Central Government the assistance under this scheme has been increased during the financial year 2015-16 and is now ₹2,300 per child per month. During the current financial year, upto 31.12.2015, 191 eligible children have been benefited by spending ₹26.36 lakh.

c) Integrated Child Protection Scheme

Integrated Child Protection Scheme is to contribute for the improvement in the well being of children in difficult circumstances, as well as to the

reduction of vulnerability to situations and actions that lead to abuse neglect exploitation, abandonment and separation children from parents. Two shelters have been set up at Baldeyan (Shimla) and Dharamshala for providing temporary shelter to the children. Further, for implementation of JJ Act in all Districts, Juvenile Justice Boards, Child Welfare Committees and District Level Advisory Boards have been set up in the State. Child Protection Units have been set up in the four districts i.e. Shimla, Mandi, Kangra and Chamba. Childline service bearing phone no. 1098 have been set up in the seven districts i.e. Shimla, Kullu, Kangra, Solan, Mandi, Chamba and Sirmaur under the scheme. To promote adoption in the country State Adoption Agency has been set up. During the current financial year the total allocation of budget from centre is ₹1,269.67 lakh out of which ₹816.49 lakh has been utilized upto 31.12.2015.

d) Integrated Child Development Services

Integrated Child Development Services" (ICDS) programme, is being implemented in all Developmental Blocks of the State through 78 ICDS projects. Services are being provided to children and pregnant/ lactating mothers through 18,385 Anganwari Centres and 537 Mini Anganwari Centres in the State. The department is providing Supplementary Nutrition, Nutrition and Health Education, Immunization, Health check-ups Referral Services and Non Formal Pre-School Education is

being implemented on 90:10 (Centre:State) basis. There is a budget provision of ₹19,978.00 lakh for the year 2015-16, out of which State Share is ₹1,978.00 lakh and Central Share is ₹18,000.00 lakh, an amount of ₹9,927.01 lakh has been spent upto November, 2015 out of which State Share is ₹ 794.29 lakh and Centre Share is ₹9,132.72 lakh. Monthly honorarium of ₹3,000, ₹1,500 and ₹2,250 has been fixed by the Government of India for Anganwari Workers, Helpers and Mini Anganwari Workers respectively. 10 percent of the honorarium is borne by the State Government and 90 percent by the Centre Government. State Government is also paying ₹450, ₹300 and ₹375 per month to Anganwari Worker, Anganwari Helper and Mini Anganwari Worker per month in addition to its 10 percent share.

e) **Supplementary Nutrition Programme (SNP)**

Under this programme, supplementary nutrition is provided in Anganwari Centres to children, pregnant / lactating mothers and BPL adolescent girls. The nutrition is provided for 300 days in a year. Rates has been fixed (per beneficiary per day) children ₹6, pregnant/ lactating mothers, adolescent girls ₹7, BPL adolescent girls ₹5 and severely mal-nourished children ₹9. Expenditure under this programme is borne by the Central and State Governments on 90:10 basis. During the current financial year 2015-16 there is a budget provision as state share of ₹2,999.00 lakh and ₹3,366.07 lakh have been received as Grant-in-aid from

Government of India and upto December, 2015, ₹3,740.08 lakh have been utilized under this scheme. 4,46,211 children, 1,01,386 pregnant/ lactating mothers 35,780 BPL adolescent girls have been benefited.

WOMEN WELFARE

18.14 Various schemes are being implemented for the welfare of women in the Pradesh. The major schemes are as under:-

a) **Woman State Home**

Mashobra: The main purpose of the scheme is to provide shelter, food, clothing, education and vocational training to the young girls, widows, deserted, destitute and women who are in moral danger. At present 34 women are living in State Home, Mashobra. During the year 2015-16, for safety and security of inmates boundary wall with the cost of ₹24.57 lakh has been constructed and CCTV cameras have also been installed in the institution. For the rehabilitation of such women after leaving State Home financial assistance upto ₹20,000 per woman is provided. In case of marriage, assistance of ₹25,000 also provided to women. During the year one inmate has been provided rehabilitation grant of ₹20,000 against the budget provision of ₹51.06 lakh during the year upto December, 2015 an amount of ₹31.90 lakh has been spent on running/maintenance of State Home.

b) **Mukhya Mantri Kanyadaan**

Yojna: Under this programme marriage grant of ₹25,000 is being given to the guardians of the destitute girls for their

marriages provided their annual income does not exceed ₹35,000. During 2015-16, a budget provision of ₹566.25 lakh has been kept for this purpose out of which an amount of ₹378.98 lakh has been spent and 1,516 beneficiaries were covered upto December, 2015.

c) **Self Employment assistance for Women:**

During the year 2015-16, under this scheme ₹5,000 from 19.12.2015 are provided to the women having annual income less than ₹35,000 for carrying income generating activities. A budget provision of ₹10.00 lakh has been made. 254 women have been benefited under the scheme and an amount of ₹6.35 lakh has been spent upto December, 2015.

d) **Widow Re-marriage Scheme:**

The main objective of the scheme is to help in rehabilitation of widow after re-marriage. Under this scheme an amount of ₹50,000 as grant, is provided to the couple. During the year 2015-16, a budget provision of ₹ 68.50 lakh is kept under this scheme against which ₹55.00 lakh has been given to 110 such couples upto December, 2015.

e) **Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna:**

The aim of this scheme is to provide assistance of ₹3,000 per child per annum to the destitute women belonging to the BPL families or having income less than ₹ 35,000 for the maintenance of their children till they attain the age of 18 years. The assistance will be provided only for two children. Budgetary Provision for this scheme for the year 2015-16 is ₹ 858.91 lakh, out of which ₹457.26 lakh has been utilized

upto December, 2015 and 21,214 children have been benefited.

f) **Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna:**

Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna is being implemented in Hamirpur district. Main objective of the scheme is to improve the health and nutrition status of pregnant and lactating women of 19 years & above and their young infants. The scheme also aims to provide partial compensation for the wage loss so that the women are not under compulsion to work till the last stage of pregnancy. This scheme was 100 percent central sponsored scheme upto financial year 2014-15 which is now revised in 90:10 ratio between Centre and State. Under this scheme monetary assistance of ₹6,000 per beneficiary is provided in two instalments i.e. first instalment during last trimester of pregnancy and second after 3 months of delivery. During current financial year, against available total amount of ₹298.20 lakh upto 31.12.2015 an amount of ₹ 295.17 lakh has been utilized and 5,832 women have been benefited.

g) **Mata Shabri Mahila Sashaktikaran Yojna:**

Main objective of this scheme is to provide relief from drudgery to women belonging to BPL families or those SC/ST families whose annual income is less than ₹35,000 by providing gas connections. Under the scheme, 50 percent subsidy, subject to a maximum of ₹1,300 is given to eligible women for purchase of gas connection. As per schematic norms every year 75,

SC/ST women in each assembly constituency should be benefited and total 5,100 women in the State are benefited. For the year 2015-16 there is a budget provision of ₹66.00 lakh. An amount of ₹65.98 lakh have been spent upto December, 2015 for 2,484 gas connections have been sanctioned.

h) Vishesh Mahila Utthan Yojna: State Government has started Vishesh Mahila Utthan Yojna as 100 percent State Plan Scheme for training and rehabilitation of women in moral danger in the State. There is a provision to provide stipend ₹3,000 per month per trainee through the department of Women and Child Development. In the current year, there is a budget provision of ₹74.00 lakh, and 240 women/girls are under going training in different trades in 13 ITIs.

i) Financial Assistance and Support Services to Victims of Rape Scheme 2012: This scheme has been notified on 22.09.2012 as 100 percent State Plan Scheme. The scheme aims to provide financial assistance and support services such as counselling, medical aid, legal assistance, education and vocational training depending upon the needs of rape victims. An affected woman shall be entitled to financial assistance and restorative support/ services adding upto a maximum amount of ₹75,000. Additional assistance of ₹25,000 can also be given in special cases i.e. in case of rape of minors. During the current financial year 2015-16, there is a budget

provision of ₹66.00 lakh, and upto December, 2015, 30 women have been benefited.

j) Beti Bachao Beti Padhao scheme: This scheme has been launched on 22.1.2015 in 100 districts of India with the objective of preventing gender biased sex selective elimination, ensuring survival, protection and education of the girl child. This scheme is an initiative to arrest and reverse (improve) the decline in child sex ratio. In the State this scheme is implemented in Una district where child sex ratio was reported lowest. Through this process, efforts are made to create awareness among masses about the adverse effects of declining sex ratio. During current financial year, an amount of ₹89.50 lakh is available under the scheme for conducting various awareness generation activities.

Beti Hai Anmol Yojna

18.15 With a view to change negative family and community attitude towards the girl child at birth and to improve enrolment and retention of girl children in schools, Beti Hai Anmol scheme is being implemented in the State w.e.f. 05.07.2010. Under this scheme Post Birth Grant of ₹10,000 is provided to two girls only belonging to BPL families and scholarships are provided from 1st class to 10+2 classes for their children. The State Government has made 50 percent increase in scholarship rates w.e.f. 23.07.2015. New rates of scholarships ranging from ₹450 to ₹2250 per annum. For the year 2015-16 there is a budget provision of ₹946.65 lakh, and an amount of ₹518.70 lakh has been spent

upto 31.12. 2015 and 16,111 girls have been benefited.

Kishori Shakti Yojna

18.16 Kishori Shakti Yojna (KSY) is a central sponsored scheme for empowerment of the Adolescent Girls (AGs) in the age group of 11-18 years. The main objectives of the scheme are to improve their nutrition and health status, spread awareness among them about health, hygiene, nutrition Adolescent Reproductive and Sexual Health (ARSH) and family and child care, upgrade their home - based skills, life skills and vocational skills. The scheme was 100 percent central sponsored scheme upto financial year 2014-15 which has been revised to 90:10 between the centre and the state from current financial year 2015-16. The scheme is functioning in 8 Districts of the state viz. Shimla, Sirmour, Kinnaur, Mandi, Hamirpur, Bilaspur, Una and Lahaul&Spiti. As per schematic norms there is a provision of ₹1.10 lakh per project per annum under non nutrition component of the scheme. During the current financial year ₹14.36 lakh have been utilized upto December, 2015. Under the scheme 35,258 BPL adolescent girls have been provided supplementary nutrition, 436 vocational trainings and to 1,04,888 Nutrition and Health Education.

Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls:

18.17 Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)-SABLA is a central sponsored scheme for empowerment

of the Adolescent Girls (AGs from the age 11-18). The main objectives of the Scheme are to improve their nutrition and health status, spread awareness among them about health, hygiene, nutrition Adolescent Reproductive and Sexual Health (ARSH), and family and child care, upgrade their home- based skills, life skills and vocational skills. The cost sharing ratio of nutrition component of the scheme was 50:50 and non-nutrition component was 100 percent central share upto financial year 2014-15 which has been revised to 90:10 between the Centre and the State from current financial year 2015-16. The scheme is functioning in 4 Districts of the state viz. Solan, Kullu, Kangra and Chamba. Nutrition and Non Nutrition are two major components of the scheme. Under Non Nutrition component there is a provision of ₹ 3.80 lakh per project per annum. Under Nutrition component Supplementary Nutrition ₹ 5 per day per Adolescent Girl is being provided for 300 days in a year. Under non-nutrition component during the year 2015-16, total available amount ₹84.72 lakh and an amount of ₹44.80 lakh has been utilized. Under nutrition component ₹741.62 lakh has been spent upto December, 2015. During this financial year upto 31.12.2015 under supplementary nutrition to 1,02,673, health and nutrition education to 1,45,136, vocational training to 247, counselling/guidance on family welfare, ARSH and child care practice to 1,14,483, life skill education to 11,243 and guidance on accessing public services are provided to adolescent girls. 2,409 adolescent girls have been benefited under the scheme.

19. RURAL DEVELOPMENT

RURAL DEVELOPMENT

19.1 The main objective of the Rural Development Department is the implementation of poverty alleviation, employment generation and area development programmes in the rural areas of the State. The following State and Centrally sponsored developmental schemes and programmes are being implemented in the state.

NATIONAL RURAL LIVELIHOOD MISSION (NRLM)

19.2 The Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) has been replaced by the National Rural Livelihood Mission (NRLM) w.e.f 1.4.2013 which is being implemented in a phased manner in 5 Blocks/ districts of the State. The identified Blocks are Kandaghat, Basantpur, Mandi Sadar, Nurpur and Haroli as pilot blocks in 1st Phase. Apart from above under NRLM for generation of Self Employment activities like Credit mobilization formation of women SHGs, Capacity Building and Institution Buildings are proposed for implementation. For the current financial year annual action plan for ₹4.87 crore has been approved by the Government of India for implementation of aforesaid activities. Total 2,010 women SHGs are proposed for assistance by providing credit of ₹ 30.00 crore.

Under NRLM 2 Districts Viz Shimla and Mandi have been undertaken for the implementation of additional interest subvention where Interest applicable on credit disbursed to Women Self Help Group (WSHG)

would be 4 percent and in rest of the 10 Districts rate of interest on credit mobilization has been fixed 7 percent per annum. But, the aforesaid interest rates would be applicable only to those WSHGs who are prompt in repayment of loans within the fixed timeline.

Under NRLM (Aajeevika Skills) total 17 Skill development Projects have been approved by the Government of India in the E.C's. Total cost of these projects is ₹166.49 crore to be borne by Centre and State Government on 75:25 cost sharing basis. Under these projects total 49,537 rural youth would be trained in various trades and 40,170 youth would be given placement over a period of 3 years after receipt of funds from Government of India.

The district-wise Physical & Financial targets and Achievement made under NRLM upto 31.12.2015 is as under:-

Table 19.1

District	Physical (SHG Bank Linkage)		Financial (₹ in lakh)	
	Target of SHG	Achievement	Credit Target	Credit Mobilized
Bilaspur	100	79	150	67.20
Chamba	230	163	360	89.30
Hamirpur	125	94	160	109.76
Kangra	310	257	500	363.85
Kinnaur	15	12	30	8.80
Kullu	70	90	90	70.20
L&Spiti	15	15	30	4.50
Mandi	540	617	780	635.94
Shimla	310	290	480	274.76
Sirmaur	75	68	110	52.70
Solan	110	103	160	63.28
Una	110	158	150	99.20
H.P.	2010	1946	3000	1839.29

Watershed Development Programme

19.3 With the objectives to develop wastelands/degraded lands,

drought prone and desert area, the department is implementing Integrated Wasteland Development Programme (IWDP), Draught Prone Area Programme (DPAP) and Desert Development Programme (DDP) and Integrated Watershed Management Programme (IWMP) in the state as per guidelines of Government of India. Since inception of the programme, The Government of India, Ministry of Rural Development has sanctioned 67 projects (869 Micro Watersheds) with a total cost of ₹254.12 crore for the treatment of 4,52,311 hectare of land under IWDP, 412 Micro Watersheds with a total cost of ₹116.50 crore for the treatment of 2,05,833 hectare of land under DPAP and 552 Micro Watersheds Projects with a cost of ₹159.20 crore for the treatment of 2,36,770 hectare of land under DDP. The expenditure under IWDP is ₹245.22 crore, DPAP is ₹113.96 crore and under DDP is ₹112.40 crore upto December, 2015 Under Integrated Watershed Management Programme (IWMP) the Government of India has sanctioned 163 projects during 2009-10 to 2014-15 with a total cost of ₹1,259.96 crore for treatment of 8,39,972 hectare rainfed area in all districts of the State and funds to the tune of ₹197.01 crore (i.e 90 percent Gol & 10 percent State Govt.) has been released to the concerned Districts and out of which ₹193.63 crore has been utilized upto December, 2015.

Indira Awas Yojana

19.4 Indira Awas Yojana is a centrally sponsored scheme. Under this scheme, an assistance of ₹75,000 per beneficiary is given to BPL families for the construction of new houses. The selection of beneficiaries is being done by Gram Sabha. The Central and State Governments are financing this scheme

on 90:10 sharing basis w.e.f. 1.04.2015 During the year 2015-16, (upto December, 2015), against a target of construction of 2,635, total 2,128 houses have been sanctioned which are under construction and out of which 165 houses completed upto 2.01.2016. An amount of ₹2.11 crore has been spent under this scheme upto December, 2015.

Matri Shakti Bima Yojana

19.5 This scheme covers all women living below the poverty line within the age group of 10-75 years. The policy provides relief to family members/insured women in case of their death or disablement arising due to any kind of accident, surgical operations like sterilization, mishap at the time of child birth/delivery drowning, washing away in floods, landslide, insect bite and the scheme also gives benefit to married women in case of accidental death of her husband. The compensation amount under the scheme is as under:

- i) Death ₹ 1.00 lakh
- ii) Permanent total disability ₹1.00 lakh.
- iii) Loss of one limb and one eyes or both eyes or both limbs ₹1.00 lakh.
- iv) Loss of one limb/one ear ₹0.50 lakh.
- v) In case of death of husband ₹1.00 lakh.

During the year 2015-16 (upto December, 2015), 118 families have been assisted and financial assistance to the tune of ₹117.50 lakh has been provided.

Rajiv Awas Yojana

19.6 The scheme is being implemented on the pattern of Indira Awas Yojana. Under this scheme

financial assistance of ₹75,000 is provided to the eligible poor family approved by the Gram Sabha. Upto December, 2015 against the target of construction of 2,333 new houses, total 1,280 houses have been sanctioned and out of which 503 houses completed. During the year 2015-16, upto December, 2015, an amount of ₹269.49 lakh has been spent under this scheme.

Swachh Bharat Mission (Gramin)

19.7 The Swachh Bharat Mission (Gramin) was launched by the Gol on 2.10.2014 and it has also been decided to implement this programme in a mission mode to achieve the goal of Swachh Bharat by 2019.

The main feature of the restructured Programme is enhanced incentive of ₹ 12000 per individual Household Latrine (IHHL) beneficiary w.e.f. 2.10.2014 to the left out BPL & APL(identified) categories whereas under the previous programme (NBA) the incentive was of ₹5100 per beneficiary. Under the SBM (G) the Solid and Liquid Waste Management will be implemented in a project mode for which each Gram Panchayat will get an amount upto ₹7.00, ₹12.00, ₹15.00, and ₹20.00 lakh on the basis of households upto 150, 300, 500 and above 500 in the Gram Panchayat respectively.

This scheme is being implemented in all the 12 districts of the State in project mode and presently Himachal Pradesh is considered as a leading State in the field of sanitation.

The Financial and Physical Progress made as on 31.12.2015 under

the existing approved NBA projects are given below:-

Financial Progress Table 19.2

(₹ in lakh)

	Total Outlay (Share)	Released amount 1-4-2012 onwards	Expenditure 1-4-2012 onwards
Centre	60195.67	18170.24	11724.46
State	23185.98	5990.22	2678.15
Beneficiary	1874.03	134.41	134.41
Total	85255.68	24294.87	14537.02

Physical Progress Table 19.3

Component	Objective Set w.e.f. 1-4-2012	Performance	Remarks
IHHL (APL +BPL) Individual Household Latrine	202746- NBA (BPL- 26829, APL- 175917)	113145	-
School Toilets	6130	2035	Component shifted to the education and WCD Department under SBM (G)
Anganwari Toilets	1997	1109	
Community Sanitary Complexes	1593	490	-
SLWM	3243 GPS	Implementation will be in phased manner. 477 GPs have been identified for the year 2014-15	
ODF GPs	3243	1583 GPs have been declared themselves ODF and the verification process as per GOI norms is being carried out to certify such status	

Year wise progress

Financial Progress Table 19.4

(₹ in lakh)

Year	Centre		State	
	Release	Expdt.	Release	Expdt.
2012-13	1666.96	1659.06	501.63	557.86
2013-14	3049.74	2261.76	1091.62	783.10
2014-15	13016.73	3057.18	2155.01	681.74
2015-16	436.81	4746.46	2241.96	655.45
(upto 31.12.15)				

Physical Progress Table 19.5

Year	IHHL (BPL+APL)	School Toilet	Angan wari Toilet	Sant. Comp.
2012-13	No achievement due to non finalization of IHHL targets	1215	1066	163
2013-14	9170	638	38	148
2014-15	54265	182	5	82
2015-16	49710	Components		97
Upto 31 12-15		shifted to Education &WCD Deptt		

Mahila- Mandal Protsahan Yojna

19.8 In order to encourage the Mahila Mandals in Sanitation activities, the Mahila Mandals Protsahan Yojana of the Department has been fully integrated with the sanitation campaign in the State. As per the existing guidelines of the Schemes, Mahila Mandals which have made efforts in achieving the Open Defecation free (ODF) status and its sustainability in their village shall be rewarded. For the year 2015-16 an amount of ₹131.04 lakh has been provided as reward money under the scheme.

State Reward Schemes:-

Maharishi Valmiki Sampooran Swachhata Puruskar (MVSSP)

19.9 To boost the sanitation campaign in the State a State Reward Scheme i.e. Maharishi Valmiki Sampooran Swachhata Puruskar was launched by the State Government in the year 2007-08 under which cleanest Gram Panchayats in each Block/District/Division and State level are being rewarded. The award pattern under this scheme is as under:

1. One cleanest GP at Block Level ₹1.00 lakh
2. Cleanest GP shall be awarded at district level ₹3.00 lakh
 - a) One award for district with less than 300GPs
 - b) Two award for district with more than 300GPs
3. One cleanest Panchayat at Division Level ₹5.00 lakh
4. One cleanest Panchayat at State Level ₹10.00 lakh

The total annual award money under the scheme is ₹148.00 lakh.

School Sanitation Reward Scheme.

19.10 The Government of Himachal Pradesh has launched State Sanitation Reward scheme under School Sanitation during December, 2009. Under which cleanest Government Primary and Middle Schools are rewarded at District and Block level. During the year 2011-12 High/ Higher Secondary schools are also included in

the scheme. This competition based scheme will take place from February to 15th April every year.

- The First Prize for cleanest Primary, Middle, High/Higher Secondary School at district level would comprise of a certificate of appreciation and a cash prize of ₹50,000
- First Prize at Block level would be ₹20,000 alongwith a certificate of appreciation.
- Second Prize (only at Block level) would comprise of ₹10,000.

The total prize money under this scheme is ₹88.20 lakh.

Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme(MGNREGS):

19.11 The Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was notified by the Government of

India on September, 2005 and was made effective w.e.f. 2nd February, 2006. In the 1st Phase, the Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGAS) was introduced in District Chamba and Sirmaur. In second phase MNREGAS was started in District Kangra and Mandi w.e.f. 1.04.2007. Now in the third phase all the remaining 8 district of the State have been covered under the scheme w.e.f. 1.04.2008.

During the year 2015-16 Central share amounting to ₹35,110.49 lakh and State Share amounting to ₹3,657.47 lakh have been credited in the State Employment Guarantee Fund account. The fund amounting to ₹36,329.65 lakh have been utilized and 147.78 lakh Mandays have been generated by providing Employment to 3,76,265 households.

20. HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

Housing

20.1 Ministry of Housing, Government of Himachal Pradesh through Housing & Urban Development Authority (HIMUDA) is constructing Houses, Flats and developing plots of various categories, so as to meet the housing demand of the people of various income groups.

20.2 There is an outlay of ₹13,384.05 lakh for the current financial year 2015-16 and an expenditure of Rs.7,076.32 lakh was incurred upto December,2015. During this year 64 flats were constructed and 155 plots were developed.

20.3 During 2015-16 HIMUDA has completed 40 buildings under deposit works. HIMUDA is executing deposit works of various department such as Social Justice and Empowerment, Prison, Police, Youth Services and Sports, Animal Husbandry, Education, Fisheries, I.T. Departments, Himachal Pradesh Bus stands Management & Development Authority, Urban Local Bodies, Panchayati Raj, and Department of Ayurveda. For the financial year 2016-17 for construction of 122 flats and developing 145 plots and also targeted completion of 75 buildings upto March,2017.

20.4 Construction work of Housing colonies at Theog, Flowerdale, Sanjauli, Mandhala Parwanoo, Jurja (Nahan) and Bhatolikhurd (Baddi) are in progress and the colonies at Chhabgroti, Flowerdale, and Parwanoo have been completed. At present HIMUDA has Land bank of 454.12 bighas at various places in Himachal Pradesh and process for land

acquisition in various places is also in progress.

20.5 New housing Schemes will be taken in hand in the financial year 2015-16 at Sheel (Solan), Batoli Khurd, Trilokpur (Nahan) and Commercial complex near petrol pump Vikas Nagar Shimla. Under JNNURM, HIMUDA is Constructed 176 flats (Ashiana-II) Urban BSUP at Dhalli Shimla and under IHSDP 72 flats at Hamirpur and 192 flats at Parwanoo and 128 flats at Nalagarh. Under UIDSSMT, HIMUDA has the executed the work for the construction of roads & paths and channelisation of Nallahs in Mandi town.

20.6 To reduce human interface in order to bring more transparency HIMUDA has moved towards the e-governance and has digitalised the record in Head office and installed the tally Enterprise Resource Planning (ERP) for accounting. Government of Himachal Pradesh had launched the scheme "Land Owners become Partners in Development with HIMUDA

Urban Development

20.7 Consequent upon the 74th Constitutional amendment, the rights, powers and activities of the urban local bodies have increased manifold. There are 54 urban local bodies including Shimla and Dharamshala Municipal Corporation. The Government is providing grant in-aid every year to these local bodies to enable them to provide civic amenities to the general public. As per the report of 4th State Finance Commission during the year 2015-16 a sum of ₹8,351.32 lakh has been released to

the ULBs. This includes developmental grant and gap filling grant between income and expenditure.

Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP):

20.8 In order to provide adequate shelter and basic infrastructure to the slum dwellers who do not possess adequate shelter and reside in dilapidated conditions in the identified urban areas, there is a provision for construction of a dwelling unit on 25 sq.metres area (two room accommodation plus kitchen and toilet) under IHSDP. The ceiling cost is ₹1.00 lakh per dwelling unit. This scheme is a part of JNNURM. Eight projects have been sanctioned for towns namely Hamirpur, Dharamshala, Solan, Parwanoo, Baddi, Nalagarh, Sundernagar and Sarkaghat. The total funds released under this scheme is ₹5,283.07 lakh (₹3,794.42 lakh as centre share & ₹1,488.65 lakh State share). 596 dwelling units have been constructed/ completed. There is a budget provision of ₹20.00 lakh during the financial year 2015-16, which will be spent before 31.03.2016.

Maintenance of Roads in Municipal Areas:

20.9 About 1,416Kms. roads/ paths/ streets and 1,139 Kms. drains are being maintained by 54 urban local bodies and ₹ 600.00 lakh has been provided in the budget for the financial year 2015-16 for maintenance of roads which stands released to the Urban local bodies in proportionate to length of roads/street/path being maintained by the urban local bodies.

National Urban Livelihood Mission (NULM)

20.10 The main objective of NULM is to reduce poverty among the

urban poor through the promotion of diversified and gainful self employment and skill wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihood on a sustainable basis, through building strong grass root lable institutions of the poor. In the first phase this scheme is being implemented in 10 district Headquarters in the state.

This scheme has following main components.

1. Employment through skill training and placement.
2. Social Mobilisation and Institution Development.
3. Capacity Building and Training.
4. Self Emioyment Programme.
5. Shelter for homeless.
6. Support to Urban street Vendors.
7. Innovative and special Projects.

A sum of ₹65.39 lakh has been provided as State share and ₹ 588.86 lakh has been allocated by Government of India as central share for the implementation of this scheme for the financial year 2015-16. So far 2,140 beneficiaries have been/being provided skill training and 250 provided placement under Employment through Skill Training Programme(ESTP) component. 570 SHGs (Self help Group) have been formed through Nehru Yuva Kendra (NYK) under SMID (Social Mobilization & Institutinal Development & 7 number proposals of shelter for urban Homeless approved and sanctioned. 10 city livelihood centres have been approved and are being established. The work for preparation of city street vending plans of 10 District Headquarter Towns have been awarded to M/S Haryana Navyuvak Kala Sangam (HNYKS).

Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT)

20.11 The Government of India has restructured IDSMT scheme and renamed as Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Town (UIDSSMT) w.e.f. year 2006-07. Under this scheme so far Government of India has sanctioned 18 projects relating to Water supply, Sewerage & Urban Infrastructure. Renewal sanctioned under the scheme covering 13 towns namely Dharamshala Hamirpur, Mandi, Sarkaghat, Rewalsar, Rampur, Nagrota, Kangra, Kullu, Manali, Parwanoo, Nalagarh & Baddi with a approved cost of ₹ 40,654.11 lakh out of which a sum of ₹ 21,455.47 lakh including state share stands released. During the financial year 2015-16, there is a budget provision of ₹ 5400.00 lakh as centre share and ₹695.00 lakh State share for the implementation of the scheme.

Rajiv Awas Yojna (RAY)

20.12 Rajiv Awas Yojna (RAY) for the slum dwellers and the urban poor envisages a 'Slum-free India' by encouraging States/Unions Territories to tackle the problem of slums in a definitive manner. It calls for a multi-pronged approach focusing on:-

- Bringing existing slums within the formal system and enabling them to avail of similar level of basic amenities as the rest of the town/city.
- Redressing the failures of the formal system that lie behind the creation of slums.
- Tackling the shortages of urban land and housing that keep shelter out-of-reach of the urban poor.

- Pilot Project for Krishna Nagar Slums amounting to ₹3,399.65 lakh has been approved by the Central Sanctioning & Monitoring committee (CSMC). Under the scheme 300 Dwelling Units (Beneficiary Houses 224+ Rental Houses 76) will be constructed in Krishna Nagar. A sum of ₹1,067.20 lakh stands released. The construction of children park is completed and the tender evaluation work of community, approach road and dwelling units is under process.

Pradhan Mantri Awas Yojna:

20.13 Under the scheme development projects and affordable housing projects with basic civic infrastructure like water, sanitation, sewerage, roads, electricity etc. for housing facility to poor people. The financial support will be given on 90:10 basis and in the first phase, State has nominated 13 towns under this scheme.

Central Finance Commission Grant

20.14 The Central Finance Commission has recommended two type of grants namely General basic grant and General performance grant. This grant is being released to ULB's, 60 percent on the basis of population and 40 percent on the basis of area. There is budget provision of ₹ 2,448.38 lakh during the financial year 2015-16 which stands released to the ULBs for providing civic amenities.

Sewerage Scheme:

20.15 There is a budget provision of ₹2,244.00 lakh in General plan and ₹756.00 lakh in SCSP for sewerage and its maintenance during the current financial year 2015-16 out of which ₹ 1,619.44 lakh in general

plan and ₹151.00 lakh in SCSP stands released to ULBs for further release to I & PH Department. Since this scheme is being executed by the I & PH Department therefore the funds drawn and placed at the disposal of the I & PH Department.

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)

20.16 AMRUT is a new centrally sponsored scheme. The components of the AMRUT consist of capacity building reform implementation, water supply, sewerage and septage management, storm water drainage, urban transport and development of green spaces and parks. One half of the project cost will be as grant for cities/towns with population up to 10 lakh. Shimla city has been included under the Mission. The State Annual Action Plan (SAAP) amounting to ₹158.82 crore has been approved by the Government of India and first instalment to the tune of ₹15.88 crore as Central share have been released by Govt.

Smart City Mission

20.17 The Smart City Mission is Centrally Sponsored Scheme (CSS) and one city Dharamshala has been selected under the Mission in the Stage-I competition. The Central Government has prepared to give financial support to the mission over five years on an average ₹100 crore per city per year. An equal amount on a matching basis will have to be contributed by the State/ULB. The selection of first top 20 cities will be made by the Government of India after stage-II competition.

Swachh Bharat Mission

20.18 This scheme was launched by the Hon'ble Prime

Minister of India on 2nd October 2014. The mission period of the scheme is 5 years i.e. upto 2nd October 2019. The following are the main components of this scheme:-

- Household toilets including conversion of insanitary latrines in to pour-flush latrines.
- Community toilets
- Public toilets
- Solid waste managements
- IEC & Public awareness
- Capacity building and Administrative & office Expenses (A&OE)

During the financial year 2015-16 an amount of ₹602.00 lakh has been released by the Government of India on account of funds of 2014-15 and the matching State share amounting to ₹66.89 lakh has also been released.

TOWN AND COUNTRY PLANNING:

20.19 To ensure functional, economical sustainable and aesthetical living environment through planned, equitable and regulated development ensuring balanced use of scarce land resources in view of demographic and socio-economic factors. Preservation of environment, heritage and rational use of precious land resources by their sustainable development through community participation the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act-1977 has been enforced in 33 Planning Areas (1.42 percent of the total geographical area of the State) and 34 special areas (1.27 percent of the total geographical Area of the state). Existing Land Use Maps/ Registers prepared for Narkanda Plaining Areas and Additional sarahan special areas Development Plan for Baddi-Barotiwala-Nalagarh special Area approved and notified by the

Government. The proposal of the work on regionalization of the state into various regions has been sent to the Government.

20.20 The projects of the 12th Five Year Plan i.e. 2012-17 are proposed to be targeted for the next Financial Year 2016-17 which includes constitution of Planning Areas, Special Areas, regions, preparation of Existing Land Use Maps and Development Plans and regional plans are as under:-

- i) Constitution of planning areas namely Additional Bilaspur.
- ii) Preparation of Existing Land Use Maps for Planning Areas namely Sangrah, Dhaulakuan Majra and Amb- Gagret.
- iii) Preparation of Development Plans for Shimla, Ghumarwin, Amb-Gagret, Nadaun, Sundernagar, Baijnath-Paprola, Dharamshala, Naggur, Manikaran, . . .Reckong. . Peo Hatkoti, Bir-Billing, Ner-chowk and Garli-Paragpur.

20.21 Work for preparation of Draft Development Plans for Hatkoti, Ghumarwin, Amb-Gagret, Nadaun, Sundernagar, Manikaran, Naggur, Baijnath-Paprola. Reckong Peo, Dharamshala and Bir -Billing

outsourced by the department. This will ensure that comprehensive strategy for the development of these Planning/Special Areas is prepared for the year 2035. Rural areas falling under various Planning Areas and having lesser growth potential excluded from the purview of the H.P. Town & Country Planning Act-1977. While entire kamand Planning Area has been de-notified, rural areas with lesser growth potential and falling under Nadaun Planning Area has been excluded from the respective Planning Area.

20.22 In Order to achieve the targets as stated above, funds to the tune of ₹1.19 lakh have been allocated in favour of this department during the current financial year 2015-16 out of which a sum of ₹37.92 lakh has been incurred upto 31.12.2015. Proposal for allowing Mixed Land Use has been approved by the State Government. TCP web portal has been developed in order to ensure accountability, transparency and efficiency and to improve the service delivery mechanism to general public in all Planning & Special Areas as well as in M.C.s in the State. This will also help remove corruption and red tapism.

21. PANCHAYATI RAJ

PANCHAYATI RAJ

21.1 At present there are 12 Zila Parishads, 78 Panchayat Samities and 3,226 Gram Panchayats constituted in this State. As per the provisions of the constitution of India the Panchayati Raj Institutions have been assigned certain powers, functions and responsibilities from time to time either by making provisions under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act or rules made there under or through executive instructions. Gram Sabhas have been vested with powers to select beneficiaries under various programmes. Gram Sabhas have been empowered to approve plans, programmes and budget prepared by Gram Panchayat and also to authorize issuance of utilization certificate of funds spent on the implementation of plans, projects and programmes of Gram Panchayat. Gram Panchayats have been empowered the authority in respect of appointing, Tailoring Mistress, Panchayat Chowkidar and Part-time Water Carriers in Primary schools. Panchayat Samities have been empowered to appoint Accountants, Zila Parishads have been empowered to appoint Assistant Engineers, Panchayat Sahayaks, Personal Assistant and Junior Engineers.

21.2 The ownership and maintenance of primary school buildings has been transferred to Gram Panchayats. Gram Panchayats have been empowered to collect the land revenue from the land owner right holders and will use the collected land revenue at their own level. Gram Panchayats have been empowered to

impose various taxes, fees and fines and also to borrow money / raise loans for creation of income generating assets. Before, grant of any lease for mining of minerals, a resolution from the concerned Panchayat has been made compulsory. Panchayats have been empowered to prepare plans. Gram Panchayats have been also authorized to grant permission for erection of mobile communication tower and to levy fee. Gram Panchayats have been empowered to hear and decide the application for maintenance under section 125 of the Cr.P.C.1973 and can grant a maintenance allowance not exceeding to ₹ 500.00 per month. Cess of ₹1.00 per bottle of liquor sold in the rural area will be collected and transferred to the Gram Panchayat for utilization in the developmental activities.

21.3 It has been made mandatory that village level functionaries of Agriculture, Animal Husbandry, Primary Education, Forest, Health and Family Welfare, Horticulture, Irrigation and Public Health, Revenue and Welfare Departments shall attend the meetings of the Gram Sabha in whose jurisdiction they are posted and if such village level functionaries fail to attend the meetings Gram Sabha shall report the matter to their controlling officer through the Gram Panchayat who shall take disciplinary action against such functionaries within one month from the date of receipt of the report and shall intimate the action taken on such report to the Gram Sabha through the Gram Panchayat.

21.4 The important functions delegated to Panchayati Raj are as under:-

- i) Pradhans of Gram Panchayats have been appointed as Forest Officers to carry out the purposes of rule 11 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routs) Rules, 1978 for the issuance of pass for transport of Minor Forest Produce collected from the Forest in respect of 37 items.
- ii) The State Government is providing honorarium of the elected representatives of Panchayati Raj Institutions. The rate of monthly honorarium to Chairman & Vice-Chairman of the Zila Parishad is ₹6,500 and ₹4,500 Chairman & vice-Chairman of Panchayat Samiti is ₹3,500 and ₹2,400 and Pradhan & Up-Pradhan of Gram Panchayat ₹2,100 & ₹1,800 respectively. In addition, to this member, Zila Parishad ₹2,400 Member, Panchayat Samiti ₹2,100 and Members of Gram Panchayat ₹200 as sitting fee subject to the maximum for two sittings in a month.
- iii) The Government is providing grant-in-aid to PRIs for meeting the expenditure on Travelling and Daily Allowances of the elected representative of PRIs while they are on official tour.
- iv) The State Government has provided facility of staying in Government rest houses while they are on official tour to the office bearers of Zila Parishad and Panchayat Samities.
- v) ₹1,850 per Chowkidar Gram Panchayat is provided to all the 3,226 Gram Panchayat in the

shape of Grant-in-aid under State Finance Commission.

- vi) 14th Finance Commission period has been started from the financial year 2015-16. An amount of ₹195.39 crore has been proposed to release to the State Government by the Finance Commission during the financial year 2015-16. Out of which ₹97.70 crore has been received as 1st instalment general basic grant under 14th Finance Commission.
- vii) The rates of monthly remuneration of the Employees working on contract/ Regular basis in the Panchayat are as:- Panchayat Sahayak ₹7,000 Panchayat Secretary (Contractual) ₹7,810 Junior Accountant (Contractual) ₹7,810 (Regular) 5,910-20,200 + 1,900(GP), Junior Engineer (Contractual) ₹14,100 (Regular) 10,300-34,800+3,800(GP). Junior Stenographer (Contractual) ₹8,710 (Regular) ₹5,910-20,200+ 2,800(GP). Assistant Engineer (Contractual) ₹ 21,000 (Regular) ₹15,660-39,100 +5,400(GP), Tailoring Teacher (Contractual) ₹2,000 Block Engineer ₹18,000 Panchayat Chowkidar ₹2,000 respectively.
- viii) Ministry of Panchyati Raj, Government of India has approved ₹13.13 crores under Rajiv Gandhi Panchyat Sashaktikaran Abmiyan (RGPSA) scheme during the annual plan 2015-16 including 5.77 crore for training newly elected representatives of the Panchyati Raj Institutions ₹50.00 lakh have also been approved for upgradation of Panchayati Raj Training Institute Thunag.
- ix) Under Mission Mode Project (e-Panchayat Project) of the

Government of India, 7 software applications out of proposed 12 core software applications have already been rolled out in the PRIs. The training to the officials of the Panchayats/ departments on

these applications has been organized in the Panchayati Raj training institute Mashobra. The Panchayati Raj institutions have already started using these software applications.

22. INFORMATION AND SCIENCE TECHNOLOGY

Information and Technology HIMSWAN

22.1 Under National e-Governance Plan (NeGP), Department of Information Technology, Himachal Pradesh (DITHP) created secure network called HIMSWAN (Himachal State Wide Area Network). The HIMSWAN provides secured network connectivity to all the State Government Departments till block level and used to provide various efficient electronic delivery of G2G (Government to Government), G2C (Government to Citizens) and G2B (Government to Business) services. The Department of Electronics & Information Technology (DeitY), Government of India funded this project for initial period of six years. HIMSWAN was set-up on 5.02.2008 and thus DeitY, Gol funding period got over in the year 2014. Now the State Government has to bear the cost of operation and maintenance of this project.

HIMSWAN project was designed and implemented in the year 2007-2008 using three tier architecture. Now a days, more cost effective technologies are in place. Therefore, the State IT Department decided to use MPLS (Multiprotocol Label Switching)/ VPNoBB (Virtual private Network over Broadband) and thereby shifting from three tier architecture to more manageable single tier architecture. All the offices would now be connected directly to SHQ-NOC. The following achievements have been made during the year:-

- 1,761 Government Offices across the State are connected through HIMSWAN network.

- M/s Orange Business Services is appointed as HIMSWAN Operator for period of 3 years to HIMSWAN SHQ POP. M/s Orange Business Services started HIMSWAN operation from 1.09.2014.
- M/s KPMG is appointed as HIMSWAN Third Party Auditor (TPA) for period of 3 years for monitoring the Service Levels being adhered to by HIMSWAN Operator. TPA started its services from 18.07.2014.
- Migration of offices to newer architecture is in process, till date 818 offices have been migrated.

Himachal Pradesh State Data Centre (HPSDC)

22.2 Under National e-Governance Plan (NeGP), Department of Information Technology, Himachal Pradesh (DITHP) is in the process of setting up of Himachal Pradesh State Data Centre (HPSDC) to host IT applications of various Government Departments for the benefits of citizens to provide efficient electronic delivery of G2C (Government to Citizens), G2G (Government to Government) and G2B (Government to Business) services and to create common infrastructure for State Government Offices which include (Computing devices-servers in shared mode, storage, network devices, electrical, air conditioning, network connectivity, UPS, Rack etc.), installation and integration of IT infrastructure (servers, telecom equipment, integrated portal/ departmental information system, Enterprise and network management

system, security, firewalls/ IDS, networking components etc.), software and data bases. Department of Electronics & Information Technology (DeitY), Government of India (GoI) is supporting the cost of establishment, operation and maintenance of State Data Centre for a period of five years. The following achievements have been made during the year:-

- Building of HPSDC has been constructed at Mehali, Shimla by HIMUDA.
- M/s Orange Business Services is the implementing agency for first set up the data centre and then maintain the same for period of 5 years from the date of commissioning of the project. M/s Orange Business Services started implementation work from 26.05.2014.
- Installation of DG set & transformer-complete.
- Installation of IT equipment is complete. Now configuration is in progress.
- M/s E&Y HPSDC is the Third Party Auditor (TPA) for HPSDC project and appointed for period of 5 Years for monitoring the Service Levels being adhered to by HPSDC Operator i.e M/s Orange Business Services TPA started services from 24.09.2014.

Setting up of Lok Mitra Kendra

22.3 The scheme aims to establish 3,366 LMKs (CSC) at Gram Panchayat level in the State and to act as front end delivery points for Government, Private and Social Sector Services to rural citizens at their door steps, in an integrated manner using Information & Communication Technology (ICT) as tools. The LMKs are acting as front end delivery points

for delivery of G2C services to the citizen of the State at Gram Panchayat Level. State Government is also implementing e-District Project and 51 services are to be rolled out through e-District MMP and delivery of these services would also be made available at LMKs. The following achievements have been made during the year:-

Presently about 2,301 CSCs have been set up out of total 3,366 and 2,060 LMKs are active and providing G2C services such as:-

- 1) Collection of HPSEB electricity bill.
- 2) IPH water bill.
- 3) Issuance of copy of Nakal Jamabandi, (Land Records).
- 4) HRTC Bus Ticket Booking etc.
- 5) e-Aadhar printing
- 6) Updation of demographic details in Aadhaar
- 7) Permanent Enrolment Centres (PECs) for enrolling new Aadhaar number (50 PECs are being set up at block level. As on date 32 are made operational. For remaining necessary hardware is being procured.
- 8) MC Shimla water Bill collection
- 9) MC Shimla House Tax collection
- 10) Jail Varta-Prisoner relative video conferencing system
- 11) Farmer portal- registration, Feedback

State Portal and State Service Delivery Gateway

22.4 The Service delivery gateway is the core component in e-Governance infrastructure under the NeGP, which provides the facility for the citizens to apply online for various Government services and route the applications to concerned department offices electronically. 49 services of the 14 departments have been identified to

be made available through the portal. The Portal and e-forms with the work flow for each of the service have been finalised and developed system has been implemented. The following achievements have been made during the year :-

Currently 36 G2C services of 11 State Government Departments has been made available to the citizens on the State Portal at www.eserviceshp.gov.in.

Capacity Building under NeGP

22.5 Under the Capacity Building scheme of Government of India, there are different components like training of Government employees, sourcing of technical and professional manpower for assisting the State Government in implementation of various e-Governance Projects.

1. Four STeP Programme was organized by the department in association with NISG on e-governance Project Life Cycle Change Management & Project Management to formulate technical support and specialized skills for e-governance to State level Policy & decision making bodies. Formation of DeGS Society completed for all 12 Districts.
2. Till date 2,323 employees has been trained under capacity building project.
3. Under SeMT, 1 financial procurement consultant resources has been deployed through NISG.

Revenue Court Case Monitoring System (RCMS)

22.6 Revenue Court Case Monitoring System has been developed

by the Department of Information Technology for the use of Revenue Courts at Division, District, SDM & Tehsil level. System captures the routine proceedings of revenue courts, interim orders and Judgments. The details of the revenue cases are available online for the general public. The citizens can access the status of their cases online, see cause list and download interim orders/ judgments. The following achievements have been made during the year:-

1. RCMS project got national level CSI-Nihilent e-Governance Awards for year 2014 for recognizing e-Government Initiatives in India.
2. 242 Revenue Courts are using RCMS software.
3. 61,267 court cases has been entered in the RCMS and out of 26,710 cases are decided.

Litigation Monitoring System

22.7 Monitoring of court cases at departmental level is a big challenge. Departmental of IT has got developed a generic software for monitoring of court cases at the departmental level. Using this software, Secretaries/HoDs can easily monitor the status of the court case with regard to pending cases timely reply filling, present status, personal presence required etc. The following achievements have been made during the year:-

1. All Government Departments are using LMS for viewing the daily status of their cases.
2. The IT Department also has prepared module for integration of LMS software with Court MIS software of Hon'ble High Court Website using which the departments can view/ download

Court Orders through LMS software only.

3. In LMS as on dated 52,193 cases are pending.

Following features have been incorporated in LMS software:

- Sending intimation to Ads/HODs/ Nodal Officers of the concerned Department via e-mail, SMS.
- Automatic generation of letters while entering the case details of concerned department.
- Deletion/ transfer of cases option has been incorporated in the software.

Unique ID (Aadhaar)

22.8 Aadhaar program started in Himachal Pradesh in December, 2010 and since then the State Government has maintained a leading position in terms of Aadhaar generation. More than 70 lakh (96.52 percent) residents in the State have been enrolled. UID (Aadhaar Number) has been generated for more than 67.77 lakh (93.41 percent) residents as per population of 2015. 114 Aadhaar Permanent Enrolment center has been set up by Department of Information Technology. Population in the state 5-18 age group will be covered through establishing the enrolment camps in schools and colleges. In addition 50 new PECs are being set up in the state. To cover the population under the age group 0-5 year for 450 tablets are procured and same are being used by Anganbadi Workers to enroll the children currently in four districts of Himachal Pradesh.

Use of Aadhaar :

- SRDH (State Resident Data Hub) infrastructure is live, providing support to various departments in Aadhaar Seeding.

- Aadhaar seeding in PDS data base is 78.40 percent, MGNREGA is 96.18 percent, Education is 99.58 percent and NSAP is 76.71 percent LPG is 93.12 percent.
- DBT (Direct Benefit Transfer) of ₹254.00 crore has been distributed.
- Himachal is a first state to start DBT in MGNREGA.
- Aadhaar based biometric attendance system is live in TCP (Town and Country Planning) Department, Department of Information Technology, Directorate of Woman and Child Development, Directorate of Prison and 5 ITI's one school in Shimla.

e-Office

22.9 e-Office is a product that is aimed at imparting the government functioning through more efficient, effective and transparent inter-government and intra-government transactions and processes. Following Departments are in process to implement e-office application:

- Department of Information Technology
- Department of Himachal Pradesh Police
- Himachal Pradesh Institute of Public Administration
- Department of Treasuries, Accounts and Lotteries
- Irrigation & Public Health Department
- HP State Civil Supply Corporation
- Department of Health & Family Welfare
- Directorate of Urban Development
- Directorate of Energy

- Department of Environment Science and Technology.
- Election department
- HP State social welfare Board.
- e-Office Solution has been configured for IT Department users .
- The proposal of NIC has been forwarded to FD for funding.

e-Peshi-Video Conferencing Facility in District Courts, Jails and other Governments of Himachal Pradesh

22.10 The facility would eliminate the need for taking prisoners to courts and will facilitate faster delivery of justice. The following achievements have been made during the year:-

- M/s Bharti Airtel is the implementing agency to supply & install the VC equipment in the State and maintain the same for period of 5 years from the date of commissioning of the project.
- M/s Bharti Airtel has been given order to supply and install 63 VC facility and all 63 VC facility has been delivered.
- Installation of VC facility in various locations is in progress, till date 60 VC facility has been commissioned.

e- District

22.11 e-District Project is a Mission Mode Project (MMP), that aims to provide integrated citizen centre services. It envisages integrated and seamless delivery of citizen services by district administration through automation of work flow, backend computerisation, and data digitisation across participating departments. It

further aims to integrate multiple applications, faster processing of public cases/ appeals/ grievances, dissemination of information as per public requirement and redesign the processes for the core services to be delivered through the Common Service Centers. Following activities have been completed under this project:

1. Formation of DeGS Society completed for all 12 Districts and e-District Managers deployed at all Districts
2. M/s Wipro Ltd has been appointed as SPMU (State Project Management Unit) consultant for e-District MMP.
3. M/s IL&FS Technologies Ltd. has been selected as SI (System Integrator) for implementation of State Wide roll-out of e-District MMP.
4. Business Process Re-engineering (BPR and To-Be) & Functional Requirement Specification (FRS) Change Building & Capacity Management Plan documents approved by State Apex committee.
5. Under e-District MMP 51 G2C services has been identified for rolled-out across the State in various Phases (Phase-i to Phase-III).
6. Hardware Delivery, Installation and Site preparation activity completed for 11 District of the State and this activity for pending 1 district would be completed very shortly.
7. e-District Application for 7 services have been rolled-out by Hon'ble CM of Himachal Pradesh during digital india week in 2.07.2015.
8. Integration of e-District Application with UIDAI (Aadhaar), SMS

Gateway, Payment Gateway is completed.


9. Data digitization of the legacy record of the participating departments (Rural Development & Panchayati Raj) is completed for more than 3,100 Panchayats where more than 10 lakh records are scanned.
10. Digitisation of records of services identified from WCD Department is almost complete where more than 32,550 records has been scanned.
11. Training provision under e-District scheme has been completed in 7 districts for more than 400 Govt. officials
12. 5 service from Labour & Employment Department has been rolled out under e-District project.

NeGP-A Project

22.12 The Department of Agriculture and Cooperation (DAC), Ministry of Agriculture is implementing National e-Governance Programme (NeGP) in the Agriculture sector as a Mission Mode Project (A-MMP), covering Agriculture Sector, Livestock Sector and Fisheries sector. 12 Cluster of services identified under this project. NeGP-A is proposed to be implemented across the country and

aims at offering Government to Citizen / Farmer (G2C or G2F), Government to Business (G2B) and Government to Government (G2G) agricultural services in an integrated manner through the Central Agriculture Portal (CAP) and State Agriculture Portals (SAPs). The following achievements have been made during the year:-

- Site preparation for 192 locations out of 193 locations Hardware installation ,Hardware verification, Acceptance Testing of hardware, verification and upload of Acceptance Testing Reports in hardware distribution system portal is complete.
- Data Digitisation RFQ has been prepared.
- Basic Computer Training to the officials has been completed.
- In Kissan SMS portal, all the users of the department have been registered for sending advisory SMS
- Approximately 7.50Lakh farmers get registered under Kissan portal.
- SMS are sent regularly to farmers
- NEGP-A application is under development by NIC.
- All the SRS's has been prepared.



PART – II

STATISTICAL TABLES

Units of measurement and symbols used in the brochure

Metric unit		Equivalent to old unit
One kilometre	..	0.62137 mile
One hectare	..	2.47105 acres
One litre	..	0.22102 gallon
One quintal	..	2.6792 maunds
One metric ton or tonne	..	0.98420 ton
One cubic metre	..	35.37319 cubic feet

Symbols used-

- Not available
- .. Nil or negligible
- P .. Provisional
- R .. Revised

CONTENTS

Tables	Page
Selected Indicators 1950-51 to 2014-15	1
Gross and Net State Domestic Product	2
Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product	3
Gross State Domestic Product at Factor cost at current prices	4
Gross State Domestic Product at Factor cost at Constant prices	5
Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product at constant prices	6
Salient Features of Population in Himachal Pradesh	7
District-wise Area, Population, Sex Ratio and Density of Population	7
Sex wise Rural- Urban Population-2011 Census	8
1. Production of Principal Crops	8
1. Consumption of Fertilizers in Terms of Nutrients	9
2. Area under High Yielding Variety Crops	9
3. District-wise Number and Area of Operational Holdings, 2010-11	10
4. Livestock and Poultry	10
5. Outturn and Value of Major & Minor Forest Produce	11
6. Area under Forests	11
7. Fair Price Shops	12
8. L.P.G. Consumer in H.P.	12
9. District-wise Petrol / Diesel Retail Outlets in H.P.	13
10. District-wise / Company-wise Detail of Gas Agencies	13
11. Co-operation	14
12. Generation and Consumption of Electricity	15
13. Area Under Fruits	16
14. Production of Fruits	16
15. Himachal Pradesh Government Employees	17
16. Tourist Arrival for the year 2015	17
17. Education	18
18. Medical and Public Health	18
19. Roads	19
20. Nationalized Road Transport	19
21. Consumer Price Index Numbers in H.P.	20
22. All-India Index Numbers of Wholesale Prices	21
23. Incidence of Crimes	21
24. Plan Outlays	22

TABLE – 1
SELECTED INDICATORS 1950-51 TO 2014-15

Items	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>ECONOMIC INDICATORS</u>												
GDP at factor cost:												
(i) At current prices (Rs. In Crore)	27.00*	48.00*	223.00*	794	2815.19	5661.18***	24077****	56980	72720*****	82294	92589	101108
(ii) At constant prices (₹ in Crore)	794**	1285.37**	5004.21***	24077****	39054	72720*****	77380	82866	89050
Per capita income at Current prices(Rupees)	240	359	651	1704	4910	22795***	33349****	68297	87721*****	98996	110209	119720
Constant prices(Rupees)	1704**	2241**	21959***	33349****	46682	87721*****	93499	98425	104838
<u>OUTPUT</u>												
(a) Foodgrains (Lakh tonnes)				11.58	14.33	11.12	14.88	14.94	15.44	15.41	15.85	16.74
(b) Fruit Production (Lakh tonnes)				1.40	3.86	4.28	6.92	10.28	3.73	5.56	8.66	7.52
(c) Electricity generated (Million units)	0.4	..	52.8	245.10	1262.4	1153	1295	2045	1906	1815	1951	2097
Wholesale Price Index (Base 2004-05=100)	100.0	143.3	156.1	167.6	177.6	181.3
Consumer Price Index (Base 2001=100)	100	113	163	175	193	213	225
<u>SOCIAL INDICATORS</u>												
Population												
Population(In lakhs)	11.09	28.12	34.6	42.81	51.17	60.78	63.54	67.67	69.01	69.71	70.42	
Annual Population Growth	0.54	1.79	2.30	2.37	2.07	1.75		1.28				
Education												
Literacy rate(Percentage)												
(a) Male	7.5	27.2	42.3	53.19	75.36	85.3		89.53				
(b) Female	2.9	6.2	20.04	31.46	52.13	67.4		75.93				
Total	4.8	17.1	31.32	42.48	63.86	76.5		82.80				

* Net State Domestic Product.

** At 1980-81 prices.

*** (At 1999-2000 prices)

**** (At 2004-05 prices)

***** (2011-12 onwards At 2011-12 prices)

Source:-Economics & Statistics Department.

TABLE - 2
GROSS AND NET STATE DOMESTIC PRODUCT

Year	GSDP at factor cost (₹ crore)		Net SDP at factor cost (₹ crore)		Per Capita Net State Domestic Product/Per Capita income (₹)	
	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	27	27	27	27	240	..
1960-61*	48	35	48	35	359	..
1966-67*	138	91	138	91	440	..
1970-71*	223	223	223	223	651	..
1980-81	794	794	723	723	1704	..
1990-91	2815	1285	2522	1151	4910	..
(Base 1993-94)						
1994-95	5825	5244	5193	4664	9451	8489
1995-96	6698	5569	5930	4921	10607	8801
1996-97	7755	5955	6803	5199	11960	9140
1997-98	8837	6335	7807	5571	13488	9625
1998-99	10696	6792	9508	5966	16144	10131
(Base1999-2k)						
1999-2000	14112	14112	12467	12467	20806	20806
2000-01	15661	15004	13853	13262	22795	21824
2001-02	17148	15786	15215	13938	24608	22543
2002-03	18905	16585	16751	14617	26627	23234
2003-04	20721	17925	18127	15596	28333	24377
((Base2004-05)						
2004-05	24077	24077	21189	21189	33348	33348
2005-06	27127	26107	23743	23009	36949	35806
2006-07	30281	28483	26247	24819	40393	38195
2007-08	33963	30917	28873	26362	43966	40143
2008-09	41483	33210	33115	27649	49909	41666
2009-10	48189	35897	39141	29149	58402	43492
2010-11	56980	39054	46216	31590	68297	46682
New series						
(Base2011-12)						
2011-12	72720	72720	60536	60536	87721	87721
2012-13	82294	77380	68921	65094	98996	93499
2013-14 (P)	92589	82866	77400	69124	110209	98425
2014-15 (Q)	101108	89050	84810	74267	119720	104838

Source:-Economics & Statistics Department

TABLE - 3

**ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT/
NET STATE DOMESTIC PRODUCT & PER CAPITA INCOME**

(At current & constant prices)

(Percent)

Year	GSDP at factor cost (₹ crore)		Net SDP at factor cost (₹ crore)		Per Capita Net State Domestic Product/ Per Capita income	
	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices	At current prices	At constant prices
1	2	3	4	5	6	7
(Base 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
(Base 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
(Base 1999-2000)						
2000-01	10.9	6.3	11.1	6.4	9.6	4.9
2001-02	9.5	5.2	9.8	5.1	7.9	3.3
2002-03	10.2	5.1	10.1	4.9	8.2	3.5
2003-04	9.6	8.1	8.2	6.7	6.4	4.9
(Base 2004-05)						
2005-06	12.7	8.4	12.1	8.6	10.8	7.4
2006-07	11.6	9.1	10.5	7.9	9.3	6.7
2007-08	12.2	8.5	10.0	6.2	8.8	5.1
2008-09	22.1	7.4	14.7	4.9	13.5	3.8
2009-10	16.2	8.1	18.2	5.4	17.0	4.4
2010-11	18.2	8.8	18.1	8.4	16.9	7.3
New series						
(Base 2011-12)						
2012-13	13.2	6.4	13.9	7.5	12.9	6.6
2013-14 (P)	12.5	7.1	12.3	6.2	11.3	5.3
2014-15 (Q)	9.2	7.5	9.6	7.4	8.6	6.5

Source:-Economics & Statistics Department

TABLE - 4
GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST
(At current prices)

(₹ in crore)								
Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communication & trade	Banking & insurance real estate & ownership of dwelling business services	Public administration, defence & services	Gross Value Added at Basic Prices	Plus Product Taxes less Subsidies	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	30	5	3	3	7	--	--	48
1966-67*	104	24	16	6	21	--	--	171
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
Old series								
(Base 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	448	178	79	90	130	--	--	925
1982-83	437	206	85	103	156	--	--	987
1983-84	525	220	102	111	169	--	--	1127
1984-85	489	224	105	121	200	--	--	1139
1985-86	576	312	123	132	228	--	--	1371
1986-87	615	339	145	150	268	--	--	1517
1987-88	627	416	168	162	349	--	--	1722
1988-89	781	549	204	196	427	--	--	2157
1989-90	895	568	229	237	506	--	--	2435
1990-91	987	746	260	266	556	--	--	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	--	--	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	--	--	3824
(Base 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	--	--	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	--	--	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1231	--	--	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	--	--	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	--	--	10696
(Base 1999-2k)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3954	5602	2056	1365	2684	--	--	15661
2001-02	4442	6095	2305	1552	2754	--	--	17148
2002-03	4657	6867	2742	1678	2961	--	--	18905
2003-04	5194	7468	2888	2042	3129	--	--	20721
(Base 2004-05)								
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6858	10373	4007	1918	3971	--	--	27127
2006-07	7010	12101	4235	2177	4758	--	--	30281
2007-08	7887	13507	5027	2405	5137	--	--	33963
2008-09	8316	17848	6141	2778	6400	--	--	41483
2009-10	9166	20679	7471	3268	7605	--	--	48189
2010-11	10914	24040	8347	3672	10007	--	--	56980
New series								
(Base 2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	13443	33650	8660	11346	11525	78624	3670	82294
2013-14 (P)	15648	37560	10247	12823	12554	88832	3757	92589
2014-15 (Q)	15463	39919	12257	14650	14875	97164	3944	101108

Source:-Economics & Statistics Department.

Note:- * Net State Domestic Product.

TABLE - 5
GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST
(At constant prices) (₹ in crore)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi- cation & trade	Banking & insurance real estate & owner- ship of dwelling business services	Public administ- ration, defence & services	Gross Value Added at Basic Prices	Plus Product Taxes less Subsidies	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	20	5	3	0	7	--	--	35
1966-67*	57	18	9	4	13	--	--	101
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
(Base 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	405	164	72	84	116	--	--	841
1982-83	355	173	74	88	128	--	--	818
1983-84	396	168	81	92	124	--	--	861
1984-85	343	161	78	95	137	--	--	814
1985-86	387	207	85	100	147	--	--	926
1986-87	417	208	95	113	158	--	--	991
1987-88	360	235	98	119	188	--	--	1000
1988-89	400	288	108	116	212	--	--	1124
1989-90	488	265	112	139	234	--	--	1238
1990-91	484	316	117	141	227	--	--	1285
1991-92	465	323	124	152	226	--	--	1290
1992-93	469	362	135	162	234	--	--	1362
(Base 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	--	--	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	--	--	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	--	--	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	--	--	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	--	--	6792
(Base 1999-2000)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3773	5437	1920	1252	2622	--	--	15004
2001-02	4093	5694	2080	1336	2583	--	--	15786
2002-03	4184	6153	2186	1370	2692	--	--	16585
2003-04	4671	6544	2356	1582	2772	--	--	17925
(Base 2004-05)								
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6578	9960	3820	1958	3791	--	--	26107
2006-07	6539	11315	4078	2270	4282	--	--	28484
2007-08	7118	12371	4488	2513	4427	--	--	30917
2008-09	7059	13547	5179	2625	4800	--	--	33210
2009-10	6340	15390	5757	3040	5370	--	--	35897
2010-11	7496	15987	5999	3578	5994	--	--	39054
New series								
(Base 2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3517	72920
2012-13	12747	32023	8040	10598	10713	74121	3259	77380
2013-14 (P)	14468	33969	8899	11032	10940	79308	3558	82866
2014-15 (Q)	14217	36037	10195	12287	12456	85192	3858	89050

Source:- Economics & Statistics Department.

Note: - * Net State Domestic Product.

TABLE - 6
ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT
(At constant prices)

(Percent)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communi- cation & trade	Banking & insurance real estate & owner- ship of dwelling business services	Public administ- ration, defence & services	Gross domestic product a factor cos
1	2	3	4	5	6	7
(Base 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0.0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	- 2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	- 5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13.0	7.5	7.0
1987-88	13.7	13.0	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.6	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22.0	(-) 8.0	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	- 0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7.8	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
(Base 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	- 2.5	9.6
1995-96	2.0	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8.0	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
(Base 1999-2k)						
2000-01	15.6	5.3	10.5	- 2.6	- 1.5	6.3
2001-02	8.5	4.7	8.3	6.7	- 1.5	5.2
2002-03	2.2	8.1	5.1	2.5	4.2	5.1
2003-04	11.6	6.4	7.8	15.5	3.0	8.1
(Base 2004-05)						
2005-06	6.1	8.5	10.2	10.8	9.3	8.4
2006-07	- 0.6	13.6	6.8	15.9	12.9	9.1
2007-08	8.9	9.3	10.1	10.7	3.4	8.5
2008-09	- 0.8	9.5	15.4	4.5	8.4	7.4
2009-10	-10.2	13.6	11.2	15.8	11.9	8.1
2010-11	18.2	3.9	4.2	17.7	11.6	8.8
New series						
(Base 2011-12)						
2012-13	7.0	5.3	6.1	10.1	8.4	6.4
2013-14 (P)	13.5	6.1	10.7	4.1	2.1	7.1
2014-15 (Q)	- 1.7	6.1	14.6	11.4	13.9	7.5

Source:-Economics & Statistics Department.

TABLE-7
SALIENT FEATURES OF POPULATION IN
HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001	60.78	17.54	968	109	76.48	9.8
2011	68.65	12.94	972	123	82.80	10.0

Source:- Census of India 1951,1961,1971,1981,1991,2001and 2011.

TABLE-8
DISTRICT-WISE AREA,POPULATION,SEX RATIO
AND DENSITY OF POPULATION 2011 CENSUS

District	Area sq. kilometres		Population		Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometer
1.	2.		3.		4.	5.
Bilaspur	1,167	(2.10)	3,81,956	(5.56)	981	327
Chamba	6,522	(11.71)	5,19,080	(7.56)	986	80
Hamirpur	1,118	(2.01)	4,54,768	(6.63)	1095	407
Kangra	5,739	(10.31)	15,10,075	(22.00)	1012	263
Kinnaur	6,401	(11.50)	84,121	(1.23)	819	13
Kullu	5,503	(9.88)	4,37,903	(6.38)	942	80
Lahaul-Spiti	13,841	(24.86)	31,564	(0.46)	903	2
Mandi	3,950	(7.09)	9,99,777	(14.56)	1007	253
Shimla	5,131	(9.22)	8,14,010	(11.86)	915	159
Sirmaur	2,825	(5.07)	5,29,855	(7.72)	918	188
Solan	1,936	(3.48)	5,80,320	(8.45)	880	300
Una	1,540	(2.77)	5,21,173	(7.59)	976	338
H.P.	55,673	(100.00)	68,64,602	(100.00)	972	123

Source:- Census of India,2011 Census.

TABLE-9
SEX WISE RURAL-URBAN POPULATION-2011 CENSUS

District	Population								
	Rural			Urban			Total		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Bilaspur	179653	177174	356827	13111	12018	25129	192764	189192	381956
Chamba	241963	241009	482972	19357	16751	36108	261320	257760	519080
Hamirpur	200748	222590	423338	16322	15108	31430	217070	237698	454768
Kangra	705365	718429	1423794	45226	41055	86281	750591	759484	1510075
Kinnaur	46249	37872	84121	0	0	0	46249	37872	84121
Kullu	203269	193243	396512	22183	19208	41391	225452	212451	437903
L-Spiti	16588	14976	31564	0	0	0	16588	14976	31564
Mandi	466050	471090	937140	32015	30622	62637	498065	501712	999777
Shimla	314295	298364	612659	110744	90607	201351	425039	388971	814010
Sirmaur	246175	226515	472690	30114	27051	57165	276289	253566	529855
Solan	249736	228437	478173	59018	43129	102147	308754	271566	580320
Una	240254	236006	476260	23438	21475	44913	263692	257481	521173
H.P.	3110345	3065705	6176050	371528	317024	688552	3481873	3382729	6864602

Source:- Census of India-2011

TABLE-10
PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(In '000 tonnes)

Crops	2013-14	2014-15 (Tentative Final)	2015-16 (Anti.Ach.)	2016-17 (Target)
1.	2.	3.	4.	5.
FOOD GRAINS:				
A. Cereals:				
1. Rice	128.49	119.17	132.00	131.00
2. Maize	678.25	752.66	730.00	750.00
3. Ragi	1.97	3.11	3.00	3.50
4. Small Millets	3.60	4.26	4.00	6.00
5. Wheat	685.45	720.86	690.00	650.00
6. Barley	35.18	31.63	35.00	38.00
Total-Cereals	1532.94	1631.69	1594.00	1578.50
B. Pulses:				
1. Gram	0.40	0.53	2.50	3.50
2. Other Pulses	51.80	41.43	22.50	18.00
Total pulses	52.20	41.96	25.00	21.50
Total-Food grains	1585.14	1673.65	1619.00	1600.00
Commercial Crops				
1. Potato	205.28	181.38	200.00	195.00
2. Vegetables	1465.96	1576.45	1480.00	1500.00
3. Ginger (Dry)	1.84	1.84	3.0	5.00

Source:- Directorate of Agriculture Himachal Pradesh.

TABLE-11
CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN TERMS OF NUTRIENTS

(M.T.)

Year/ District	Kharif (N+P+K)	Rabi (N+P+K)	Total (N+P+K)
1	2	3	4
2013-14	20487	29673	50160
2014-15	19388	33667	53055
District- wise			
Bilaspur	1306	981	2287
Chamba	822	451	1273
Hamirpur	1681	787	2468
Kangra	3283	5939	9222
Kinnaur	60	185	245
Kullu	1102	3312	4414
Lahaul-Splti	94	359	453
Mandi	2597	3405	6002
Shimla	1721	9279	11000
Sirmaur	2084	2141	4225
Solan	1840	1958	3798
Una	2798	4870	7668

Source:- Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh.

TABLE-12
AREA UNDER HIGH YIELDING VARIETY CROPS

('000 Hect.)

Year	Wheat	Paddy	Maize
1	2	3	4
2013-14	341.35	76.50	285.05
2014-15	352.00	74.00	288.00
District- Wise			
Bilaspur	26.00	1.45	27.00
Chamba	21.00	2.15	25.40
Hamirpur	32.57	2.15	29.65
Kangra	94.00	36.00	56.55
Kinnaur	0.30	0.05	0.50
Kullu	20.10	1.20	14.25
Lahaul-Spiti	0.10	0.00	0.00
Mandi	63.40	19.00	47.10
Shimla	16.58	1.80	14.35
Sirmaur	26.20	4.90	22.90
Solan	21.95	2.90	23.15
Jna	29.80	2.40	27.15

Source:- Directorate of Agriculture, Himachal Pradesh.

TABLE-13
DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF
OPERATIONAL HOLDINGS (2010-11 Census)

District	Number	Area(hectares)
1.	2.	3.
Bilaspur	57422	50662
Chamba	70630	54908
Hamirpur	76140	73502
Kangra	235904	201855
Kinnaur	10757	14227
Kullu	74444	41643
Lahaul & Spiti	4274	6743
Mandi	154302	127051
Shimla	110005	117937
Sirmaur	50721	99221
Solan	53456	86619
Una	62710	80285
Himachal Pradesh	960765	954653

Source: - Directorate of Land Records, H.P.

TABLE-14
LIVESTOCK AND POULTRY

(In thousands)

Category	1997	2003*	2007*	2012*
1.	2.	3.	4.	5.
A. Livestock:				
1. Cattle	2,002	2,196	2,269	2,149
2. Buffaloes	652	773	762	716
3. Sheep	909	906	901	805
4. Goats	947	1,116	1,241	1,119
5. Horses and ponies	22	17	13	15
6. Mules and donkeys	31	33	26	31
7. Pigs	5	3	2	5
8. Other livestock	3	2	2	4
Total-Livestock	4571	5,046	5,216	4,844
B. Poultry	385	764	809	1,104

Source:- Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

*Directorate of Animal Husbandry, Himachal Pradesh.

TABLE-15
OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce		Minor produce (Value ₹ in '000		
	Timber(Standing volume '000 cu. Metres)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other produce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2008-09	246.9	736	48,612	1,003	41,659
2009-10	228.0	130	56,117	1,070	49,171
2010-11	245.4	143	1,03,258	881	1,17,738
2011-12	146.1	18	1,02,457	947	80,141
2012-13	207.1	33	76,278	918	1,68,374
2013-14	245.1	39	85,451	878	2,10,615
2014-15	242.9	775	83,262	1,035	2,29,280

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh.

*Firewood extracted/collected includes charcoal also.

Note :- Value of Medicinal-herbs is estimated and does not include Medicinal-herbs extracted/ sold through Panchayats.

TABLE-16
AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the control of Forest Deptt.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2008-09	1,898	33,130	886	369	750	37,033
2009-10	1,898	33,130	886	369	750	37,033
2010-11	1,898	33,130	886	369	750	37,033
2011-12	1,896	33,123	886	370	758	37,033
2012-13	1,896	33,123	886	370	758	37,033
2013-14*	1,896	33,123	886	370	758	37,033
2014-15*	1,896	33,123	886	370	758	37,033

*Provisional

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh.

**TABLE-17
FAIR PRICE SHOPS**

(As on 31-12-2015)

District	Rural	Urban	Total
1.	2.	3.	4.
Bilaspur	218	10	228
Chamba	470	18	488
Hamirpur	269	23	292
Kangra	1007	45	1052
Kinnaur	59	0	59
Kullu	404	29	433
Lahaul-Spiti	66	0	66
Mandi	736	38	774
Shimla	480	66	546
Sirmaur	303	26	329
Solan	259	43	302
Una	266	21	287
Total	4537	319	4856

Source:- Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

**TABLE-18
L.P.G. CONSUMER IN H.P.**

(As on 31.12.2015)

District	SBC	DBC	Total
1.	2.	3.	4.
Bilaspur	28947	39375	68322
Chamba	38845	29231	68076
Hamirpur	50547	58419	108966
Kangra	210362	179867	390229
Kinnaur	15656	17167	32823
Kullu	39949	61649	101598
Lahaul & Spiti	4246	10614	14860
Mandi	94724	106292	201016
Shimla	89419	133245	222664
Sirmaur	25169	32405	57574
Solan	55015	83291	138306
Una	44361	68659	113020
Himachal Pradesh	697240	820214	1517454

Source:- Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-19
DISTRICT- WISE PETROL/ DIESEL RETAIL OUTLETS IN H.P.

(As on 31.12.2015)

District	IOC	BPC	HPC	IBPC	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	12	8	9	-	29
Chamba	8	3	4	-	15
Hamirpur	13	7	6	1	28
Kangra	46	9	14	-	70
Kinnaur	4	-	2	-	6
Kullu	11	2	3	1	17
Lahaul & Spiti	2	-	-	-	2
Mandi	25	8	7	2	42
Shimla	17	4	11	-	32
Sirmaur	9	4	4	-	18
Solan	19	6	8	7	40
Una	16	5	7	2	30
H.P.	182	56	75	13	329

Source:- Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

TABLE-20
DISTRICT- WISE / COMPANY- WISE DETAIL OF GAS AGENICIES

(As on 31.12.2015)

District	IOC	HPC	BPC	Total
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur	6	-	1	7
Chamba	6	1	-	7
Hamirpur	6	-	-	6
Kangra	21	3	5	29
Kinnaur	4	-	1	5
Kullu	5	4	1	10
Lahaul & Spiti	2	1	-	3
Mandi	13	1	-	14
Shimla	20	1	2	23
Sirmaur	10	-	-	10
Solan	9	2	3	14
Una	7	-	2	9
H.P.	109	13	15	137

Source:- Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh.

**TABLE-21
CO-OPERATION**

Item	2012-13	2013-14	2014-15
1.	2.	3.	4.
<u>I.Societies(No):</u>			
Agricultural	2115	2109	2116
Non-Agricultural	2594	2607	2670
Urban banks	5	5	5
State and Central banks	4	4	4
Other secondary societies	41	41	41
<u>II.Membership('000)</u>			
Agricultural societies	1127	1118	1172
Non-Agricultural Societies	306	336	376
Urban banks	23	23	23
State and Central banks	82	82	82
Other secondary societies	4	4	4
<u>III.Working Capital(lakh Rs.)</u>			
Agricultural Societies	287771.77	289942.47	419820.26
Non-Agricultural Societies	70457.63	71472.24	73447.12
Urban banks	53653.68	54542.15	72948.13
State & Central banks	1513173.58	1523932.56	1884732.51
Other secondary societies	11305.88	11418.78	14416.11
TOTAL	1936362.54	1951308.20	2465364.13
<u>IV.Loans Advanced(lakh Rs.)</u>			
Agricultural societies	46279.25	45972.18	58792.42
Non-Agricultural societies	8780.86	8984.15	14121.43
Urban banks	64912.70	63426.81	41647.99
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	193992.62	194568.47	176934.87
<u>V.Loans outstanding(lakh Rs.)</u>			
Agricultural societies	59692.21	62426.42	76684.09
Non-Agricultural societies	14598.44	13911.19	20069.87
Urban banks	27479.98	29517.78	42438.51
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	602024.46	614278.94	1033385.90

Source:- Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE-22
GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

Item	2013-14	2014-15	2015-16 <i>Up to Dec.2015*</i>
1.	2.	3.	4.
1.Electricity generated	1950.79	2096.81	1404.55
2.Electricity purchased from BBMB & other States	8931.661	10042.967	9222.700
3.Energy Consumed:			
Within the State	7535.833	7866.896	6068.140
(a) Domestic	1774.497	1893.519	1461.200
(b) Non Domestic & Non-Comm.	117.590	129.977	89.870
(c) Commercial	450.942	473.211	363.020
(d) Public lighting	12.454	13.338	9.440
(e) Agriculture	41.319	45.095	39.260
(f) Industries	4490.717	4625.743	3582.580
(g) Govt. Irrigation & Water Supply Scheme	470.722	502.626	399.810
(h) Temporary Supply	26.896	25.628	19.690
(i) Bulk & Misc.	150.696	157.759	103.270
4. Outside the State	1999.597	1663.130	612.400
Total Consumed:	9535.430	9530.026	6680.540

*Figures are Tentative,

Source: - State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE-23
AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2003-04	84,112	24,885	10,939	20,261	42,244	1,82,441
2004-05	86,202	25,235	11,100	20,402	43,964	1,86,903
2005-06	88,560	25,533	11,210	20,730	45,635	1,91,668
2006-07	91,804	26,086	11,328	21,118	47,109	1,97,445
2007-08	94,726	26,341	11,181	21,373	46,881	2,00,502
2008-09	97,438	26,546	11,096	21,588	47,961	2,04,629
2009-10	99,564	26,875	11,037	22,050	48,628	2,08,154
2010-11	1,01,485	27,091	11,022	22,305	49,392	2,11,295
2011-12	1,03,644	27,472	11,039	22,396	50,023	2,14,574
2012-13	1,06,440	27,637	10,902	22,809	50,515	2,18,303
2013-14	1,07,686	27,792	10,819	23,110	51,299	2,20,706
2014-15	1,09,553	27,900	10,621	23,704	52,574	2,24,352

Source: - Horticulture Department, Himachal Pradesh

TABLE-24
PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other Sub-tropical fruits	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2003-04	459.49	40.93	3.57	28.12	27.86	559.97
2004-05	527.60	60.20	3.73	28.55	71.93	692.01
2005-06	540.35	48.69	3.27	29.16	74.03	695.50
2006-07	268.40	35.65	2.91	12.67	49.47	369.10
2007-08	592.58	53.91	2.92	24.67	38.76	712.84
2008-09	510.16	39.93	3.55	26.01	48.43	628.08
2009-10	280.11	37.08	2.81	28.14	34.10	382.24
2010-11	892.11	61.38	3.62	28.67	42.04	1027.82
2011-12	275.04	31.18	2.49	25.03	39.08	372.82
2012-13	412.39	55.02	2.81	24.32	61.16	555.70
2013-14	738.72	66.13	3.48	22.27	35.74	866.34
2014-15	625.20	43.61	2.41	22.17	58.55	751.94
2015-16 up to Dec.2015	754.95	29.57	1.84	7.33	25.32	819.01

Source: - Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-25
HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

As on 31 st March	Regular	Part time Employees	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
2001	1,39,882	9,794	31,001	46,455
2002	1,44,446	9,655	28,653	45,125
2003	1,47,039	13,163	29,205	38,774
2004	1,46,933	12,881	29,692	32,674
2005	1,45,556	12,357	29,345	31,763
2006	1,61,803	13,312	12,332	31,337
2007	1,74,388	13,219	6,185	21,242
2008	1,82,746	13,168	5,904	14,824
2009	1,89,065	13,050	2,167	11,908
2010	1,90,560	13,088	0	11,551
2011	1,87,604	11,639	0	10,170
2012	1,87,419	11,780	0	9,979
2013	1,84,761	8,153	0	12,337
2014	1,83,600	7,750	0	11,599
2015	1,82,049	6,312	0	11,512

Note:- The Figures of Contract, Ad-hoc and Volunteer Employees not included.

Source: - Economics & Statistics Department, Himachal Pradesh.

TABLE-26
TOURIST ARRIVAL FOR THE YEAR 2015

District	Indian	Foreigner	Total
1.	2.	3.	4.
Bilaspur	1368807	350	1369157
Chamba	1122894	1197	1124091
Hamirpur	855263	4	855267
Kangra	2396970	112843	2509813
Kinnaur	117216	2695	119911
Kullu	3314463	109468	3423931
Lahaul & Spiti	86591	4612	91203
Mandi	1086231	10478	1096709
Shimla	3261152	154155	3415307
Sirmaur	1016060	3377	1019437
Solan	1072486	6692	1079178
Una	1426912	237	1427149
Himachal Pradesh.	17125045	406108	17531157

Source: Tourism and Civil Aviation Department, Himachal Pradesh

**TABLE-27
EDUCATION**

No. of Educational Institutions	2015-16 up to Dec.2015
1.	2.
1. Primary	10,781*
2. Middle	2,236
3. High Schools	880
4. Senior Secondary Schools	1,610
5. Degree colleges	94
Total	15,601

Source:-Education Department, Himachal Pradesh.

**TABLE-28
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH**

Item	2013-14	2014-15	2015-16 (Up to Dec.2015)
1.	2.	3.	4.
1. Allopathic institutions			
(i) No. of Institutions			
(a) Hospitals	61	64	68
(b) Community Health Centers	78	78	74
(c) Primary Health Centers	489	500	516
(d) ESI Dispensaries	11	11	11
TOTAL	639	653	669
(ii) Beds available	9889	10037	10477
2. Ayurvedic institutions			
(i) No. of Institutions			
(a) Hospitals	30	30	30
(b) Nature Cure Hospital	1	1	1
(c) Dispensaries/ Health Centers	1108	1111	1113
(d) Ayurvedic Pharmacies	3	3	3
(e) Research Institution	1	1	1
TOTAL	1143	1146	1148
(ii) Beds available in Ayurvedic Institutions	911	911	911
3. No. of Unani Dispensaries	3	3	3
4. No. of Homoeopathy Dispensaries	14	14	14

Source: - Directorate of Health & Family Welfare and Ayurveda, Himachal Pradesh.

**TABLE-29
ROADS**

(In Kilometer)

Type of road	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 up to Dec.2016
1.	2.	3.	4.	5.
1.Motorable double lane	2,415	2416	2416	2416
2.Motorable single lane	30,550	31075	31499	31717
3.Jeepable	260	255	272	272
4.Less than Jeep able	1,422	1396	1396	1370
Total	34,647	35142	35583	35775

Source:-Public Works Department Himachal Pradesh.

Note- Figures include National Highways also.

**TABLE-30
NATIONALISED ROAD TRANSPORT**

Year	Number of motor vehicles					No. of routes under operation	Distance Covered ('000 kilometers)
	Buses	Att- ached s Buses	Truck	Others	Total		
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
2006-07	1,763	79	11	64	1,917	1,870	1,54,657
2007-08	1,896	75	11	67	2,049	1,927	1,07,674
2008-09	1,881	27	11	64	1,983	1,975	1,61,862
2009-10	2,005	21	10	72	2,108	2,004	1,62,855
2010-11	1,979	17	13	84	2,093	2,148	1,65,546
2011-12	2,024	0	13	80	2,117	2,048	1,65,417
2012-13	2,091	0	16	38	2,145	2,077	1,66,503
2013-14	2,054	33	17	35	2,139	2,142	1,71,647
2014-15	2,447	33	18	32	2,530	2,225	1,79,396
2015-16 up to Dec.,2015	2,748	37	19	41	2,842	2,289	1,40,299

Source:-Himachal Road Transport Corporation, Shimla.

**TABLE-29
ROADS**

(In Kilometer)

Type of road	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 up to Dec.2015
1.	2.	3.	4.	5.
1.Motorable double lane	2,415	2416	2416	2416
2.Motorable single lane	30,550	31075	31499	31717
3.Jeepable	260	255	272	272
4.Less than Jeep able	1,422	1396	1396	1370
Total	34,647	35142	35583	35775

Source:-Public Works Department Himachal Pradesh.

Note- Figures include National Highways also.

**TABLE-30
NATIONALISED ROAD TRANSPORT**

Year	Number of motor vehicles					No. of routes under operation	Distance Covered ('000 kilometers)
	Buses	Att- ached Buses	Truck	Others	Total		
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
2006-07	1,763	79	11	64	1,917	1,870	1,54,657
2007-08	1,896	75	11	67	2,049	1,927	1,07,674
2008-09	1,881	27	11	64	1,983	1,975	1,61,862
2009-10	2,005	21	10	72	2,108	2,004	1,62,855
2010-11	1,979	17	13	84	2,093	2,148	1,65,546
2011-12	2,024	0	13	80	2,117	2,048	1,65,417
2012-13	2,091	0	16	38	2,145	2,077	1,66,503
2013-14	2,054	33	17	35	2,139	2,142	1,71,647
2014-15	2,447	33	18	32	2,530	2,225	1,79,396
2015-16 up to Dec.,2015	2,748	37	19	41	2,842	2,289	1,40,299

Source:-Himachal Road Transport Corporation, Shimla.

TABLE-31
CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL PRADESH

Year/Month	For Industrial Workers Base: 2001=100	
	General Index	Food Index
1.	2.	3.
2006	120	121
2007	126	129
2008	135	141
2009	147	158
2010	161	177
2011	172	188
2012	188	205
2013	208	226
2014	222	241
2015	232	256
January	225	245
February	225	245
March	226	246
April	227	248
May	229	251
June	230	252
July	233	257
August	234	260
September	236	264
October	239	268
November	241	272
December	238	264

Source:-Labour Bureau, Government of India.

TABLE-32
ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

Items	(Base 2004-05=100)		
	2012-13	2013-14	2014-15
1.	2.	3.	4.
ALL COMMODITIES	167.6	177.6	181.2
I. Primary articles:	220.0	241.6	248.8
A. Food articles:	211.8	238.9	253.4
B. Non-food articles	201.9	213.2	212.1
C. Minerals	346.9	346.5	308.5
II. Fuel, power, light & lubricants	186.5	205.4	203.5
III. Manufactured products	147.1	151.5	155.1
A. Food products	163.5	168.8	172.9
B. Beverages, tobacco & tobacco products	175.3	186.0	200.8
C. Textiles	131.4	139.0	142.6
D. Wood & wood products	171.0	179.1	187.8
E. Paper & paper products	136.6	143.0	150.7
F. Leather & leather products	134.2	143.1	145.0
G. Rubber & plastic products	137.5	146.0	149.9
H. Chemical & chemical products	143.6	148.9	152.8
I. Non-metallic mineral products	163.3	166.2	172.9
J. Basic metals, alloys & metal products	166.1	164.5	165.6
K. Machinery & machine tools including electrical machinery	128.4	131.6	134.6
L. Transport equipment & parts	129.8	134.5	136.2

Source:-Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

TABLE-33
INCIDENCE OF CRIMES

District/Other	2011	2012	2013	2014	2015
1.	2	3	4	5	6
Bilaspur	1236	1098	1238	1301	1281
Chamba	973	821	841	995	955
Hamirpur	1005	1033	982	962	875
Kangra	3443	3505	3203	3167	3225
Kinnaur	335	236	180	231	211
Kulu	2197	1053	1218	1240	1200
Lahaul-Spiti	173	159	121	123	125
Mandi	2019	2168	2101	2472	2377
Shimla	3312	1892	1888	2199	2833
Sirmaur	1106	1149	1015	1106	1117
Solan	1145	928	959	1045	865
Una	1142	1118	1216	1345	1380
Railway & Traffic	28	15	20	12	10
CID	28	29	44	132	39
Baddi	733	733	707	792	728
Himachal Pradesh	18875	15937	15733	17122	17221

Source:-Police Department, Himachal Pradesh.

**TABLE-34
PLAN OUTLAYS**

		(Rs. in Crore)
Sl. No.	Major/Minor Head of Development	Approved Outlay (2015-16)
1	2	3
A ECONOMIC SERVICES		
I	Agriculture and Allied Services	
	1.Agriculture	133.44
	2.Horticulture	33.61
	3.Soil & Water Conservation	47.04
	4.Animai Husbandry	46.80
	8.Dairy Development	15.03
	6.Fisheries	5.00
	7.Forestry & Wildlife	100.74
	8.Agricultural Research & Education	114.77
	9. Co-operation	1.47
	10. Horticulture Marketing	14.00
	Total-I	511.90
II	Rural Development	
	1. DRDA Administration	3.98
	2. Indira Awaas Yojna	14.30
	3. Mahatma Gandhi National Employment Guarantee /	40.00
	4. Normal / Special SGSY/NRLM	2.19
	5. Desert Development Programme	1.86
	6. IWMP	8.00
	7. Land Reforms	3.03
	8. Community Development and Panchayats	76.99
	Total-II	150.35
III	Special Areas Programmes	
	1. Border Areas Programmes	23.10
	Total-III	23.10

TABLE-34 – Contd.....

(Rs. in Crore)


1	2	3
IV	Irrigation and Flood Control	
	1. Major and Medium Irrigation	45.00
	2. Minor Irrigation	154.45
	3. Command Area Development	25.00
	4. Flood Control	190.05
	Total - IV	414.50
V	Energy	
	1. Power	640.00
	2. Non-conventional Sources of Energy	2.20
	Total - V	642.20
VI	Industry and Minerals	
	1. Village and Small Industries	51.76
	2. Other Industries (other than VSI)	14.30
	3. Minerals	0.25
	Total- VI	66.31
VII	Transport	
	1. Civil Aviation	0.50
	2. Roads and Bridges	826.67
	3. Road Transport	49.54
	4. Rail Transport	10.00
	6. Other Transport services	0.15
	Total-VII	886.86
VIII	Science, Technology and Environment	
	1. Scientific Research	6.00
	2. Ecology and Environment	0.17
	3. Information Technology	7.00
	Total- VIII	13.17
IX	General Economic Services	
	1. Secretariat Economic Services	17.98
	2. Excise & Taxation	1.17
	3. Tourism	43.25
	4. Civil Supplies	5.04
	5. Other General Economic Services	0.00
	6. Weights and Measures	0.01
	7. District Planning / District Councils	109.69
	Total-IX	177.14

TABLE-34 – Concl'd.....

(Rs. in Crore)

1	2	3
X	B. Social Services	
	1. General Education	595.95
	a) Elementary Education & Literacy	325.88
	b) Higher /Secondary Education+	270.07
	2. Technical Education	80.00
	3. Sports & Youth Services	13.74
	4. Art & Culture	5.87
	5. Health and Family Welfare	303.05
	6. Water Supply Sanitation	190.92
	7. Housing including Police Housing	58.79
	8. Urban Development	132.06
	9. Information & Publicity	0.98
	10. Welfare of SCs, STs & OBCs	172.95
	11. Labour & Employment	0.87
	12. Social Welfare	256.81
	13. Nutrition	30.00
	Total-X	1841.99
XI	C. General Services	
	1. Jails	3.00
	2. Public Work	35.00
	3. Other Administrative Services	34.48
	Total-XI	72.48
	Grand Total	4800.00

Source: - Planning Department, Himachal Pradesh.

NUEPA DC

 D14865

